वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110114
वेबसाईट : www.fcamin.nic.in, consumeraffairs.nic.in
राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाईनः 1800–11–4000

विषय–सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	I	कार्य तथा संगठनात्मक ढांचा	1-6
2.	II	कार्यकारी सार	7-22
3.	III	सामान्य मूल्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता	23-44
4.	IV	आवश्यक वस्तु विनियमन और प्रवर्तन	45-48
5.	V	उपभोक्ता संरक्षण	49-60
6.	VI	उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान	61-70
7.	VII	वायदा बाजार आयोग	71-96
8.	VIII	भारतीय मानक ब्यूरो	97-118
9.	IX	बाट तथा माप	119-138
10.	X	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	139-172
11.	XI	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	173-174
12.	XII	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न	175-176
13.	XIII	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	177-178
14.	XIV	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	179-182
15.	XV	समेकित वित्त प्रभाग	183-190
16.	XVI	अपंग व्यक्तियों के लाभार्थ स्कीमें	191-192
17.	XVII	वर्ष 2011–12 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग का परिणाम ढांचा दस्तावेज	193-202

अध्याय - I

कार्य तथा संगठनात्मक ढांचा

1.1 प्रो0 के.वी. थॉमस ने 1 जून, 2009 से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के पद का कार्यभार संभाला और 19 जनवरी, 2011 से उनको विभाग का स्वतन्त्र प्रभार सौंपा गया।

1.2 श्री पंकज अग्रवाल, ने 31.8.2012 (अपराह्न) से सचिव (उपभोक्ता) मामले का पद ग्रहण किया। और उनकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव और प्रधान सलाहकार तथा एक संयुक्त सचिव हैं।

1.3 इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:–

i) आन्तरिक व्यापार

ii) भावी सौदा व्यापार का नियन्त्रण: अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)

iii) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (उन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण से सम्बन्धित कार्य जिनके बारे में किसी दूसरे मंत्रालय/विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है)

iv) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7)

v) पैकेज में रखी वस्तुओं का विनियमन।

vi) विधिक माप–विज्ञान में प्रशिक्षण।

vii) सम्प्रतीक तथा नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952।

viii) बाट और माप मानक – विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009

ix) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986।

x) जैव ईंधन के अंतिम उपयोग के लिए विनिर्देशन, मानक और संहिताएं निर्धारित करना तथा गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करना।

xi) वायदा बाजार आयोग।

xii) उपभोक्ता सहकारी समितियां।

xiii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986.

xiv) मूल्यों की निगरानी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।

xv) राष्ट्रीय परीक्षण शाला।

उपभोक्ता मामले विभाग का संगठनात्मक चार्ट (फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार)

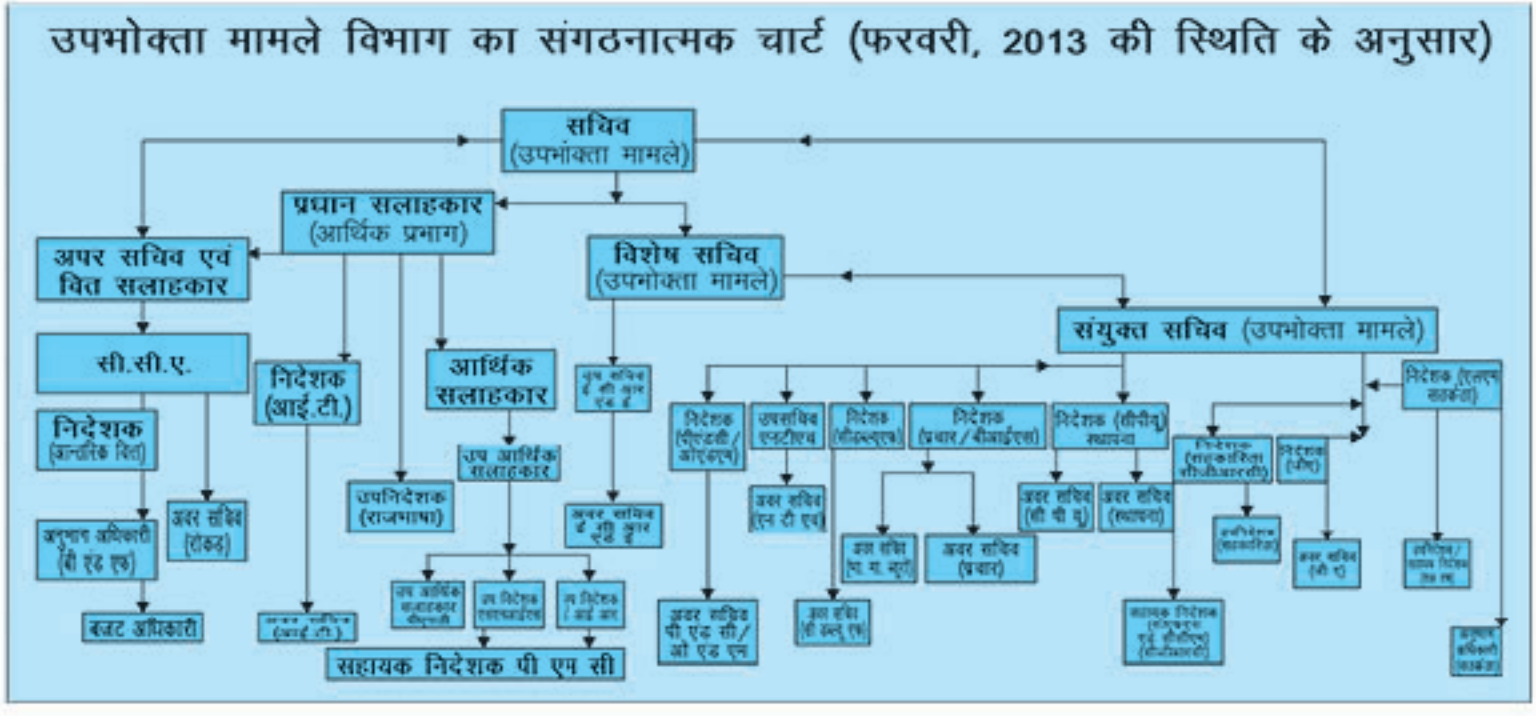

सचिव (उपभोक्ता मामले) – श्री पंकज अग्रवाल (आई ए एस) विशेष सचिव (उपभोक्ता मामले) – श्री अफ्ज़ल अमानुल्लाह (आई ए एस) प्रधान सलाहकार – श्रीमती गंगा मूर्ति (आई ई एस)
संयुक्त सचिव (उपभोक्ता मामले) – श्री मनोज परिडा (आई ए एस) आर्थिक सलाहकार – डा. के. जी. राधाकृष्णन (आई ई एस)

निदेशक / उपसचिव सर्वश्री		अपर सचिव सर्वश्री		उप निदेशक सर्वश्री	
1. बृज मोहन	आन्तरिक व्यापार	1. किशन पाल	बी.आई.एस.	1. वाई. एन. खरे	ई.आई.आर./पी.एम.सी
2. एस. के. नाग	सी.डब्ल्यू.एफ., सामान्य प्रशासन, पी एंड सी/ओ एंड एम	2. सुश्री प्रेमा भट्ट	सी.पी.यू.	2. राज कुमार	डब्ल्यू एंड एम/एलएम
3. जी. एन. सिंह	सीपीयू, स्थापना	3. राकेश कुमार	पीएंडसी, ओ एंड एम	3. ए.एस. खान	डब्ल्यू एंड एम/एलएम
4. बी. एन. दीक्षित	बाट एवं माप, सतर्कता	4. पुमाचिनथांग गुईते	ई.सीआर.एंड ई.	4. एस.एस. ठाकुर	सहकारिता
5. अशोक कुमार जैन	बी आई एस, प्रचार	5. एम.ए. चौधुरी	स्थापना, रोकड़	5. के.एस. टगणिया	हिन्दी
6. एच. एस. सैनी	आन्तरिक वित्त	6. राजेश बुधगुजर	एन.टी.एच	6. बी एस कर्दम, स.नि.	सीसीएम/सीएफएस
7. ओम प्रकाश	एन.टी.एच	7. टी.टी.के. मुआ	सामान्य प्रशासन	7. ए.सिंह, स.नि.	डब्ल्यू एंड एम/एलएम
8. रॉबिन चैटर्जी	ई. सी. आर. एंड ई	8. चरनजीत गुलाटी	प्रचार	8. आशुतोष अग्रवाल स.नि.	डब्ल्यू एंड एम/एलएम
9. रमेश चन्द्र (उप आर्थिक सलाहकार)	आर्थिक प्रभाग	9. डी सी देवगुन	आंतरिक व्यापार	9. के. कवि अरासन स.नि.	पीएमसी/ईआईआर
10. एम. एस. अशोकन	सहकारिता, सी.जी.आर.सी				
11. ए. प्रतिभा	आर्थिक प्रभाग				

उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन संगठन
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय कोलकाता) (महानिदेशक)
वायदा बाजार आयोग मुम्बई (अध्यक्ष)
भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली (महानिदेशक)
बाट तथा माप
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अध्यक्ष)
राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (अध्यक्ष)
क्षेत्रीय कार्यालय
वायदा बाजार आयोग कोलकाता शाखा कार्यालय
क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं
रा.प.शा (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता
रा.प.शा (पश्चिमी क्षेत्र) मुम्बई
रा.प.शा (दक्षिण क्षेत्र) चेन्नई
रा.प.शा (उत्तरी क्षेत्र) गाजियाबाद
रा.प.शा (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) जयपुर
रा.प.शा (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहटी
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलौर
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहटी
भारतीय विधिक माप–विज्ञान संस्थान रांची

नागरिक अधिकार पत्र

1.4 उपभोक्ता मामले विभाग का नागरिक अधिकार पत्र जो उपभोक्ताओं और जनता के व्यापक हित में उपभोक्ता मामले विभाग की नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति उपभोक्ता मामले विभाग की प्रतिबद्धता की घोषणा है, विभाग की वेबसाइट www.fcamin.nic.in और पुनः निर्मित वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) की सिफारिश के अनुसार इस विभाग ने 'सर्वोत्तम' शिकायत के रूप में नागरिक आधिकार पत्र को आशोधित किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत उचित एजेंसियों द्वारा वेबसाइट का तृतीय पार्टी मूल्यांकन अलग से किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना को विभाग की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अधिनियम के तहत जनता को सूचना प्रदान करने हेतु विभिन्न संगठनों/प्रभागों के लिए सम्बन्धित अपीलीय अधिकारियों के ब्यौरे केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति को भी वेबसाइट में सूचना का अधिकार खण्ड के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

सभी टेंडर नोटिस तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य निर्णय भी नियमित रूप से इस बेवसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक लागत की खरीद के मामले में सी पी पी पोर्टल में निविदाओं के ई–खरीद और ई–प्रसंस्करण का सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1 जनवरी, 2012 से पालन किया जा रहा है।

सतर्कता

उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव जो वर्तमान मे विशेष सचिव हैं, को अन्य जिम्मेदारियों के अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी पदनामित किया गया है।

1.6 यह विभाग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, विधिक माप विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई और राष्ट्रीय परीक्षण शाला तथा इसकी कोलकाता, मुम्बई, चैन्नई गाजियाबाद, जयपुर और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सतर्कता कार्यों की भी निगरानी करता है। बी.आई.एस. और एन.सी.सी.एफ. में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति इस विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से की जाती है।

1.7 भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया जाता है:–

(क) इस विभाग तथा विभाग के अधीन सभी संगठनों में सतर्कता मामलों के निपटान की बारीकी से निगरानी करना:

(ख) संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों का बारी–बारी से तबादला:

(ग) विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में

प्रभावशाली तरीके से अचानक सतर्कता निरीक्षण करना।

1.8 सतर्कता और भ्रष्टाचार–रोधी उपायों के सम्बन्ध में आवधिक विवरणियां नियमित रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जा रही हैं। विभाग तथा विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों के सम्बन्ध में भी सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की इस विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है।

1.9 अनुशासनिक/सतर्कता लम्बित मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए आवधिक बैठकों का आयोजन किया जाता है जिससे लम्बित पड़े सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या काफी कम हो गई है।

1.10 विभाग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 29 अक्तूबर से 03 नवम्बर, 2012 के बीच सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस अवसर पर 29 अक्तूबर, 2012 को "सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें विभाग के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

*****

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता
1912–2012
राष्ट्र की सेवा में
100 वर्ष
पूरे होने के उपलक्ष में समारोह का
आयोजन
श्री प्रणब मुखर्जी
श्री एम.के. नारायणन
प्रो. के.वी. थॉमस
www.core.nic.in

अध्याय - II

कार्यकारी सार

2.1. आवश्यक वस्तुओं का मूल्य रुझान और उनकी उपलब्धता

2.1.1 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बारीकी से निगरानी की गई और वर्ष 2012-13 (अप्रैल.दिसम्बर, 2012) के दौरान इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। मूल्य निगरानी कक्ष (पी.एम.सी.) आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ–साथ अर्थव्यवस्था में दालों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने से सम्बधित नीति को भी मॉनीटर करता है। दालों के सम्बन्ध में एक सब्सिडी स्कीम नवम्बर, 2008 से जून 2012 तक चलाई गई जिससे राज्य सरकारें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडीकृत दरों पर दालों का वितरण करने में सक्षम हुईं। यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडीकृत आयातित दालों के वितरण की स्कीम को 'गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडीकृत दरों पर आयातित दालों की आपूर्ति की स्कीम' नामक बदले हुए नाम से पुनः आरम्भ किया जाए।

2.1.2 मूल्य निगरानी कक्ष (पी.एम.सी.) 22 आवश्यक वस्तुओ अर्थात् चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चाय, चीनी, नमक, वनस्पति, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, दूध, सोया तेल, पॉम आयॅल, सूरजमुखी का तेल, गुड़, आलू, प्याज और टमाटर के मूल्यों की निगरानी करता है। राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रतिदिन 55 केन्द्रों से खुदरा मूल्य और थोक मूल्य एकत्र किए जाते हैं।

2.1.3 थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित सभी वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति दर दिसम्बर 2011 के 7.74% की तुलना में दिसम्बर 2012 के दौरान 7.18% रही। समीक्षाधीन अवधि (अप्रैल.दिसम्बर, 2012) के दौरान इस विभाग द्वारा निगरानी की जा रहीं कुछेक आवश्यक वस्तुओं जैसे कि वनस्पति, पाम ऑयल, आलू और टमाटर की कीमतों में स्थिरता से कमी का रुझान दिखाई दिया है जबकि चावल, गेहूं, आटा, दालों जैसे कि चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल चीनी, गुड़, नमक, दूध, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, खुली चाय और प्याज की कीमतों में तेजी आई।

2.1.4 खाद्यान्न : किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के दौरान धान (सामान्य किस्म) के लिए 1250 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 1350 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुमोदित किया है। 1.12.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 376.52 लाख टन और चावल का स्टॉक 306.07 लाख टन था।

2.1.5 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने और मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:.

- गेहूं, प्याज, दालों, कच्चा पामोलीन के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य रखा गया और रिफाइन्ड और हाइड्रोजनीकृत तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को 7.5% किया गया।
- सफेद और कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को 30.06.2012 तक बढ़ाया गया वर्तमान में आयात शुल्क को 10% रखा गया है।
- खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और 20,000 टन प्रति वर्ष के साथ 5 कि. ग्रा. तक के खाद्य तेलों के उपभोक्ता पैकों तथा दालों (काबुली चना और जैविक दलहन तथा मसूर के अधिकतम 10000 टन प्रतिवर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के मामले में समय–समय स्टॉक सीमाँए अधिरोपित की गई और 30.09.2013 तक तथा धान चावल के संबंध में 30.11.2012 तक स्टॉक सीमाएं अधिरोपित की गई।
- जब कभी भी आवश्यक हुआ तो प्याज के निर्यात पर अल्प काल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। प्याज के निर्यात को न्यूनतम निर्यात मूल्य तंत्र के माध्यम से बढ़ावा दिया गया।
- चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपया प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रूपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को वर्ष 2002 से कायम रखा गया।
- चायल, उडद, तूर, ग्यार गम और ग्यार बीज के भावी सौदों को स्थगित कर दिया गया।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले परिवारों को चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चीनी मौसम 2011.2012 के दौरान चीनी मिलों की लेवी अनिवार्यता की 10% बहाल किया गया।
- सरकार ने ओ एम एस एस स्कीम के तहत चावल और गेहूं का आबंटन किया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडीकृत आयातित दालों की स्कीम को "गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सहायता प्राप्त' दरों पर आयातित दालों की आपूर्ति की स्कीम' नामक बदले हुए नाम से पुनः शुरु करने का निर्णय लिया गया जिसमें चालू वर्ष के शेष भाग के 20 रु. प्रति क्रि.ग्रा. की सब्सिडी देने और सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों की सीमा को इस अवधि के लिए 10 लाख टन तक खाद्य तेलों के आयात के लिए 15 रु. प्रति क्रि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ 30.09.2013 तक आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया।

2.2 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम

2.2.1 उपभोक्ता आंदोलन एक सामाजिक आर्थिक

आंदोलन है जो खरीदे गए सामान और ली गई सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है।

2.2.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) का अधिनियमन उपभोक्ता विवादों के निपटान के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय अर्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र स्थापित करके उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए किया गया था। जम्मू और कश्मीर राज्य ने इस क्षेत्र में अपना अलग कानून बनाया है। इस अधिनियम के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक तीन स्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है जो उपभोक्ता मंच के नाम से लोकप्रिय है।

2.2.3 तीन स्तरीय प्रतितोष तंत्र के शीर्ष पर उपभोक्ता आयोग है, जिसका मुखिया एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायधीश होता है। इस समय सदस्यों के 11 पद हैं जिसमें से सदस्यों के 2 पद, एक न्यायिक और एक गैर–न्यायिक पद, राष्ट्रीय आयोग में लंबित मामलों को निपटाने के लिए एक अतिरिक्त पीठ की स्थापना करने हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए सृजित किए गए हैं।

2.3. उपभोक्ता कल्याण कोष

केंद्र सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन करने में समर्थ बनाने के लिए 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,1944 में संशोधन किया गया। इस कोष में यह राशि जमा की जाती है जो विनिर्माताओं को नहीं लौटाई जाती है। उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन 1992 में किया गया था जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण, उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कोष की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम,1944 के अधीन की गई है और इसका प्रचालन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों को 1992 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और 1993 में दिशा निर्देश बनाए गए थे। **ऐसी कोई एजेंसी/संगठन जो तीन साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो और कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, ग्राम/मंडल/समिति स्तर की उपभोक्ता सहकारिता, उद्योग, राज्य सरकार आदि उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।**

वैश्वीकरण से बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसे क्षेत्रों का प्रसार हो गया है जहां उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तदनुसार उपभोक्ता कल्याण कोष दिशा निर्देशों को 2007 में संशोधित किया गया ताकि ये मौजूदा जरूरतों के अनुकूल हो सकें। कोष में 82.10 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध है। कोष से 2011–12 में 26.27 करोड़ रु. की राशि और चालू वित्त वर्ष में 28.02.2013 तक 28.66 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

2.4. वायदा बाजार आयोग

वर्ष 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान की गई महत्वपूर्ण कारवाईयों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है:

वायदा बाजार प्रचालन:

2.4.1 बाजार का विनियमन: वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 के अंत तक व्यापार का

कुल संचित मूल्य, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 137.23 करोड़ रूपये की तुलना में 129. 62 करोड़ रूपये रहा, इस प्रकार इसमें 5.5% की कमी दर्ज की गई। व्यापार की मात्रा में यह कमी मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान बुलियन भावी सौदा व्यापार की मात्रा में आई कमी के कारण हुई, हालांकि अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वस्तु भावी बाजार के विनियामक के रूप में, वायदा बाजार आयोग ने विभिन्न विनियामक और विकासात्मक पहलें कीं जो कि निम्नानुसार हैं:

2.4.2 वायदा बाजार आयोग द्वारा की गई विनियामक पहलें:

2.4.2.1 निम्नलिखित मुद्दों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों को दिशा निर्देश जारी किए गए:

- 3% से 1.5% की अनिवार्य डिलीवरी संविदाओं में रेपसीड/सरसों, चना और काली मिर्च के संबंध में विक्रेता द्वारा डिलीवरी में चूक पर अर्थदंड को कम किया गया।
- प्राकृतिक रबड़ को छोड़कर काली मिर्च, मेंथा ऑयल, ग्वार बीज, सोया बीन, सोया तेल, स्टील लांग के संबंध में जून 2012 को समाप्त होने वाली संविदाओं के मामले में अग्रिम डिलीवरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
- नेशनल कमोडिटी एवं डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज, मुम्बई और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मुम्बई में विशिष्ट वस्तुओं में विशेष रूप से भावी माह की संविदाओं में अत्यधिक सट्टेबाजी को सीमित करने के लिए और भावी माह की संविदाओं में डिलीवरी को विश्वसनीय बनाने के लिए पृथक डिलीवरी प्रणाली आरम्भ की गई।
- कमोडिटी भावी सौदा बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों को, कुल व्यापारित मात्रा की तुलना में स्वामित्व वाले व्यापार का प्रतिशत, कुल व्यापारित मात्रा की तुलना में ग्राहक व्यापार का प्रतिशत और एच.एफ.टी./एल्गो के माध्यम से पंजीकृत किए गए व्यापार का प्रतिशत अपनी वेब साइट पर किए गए व्यापार के प्रतिशत को प्रतिदिन प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।
- एक्सचेंजों को, उनकी सम्बन्धित वेबसाइटों पर उनके एक्सचेंज में व्यापारित संविदाओं के जीवन चक्र के दौरान संविदा के व्यवहार के बारे में जानकारी प्रकट करने के निर्देश भी दिए गए।
- अप्रैल, 2012 के माह में आरम्भ होने वाले सोयाबीन के भावी सौदा व्यापार की अनुमति नहीं दी गई।
- सोयाबीन, रेपसीड, चना और रिफाईन्ड सोया तेल के संबंध में समग्र रूप से और भावी माह की संविदाओं के मामले में खुली स्थिति पर सीमाओं को संशोधित किया गया और उन्हें सभी एक्सचेंजों में व्यापारित संविदाओं पर लागू किया गया।
- राष्ट्रीय एक्सचेंजों में व्यापारित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं जैसे

कि चना, आलू, रेपसीड/सरसों, गेहूं, चीनी, सोयाबीन और सोया तेल के सम्बन्ध में न्यूनतम आरम्भिक मार्जिन को, संविदा के मूल्य अथवा वीएआर आधारित मार्जिन, जो भी अधिक हो, के 5% से बढ़ा कर 10% कर दिया गया।

- नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर को हाईब्रिड ट्रेडिंग करने के लिए अनापत्ति प्रदान की गई।
- 1 जनवरी, 2013 से मिनी और माइक्रो संविदाओं में प्राविधिक/हाई फ्रीक्वेंसी व्यापार की अनुमति नहीं दी गई है।

2.4.3 यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि., नवी मुम्बई को मान्यता प्रदान किया जाना।

यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि., महापे, नवी मुम्बई को ऐसी सभी वस्तुओं जिनके सम्बन्ध में अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 15 लागू है और ऐसी वस्तुओं जिनके सम्बन्ध में न तो धारा 17 और न ही धारा 15 लागू होती है, की अग्रिम संविदाएं संचालित करने के लिए स्थायी आधार पर मान्यता प्रदान की गई।

2.4.4 परामर्शी समिति का गठनः

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर सरकार और वायदा बाजार आयोग को परामर्श देने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 की धारा 25 के तहत एक परामर्शी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में, विभिन्न पणधारियों जैसे कि किसानों, सहकारी समितियां, मूल्य श्रृंखला भागीदार, कमोडिटी एक्सचेंज, विशेषज्ञ और अन्य विनियामक जैसे कि एस.ई.बी.आई. और डब्लयू. डी.आर.ए. शामिल हैं। परामर्शी समिति की पहली बैठक दिनांक 16 अक्तूबर, 2012 को मुम्बई में आयोजित की गई थी। बैठक में कमोडिटी मार्केट से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

2.4.5 निम्नलिखित एक्सचेंजों की मान्यता/पंजीकरण का नवीनीकरण किया गयाः.

(क) चैम्बर्स ऑफ कामर्स, हापुड़ को गुड़ में वायदा व्यापार के लिए 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन का नवीकरण किया गया।

(ख) बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लि., बीकानेर की मान्यता और पंजीकरण का ग्वार में अग्रिम संविदा के संबंध में 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च,2013 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया। आयोग ने बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज, बीकानेर की चना और सरसों के संबंध में मान्यता और पंजीकरण का भी 1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2014 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया।

(ग) राजधानी आयल्स एंड आयलसीड्स एक्सचेंज, लि0, दिल्ली को रेपसीड/सरसों में वायदा व्यापार के लिए 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया।

(घ) सेंट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज लि0, ग्वालियर को रेपसीड सरसों में अग्रिम संविदा के लिए 1 अप्रैल, 2012

से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया।

(ड.) नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर की मान्यता और पंजीकरण का बिनौले की खली, गेहूं और चने के संबंध में 1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2014 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया।

(च) फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., कोच्चि की मान्यता और पंजीकरण का नारियल तेल और कोपरा के संबंध में 1 जुलाई, 2012 से 31 मई, 2013 तक (दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया।

2.4.6 विकासात्मक गतिविधियां

➢ वर्ष के दौरान शुरू की गई विकासात्मक पहलों में मूल्य प्रसार परियोजना का क्रियान्वयन, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और पणधारियों की विभिन्न श्रेणियों के साथ बैठकें आयोजित करना प्रशिक्षण आयोजित करना और कमाडिटी फ्यूचर्स मार्किट की प्रासंगिकता के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन कराना सम्मिलित है।

➢☐ वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक 609 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें किसानों के लिए आयोजित किए गए 360 कार्यक्रम शामिल हैं। आयोग के अधिकारियों ने विभिन्न मंचों में कमोडिटी बाजार संबंधी चर्चाओं में भाग लिया और देश भर में विभिन्न अवसरों पर इस विषय पर व्याख्यान दिए।

➢☐ क्षेत्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों की एक बैठक दिनांक 9 मई, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

➢☐ परामर्शी समिति की बैठक दिनांक 16 अक्तूबर, 2012 को मुम्बई में आयोजित की गई।

➢☐ व्यापार प्रतिभागियों द्वारा झेले जा रहे विभिन्न मुद्दों और भावी सौदा बाजार में हेजरों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सात बैठकों का आयोजन किया गया।

➢☐ बाजार के विभिन्न खण्डों तथा अन्य पणधारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए आयोग ने विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से संपर्क किया। वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक 74 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

➢☐ आयोग ने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई द्वारा आयोजित दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी वायदा बाजार आयोग के अधिकारियों को नामित किया।

➢☐ कृषि उपज विपणन समिति में लगाए गए मूल्य टिकर बोर्डों पर किसानों तथा अन्य पणधारियों को कृषिजन्य वस्तुओं के स्पॉट और भावी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए वायदा बाजार आयोग और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा मूल्य प्रसार स्कीम को इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान

दिसम्बर, 2012 तक 409 कीमत टिकर बोर्ड लगाए गए।

2.5. आवश्यक वस्तु विनियमन और प्रवर्तन

2.5.1 यह विभाग अन्य बातों के साथ.साथ निम्नलिखित अधिनियमों को भी प्रशासित करता है।

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 **(ई सी एक्ट 1955)**

(ख) चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 **(पी बी एम एक्ट 1980)**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने अथवा उसमें वृद्धि करने तथा उनके समान वितरण और उचित मूल्यों पर उपलब्धता के लिए उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि के नियंत्रण हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आवश्यक घोषित वस्तुओं के संबंध में उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण तथा व्यापार के अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्र सरकार को भेजते रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष **2012 के दौरान (02.01.2013 तक अद्यतन) 132336 छापे मारे गए, 4057 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3269 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और 413 व्यक्तियों को दोष सिद्ध पाया गया।**

2.5.2 कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुझान को कम करने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक चिंता व्यक्त की गई थी। यह मानते हुए कि मूल्यों में आगे और वृद्धि की प्रत्याषा में स्टॉकों, खासतौर पर गेहूं और दालों के स्टॉकों को रोक कर रखा जा सकता है, जमाखोरीरोधी प्रचालन षुरू करने के लिए आवष्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत षक्तियों की बहाली के लिए कई राज्यों के मुख्यमत्रियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2.5.3 सरकार द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि गेहूं और दालों (साबुत तथा दली हुई) के संबंध में दिनांक 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को छः महीनों की अवधि के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि इन वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों के संकट का सामना किया जा सके। तदनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 29.8.2006 को एक केंद्रीय आदेश सं. 1373 (अ) जारी किया जिसके आधार पर 15.02.2002 को अधिसूचित 'रिमूवल ऑफ (लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन) ऑन स्पेसीफाइड फूडस्टफ्स ऑर्डर, 2002' में क्रय, संचलन, बिक्री, आपूर्ति, वितरण अथवा बिक्री के लिए भण्डारण के संबंध में बनाए गए शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को गेहूं और दालों के लिए

इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आस्थगित रखा गया है। तथापि, इस आदेश का प्रभाव गेहूं और दालों (साबुत अथवा दली हुई) के राज्य से बाहर के स्थानों के परिवहन, वितरण अथवा निपटान पर नहीं पड़ेगा और न ही यह आदेश इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा। बाद में केंद्रीय सरकार ने दिनांक 7.4.2008 के आदेश के तहत खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध में दिनांक 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के प्रचालन को एक वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित रखा। तत्पश्चात दिनांक 27.8.2008 के आदेश के तहत इसे 1.9.2008 से 30.4.2009 तक की अवधि के लिए धान पर भी लागू कर दिया गया। इन आदेशों की वैधता को पहले 30.09.2010 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था जिसे बाद में 30.09.2011 तक बढ़ाया गया इसको बाद में केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 2361 (अ) **तारीख 29.09.2010 के तहत दालों, धान और चावल के संबंध में 30.09.2011 तक तथा तेलों खाद्य एवं तिलहनों के संबंध में 31.3.2011 तक बढ़ा दिया गया है।** इसको बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का.आ. 654 (अ) तारीख 30.03.2011 के तहत दालों, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30.09.2011 तक बढ़ा दिया गया है। इसको बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का आ. 2227 (अ) तारीख 27.09.2011 के तहत दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30.09.2012 तक बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय आदेश सं. 2227 (अ) दिनांक 27.09.2011 के द्वारा तहत धान और चावल के संबंध में उनकी वैधता को 31.10.2011 तक बढ़ा दिया गया जिसे बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का. आ. 2447 (अ) दिनांक 28.10.2011 के तहत 30.11.2011 तक बढ़ा दिया गया। इसे बाद में केन्द्रीय आदेश सं. 2716 दिनांक 27.09.2012 के तहत 30.11.2012 तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान में केन्द्रीय आदेश सं. 2968 (अ) दिनांक 20.12.2012 के तहत चावल और धान की स्टॉक सीमा की अनुमति 30.11.2013 तक दी गई है।

2.5.4. सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिबंधों में आगे और छूट दी जाए तथा चीनी के संबंध में आदेश के प्रकाशन की तारीख से दिनांक 15.2.02 के केन्द्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को और 4 महीनों तक के लिए आस्थगित रखा जाए, ताकि चीनी की उपलब्धता और मूल्यों का सामना किया जा सके। तदनुसार, इस आशय का आदेश सं. का. आ. 649 (अ) दिनांक 9.03.09 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसको बाद में दिनांक 18.12.2009 के केंद्रीय आदेश 30.9.2010 तक और केंद्रीय आदेश संख्या का. आ. 2361 (अ) दिनांक 29.09.2010 के तहत 31.12.2010 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इन आदेशों की वैधता को केंद्रीय आदेश संख्या 3060 (अ) दिनांक 30.12.2010 के तहत 30.3.2011 तक बढ़ा दिया गया है। गेहूं और चीनी को क्रमशः 1.4.2009 और 01.12.2011 के इन आदेशों की परिधि से वापिस ले लिया गया है।

2.5.5. उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि ये इन वस्तुओं के संबंध में डीलरों की विभिन्न श्रेणियों जैसे मिलरों/उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं

के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने हेतु एक नया नियंत्रण आदेश जारी करें अथवा पुराने नियंत्रण आदेश को पुनः लागू करें । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अधीन प्राप्त/प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

2.5.6. जहां तक इन आदेशों के कार्यान्वयन का संबंध है, यह बताया गया है कि 27 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपर्युक्त सभी मदों पर किसी एक मद के लिए स्टाक सीमा जारी की है या केवल लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टाक घोषणा जारी की है (इन 27 में से 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वास्तविक रूप से स्टॉक सीमा आदेश जारी किए हैं/जारी करने की प्रक्रिया में हैं। शेष 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टाक घोषणाएं जारी कर दी है)।

2.5.7. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करने की शक्तियां दी गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने में बाधक पाई जाएं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1.1.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि में अधिनियम के तहत 231 व्यक्तियों की नजरबंदी के आदेश दिए गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नजरबंदी आदेशों को निरस्त करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।

2.6. भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 से अस्तित्व में आए भारतीय मानक संस्था की परिसम्पत्ति और दायित्वों को हाथ में लेकर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 34 शाखा कार्यालय, 4 निरीक्षण कार्यालय और 8 प्रयोग शालाएँ हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो, सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावी संपर्क–सूत्र के रूप में कार्य करती हैं।

ब्यूरो ने मानक निर्धारण, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और हालमार्किंग जैसी अपनी प्रमुख गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है।

(क) मानक प्रतिपादन, समीक्षा और अद्यतनीकरण

भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर समयबद्ध तरीके से आवश्यकता पर आधारित भारतीय मानकों का प्रतिपादन करता है। यह उद्योग और वाणिज्य के सभी क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया जाने को सुकर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ राष्ट्रीय मानकों को सुमेलित भी करता है। अप्रैल, 2012 – दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान 344 नए और पुनरीक्षित मानक प्रतिपादित किए गए और 216 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया। अब तक कुल 5021 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक का लगभग 84. 65 प्रतिशत है। जहां तदनुरूपी आई एस ओ/आई ई सी मानक विद्यमान हैं।

मानकों की पांच वर्ष में एक बार अथवा जब भी आवश्यक हो समीक्षा की जाती है। अप्रैल, 2012 – दिसम्बर, 2012 के दौरान 1912 मानकों की समीक्षा की गई।

(ख) उत्पाद और प्रणाली प्रमाणन

(I) उत्पाद प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बनाए बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उत्पादन प्रमाणन स्कीम चलाता है। उत्पादों पर मानक चिह्न (आई एस आई चिह्न के रूप में लोकप्रिय) संगत भारतीय मानकों से उनकी अनुरूपता को दर्शाता है। भारतीय मानक ब्यूरो किसी विनिर्माता को लाइसेंस मंजूर करने से पूर्व संगत भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद तैयार करने और निरंतर आधार पर परीक्षण करने के लिए अपेक्षित आधार–ढांचे की उपलब्धता और विनिर्माता की क्षमता को सुनिश्चित करता है। उत्पादन स्थल और बाजार से लिए गए नमूनों का भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं/ मान्यताप्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है ताकि संगत भारतीय मानक से उत्पाद की अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। प्रमाणन स्कीम मूल रूप से स्वैच्छिक स्वरूप की है, किन्तु 90 मानक ऐसे हैं जिनको उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा अनिवार्य बनाया गया है।

(क) आयातित उत्पादों का प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो आयातित वस्तुओं के प्रमाणन के लिए 1999 से 2 स्कीमें चला रहा है– एक विदेशी विनिर्माताओं के लिए और दूसरी भारतीय आयातकर्ताओं के लिए। इन स्कीमों के तहत विदेशी विनिर्माता अपने उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न लगाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं तथा भारतीय आयातकर्ता देश में आयात किए जा रहे उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न लगाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल, 2012– दिसम्बर, 2012 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने पाकिस्तान, चीन, बंगलादेष, थाइलैण्ड, मलेषिया, सिंगापुर, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, जर्मनी, पोलैण्ड, सोमालिया, स्पेन, पुर्तगाल, स्विटजरलैण्ड, आइसलैण्ड, चैक गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, मिश्र, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवाकिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यू ए ई, नेपाल, भूटान, हंगरी, इण्डोनेषिया, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया, टर्की, ताईवान, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे देषों के सीमेंटें, एच डी पी ई पाइप, षिषु फार्मूला, दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतल, स्विचगीयर, प्लग एवं साकेट, मिनिएचर, सर्किट, ब्रैकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रैकर, पी पी सी इंसुलेटेड केबल्स, एक्स एल पी इंसुलेटेड केबल, सेपटी ऑफ इलैक्ट्रिक आयरन, ड्राई सैल बैटरियां इस्पात एवं इस्पात उत्पाद, सीयन रहित गैस सिलेण्डर, काम्पेक्ट फ्लोरसेंट लैम्प्स, दूध एंव धान्य से बना दूध छुड़ाने के आहार, गैस आयतनमापी, घरेलू पानी के मीटर, याट आयर मीटर, लकडी के उत्पाद, टायर और ट्यूब जैसे उत्पादों के लिए विदेषी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत 37 लाइसेंस जारी किए गए जिससे कुल लाइसेंसों की संख्या 253 हो गई।

(ख) आभूषण वस्तुओं की हॉलमार्किंगः

भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्णाभूषणों पर हालमार्किंग अप्रैल 2000 में शुरू की ताकि उपभोक्तओं को स्वर्ण आभूषण की शुद्धता या परिशुद्धता पर तीसरी पार्टी

आश्वासन प्रदान किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत एक जौहरी को उसके आभूषण को हालमार्क प्राप्त करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। एसेइंग और हाल मार्किंग (ए एंड एच) केन्द्र जहां आभूषणों की शुद्धता का मूल्यांकन किया जाता है, को भा.मा.ब्यूरो द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद मान्यता प्रदान की जाती है कि केंद्र के पास स्वर्ण और चांदी के आभूषणों को एसेइंग और हालमार्किंग करने के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना है।

(II) प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो प्रबंधन प्रणालियों के लिए तदनुरूपी मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएं भी प्रदान करता है:–

(क) आई एस/आई एस ओ 9001 : 2008 के अनुसार गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम

(ख) आई एस/आई एस ओ 14001 : 2004 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम

(ग) आई एस 15000 : 1998 के अनुसार संकट विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु स्कीम

(घ) आई एस 18001 : 2007 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम

(ड.) आई एस/आई एस ओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम

(च) आई एस : 15700 : 2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम।

(ग) प्रयोगशाला सेवाएं

भारतीय मानक ब्यूरो ने 1962 में केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के साथ आठ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। बाद में, चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं – मोहाली, कोलकाता, मुंबई एवं चैन्नई एवं तीन शाखा कार्यालय प्रयोगशालाएं – पटना, बंगलौर एवं गुवाहाटी में स्थापित की गईं। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की स्थापना का उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो के उत्पाद प्रमाणन चिह्न स्कीम की गतिविधियों को सहायता प्रदान करना हैं जिनमें लाइसेंस धारियों/आवेदकों से तथा खुले बाजार से भी नमूने लिए जाते हैं और इन प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, माइक्रोबायोलॉजीकल, विद्युत और यांत्रिक विषयों के क्षेत्र में परीक्षण के लिए सुविधाएं हैं। विद्युत के क्षेत्र में इन–हाउस अंशाकन सुविधाएं केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में उपलब्ध है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशाला सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के अनुरूप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली एवं साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानक आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025 के अनुसार केलीब्रेशन एवं परीक्षण हेतु नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड पर केलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लेबोरट्रीज द्वारा प्रत्यायित किया गया। बेंगलूरू और पटना प्रयोगशालाओं को एन ए बी एल से यथाशीघ्र प्रख्यापित करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चूंकि भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशालाओं में उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत नमूनों के परीक्षण के कार्यभार की मात्रा उपलब्ध क्षमता से अधिक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की योजना

स्थापित की है। यह योजना एक सुप्रलेखित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों (आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025:2005) पर आधारित है जो नेशनल एक्रीडीएशन बोर्ड फॉर केलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लेबोरट्रीज द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुरूप है। भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पाद प्रमाणन के तहत विशिष्ट भारतीय मानक के लिए पूरी परीक्षण सुविधाएं शामिल हैं, जबकि प्रयोगशाला का प्रलाभन विशिष्ट परीक्षण पैरामीटरों के लिए है। इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो के लिए अपने उत्पाद प्रमाणन के अनुरूप प्रयोगशालाओं की मान्यता अनिवार्य हो जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त 140 प्रयोगशालाएं हैं जिनमें प्रतिष्ठित अनुसंधान, एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थाएं, सरकारी प्रयोगशालाएं, निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग यहां भी किया जाता है जहां से भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं को विकसित करना, भारतीय मानक ब्यूरो में बड़े स्तर पर नमूनों को एकत्रित करना आर्थिक रूप से लाभकारी न हो उपस्कर अस्थाई रूप से प्रचालन में न हों आदि। इसके अलावा, विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जरूरत पड़ने पर 24 बाहरी प्रयोगशालाओं की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसने दूसरे देशों के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में भी गतिविधियां जारी रखीं।

डब्ल्यू टी ओ/टी बी टी पूछताछ केंद्रः

भारतीय मानक ब्यूरो ने डब्ल्यू टी ओ/टी बी टी पूछताछ केन्द्र के रूप में अपनी गतिविधियों को मजबूत किया। डब्ल्यू टी ओ/टी बी टी करार के तहत राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुददों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा गया। विभिन्न देशों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के संबंध में सूचना को अपलोड किया गया, उसकी प्राथमिकता निर्धारित की गई, उसको अलग–अलग किया गया और देश में बहुत से पणधारियों को वितरित किया गया। मानकों और अनुरूपता आंकलन प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय तथा अन्य देशों के सभी उचित प्रश्नों के जवाब दिए गए।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो को डब्ल्यू टी ओ – टी बी टी, एन ए एम ए इत्यादि से संबंधित बातचीत आदि के बारे में वाणिज्य मंत्रालय / उपभोक्ता मामले मंत्रालय से अनेक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इन दस्तावेजों की भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों, मानक निर्धारण सिद्धांतों, अनुरूपता आंकलन, विनियामक पद्धतियों आदि के संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अनुसार जांच की जाती है और वाणिज्य मंत्रालय/उपभोक्ता मंत्रालय को समुचित फीडबैक/इनपुट्स दिए जाते हैं।

(ड़) भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण

भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइटः

भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट

में अद्यतन जानकारी डाली गई है। आर.टी. आई. अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लिंक को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो की मानक तैयार करने, प्रमाणन, प्रयोगशाला, हालमार्किंग, प्रबन्धन प्रणाली प्रमाणन इत्यादि गतिविधियों से सम्बन्धित ऑन लाईन जानकारी इस बेवसाइट पर उपलब्ध है। ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय मानकों और विनियामक डाटाबेस से सम्बन्धित एक वेबसाइट अर्थात http://www.standardsdata.in विकसित की गई है। इस पोर्टल में मानक तैयार करने वाले संगठनों की 51 वेबसाइटों का संदर्भ दिया गया है और इससे एक ही विंडो के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के मानकों और तकनीकी विनियामकों के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है।

मानकों की ई–बिक्री:

दस (10) डिविजनल कांउसिलों के मानकों का डिजीटाईजेशन पूरा कर लिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने मई, 2011 से डीवीडी पर भारतीय मानकों को लीज पर देना आरम्भ कर दिया है। अब तक, विभिन्न सरकारी/निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लगभग 200 ग्राहक इस सुविधा का सफलता पूर्वक उपयोग कर रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को संवर्धित करना:

बी.आई.एस.–वी.पी.एन की बैंडविड्थ को बढ़ाने अर्थात् एन.आई.सी..नेट पर एक नया वी.पी.एन. के लिए एन.आई.सी. को एक वर्क आर्डर दिया गया है। नेटवर्किंग हार्डवेयर का आपूर्ति एन.आई.सी. एस.आई. द्वारा की गई है। बी.एस.एन.एल. ने भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न अवस्थितियों में लीज लाईनों की कमीशनिंग और मॉडम लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। एक सौ पी.सी. खरीदे गए थे और उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो–मुख्यालय के विभिन्न विभागों में लगाया जा रहा है।

सी.पी.पी. पोर्टल के माध्यम से ई–प्रापण:

भारत सरकार, व्यय विभाग और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में, भारतीय मानक ब्यूरो में सी.पी.पी. पोर्टल के माध्यम से ई–प्रापण को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। ई–प्रापण के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया गया है और एन.आई.सी. के ई–प्रापण प्रभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी मुख्य विशेषताओं पर एक प्रस्तुति दी गई है।

आई ई सी जी एम 2013 वेबसाइट कार्य

आई ई सी जी एम 2013 की 77वीं आम सभा के लिए डोमेन नाम रजिस्टर्ड करवा लिया गया है और 4 जी.बी. बेव स्थान आलॉट किया गया है।

2.7. बाट तथा माप

भारत में विधिक माप विज्ञान

बाट तथा माप कानून किसी सभ्य समाज में वाणिज्यिक सौदों के आधार होते हैं। ऐसे सौदों में माप की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) नामक कानून बनाया है। उक्त अधिनियम में मानक का निर्धारण और कार्य तथा मापों के प्रवर्तन को एकीकृत किया गया है।

केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के बेहतर कार्यान्वायन के लिए छः नियम लागू किए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम बनाए हैं। विधिक माप विज्ञान अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम 1 अप्रैल,2011 से लागू हो गए हैं।

विधिक माप विज्ञान अधिनियम,2009 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विधिक माप विज्ञान नियम 1 अप्रैल,2011 से लागू हो गए हैं।

1. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011

2. विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम,2011

3. विधिक माप विज्ञान (मॉडल अनुमोदन) नियम, 2011

4. विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011

5. विधिक माप विज्ञान (संख्याकन) नियम, 2011

6. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, 2011

विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय माप विज्ञान संगठन, इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मीटिरियोलॉजी, (ओ आई एम एल) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम,2011 में नए विनिर्देशनों को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दिशा में आटोमेटिक रेल वेब्रिजज, डिजिटल टाइप क्लीनिकल थर्मामीटर्स, आटोमेटिक, ग्रेवीमीट्रिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उच्च क्षमता वाली तोलन मशीनों के परीक्षण के लिए मानक बाट, डिसकंटीन्यूक्स टोटलाइजिंग आटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्फिग्मोमेनोमीटर (ब्लडप्रेशर मापने का उपकरण) सी एन जी गैस डिस्पैन्सर को नियमों में शामिल किया गया है।

2.8. राष्ट्रीय परीक्षण शाला

राष्ट्रीय परीक्षण शाला उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह देश का एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1912 में तत्कालीन रेलवे बोर्ड के अधीन की गई थी और उसके बाद यह विभिन्न इंजीनियरी सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला के रूप में विकसित हो गई है। यह उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और मानकीकरण से जुड़ी प्रौद्योगिकी के सभी मामलों में सक्रिय रूप से संलग्न है। इसने स्वदेशी उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के अधीन औद्योगिक अनुसंधान और तैयार उत्पादों के विनिर्माण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला अन्य सम्बद्ध सेवाओं के साथ जो प्रमुख वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करता है वह है–राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा ग्राहक मानक और विनिर्देशन के अनुसार परीक्षण प्रमाण–पत्र जारी करके औषधि, शस्त्र और गोलाबारूद को छोड़कर सभी प्रकार के औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों का परीक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

☐ राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने 88.84 करोड़ के समतुल्य परिव्यय वाली 13 परियोजनाओं से युक्त 11वीं योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अंततः एक परियोजना जिसमें रॉची और जालंधर में दो नए उपग्रह केंद्रों की स्थापना करना शामिल था को बंद कर दिया गया और कुछ परियोजनाओं की लागतों को घटा दिया गया। अंत में, विस्तृत संवीक्षा और समीक्षा के बाद ई एफ सी ने 74.84 करोड़ के कुल परिव्यय पर 12 परियोजनाओं को अनुमोदित किया।

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्कीम के तहत 69.51 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान आंकड़े) की आबंटित राशि में से, लगभग 90% उपयोगिता को प्रतिबिंबित करता हुआ 62.11 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

11वीं योजना को प्रस्तुत करने के दौरान राष्ट्रीय परीक्षणशाला द्वारा पेश किए गए कुछ मुख्य उद्देश्य और इसके कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका–5 (11वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक स्थिति)

वर्ष	भूमि तथा भवन (प्रमुख कार्य) (करोड़ रूपये में)			मशीनरी एवं उपकरण (एम एंड ई) (करोड़ रूपये में)			आवर्ती व्यय (करोड़ रूपये में)			सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी) (करोड़ रूपये में)			कुल (करोड़ रूपये में.)		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2007-08	20.19	3.55	1.65	3.06	3.24	2.41	1.20	1.38	1.23	0.45	0.10	0.096	24.90	8.27	5.39
2008-09	4.64	4.64	3.72	6.00	4.46	4.57	2.51	1.67	1.43	0.85	0.85	0.27	14.00	11.62	9.99
2009-10	5.25	5.25	4.52	7.00	7.00	6.87	2.35	1.80	1.68	0.40	0.40	0.40	15.00	14.45	13.47
2010-11	7.70	7.20	6.11	7.70	7.70	7.57	1.25	1.75	1.61	0.52	0.52	0.37	17.17	17.17	15.66
2011-12	11.52	11.02	11.01	6.70	4.60	4.57	2.30	1.68	1.47	0.70	0.70	0.55	21.22	18.00	17.60
कुल	49.3	31.66	27.01	30.46	27.00	25.99	9.61	8.28	7.42	2.92	2.57	1.69	92.29	69.51	62.11

1. आधुनिक जांच तकनीक को अपनाने और साथ ही अधिक यथार्थता को बनाए रखने के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद:–

   योजना अवधि के दौरान 27 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) की राशि आबंटित की गई थी जिसमें से, लगभग 96% की उपयोगिता को प्रतिबिंबित करते हुए 25.59 करोड़ रु. की राशि का प्रयोग किया गया।

   खरीदे गए कुछ प्रमुख उपकरण इम्पल्स जैनेरेटर, एम सी बी टेस्ट सेट पंप, सैकेण्डरी बैटरी के लिए 20 चैनल साइकिल टेस्टर, बैटरियों के लिए वाइब्रेशन टेस्ट सेटअप और अन्य इलैक्ट्रोनिक एसेम्बलड पी सी बी, यूनियर्सल टेस्टिंग मशीनें कौम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन, भवनों की मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए गैर–विनाशकारी जांच सुविधा इत्यादि हैं।

2. कुछ राष्ट्रीय परीक्षण शाला क्षेत्रों में प्रयोगशाला की जगह को विस्तारित करना।

   योजना अवधि के दौरान 31.66 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) की राशि आबंटित की गई जिसमें से लगभग 85% की उपयोगिता को दर्शाते हुए 27.01 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया।

किए गए कुछ कार्य इस प्रकार है–

(क) 6.95 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.) के भवन का चरण–II

(ख) 12.06 करोड़ रु. के अनुमानित लागत, जिसमें से 11वीं योजना में 5.75 करोड़ रु. प्राविकृत किए गए, पर राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में प्रयोगशाला सह कार्यालय भवन।

(ग) 54 लाख रु. की लागत पर रा.प.शा (उ.क्षे.), गाजियाबाद में अतिरिक्त तल का निर्माण।

(घ) 71 लाख रु. लागत पर रा.प.शा (पू.क्षे.), कोलकाता में प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण।

11वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा अर्जित राजस्व :

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख रूपये में)
2007-08	667.63
2008-09	869.13
2009-10	1047.82
2010-11	1286.57
2011-12	1385.60

वर्ष 2012–13 में दिसंबर, 2012 तक अर्जित राजस्व 1040.99 लाख रु. है जो वर्ष 2011–12 में दिसंबर, 2011 तक अर्जित राजस्व जो उस समय तक 981.08 लाख रु. था की तुलना में अधिक रहा है।

2.9. उपभोक्ता जागरूकता

उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा यथानिर्धारित दिशा–निर्देशों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में शामिल किया गया है। हमारे देश मे उपभोक्ता आंदोलन यद्यपि धीरे–धीरे गति पकड़ रहा है किन्तु यह अभी शैशवावस्था में है क्योंकि उपभोक्ता आंदोलन की सफलता मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और दायित्वों के बारे में शिक्षित करके देश में पैदा की गई उपभोक्ता जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है। भारत में उपभोक्ता जागरूकता का स्तर अलग–अलग राज्य में अलग–अलग है जो लोगों की साक्षरता और सामाजिक जागरूकता पर आधारित हैं। आबादी के विभिन्न–वर्गों विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां उपभोक्ता का अधिक शोषण हो सकता है, उपभोक्ता हित के विभिन्न विषयों पर जिनको विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा देखा जाता है, 120 करोड़ से अधिक लोगों को शिक्षित करना एक कठिन कार्य है।

ग्यारहवीं योजना के लिए 'जागो ग्राहक जागो' के नारे के साथ एक मल्टी–मीडिया प्रचार अभियान चलाने के लिए स्कीम को 409 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। 'जागो ग्राहक जागो' के ब्रांड नाम के तहत स्कीम ने अपने आप में एक आयाम स्थापित किया है। 12वीं योजना के लिए 409.29 करोड़ रु0 का आबंटन किया गया है।

*****

अध्याय - III

सामान्य मूल्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

3.1 वर्ष 2012–13 के दौरान चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बारीकी से निगरानी की गई और इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने और इनकी कीमतों में स्थिरता लाने के विभिन्न उपाय किए गए। समीक्षाधीन अवधि (अप्रैल–दिसम्बर, 2012) के दौरान इस विभाग द्वारा निगरानी की जा रहीं कुछेक आवश्यक वस्तुओं जैसे कि वनस्पति, पाम ऑयल, आलू और टमाटर की कीमतों में कमी का रुख देखा गया जबकि चावल, गेहूं, आटा, दालें जैसे कि चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, गुड़, नमक, दूध, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, खुली चाय और प्याज़ की कीमतों में तेजी आई।

मूल्य नियन्त्रण प्रकोष्ठ

3.2 मूल्य निगरानी कक्ष (पी.एम.सी.) 22 आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चाय, चीनी, नमक, वनस्पति, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, दूध, सोया तेल, पॉम आयॅल, सूरजमुखी का तेल, गुड, आलू, प्याज और टमाटर के मूल्यों की निगरानी करता है।

3.3 दैनिक आधार पर खुदरा मूल्य और थोक मूल्य राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 55 केन्द्रों से एकत्र किए जाते हैं।

3.4 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खरीद और आयात/निर्यात के संबंध में मूल्य संचलन के विश्लेषण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के रूप में मुद्रास्फीति का रूझान

3.5 वर्ष 2012 (अप्रैल से दिसम्बर, 2012) के दौरान सभी वस्तुओं की मुद्रास्फीति की दर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित उतार–चढ़ाव (अप्रैल/दिसम्बर) जो एक वर्ष पहले की तदनुरूपी अवधि के दौरान 5.2% था की तुलना में 5.1% रहा। दिसम्बर, 2012 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसम्बर, 2011 के 7.74% की तुलना में 7.18% के निम्नतम स्तर पर रही।

खाद्य वस्तुओं के समूह की मुद्रास्फीदति दर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित उतार–चढ़ाव (अप्रैल/दिसम्बर), 2012 पिछले वर्ष के 4.1% की तुलना में 5.0% रहा।

3.6 अनुलग्नक–I में दी गई तालिका में दिसम्बर, 2012 और दिसम्बर, 2011 में चुनिन्दा 6 आवश्यक वस्तुओं की वार्षिक मुद्रास्फीति दर तथा दोनों वर्षों में अप्रैल से दिसम्बर के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में तुलनात्मक उतार–चढ़ाव दिखाए गए हैं।

अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.सी.पी.आई.) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर।

3.7 अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई.डब्ल्यू) और थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की दर को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

मुद्रास्फीति की दर	अप्रैल 2012	मई 2012	जून 2012	जुलाई 2012	अगस्त 2012	सितम्बर 2012	अक्तूबर 2012	नवम्बर 2012	दिसम्बर 2012
सी.पी.आई	10.22	10.16	10.05	9.84	10.31	9.14	9.60	9.55	उ.न.
डब्ल्यू.पी.आई.	7.50	7.55	7.58	7.52	8.01	8.07	7.32	7.24	7.18

स्रोत: औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग तथा श्रम ब्यूरो

नोट: उ.न. = उपलब्ध नहीं

3.8 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर जो अगस्त, 2012 में 10.31 प्रतिशत था, इस अवधि की सबसे ऊंची दर थी जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान सितम्बर, 2012 में सबसे अधिक 8.07 प्रतिशत थी।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा मूल्यों में वस्तु–वार रूझान

3.9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता संतोषजनक रही। दालों और खाद्य तेलों के मामले में मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए आयात का सहारा लिया गया। घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अध्याय–II के पैरा 1.5 में दिए गए हैं। अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक प्रमुख महानगरों में 22 आवश्यक वस्तुओं के महीने के अन्त के खुदरा मूल्य अनुलग्नक–II में दर्शाए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं के वस्तुवार मूल्यों, उत्पादन तथा उपलब्धता की स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है।

चावल

3.10 चालू वर्ष (अप्रैल–दिसम्बर, 2012) के दौरान अधिकांश केन्द्रों में चावल के खुदरा मूल्यों में वृद्धि का रुख देखा गया। सभी केन्द्रों में चावल के खुदरा मूल्य अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान 14.00 रूपये से 48.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सीमा में रहे जो कि अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान यह 14.00 रूपये से 28.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सीमा में ही थे। माह के अन्त में चावल की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

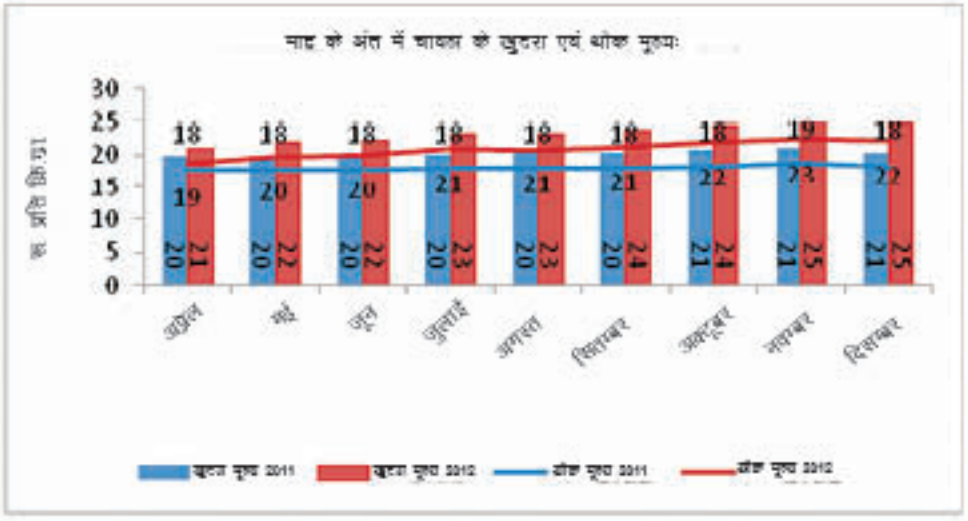

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.11 कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2012–13 के दौरान चावल का अनुमानित खरीफ उत्पादन 85.59 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष के प्रथम अग्रिम अनुमानों 87.10 मिलियन टन की तुलना में कम है।

3.12 राज्य एजेन्सियों तथा भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल में 1.12.2012 को चावल का स्टॉक 30.61 मिलियन टन था। खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के दौरान 28.12.2012 तक 16.06 मिलियन टन चावल की अधिप्राप्ति की गई और खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के दौरान 35.04 मिलियन टन चावल की अधिप्राप्ति की गई थी।

3.13 वर्ष 2011 तथा 2012 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान चावल की मुद्रास्फीति की दर का रुझान नीचे दिए ग्राफ में दर्शाया गया है:–

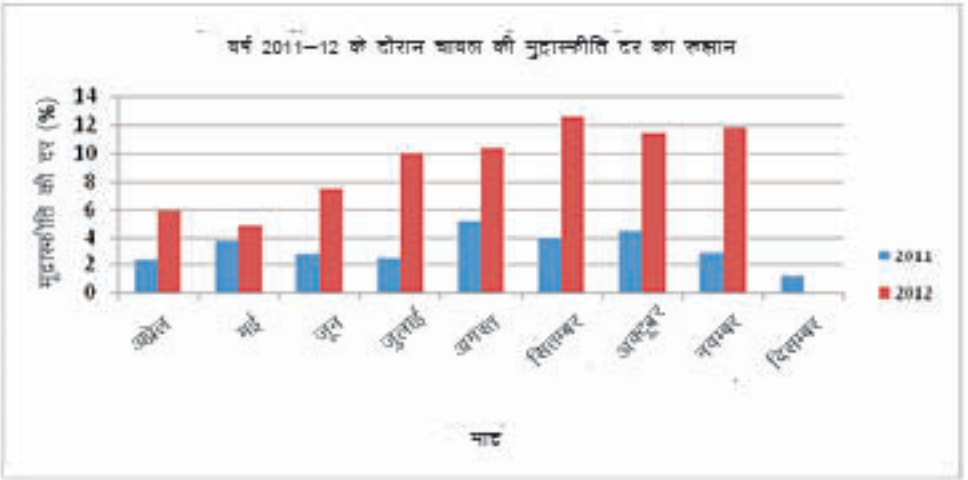

: स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

गेहूं

3.14 सभी केन्द्रों में गेहूं के खुदरा मूल्य अप्रैल से दिसम्बर 2011 के दौरान 12.00 रुपये प्रति किलोग्राम से 25.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान 10.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 32.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में रहे। माह के अन्त में गेहूं की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

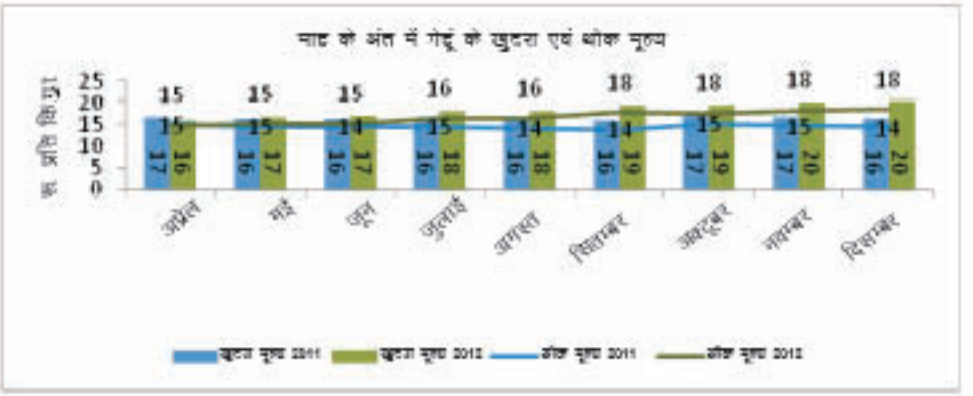

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.15 वर्ष 2012–13 के दौरान गेहूं का उत्पादन 86.00 मिलियन टन होने का लक्ष्य है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 के दौरान गेहूं का उत्पादन 93.90 मिलियन टन रहा।

3.16 1.12.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का ओपनिंग स्टॉक 37.65 मिलियन टन था। आर.एम.एस. 2012–13 के विपणन मौसम के दौरान 38.15 मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई जबकि आर.एम.एस. 2011–12 के विपणन मौसम में 28.34 मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई थी।

3.17 वर्ष 2011 और 2012 (दिसम्बर, 2012) के दौरान गेहूं की मुद्रास्फीति की दर का तुलनात्मक रुझान ग्राफ के रूप में नीचे दिया गया है:

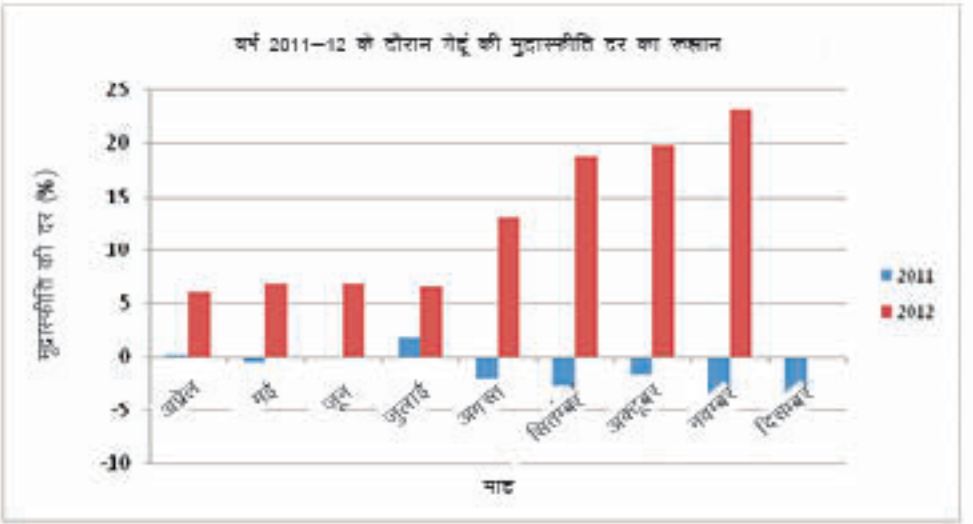

स्रोत: औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

दालें

3.18 मूल्य निगरानी कक्ष आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करने के साथ–साथ अर्थव्यवस्था में दालों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की नीति से भी सम्बद्ध है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडीकृत कीमतों पर दाले उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए नवम्बर, 2008 से जून 2012 तक दालों के सम्बन्ध में एक सब्सिडी स्कीम चलाई गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडीकृत आयातित दालों के वितरण की स्कीम को एक नए बदले हुए नाम अर्थात "गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज सहायता प्राप्त दरों पर आयातित दालों की आपूर्ति की स्कीम" नाम से पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

3.19 दालें भारत की आवश्यक खाद्य वस्तु है और शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। उपभोग की जाने वाली प्रमुख किस्में तूर (अरहर), मूंग, उड़द, चना और मसूर हैं।

3.20 कृषि एवं सहकारिता विभाग के फसल एवं टी.एम.ओ.पी. प्रभाग के अनुसार (24.9.2012 की स्थिति के अनुसार) दालों की बुआई का क्षेत्र वर्ष 2011–12 के 11.35 मिलियन हैक्टेयर (चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) की तुलना में वर्ष 2012–13 में कम होकर 9.52 मिलियन हैक्टेयर (प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार) हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में तूर, उड़द और मूंग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में क्रमशः 8.66%, 5.79% और 26.87% की कमी आई है। दालों का उत्पादन क्षेत्र, वर्ष 2010–11 (कृषि मंत्रालय के अन्तिम अनुमानों के अनुसार) के 26.41 मिलियन हैक्टेयर की तुलना में वर्ष 2011–12 (चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) में 24.78 मिलियन हैक्टेयर ही रह गया।

3.21 भारत ने वर्ष 2011–12 में दालों का 17.21 मिलियन टन उत्पादन किया है जो कि वर्ष 2010–11 के 18.24 मिलियन टन उत्पादन से कम है। कृषि मंत्रालय 24.09.2012 को जारी किए गए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान खरीफ दालों के उत्पादन को दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है:

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13* के दौरान खरीफ दालों के उत्पादन को दर्शाने वाली तालिका

(आंकड़े मिलियन टन में)

	2011-12	2012-13	भिन्नता (%) में
तूर	2.90	2.78	-4.14
उड़द	1.17	1.14	-2.56
मूंग	1.20	0.73	-39.17
अन्य खरीफ	1.15	0.61	-46.96
कुल खरीफ	6.43	5.26	-18.20

टिप्पणी * :– प्रथम अग्रिम अनुमान
स्रोत : कृषि मंत्रालय

भारत में दालों की उपज वर्ष 2007–08 के 625 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 659 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गई। वर्ष 2009–10 में कमी आने के बाद यह वर्ष 2011–12 में बढ़कर 694 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गई। दालों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:–

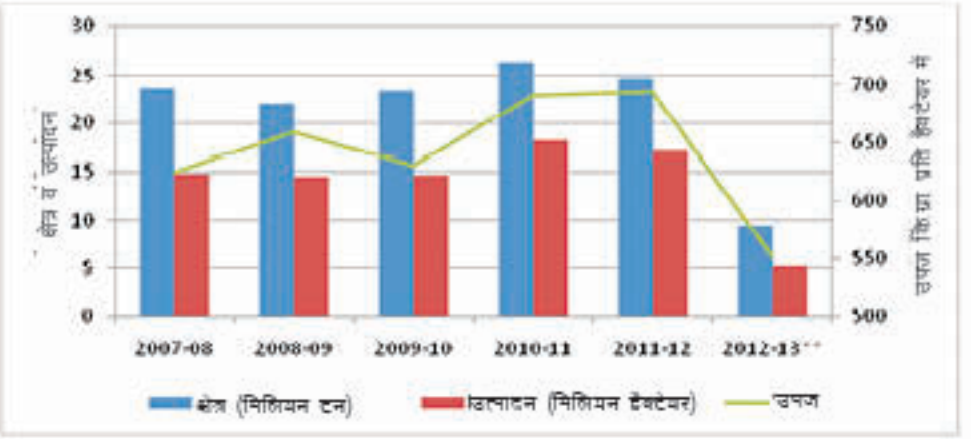

स्रोत: कृषि मंत्रालय

3.22 जनसंख्या में वृद्धि और भोजन में प्रोटीन की जरूरत की बढ़ोतरी के कारण दालों की मांग धीरे–धीरे बढ़ रही है। मांग और आपूर्ति के बीच का अन्तर आयात द्वारा पूरा किया जाता है। डी.जी.सी.आई.एस. के आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार अप्रैल–अक्तूबर, 2012 के दौरान लगभग 19.85 मिलियन टन दालों का आयात किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 18.24 मिलियन टन दालों का आयात किया गया था।

3.23 वर्ष 2012–13 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान दालों के खुदरा मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का रूख दिखाई दिया है। दालों जैसे कि चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

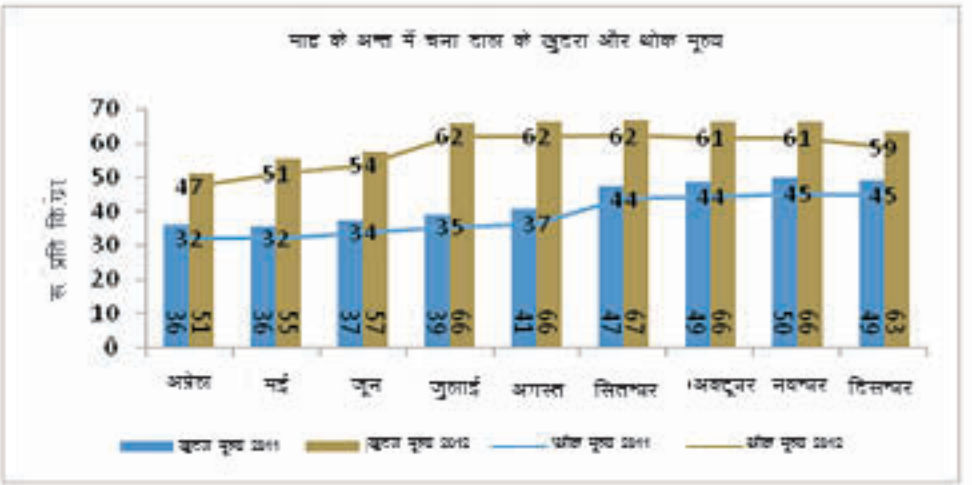

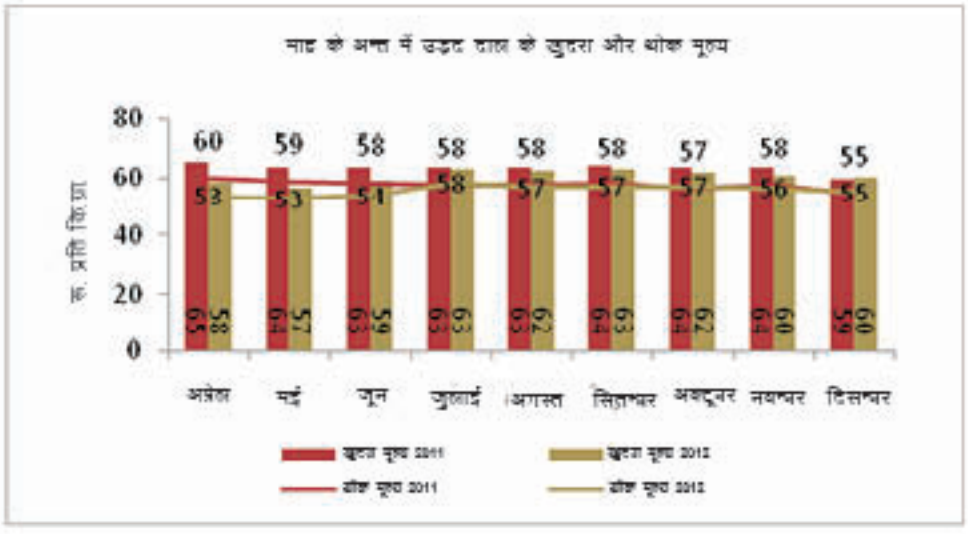

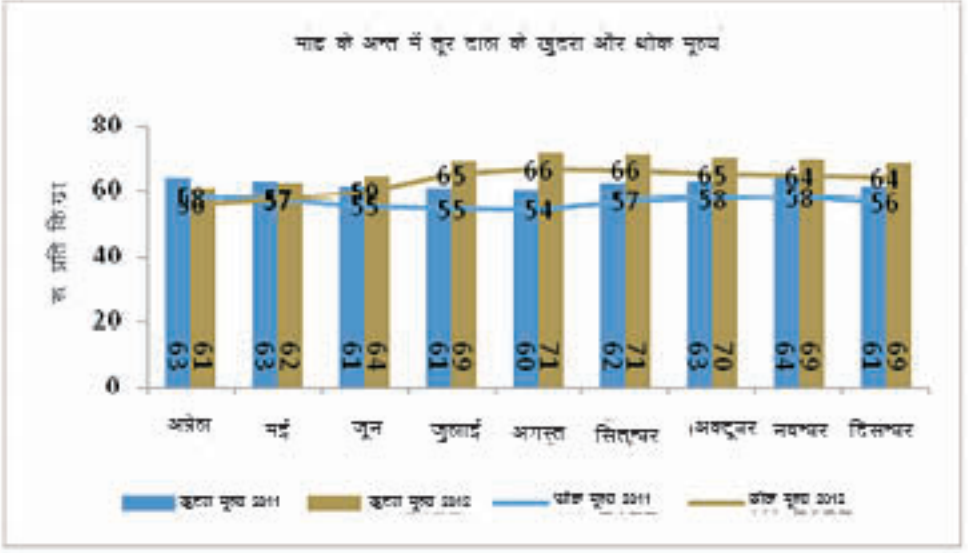

माह के अन्त में उड़द दाल के खुदरा और थोक मूल्य
रु. प्रति कि.ग्रा.
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
खुदरा मूल्य 2011
खुदरा मूल्य 2012
थोक मूल्य 2011
थोक मूल्य 2012

माह के अन्त में तूर दाल के खुदरा और थोक मूल्य
रु. प्रति कि.ग्रा.
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
खुदरा मूल्य 2011
खुदरा मूल्य 2012
थोक मूल्य 2011
थोक मूल्य 2012

माह के अन्त में मूंग दाल के खुदरा और थोक मूल्य
रु. प्रति कि.ग्रा.
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
खुदरा मूल्य 2011
खुदरा मूल्य 2012
थोक मूल्य 2011
थोक मूल्य 2012

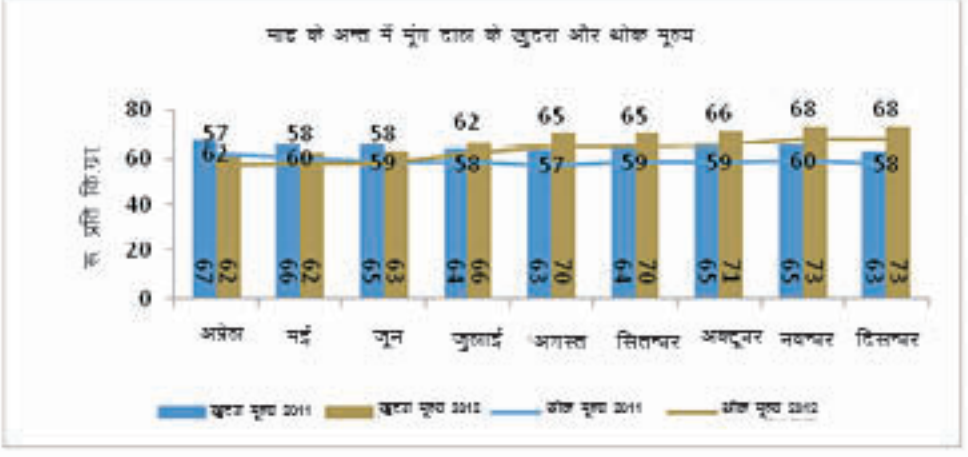

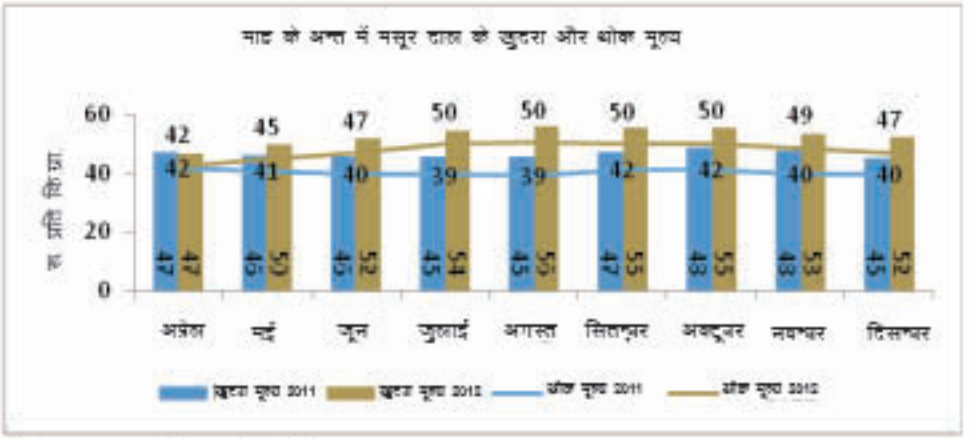

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

दालों की समग्र और दाल–वार मुद्रास्फीति दर नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई है:

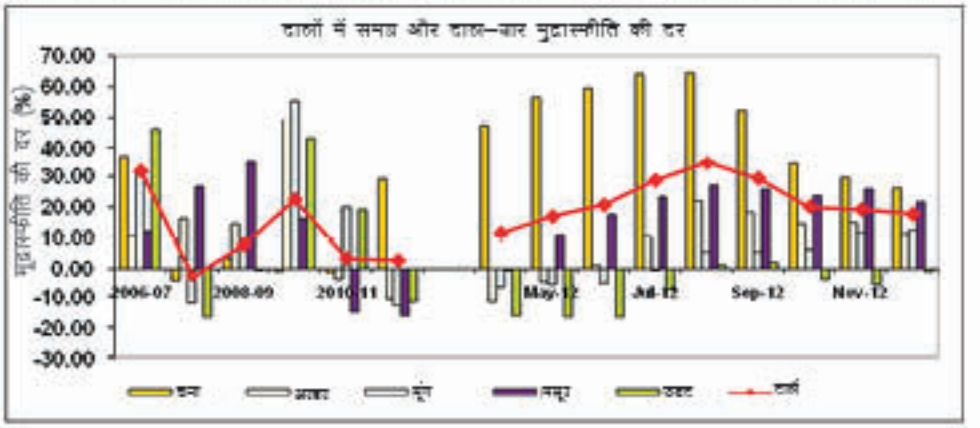

स्रोतः औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

दालों पर सब्सिडी की स्कीम

3.24 दालों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नवम्बर, 2008 से दालो के लिए एक सब्सिडी स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत आयातित दालों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 कि.ग्रा. प्रति परिवार, प्रति माह के वितरण पर 10/– रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से सब्सिडी दी जाती है। दालों का आयात पांच पदनामित ऐजेन्सियों (अर्थात् नैफेड, पी.ई.सी.लि., एस.टी.सी. लि., एम.एम.टी.सी. लि. और एन.सी. सी.एफ.) द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा राज्य सरकारों को आपूर्ति की जाती है।

3.25 यह स्कीम नवम्बर, 2008 से एक बारगी उपाय के रूप में अपनाई और लागू की गई थी परन्तु बाद में इसे समय–समय पर बढ़ाया जाता रहा और अब यह स्कीम 30.6.2012 तक लागू है। अब तक 12 राज्य इस स्कीम से लाभान्वित हो चुके हैं। ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। स्कीम के तहत वितरित की गई दालों की कुल मात्रा का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

पदनामित एजेन्सियों द्वारा आयात एवं वितरित की गई दालों की मात्रा (2008–09 से 2012–13) (टनों में)						
एजेन्सी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*	कुल
एम.एम.टी.सी.	4200	25150	59000	11000	0	99350
पी.ई.सी.		144165	151490	92786	8093	396534
एस.टी.सी.	507	79409	75475	82610	0	238001
एन.सी.सी.एफ.		6207	18737	0	0	24944
नैफेड			10005	0	0	10005
कुल	4707	254931	314707	186396	8093	758829

नोट : * स्कीम जून 2012 में समाप्त हो गई।
स्रोत : पदनामित आयातक एजेन्सियां

चीनी

3.26 चालू वित्त वर्ष के दौरान (दिसम्बर, 2012 तक) चीनी के खुदरा मूल्यों में बढ़ोतरी हुई। सभी केन्द्रों में चीनी के मूल्य अप्रैल–दिसम्बर, 2012 के दौरान 31 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 46 रुपये प्रति कि.ग्रा. रहे, इसकी तुलना में अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान यह 28.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 45.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में थे।

माह के अन्तर में चीनी की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

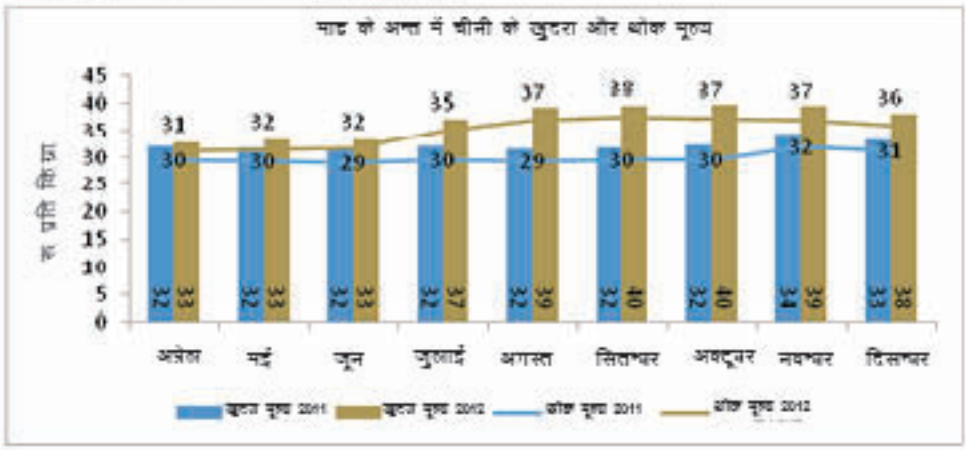

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.27 कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वर्ष 2012–13 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन 335.33 मिलियन टन होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2011–12 के 342.20 मिलियन टन के प्रथम अग्रिम अनुमानों से कम है। अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान चीनी की मुद्रास्फीति दर का तुलनात्मक रुख ग्राफ के रूप में नीचे दिया गया है:

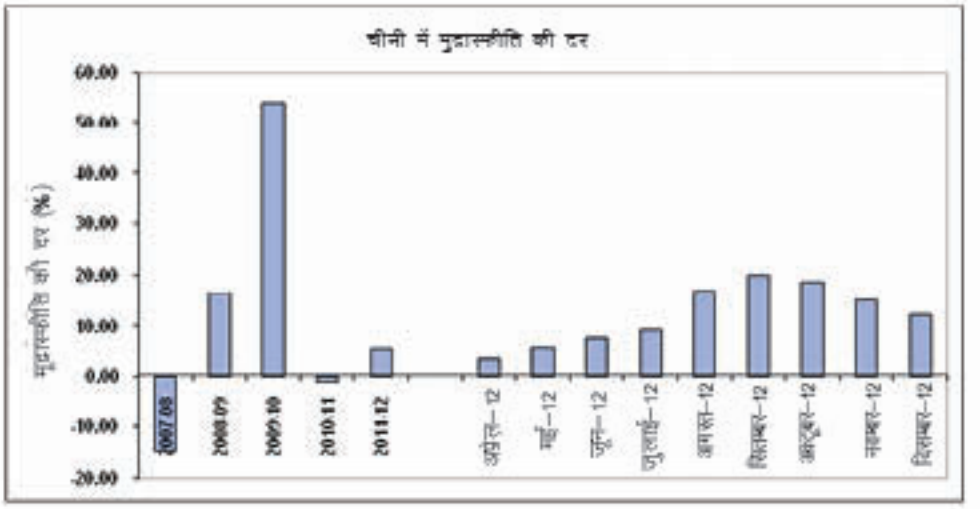

स्रोत : औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

खाद्य तेल

3.28 कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013–13 के लिए दिनांक 24.9.2012 को रिलीज किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ तिलहन का उत्पादन पिछले वर्ष के 20.89 मिलियन टन के प्रथम अनुमानों की तुलना में 18.78 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।

3.29 चालू वर्ष (अप्रैल से दिसम्बर, 2012) के दौरान सभी केन्द्रों में खाद्य तेलों के मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का रूझान दिखाई दिया। अप्रैल–दिसम्बर, 2012 और अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान खाद्य तेलों की मूल्य, रेंज को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

खाद्य तेल	मूल्य रेंज (अप्रैल–दिसम्बर, 2012) (रूपये / प्रति कि.ग्रा.)	मूल्यू रेंज (अप्रैल–दिसम्बर, 2011) (रूपये / प्रति कि.ग्रा.)
सरसों का तेल	74-154	60-113
वनस्पति	50-107	54-97
मूंगफली का तेल	81-176	69-143
पाम ऑयल	54-108	52-107
सोया तेल	61-121	64-99
सूरजमुखी का तेल	57-159	58-147

स्रोतः – राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

माह के अन्त में मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, वनस्पति, सूरजमुखी के तेल, सोया ऑयल और पॉम ऑयल की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

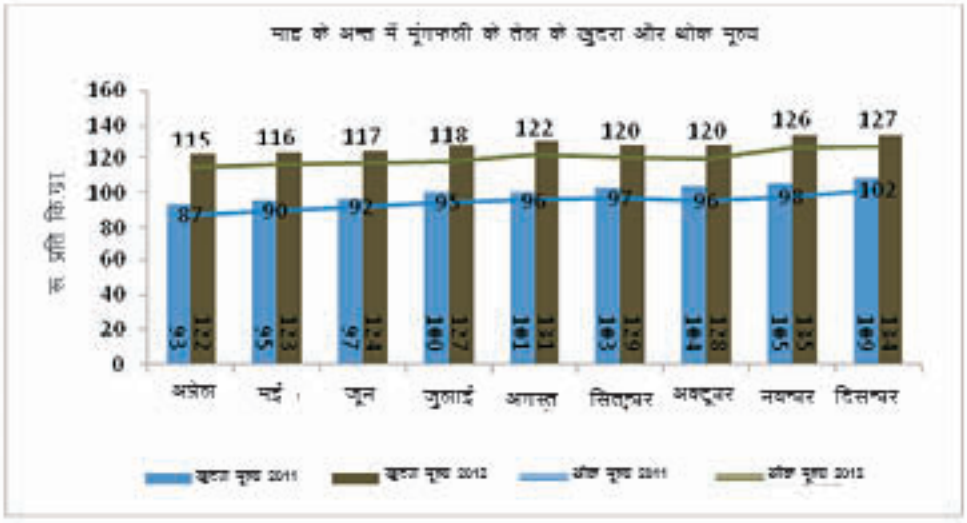
माह के अन्त में मूंगफली के तेल के खुदरा और थोक मूल्य
रु. प्रति कि.ग्रा.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
115 116 117 118 122 120 120 126 127
87 90 92 95 96 97 96 98 102
122 123 124 127 131 129 128 135 134
93 95 97 100 101 103 104 105 110
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर
खुदरा मूल्य 2011
खुदरा मूल्य 2012
थोक मूल्य 2011
थोक मूल्य 2012

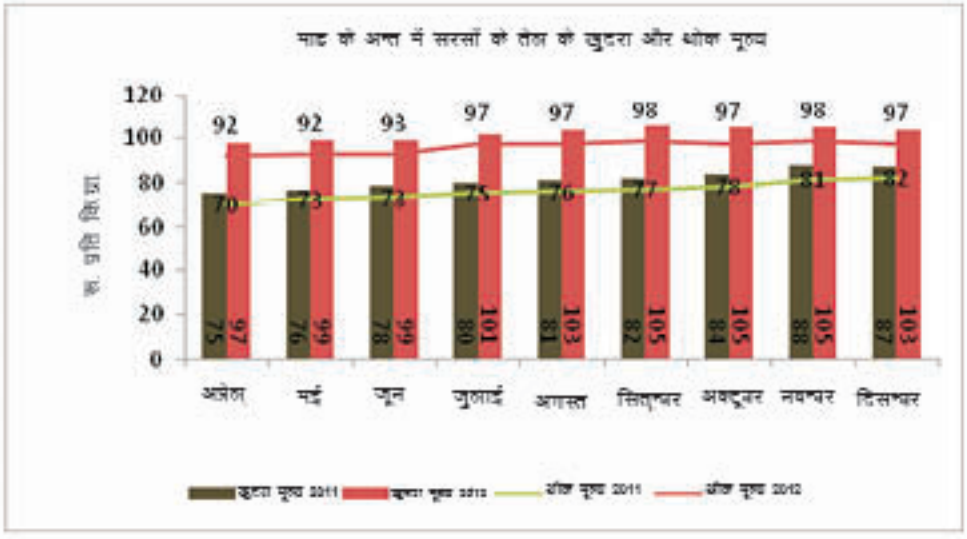
माह के अन्त में सरसों के तेल के खुदरा और थोक मूल्य
रु. प्रति कि.ग्रा.
120
100
80
60
40
20
0
92 92 93 97 97 98 97 98 97
70 73 74 75 76 77 78 81 82
97 99 99 101 103 105 105 105 103
75 76 78 80 81 82 84 88 87
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर
खुदरा मूल्य 2011
खुदरा मूल्य 2012
थोक मूल्य 2011
थोक मूल्य 2012

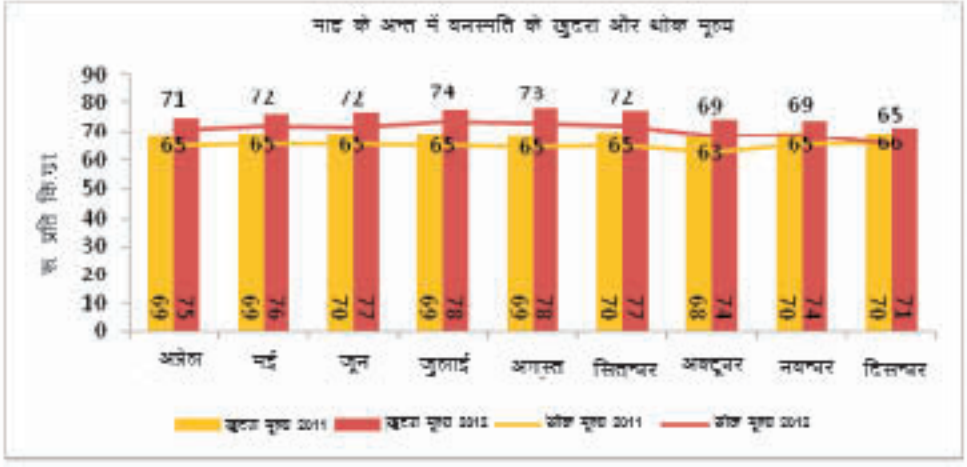
माह के अन्त में वनस्पति के खुदरा और थोक मूल्य
रु. प्रति कि.ग्रा.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
71 72 72 74 73 72 69 69 65
65 65 65 65 65 65 63 65 66
75 76 77 78 78 77 74 74 71
69 69 70 69 69 70 68 70 70
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर
खुदरा मूल्य 2011
खुदरा मूल्य 2012
थोक मूल्य 2011
थोक मूल्य 2012

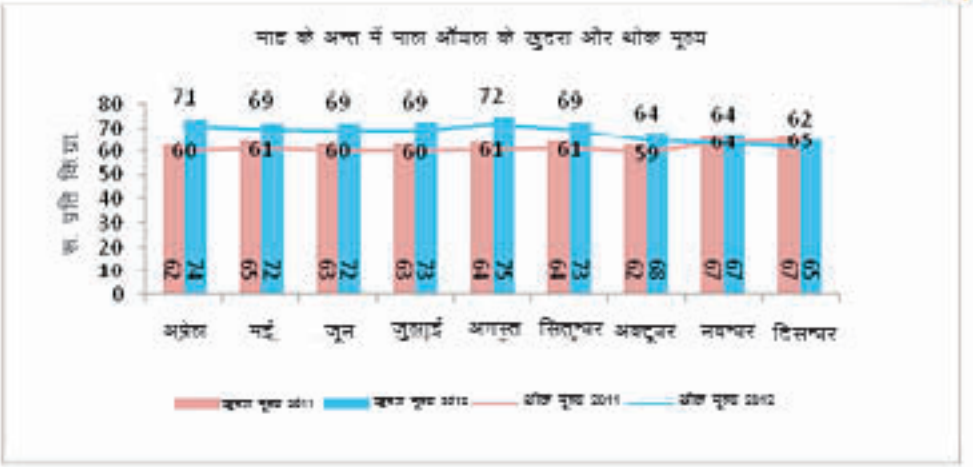

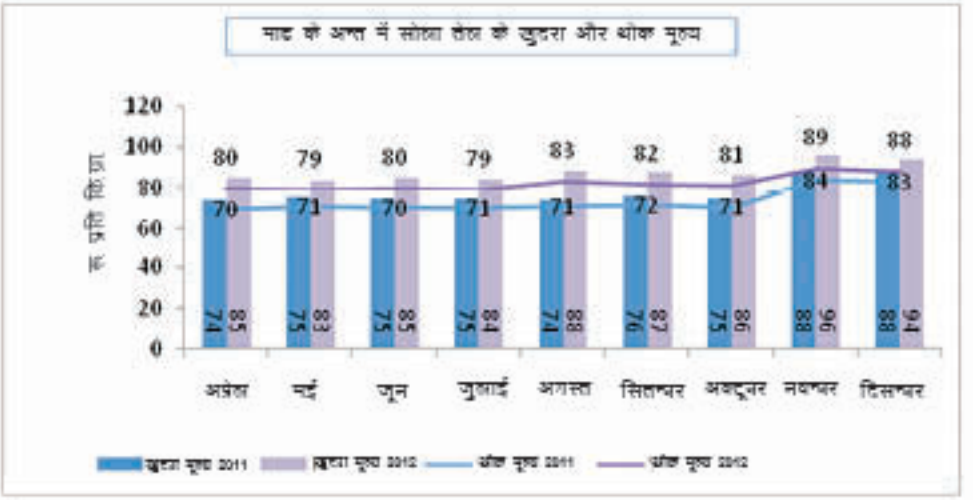

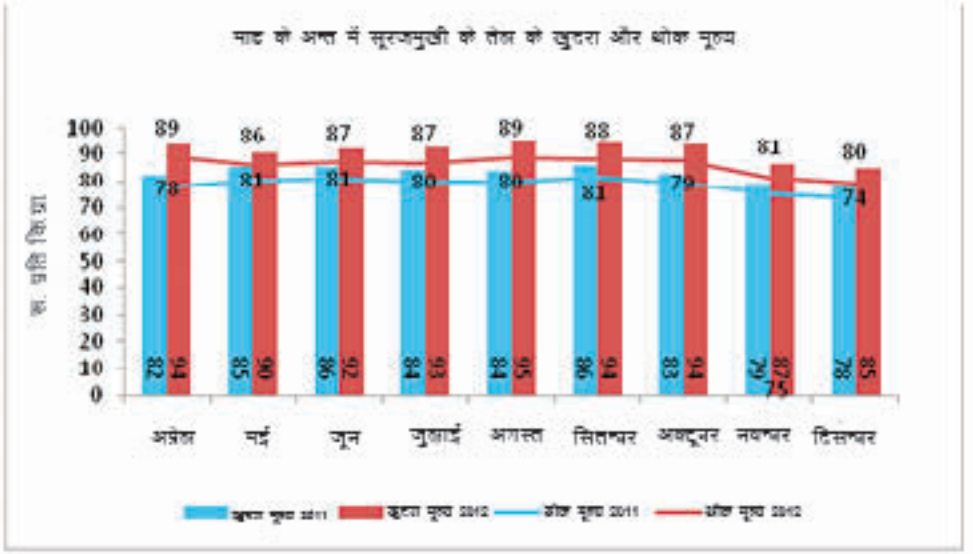

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

3.30 खाद्य तेलों की घरेलू आवश्यकताओं के लगभग 50 प्रतिशत तक की पूर्ति आयातों द्वारा होती है जिसमें से कुल आयातों का लगभग 77% कच्चा पॉम तेल और लगभग 12% सोया बीन तेल होता है। चालू वर्ष 2011–12 (तेल वर्ष नवम्बर–अक्तूबर) के दौरान 99.43 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 74.94 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था जो कि 32.67% की वृद्धि को दर्शाता है।

सब्जियां

3.31 सब्जियों के मूल्य में उतार–चढ़ाव उनकी उपलब्धता और मौसमी कारकों पर निर्भर करता है। सरकार, सब्जियों, विशेष रूप से प्याज, आलू और टमाटर के मूल्यों और उपलब्धता पर बारीकी से नजर रखती है।

(i) प्याज

3.32 राष्ट्रीय बागवानी अनुसन्धान एवं विकास संगठन (एन.एच.आर.डी.एफ.) ने वर्ष 2011–12 के दौरान 163.41 लाख टन प्याज के उत्पादन का अनुमान लगाया था जो कि वर्ष 2010–11 के 151.18 लाख टन की तुलना में 8.09% अधिक है। (स्रोतः एन.एच.आर.डी.एफ.)

3.33 प्याज का निर्यात मुख्य रूप से बांगलादेश, मलेशिया, दुबई, श्रीलंका, बहरीन, नेपाल, सिंगापुर, मस्कट, कुवैत, दोहा/कतर, मारीशस आदि को किया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान 15.53 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया जबकि गत वर्ष 13.41 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के बीच 12.80 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया जब कि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11.02 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था।

3.34 अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान सभी केन्द्रों पर प्याज के मूल्य 6.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 53.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. थे जिसकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान सभी केन्द्रों पर प्याज के मूल्य 5.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 35.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. रहे। माह के अन्त में प्याज की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

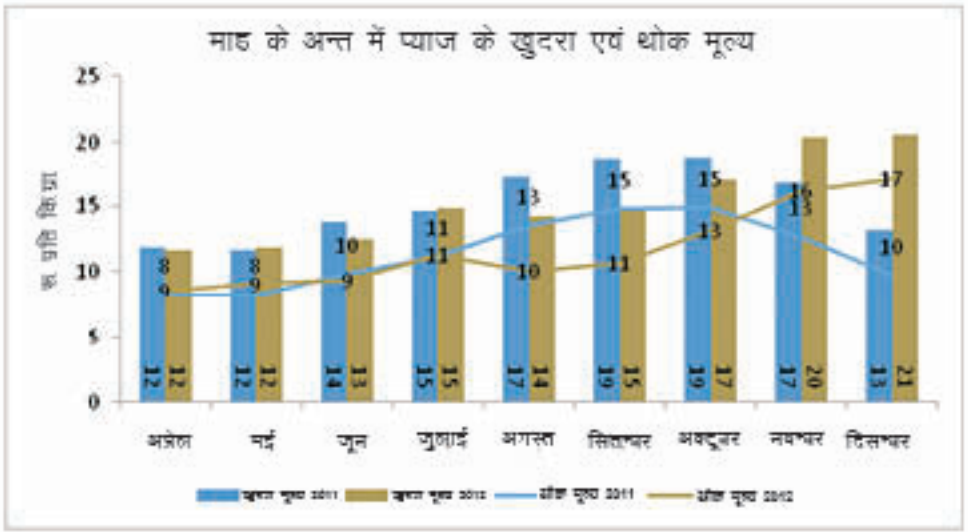

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

(ii) आलू

3.35 आलू की खेती का क्षेत्र और उत्पादन पिछले वर्ष के क्षेत्र 18.63 लाख हैक्टेयर और उत्पादन 402.39 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान क्रमशः 18.88 लाख हैक्टेयर और 415.68 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है। (स्रोतः एन.एच.आर.डी.एफ.)

3.36 अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान सभी केन्द्रों पर आलू के मूल्य 7.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 30.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. थे जिसकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान सभी केन्द्रों पर आलू के मूल्य 4.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 22.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. रहे। माह के अन्त में आलू की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

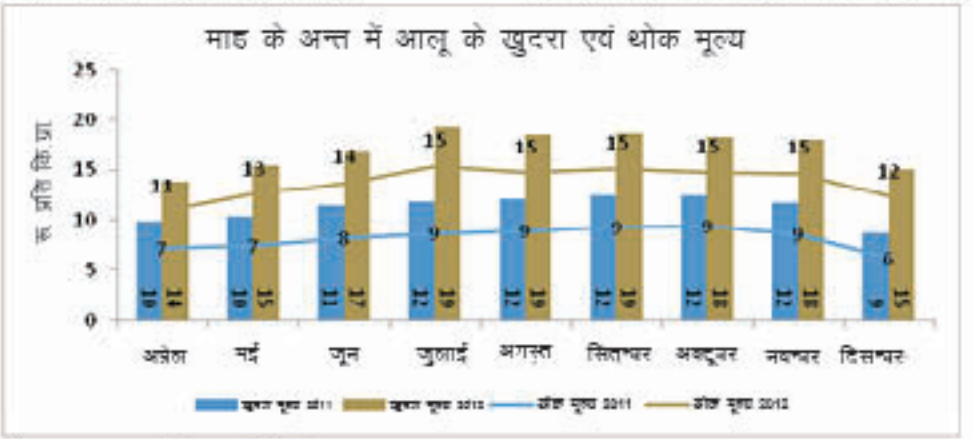

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

(iii) टमाटर

3.37 वर्ष 2010–11 के दौरान टमाटर का क्षेत्र और उत्पादन क्रमशः 8.65 लाख हैक्टेयर और 165.26 लाख टन था जबकि 2009–10 में क्षेत्र क्रमशः 6.34 लाख हैक्टेयर और उत्पादन 124.33 लाख टन था। (स्रोतः एन.एच.आर.डी.एफ.)

3.38 अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान सभी केन्द्रों पर टमाटर के मूल्य 4.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 80.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. थे जिसकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान सभी केन्द्रों पर टमाटर के मूल्य 4.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 60.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. रहे। माह के अन्त में टमाटर की खुदरा और थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत का विवरण नीचे दिया गया है:

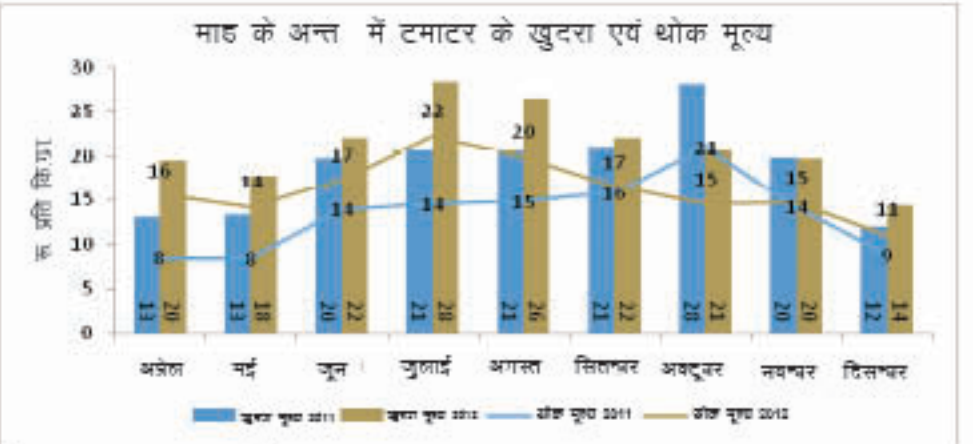

स्रोतः राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

चाय

3.39 चाय के खुदरा मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में बढोतरी का रूझान देखने को मिला। अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान सभी केन्द्रों पर चाय के मूल्य 100.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 340.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. की रेंज में थे जिसकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान सभी केन्द्रों पर चाय के मूल्य 100.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. से 314.00 रुपये, प्रति कि.ग्रा. की रेंज में रहे। वर्ष 2012–13 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान 14.9 मिलियन कि.ग्रा. चाय का निर्यात किया गया जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 15.80 मिलियन कि.ग्रा. चाय का निर्यात किया गया था। (स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस.)।

दूध

3.40 दूध के खुदरा मूल्य सभी केन्द्रों में अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान 20.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. से 44.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. रहे जबकि अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान यह 16.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. से 40.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में थे।

नमक

3.41 नमक के खुदरा मूल्य सभी केन्द्रों में अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान 5.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. से 20.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. रहे जबकि अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान यह 5.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. से 15.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. की रेंज में थे।

अनुलग्नक–I

दिसम्बर, 2012 और दिसम्बर, 2011 के दौरान प्रमुख समूहों और वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में बिन्दु दर बिन्दु मुद्रास्फीति और भिन्नता

वस्तु/उप समूह		मुद्रास्फीति की वार्षिक दर		दिसम्बर/अप्रैल, 2012 और दिसम्बर/अप्रैल, 2011 के थोक मूल्य सूचकांक में भिन्नता	
	भार	दिसम्बर, 2012	दिसम्बर, 2011	दिसम्बर/अप्रैल, 2012	दिसम्बर/अप्रैल, 2011
सभी वस्तुऐं	100.00	7.18	7.74	5.1	5.2
I प्राथमिक वस्तुऐं	20.12	10.61	3.59	4.4	2.1
(क) खाद्य वस्तुऐं	14.34	11.16	0.79	5.0	4.1
क. खाद्यान्न (अनाज+दालें)	4.09	18.73	3.94	27.3	6.6
क1. अनाज	3.37	19.02	1.74	24.7	3.1
चावल	1.79	17.10	1.17	25.4	5.8
गेहूं	1.12	23.23	-3.87	26.0	-2.6
क 2. दालें	0.72	17.57	13.73	39.3	23.3
चना	0.33	26.47	43.64	56.7	70.0
अरहर	0.14	10.97	-0.17	25.8	-16.5
मूंग	0.08	12.60	-3.30	34.2	-14.1
मसूर	0.06	21.59	-7.50	29.4	-6.8
उडद	0.10	-0.83	-10.61	10.9	-28.4
ख1. सब्जियां	1.74	23.25	-34.55	-43.6	10.6
आलू	0.20	89.08	-35.39	35.7	1.7
प्याज	0.18	69.24	-61.62	165.2	23.2
ख2. फल	2.11	5.76	8.78	-13.5	-59.2
दूध	3.24	5.85	11.02	7.1	23.0
घ. अंडे, मीट एवं मछली	2.41	10.18	13.10	14.7	26.4
चाय	0.11	37.47	-4.97	20.2	-6.6
(ख) गैर–खाद्य वस्तुएं	4.26	13.23	1.82	8.0	-13.0
ख. तिलहन	1.78	28.94	10.57	24.3	4.4

II ईंधन एवं ऊर्जा	14.91	9.38	14.98	10.1	13.2
III निर्मित उत्पाद	64.97	5.04	7.64	4.2	4.3
(क) खाद्य उत्पाद	9.97	9.00	6.31	11.6	7.1
गेहूं का आटा	0.39	8.73	2.26	15.6	-2.0
चीनी	1.74	12.22	4.69	26.5	9.8
गुड़	0.08	14.56	-2.85	12.6	7.8
नमक	0.05	0.66	4.82	0.0	8.3
च. खाद्य तेल	3.04	9.49	11.93	5.8	7.3
वनस्पति	0.71	4.88	1.09	5.6	-1.6
मूंगफली का तेल	0.30	21.89	9.72	9.9	12.9
पाम ऑयल	0.42	0.41	9.95	-7.7	5.5
सरसों एवं रेपसीड तेल	0.45	9.88	21.21	4.1	19.0
सोयाबीन तेल	0.38	10.88	16.28	4.8	6.7
सूरजमुखी का तेल	0.17	3.34	5.06	4.7	8.5
स्रोतः औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग					

अनुलग्नक–II

प्रमुख महानगरों में अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक 22 आवश्यक वस्तुओं की माह के अंत की कीमतों (रूपये प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र / माह	अप्रैल, 12	मई, 12	जून, 12	जुलाई, 12	अगस्त, 12	सित., 12	अक्टू., 12	नव., 12	दिस., 12
चावल									
दिल्ली	25	प्रा.नहीं	25	प्रा.नहीं	25	26	26	25	26
मुम्बई	22	27	27	28	26	25	25	26	26
कोलकाता	19	प्रा.नहीं	20	प्रा.नहीं	20	21	21	21	20
चेन्नई	23	23	25	27	29	31	31	32	34
गेहूं									
दिल्ली	16	प्रा.नहीं	16	प्रा.नहीं	19	19	18	19	19
मुम्बई	21	23	24	26	24	25	24	24	28
कोलकाता	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं
चेन्नई		22	22	23	25	25	27	28	28
आटा									
दिल्ली	17	प्रा.नहीं	17	प्रा.नहीं	20	20	19	21	20
मुम्बई	22	26	26	32	28	29	28	28	32
कोलकाता	16	NR	17	प्रा.नहीं	19	19	20	21	21
चेन्नई	26	26	26	26	24	24	28	28	28
चना दाल									
दिल्ली	52	प्रा.नहीं	59	प्रा.नहीं	72	70	72	73	74
मुम्बई	60	64	64	74	76	82	78	78	85
कोलकाता	50	प्रा.नहीं	60	प्रा.नहीं	70	70	75	68	68
चेन्नई	56	60	64	72	74	72	72	72	66
तूर दाल									
दिल्ली	70	प्रा.नहीं	71	प्रा.नहीं	82	83	82	81	81
मुम्बई	72	71	71	78	80	85	80	84	80
कोलकाता	64	प्रा.नहीं	72	प्रा.नहीं	75	74	76	74	70
चेन्नई	64	64	70	75	78	74	76	80	76
उड़द दाल									
दिल्ली	70	प्रा.नहीं	65	प्रा.नहीं	75	75	72	72	74
मुम्बई	72	72	73	78	82	83	80	74	76
कोलकाता	58	प्रा.नहीं	62	प्रा.नहीं	65	60	64	60	60
चेन्नई	58	58	58	68	65	65	63	63	62

केन्द्र / माह	अप्रैल, 12	मई, 12	जून, 12	जुलाई, 12	अगस्त, 12	सित., 12	अक्टू., 12	नव., 12	दिस., 12
मूंग दाल									
दिल्ली	70	प्रा.नहीं	68	प्रा.नहीं	75	76	74	77	80
मुम्बई	73	71	69	77	80	84	82	82	87
कोलकाता	75	प्रा.नहीं	72	प्रा.नहीं	80	80	82	80	84
चेन्नई	64	64	66	70	76	76	76	76	78
मसूर दाल									
दिल्ली	51	प्रा.नहीं	54	प्रा.नहीं	66	65	63	62	61
मुम्बई	66	64	60	60	60	58	56	56	56
कोलकाता	48	प्रा.नहीं	48	प्रा.नहीं	52	48	50	50	50
चेन्नई	45	45	50	50	52	52	52	52	52
चीनी									
दिल्ली	35	प्रा.नहीं	34	प्रा.नहीं	40	41	41	39	40
मुम्बई	33	33	33	40	42	40	40	40	38
कोलकाता	33	प्रा.नहीं	34	प्रा.नहीं	40	41	41	40	39
चेन्नई	31	32	32	37	40	39	37	38	36
दूध (लीटर में)									
दिल्ली	29	प्रा.नहीं	29	प्रा.नहीं	29	30	30	30	30
मुम्बई	36	36	36	36	36	36	36	36	36
कोलकाता	26	प्रा.नहीं	28	प्रा.नहीं	28	28	28	28	28
चेन्नई	27	27	27	27	27	27	27	27	27
मूंगफली का तेल									
दिल्ली	170	प्रा.नहीं	166	प्रा.नहीं	166	166	162	161	162
मुम्बई	129	130	132	136	137	129	131	140	141
कोलकाता	130	प्रा.नहीं	140	प्रा.नहीं	140	140	137	138	160
चेन्नई	141	138	138	141	142	142	126	136	140
सरसों का तेल									
दिल्ली	108	प्रा.नहीं	101	प्रा.नहीं	105	108	105	108	108
मुम्बई	99	95	96	99	102	95	91	91	88
कोलकाता	100	प्रा.नहीं	100	प्रा.नहीं	105	104	105	106	106
चेन्नई	108	108	108	108	108	121	121	121	121
वनस्पति									
दिल्ली	86	प्रा.नहीं	85	प्रा.नहीं	88	87	81	77	77
मुम्बई	88	86	92	96	97	88	88	90	79
कोलकाता	76	प्रा.नहीं	76	प्रा.नहीं	78	74	65	64	63
चेन्नई	81	84	85	88	87	88	86	86	88

केन्द्र / माह	अप्रैल, 12	मई, 12	जून, 12	जुलाई, 12	अगस्त, 12	सित., 12	अक्तू., 12	नव., 12	दिस., 12
सोया तेल									
दिल्ली	94	प्रा.नहीं	92	प्रा.नहीं	95	97	94	94	97
मुम्बई	84	81	82	88	90	90	82	88	84
कोलकाता	85	प्रा.नहीं	86	प्रा.नहीं	88	86	86	86	88
चेन्नई	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं
सूरजमुखी का तेल									
दिल्ली	108	प्रा.नहीं	105	प्रा.नहीं	107	107	106	106	108
मुम्बई	92	91	प्रा.नहीं	90	91	95	96	96	96
कोलकाता	100	प्रा.नहीं	100	प्रा.नहीं	95	90	93	93	94
चेन्नई	90	90	88	90	92	93	91	93	93
पाम ऑयल									
दिल्ली	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं
मुम्बई	68	65	73	70	73	63	63	63	62
कोलकाता	71	प्रा.नहीं	67	प्रा.नहीं	70	68	56	56	55
चेन्नई	74	74	71	70	71	68	60	59	56
गुड़									
दिल्ली	38	प्रा.नहीं	42	प्रा.नहीं	43	41	40	38	38
मुम्बई	46	46	47	45	45	46	48	48	47
कोलकाता	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं	प्रा.नहीं
चेन्नई	35	35	35	37	37	38	35	37	37
चाय खुली									
दिल्ली		प्रा.नहीं	176	प्रा.नहीं	177	180	185	188	190
मुम्बई	200	200	200	200	220	260	270	280	280
कोलकाता	120	प्रा.नहीं	120	प्रा.नहीं	120	120	120	120	प्रा.नहीं
चेन्नई	260	260	260	260	260	260	260	260	260
नमक पैकबंद (आयोडाइज्ड)									
दिल्ली	16	प्रा.नहीं	16	प्रा.नहीं	16	16	16	16	16
मुम्बई	14	14	14	15	15	16	16	16	16
कोलकाता	9	प्रा.नहीं	8	प्रा.नहीं	8	8	8	8	8
चेन्नई	14	14	16	16	16	16	16	16	16
आलू									
दिल्ली	17	प्रा.नहीं	18	प्रा.नहीं	20	19	18	17	12
मुम्बई	16	16	20	22	23	18	17	19	19
कोलकाता	12	प्रा.नहीं	15	प्रा.नहीं	15	14	14	15	12

केन्द्र / माह	अप्रैल, 12	मई, 12	जून, 12	जुलाई, 12	अगस्त, 12	सित., 12	अक्टू., 12	नव., 12	दिस., 12
चेन्नई	14	14	16	16	16	16	16	16	16
प्याज									
दिल्ली	14	प्रा.नहीं	13	प्रा.नहीं	16	16	19	21	23
मुम्बई	12	16	15	15	14	14	19	18	18
कोलकाता	11	प्रा.नहीं	14	प्रा.नहीं	16	16	18	20	20
चेन्नई	9	10	11	11	13	12	18	20	20
टमाटर									
दिल्ली	21	प्रा.नहीं	19	प्रा.नहीं	27	21	20	18	14
मुम्बई	24	26	22	32	20	16	10	16	17
कोलकाता	15	प्रा.नहीं	30	प्रा.नहीं	30	30	30	20	16
चेन्नई	12	15	21	21	21	10	20	20	16

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

प्रा. नहीं = प्राप्त नहीं

सबके लिए भोजन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक
अन्तिम चरण में
यू.पी.ए. सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना और
श्रीमती सोनिया गांधी
भोजन का अधिकार
जागो ग्राहक जागो
1800-11-4000
उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
www.fcamin.nic.in

अध्याय - IV

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

4.1 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के विनियमन और नियंत्रण, उनकी आपूर्ति बनाए रखने या आपूर्ति बढ़ाने अथवा उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण एवं व्यापार के अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों का कार्यान्वयन/प्रवर्तन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के पास है ।

4.2 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 'आवश्यक' घोषित की गई वस्तुओं की आर्थिक परिस्थितियों में आए बदलावों की स्थिति तथा विशेष रूप से उनके उत्पादन एवं आपूर्ति के संबंध में इन वस्तुओं को प्रशासित करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श करके समय–समय पर समीक्षा की जाती है। मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य की सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की वस्तुओं की संख्या को आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से घटाकर 7 तक ले आया गया है।

4.3 राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस अधिनियम के तहत प्रवर्तन एजेंसियां होने के कारण उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करके इसके उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमित रूप से इस अधिनियम का सहारा ले रहे हैं। वर्ष 2012 के दौरान (06.02.2013 को अद्यतन की गई सूचना के अनुसार) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन के परिणाम नीचे दिए गए हैं।

1. मारे गए छापों की संख्या	132336
2. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	4057
3. अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	3269
4. दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	413
5. जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य	22978.392 लाख रुपए

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को रोकने के लिए की गई कार्रवाई

4.4 कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं के

मूल्यों में वृद्धि के रुझान को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चिंता रही। इस धारणा को दृष्टिगत रखते हुए कि मूल्यों में और वृद्धि होने की प्रत्याशा में विशेष रूप से गेहूं और दालों के भण्डार जमा किए गए हैं, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों से भी जमा स्टाक को बाहर निकालने संबंधी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियां बहाल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

4.5. सरकार द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि गेहूं और दालों (साबुत तथा दली हुई) के संबंध में दिनांक 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को छः महीनों की अवधि के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि इन वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों के संकट का सामना किया जा सके। तदनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 29.8.2006 को एक केंद्रीय आदेश सं. 1373 (अ) जारी किया जिसके आधार पर 15.02.2002 को अधिसूचित 'रिमूवल ऑफ (लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन्स) ऑन स्पेसीफाइड फूडस्टफ्स ऑर्डर, 2002' में क्रय, संचलन, बिक्री, आपूर्ति, वितरण अथवा बिक्री के लिए भण्डारण के संबंध में बनाए गए शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को गेहूं और दालों के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आस्थगित रखा गया है। तथापि, इस आदेश का प्रभाव गेहूं और दालों (साबुत अथवा दली हुई) के राज्य से बाहर के स्थानों के परिवहन, वितरण अथवा निपटान पर नहीं पड़ेगा और न ही यह आदेश इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा। बाद में केंद्रीय सरकार ने दिनांक 7.4.2008 के आदेश के तहत खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध में दिनांक 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के प्रचालन को एक वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित रखा। तत्पश्चात दिनांक 27.8.2008 के आदेश के तहत इसे 1.9.2008 से 30.4.2009 धान पर भी लागू कर दिया गया। इन आदेशों की वैधता को समय–समय पर बढ़ाया गया और वर्तमान में ये आदेश दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, चावल और धान के संबंध में 30.9.2010 तक वैध है। इसको बाद में केंद्रीय आदेश संख्या का.आ. 2361 (अ) तारीख 29.09.2010 के तहत दालों, धान और चावल के संबंध में 30.09.2011 तक तथा तेलों एवं तिलहनों के संबंध में 31.3.2011 तक बढ़ा दिया गया है। इसको बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का.आ. 654 (अ) तारीख 30.03.2011 के तहत दालों, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30.09.2011 तक बढ़ा दिया गया है। इसको बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का आ. 2227 (अ) तारीख 27.09.2011 के तहत दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30.09.2013 तक बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय आदेश दिनांक 30.09.2013 के तहत धान और चावल के संबंध में उनकी वैधता को 31.10.2011 तक बढ़ा दिया गया जिसे बाद में केन्द्रीय आदेश संख्या का.आ. 2227 (अ) दिनांक 28.10.2011 के तहत 30.11.2011 तक बढ़ा दिया गया। इसे बाद में केन्द्रीय आदेश सं. 2716 दिनांक 27.09.2012 तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान में केन्द्रीय आदेश सं. 2968 (अ) दिनांक 20.12.2012 के तहत चावल और धान की स्टॉक सीमा की अनुमति 30.11.2013 तक दी गई है।

4.6. सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिबंधों में आगे और छूट दी जाए तथा चीनी के संबंध में आदेश के प्रकाशन की तारीख से दिनांक 15.2.02 के केन्द्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को और 4 महीनों तक के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि चीनी की उपलब्धता और मूल्यों का सामना किया जा सके। तदनुसार, इस आशय का आदेश सं. का. आ. 649 (अ) दिनांक 9.03.09 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसको बाद में दिनांक 18.12.2009 के केंद्रीय आदेश 30.9.2010 तक और केंद्रीय आदेश संख्या का. आ. 2361 (अ) दिनांक 29.09.2010 के तहत 31.12.2010 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसे केन्द्रीय आदेश संख्या 2227 (अ) दिनांक 27.09.2011 के तहत 30.11.2011 तक बढ़ाया गया। इन आदेशों की वैधता को केंद्रीय आदेश संख्या 3060 (अ) दिनांक 30.12.2010 के तहत 31.3.2011 तक बढ़ा दिया गया है। गेहूं और चीनी को क्रमशः 01.04.09 और 01.12.2011 के इन आदेशों की परीधि से वापिस ले लिया गया है।

4.7. उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे गेहूं और दालों के संबंध में डीलरों की विभिन्न श्रेणियों जैसे मिलरों/उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने हेतु एक नया नियंत्रण आदेश जारी करें अथवा पुराने नियंत्रण आदेश को पुनः लागू करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन प्राप्त/प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

4.8. जहां तक इन आदेशों के कार्यान्वयन का संबंध है, यह बताया गया है कि 27 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपर्युक्त सभी मदों पर किसी एक मद के लिए स्टाक सीमा जारी की है या केवल लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टाक घोषणा जारी की है (इन 27 में से 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वास्तविक रूप से स्टाक सीमा आदेश जारी किए हैं/जारी करने की प्रक्रिया में हैं। 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टाक घोषणाएं जारी कर दी हैं)।

4.9. उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे गेहूं और दालों के संबंध में डीलरों की विभिन्न श्रेणियों जैसे मिलरों/उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने हेतु एक नया नियंत्रण आदेश जारी करें अथवा पुराने नियंत्रण आदेश को पुनः लागू करें । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन प्राप्त/प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन मदों के जमा स्टॉक को खुले बाजार में लाने और उन्हें आम जनता को वाजिब दामों में उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं ।

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में उल्लिखित वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना

4.10 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जमाखोरी और चोर बाजारी आदि जैसी अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने के लिए चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकारों को उन लोगों को नजरबंद करने

की शक्तियां दी गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नजरबंदियां केवल चयनित मामलों में की जाती हैं ताकि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी को रोका जा सके। राज्य सरकारों द्वारा 01.01.2012 से 31.12.2012 के दौरान 231 मामलों में नजरबंदी के आदेश जारी किए गए। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास नजरबंदी आदेशों को आशोधित एवं रद्द करने की शक्ति भी है।

*****

अध्याय - V

उपभोक्ता संरक्षण

5.1 उपभोक्ता आंदोलन एक ऐसा सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, जिसमें खरीदी गई वस्तुओं और प्राप्त सेवाओं के संदर्भ में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है। उपभोक्ता मामले विभाग ने देश में एक जिम्मेदार और जवाबदेह उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य के माध्यम से उपभोक्ताओं की जागरुकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टीमीडिया माध्यमों का उपयोग करना शामिल है।

5.2 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(i) एक उपयुक्त प्रशासकीय तथा कानूनी तंत्र बनाना, जिस तक उपभोक्ताओं की आसानी से पहुंच हो तथा उपभोक्ता कल्याण के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों संगठनों से बातचीत करना।

(ii) समाज के विभिन्न वर्गों जैसे उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं, युवाओं आदि को इस कार्यक्रम में शामिल करना और इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

(iii) उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरुकता पैदा करना, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने और वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर के संबंध में समझौता न करने तथा यदि अपेक्षित हो, उपभोक्ता न्यायालयों से प्रतितोष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।

(iv) उपभोक्ताओं को शिक्षित करना ताकि वे अपने अधिकारों और सामाजिक दायित्वों के बारे में जागरूक हो सकें।

5.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

देश में उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता, आंदोलन के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का पारित होना है। इस अधिनियम को एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के सृजन द्वारा विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता के हितों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह अत्यधिक प्रगतिशील और व्यापक कानूनों में से एक है जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय अर्ध–न्यायिक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र के रूप में बनाया गया है। अब तक देश में 632 जिला मंच, 35 राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(क) अधिनियम में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार नामतः सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनने का अधिकार, विवाद निपटान का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं।

(ख) अधिनियम के ये उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के उपबंधों से अतिरिक्त है न कि उनसे कम।

(ग) यह एकछत्र कानून है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है, किन्तु अधिनियम की परिधि में उपभोक्ताओं को शामिल न करके संव्यवहार को बाहर रखा गया है।

(घ) उपभोक्ता किसी विनिर्माता और वस्तुओं/सेवाप्रदाता व्यापारियों के विरूद्ध शिकायत का प्रतितोष तब तक कर सकते हैं जब तक कि खरीदी गई वस्तुओं और प्राप्त सुविधाओं पर विचार किया जाए।

(ङ) अधिनियम में उपभोक्ता शिकायतों को सरल तरीके से, कम खर्च तथा समय पर निपटान की व्यवस्था है।

(च) अधिनियम के ये प्रावधान न केवल प्रतिपूरक हैं बल्कि निवारक एवं दण्डात्मक स्वरूप के भी हैं।

(छ) इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र की स्थापना करने की व्यवस्था है जिनको क्रमशः राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला मंच के नाम से जाना जाता है।

(ज) अधिनियम में केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें गठित करने की भी व्यवस्था है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए परामर्शी निकाय हैं।

5.4 राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार देश में उपभोक्ता मंचों के सभी तीन स्तरों पर मामलों के निपटान का औसत प्रतिशत प्रभावशाली 90.97% है। स्थापना काल से राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में प्रारंभ से दायर किए गए निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 30.12.2012 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	स्थापना काल से दायर किये गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान प्रतिशत में
1.	राष्ट्रीय आयोग	78471	68241	10230	86.96%
2.	राज्य आयोग	591880	498095	93785	84.15%
3.	जिला फोरम	3214824	2967966	246858	92.32%
	जोड़	3885175	3534302	350873	90.97%

i) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के 13 शहरों को अधिसूचित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली जहां यह सामान्य रूप से कार्य करता है, के अतिरिक्त अपने सर्किट बैंच सिटिंग का आयोजन कर सकता है। विधि के इन उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष सर्किट बैंच सिटिंग आयोजित कर रहा है। जनवरी और फरवरी, 2012 में भोपाल में आयोजित पिछली सर्किट बैंच सिटिंग के दौरान राष्ट्रीय आयोग द्वारा 73 मामलों का निपटान किया गया।

5.5 यद्यपि जिला और राज्य स्तरों पर उपभोक्ता मंचों की स्थापना की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनागत स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:–

5.6 कन्फोनेट स्कीम: देश में उपभोक्ता मंचों का कम्पयूटरीकरण तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग (कन्फोनेट) की स्कीम दसवीं योजना अवधि के दौरान मार्च, 2005 में 48.64 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई थी। परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा टर्न–की आधार पर किया जा रहा है।

कान्फोनेट स्कीम को ग्यारहवीं योजना में 25.00 करोड़ रूपए की कुल लागत के साथ विस्तारित किया गया है। परियोजना की विस्तारित अवधि में उपभोक्ता मंचों द्वारा प्रणाली को स्वयं अंगीकृत करने के लिए तकनीकी सहायक कार्मिकों से सहायता और प्रशिक्षण प्राप्त करके सतत् मानव संसाधन पर जोर दिया जा रहा है। कान्फोनेट परियोजना के तहत वर्ष 2012–13 के दौरान 6.60 करोड रूपये की राशि का शत–प्रतिशत उपयोग कर लिया गया है। सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार कवर किए गए 640 स्थानों में से 340 उपभोक्ता मंचों में कान्फोनेट प्रचालन में है। 288 उपभोक्ता मंच याद सूचियों को अपलोड कर रहे हैं जबकि 191 उपभोक्ता मंच अधिनिर्णयों को अपलोड कर रहे हैं।

5.7 वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों में "कोन्फोनेट" स्कीम के तहत **पूर्वोत्तर क्षेत्र** (मुख्य शीर्ष 2525) के लिए 66.00 लाख रूपए का आबंटन रखा गया था। इसी प्रकार "उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण" की योजना में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों में 55.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

उपभोक्ता मंचों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ बनाना :– केंद्रीय सरकार उपभोक्ता मंचों को आधारभूत–ढांचे को सुदृढ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता मंच पर सुविधाओं का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराया जा सके जो उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए अपेक्षित है।

5.8 इस स्कीम के तहत प्रदान की जा रही आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं में उपभोक्ता मंचों के नए भवनों का निर्माण, मौजूदा भवनों का परिवर्धन/परिवर्तन/नवीकरण करना और गैर भवन संपदाओं जैसे कि फर्नीचर, कार्यालय उपकरण इत्यादि खरीदना शामिल है। वर्ष 2012–13 के दौरान उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत अब तक 4 राज्यों नामतः मिजोरम(15.75 लाख रू), पंजाब (4.33 लाख रू.), तमिलनाडु (197.41 लाख रु.) और पश्चिम बंगाल (166.79 लाख रु.) को कुल 384.28 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

5.9 जिला मंचों, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग में दायर किए गए/निपटाए गए/लंबित मामलों का विवरण अनुलग्नक I और II में दिया गया है।

अनुलग्नक–I

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में दायर किए गए/निपटाए गए/लंबित मामलों का विवरण

(31.12.2012 तक अद्यतन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्थापना काल से दायर किये गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान का प्रतिशत	की स्थिति अनुसार
राष्ट्रीय आयोग		78471	68241	10230	86.96	30.11.2012
1	आंध्र प्रदेश	28600	27297	1303	95.44	30.11.2012
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	42	38	4	90.48	31.01.2008
3	अरूणाचल प्रदेश	63	59	4	93.65	31.10.2012
4	असम	2474	1603	871	64.79	29.02.2012
5	बिहार	15333	10770	4563	70.24	30.09.2012
6	चण्डीगढ़	12142	11976	166	98.63	30.11.2012
7	छत्तीसगढ़	8359	7896	463	94.46	30.11.2012
8	दमन व दीप	25	20	5	80.00	31.03.2011
9	दिल्ली	34318	32739	1579	95.40	30.11.2012
10	गोवा	2304	2233	71	96.92	30.11.2012
11	गुजरात	43136	35399	7737	82.06	31.10.2012
12	हरियाणा	42648	42373	275	99.36	30.11.2012
13	हिमाचल प्रदेश	7814	7535	279	96.43	30.11.2012
14	जम्मू व कश्मीर	6396	5755	641	89.98	31.03.2012
15	झारखंड	4918	4155	763	84.49	31.12.2011
16	कर्नाटक		39462	4757	89.24	30.11.2012
17	केरल	25353	24200	1153	95.45	31.10.2012
18	लक्षद्वीप	17	16	1	94.12	30.11.2012
19	मध्य प्रदेश	41290	36477	4813	88.34	31.10.2012
20	महाराष्ट्र	57109	41344	15765	72.39	30.06.2012
21	मणिपुर	139	96	43	69.06	30.09.2008
22	मेघालय	253	175	78	69.17	31.03.2011
23	मिजोरम	183	171	12	93.44	30.04.2011
24	नागालैण्ड	25	6	19	24.00	31.12.2011
25	उड़ीसा	21265	15338	5927	72.13	30.06.2012
26	पांडिचेरी	956	925	31	96.76	31.08.2012
27	पंजाब	29346	23144	6202	78.87	31.10.2012
28	राजस्थान	50950	46744	4206	91.74	31.10.2012
29	सिक्किम		40	0	100.00	31.12.2011
30	तमिलनाडु	24050	22064	1986	91.74	31.10.2012
31	त्रिपुरा	1410	1388	22	98.44	30.11.2012
32	उत्तरप्रदेश	65859	37686	28173	57.22	31.08.2012
33	उत्तराखंड	4623	3846	777	83.19	30.11.2012
34	पश्चिमी बंगाल	16221	15125	1096	93.24	30.06.2012
कुल		591880	498095	93785	84.15	

अनुलग्नक– II

जिलों मंचों में दायर किए गए/ निपटाए गए/लंबित मामलों का विवरण

(31.12.2012 तक अद्यतन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्थापना काल से दायर किये गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान का प्रतिशत	की स्थिति अनुसार
1	आंध्र प्रदेश	191957	186197	5760	97.00	30.11.2012
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	330	301	29	91.21	31.03.2006
3	अरूणाचल प्रदेश		338	66	83.66	31.10.2012
4	असम	13704	11976	1728	87.39	31.08.2010
5	बिहार	84369	73573	10796	87.20	30.09.2012
6	चण्डीगढ़	46629	45441	1188	97.45	30.11.2012
7	छत्तीसगढ़	36831	33721	3110	91.56	30.11.2012
8	दमन व दीव	162	144	18	88.89	31.03.2011
9	दिल्ली	239215	228875	10340	95.68	30.09.2011
10	गोवा	6341	5792	549	91.34	30.11.2012
11	गुजरात	171555	159522	12033	92.99	31.10.2012
12	हरियाणा	219763	201980	17783	91.91	30.11.2012
13	हिमाचल प्रदेश	56745	53351	3394	94.02	30.11.2012
14	जम्मू व कश्मीर	20792	18855	1937	90.68	31.12.2007
15	झारखंड	32572	29835	2737	91.60	31.12.2011
16	कर्नाटक	154184	149549	4635	96.99	30.11.2012
17	केरल	178920	171541	7379	95.88	30.09.2012
18	लक्षद्वीप	75	65	10	86.67	30.11.2012
19	मध्य प्रदेश	182232	166614	15618	91.43	31.10.2012
20	महाराष्ट्र	255993	236744	19249	92.48	30.06.2012
21	मणिपुर	1037	1012	25	97.59	30.09.2008
22	मेघालय	768	661	107	86.07	31.03.2011
23	मिजोरम		2819	647	81.33	31.12.2010
24	नागालैण्ड	290	266	24	91.72	31.12.2011
25	उड़ीसा	90805	84613	6192	93.18	30.06.2012
26	पांडिचेरी		2714	168	94.17	31.08.2012
27	पंजाब	153896	148210	5686	96.31	31.10.2012
28	राजस्थान	286929	259855	27074	90.56	31.10.2012
29	सिविकम		262	21	92.58	31.12.2011
30	तमिलनाडु	102229	96692	5537	94.58	31.10.2012
31	त्रिपुरा	2751	2538	213	92.26	31.10.2012
32	उत्तरप्रदेश	558254	482532	75722	86.44	31.08.2012
33	उत्तराखंड	34654	32546	2108	93.92	30.11.2012
34	पश्चिमी बंगाल	83807	78832	4975	94.06	30.06.2012
कुल		3214824	2967966	246858	92.32	

उपभोक्ता कल्याण कोष

(उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्त पोषित मौजूदा स्कीमें)

वर्तमान में निम्नलिखित स्कीमों को उपभोक्ता कल्याण कोष से प्रशासित किया जा रहा है।

5.10 उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

इस स्कीम के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है:–

(क) उत्पादों और सेवाओं के तुलनात्मक परीक्षण की एक परियोजना के लिए वॉयस सोसायटी, नई दिल्ली को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना का ध्येय निम्नानुसार है:–

- विविध श्रेणियों के उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण के लिए भारत में मौजूद एन ए बी एल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं का प्रयोग करना।
- जागरूक उपभोक्ताओं के सृजन के लिए उपभोक्ताओं से संबंधित विषयों पर उपभोक्ता पत्रिकाओं का प्रकाशन करना एवं उन्हें लोकप्रिय बनाना।
- वैज्ञानिक डाटा और उपभोक्ताओं के अधिमान पर आधारित राष्ट्रीय मानकों का विकास एवं उन्नयन करने की सुविधा प्रदान करना।

परियोजना का द्वितीय चरण 2.70 करोड़ रूपये की लागत से 3 वर्षों के लिए नवम्बर, 2010 से आरम्भ हो चुका है। सोसायटी द्वारा प्रति वर्ष 16 उत्पादों एवं 3 सेवाओं की तुलनात्मक जांच की जानी है और जांच के नतीजों को प्रकाशित किया जाना है।

(ख) फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल की खाद्य एवं जल जांच प्रयोगशाला का 2.08 करोड रूपये की लागत से एन.ए.बी.एल. प्रत्यायन सहित, उन्नयन करना।

(ग) काउंसिल फार फेयर बिजनेस प्रेक्टिस, मुंबई को एस एन डी टी वीमैन यूनिवर्सिटी, मुंबई में मौजूद रामकृष्ण बजाज परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए एकबारगी अनुवर्ती अनुदान के रूप में 50 लाख रू. मंजूर किया गया।

(घ) उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद को एन ए बी एल प्रत्यायन के साथ 2.18 करोड़ रु. की लागत पर उनकी परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना।

(ङ) कन्सर्ट को दो वर्षों के लिए उत्पादों और सेवाओं के तुलनात्मक परीक्षण के लिए 333.70 लाख रु. की राशि मंजूर की गई। इस परियोजना के तहत कन्सर्ट प्रत्येक वर्ष कम से कम 7 उत्पादों और 3 सेवाओं का तुलनात्मक परीक्षण/मूल्यांकन करेगा।

5.11. स्कूल/कालेजों में उपभोक्ता/क्लबों की स्थापना। यह स्कीम 2002 में शुरु की गई थी, जिसके अनुसार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध माध्यमिक/उच्च/उच्चतर सैकण्डरी स्कूल/कालेजों में उपभोक्ता क्लब स्थापित किए जा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति उपभोक्ता क्लब 10,000 रुपए का अनुदान स्वीकार्य है। इस स्कीम को विकेन्द्रित किया गया है और 1 अप्रैल, 2004 से इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया है। पात्र संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा अपने प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले विभाग के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्य से स्कूलों की सूची प्राप्त होने पर राज्य के नोडल अधिकारी को निधियां अंतरित की जाती हैं। वर्ष 2008–09 में 115 लाख रु., वर्ष 2009–10 में 105 लाख रु, वर्ष 2010–11 में 10 लाख रु., 2011–12 में 37 लाख रूपये और 2012–13 में आज की तारीख तक 50 लाख रूपए की राशि

रिलीज की जा चुकी है। अब तक, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 7749 उपभोक्ता क्लबों को मंजूरी प्रदान की गई है। शेष बचे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीछे स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए जोरदार प्रयास किया जा रहा है।

5.12. अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों इत्यादि की भागीदारी को बढ़ावा देने की स्कीम। यह स्कीम उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करने की दृष्टि से वर्ष 2004 में शुरू की गई थी ताकि उपभोक्ताओं को पेश आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके, यह स्कीम उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों पर सेमिनार/कार्यशालाएं/सम्मेलन प्रायोजित करने तथा उपभोक्ताओं के संरक्षण और कल्याण के लिए नीति/कार्यक्रम/स्कीमों के प्रतिपादन के लिए आवश्यक इनपुट प्राप्त करने के विचार को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग की स्कीम के तहत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को परियोजना के पहले और दूसरे चरण में वर्ष 2009 में तीन वर्षों के लिए 2.98 करोड़ रु. की लागत पर कुल 381 लाख रु. का अनुदान मंजूर किया गया है।

5.13. संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पीठ/उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन

(क) नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एन एच वर्ष यू आई) बंगलूर को 90,00,000/– रु. की लागत से एक पीठ वर्ष 2007–08 में मंजूर की गई जिसका उद्देश्य अनुसंधान और उपभोक्ता, कानून और व्यौहार पर अनुसंधान और नीति संबंधी मुद्दों के लिए 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करना है।

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को वर्ष 2007–08 में पांच वर्ष की अवधि के लिए 850.17 लाख रु. की अनुमानित लागत पर एक उपभोक्ता अध्ययन केंद्र की स्वीकृति प्रदान की गई जिसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण, देश में उपभोक्ता न्याय प्रशासन और न्याय–निर्णय से जुड़े कार्मिकों और स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों इत्यादि के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में गहन अनुसंधान कार्य करना है।

(ग) नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, (एन एल आई यू) भोपाल को उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण के लिए चेयर प्रोफसरशिप की स्थापना के लिए 94.45 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है।

(घ) तमिलनाडु में डॉ0 अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई को उपभोक्ता कानून और न्याय–निर्णय के प्रतिष्ठित अध्ययन के सृजन के लिए 94.45 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ङ) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद को ग्रामीण उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए 1.50 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

5.14. व्यापार/उद्योगों की भागीदारी

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) को स्वैच्छिक स्वयिनियमन और उपभोक्ता शिक्षा के जरिए उपभोक्ता शिकायतों के तुरन्त प्रतितोष को सुकर बनाने के लिए तंत्र स्थापित करने और प्लेटफार्म मुहैया कराने के लिए फिक्की एलाएंस फार कंज्यूमर केयर की स्थापना हेतु 356 लाख रू. का अनुदान मंजूर किया गया है।

5.15. उपभोक्ता जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम

इस स्कीम के अन्तर्गत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता और जिम्मेदारियों का प्रसार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मैसर्स कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) जयपुर को राजस्थान के 12 जिलों में उपभोक्ता गतिविधियों के माध्यम से भारत के सबसे निचले वर्गों तक सामान पहुँचाने और नेटवर्किंग के लिए 62.32 लाख रु. की लागत को एक परियोजना को मंजूर किया गया है।

(ii) कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (कट्स) को चार राज्यों नामतः त्रिपुरा, झारखण्ड, कर्नाटक एवं हरियाणा में सामान्य जन के सरोकारों पर ध्यान देने के लिए उनकी, नए युग में भारतीय उपभोक्ता नामक परियोजना के लिए 90.00 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

(ख) मैसर्स मौंडा धुनपुर कल्याण समिति को उत्तराखण्ड राज्य के कुमाउँ क्षेत्र में दो जिलों में उपभोक्ता कल्याण गतिविधियां चलाने के लिए 45 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) मैसर्स बिन्टी, नई दिल्ली को देश भर के सभी जिला मंचो और राज्यों आयोगों और नेत्रहीन एसोसिएशन संस्थानों को ब्रेल लिपि में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और सी डी के वितरण द्वारा उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता के लिए एक परियोजना मंजूर की गई है।

(घ) गोथामी फाउंडेशन, जिला प्रकाशम, आंध्रप्रदेश को आंध्रप्रदेश के पिछड़े एवं जनजातीय गांवों में उपभोक्ता शिक्षण और सशक्तिकरण के प्रचार को आरम्भ करने के लिए 1 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ङ) **मैसर्स अयोल्टा मानव संसाधन सोसायटी, ओरंगकॉग गॉव, लांगलेन** को उपभोक्ता य जागरूकता कार्यक्रम के प्रसार के लिए 3 वर्षों के लिए 49.50 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें विभाग का योगदान 45.00 लाख रूपये होगा। प्रथम वर्ष अनुदान के रूप में 15.00 लाख की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

(च) मैसर्स सनराइज मिशन होम, योखा नागालैण्ड को नागालैण्ड के योखा जिला में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के लिए 1 वर्ष के लिए 11.12 लाख रु. लागत की एक परियोजना मंजूर की गई है।

(छ) मैसर्स एसोसिएशन फॉर डेवलपमेन्ट ऑफ सोसायटी, कोहिमा, नागालैण्ड को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के लिए 16.50 लाख रु. लागत की एक परियोजना मंजूर की गई है।

(झ) **मैसर्स नारी मंगल महिला समिति**, जिला पुरी, उड़ीसा, को उड़ीसा में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के लिए 16.50 लाख रु. लागत की एक परियोजना मंजूर की गई है।

(ञ) **मैसर्स वी. किक्खी कल्याण सोसायटी, कोहिमा जिला, नागालैण्ड** को नागालैण्ड में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए 33.00 लाख रु. लागत की एक परियोजना मंजूर की गई है।

(ट) मैसर्स भारतीय दलित विकास परिषद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए 2 वर्षों के लिए 11.00 लाख रु. लागत की परियोजना मंजूर की गई है।

(ठ) केरल स्टेट कोआपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लि., कोच्चि को केरल के 10 जिलों में मोबाइल त्रिवेणी स्टोर की खरीद (प्रापण) हेतु और चारों ओर जल से घिरे दुर्गम क्षेत्रों में 2 फ्लोटिंग त्रिवेणी स्टोर में उपभोक्ता सामग्रियों की वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और उपभोक्ता जागरूकता अभियान के लिए 22,50,0000 रु. की राशि मंजूर की गई है।

5.16. शिकायत निपटान/काउंसिलिंग/मार्गदर्शन तंत्र की स्थापना

(क) **नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन**, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से 3.13 करोड़ रु. की लागत से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण परियोजना है। देश के किसी भी भाग से उपभोक्ता 1800–11–4000 टोल फ्री नम्बर डायल कर सकते हैं और उपभोक्ता हित के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित परामर्श मांग सकते हैं तथा अपनी शिकायतों का निपटान कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 2010 में तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन के दूसरे

चरण के विस्तार के लिए 378 लाख रूपए की राशि मंजूर की गई है।

(ख) कंज्यूमर ऑनलाइन रिसोर्स एंड एम्पावरमेंट (कोर) सेंटर परियोजना मंत्रालय द्वारा वेब आधारित उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण कार्यक्रम की दिशा में उठाया गया एक कदम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता समस्याओं का पता लगाना और संस्थागत प्रयासों के जरिए उनका निवारण करना तथा जीवंत सूचना प्रौद्योगिकी पद्धति का प्रयोग करना, स्कीम के तहत मंजूर की गई एक अन्य परियोजना है। इस परियोजना को पांच वर्षों की अवधि के लिए 3.50 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ मंजूर किया गया है।

(ग) उपभोक्ता मामले विभाग, जी आई जैड और फिक्की की सहायता से पी पी पी मॉडल के तहत मध्यस्थता सलाहकार केंद्र स्थापित करने के लिए 58.30 लाख रुपए की लागत पर फिक्की को एक परियोजना मंजूर की गई।

(घ) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन पर स्कीम के समन्वय और मॉनीटरिंग के लिए राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन नॉलेज रिसोर्स मेनेजमेन्ट पोर्टल के लिए 3 वर्षों के लिए 1.67 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई।

5.17. प्रशिक्षण कार्यक्रम

(क) तमिलनाडु सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 2 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है।

(i) उपभोक्ताओं के लाभों के लिए उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए तमिलनाडु के 31 जिलों में स्व सहायता समूहों को 69.91 लाख रुपए की लागत की परियोजना मंजूर की गई है।

(ii) राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्य पणधारियों को उपभोक्ता अधिकारों के लिए, 21.84 लाख रु. की कुल लागत से, पूर्वाभिमुखी करण–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है जिसकी अवधि 2 वर्ष है।

(ख) तमिलनाडु में चेन्नई के 8 जिलों में खाद्य पदार्थों में सामान्य अपमिश्रकों का पता लगाने के लिए मौके पर परीक्षण हेतु गृहणियों के लिए कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कंसर्ट, चेन्नई को 29.74 लाख रुपए की लागत पर एक परियोजना प्रस्ताव मंजूर किया गया है। परियोजना के दूसरे चरण का मूल्यांकन आई.आई.पी.ए. द्वारा किया गया है और परियोजना का तीसरा चरण भी शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा।

5.18. **कायिक निधि** देश भर में उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपना उपभोक्ता कल्याण कोष सृजित करने के लिए कहा गया है। वित्तीय सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50:50 के अनुपात में बीज राशि प्रदान की गई है। यह अनुपात 13 विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में बढ़ाकर 90:10 कर दिया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा 75:25 (केंद्र:राज्यों) के अनुपात में केंद्रीय हिस्से के रूप में कायिक निधि के रूप में 10 करोड़ रु. की बड़ी राशि देकर इस स्कीम का विस्तार किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 (केंद्र:राज्य) होगा। इस स्कीम को मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया गया था। इस स्कीम के तहत बिहार, ओडिशा, नागालैण्ड और कर्नाटक राज्यों को आंशिक भुगतान जारी किया जा चुका है।

5.19. राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन एक योजनागत स्कीम है जो नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन की तर्ज पर शुरू की गई है जो कि राज्यों और राज्य के

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के बीच एक सहभागी प्रयास है। ये हैल्पलाइनें संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा तथा हिंदी और अंग्रेजी में सेवा प्रदान करती हैं। अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता हैल्पलाइन स्थापित करने के लिए निधियां मंजूर की जा चुकी हैं। स्कीम को 12वीं योजनावधि तक विस्तारित किया गया है।

उपभोक्ता सहकारिताएं

5.20 उपभोक्ता सहकारिताएं, शहरी/ग्रामीण इलाकों में विशेषतः दूरस्थ, दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों में, शहरों/ग्रामों में गन्दी बस्तियों में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की उचित दरों पर आपूर्ति करने की विशिष्ट भूमिका निभाती रही हैं। उपभोक्ता सहकारिताओं का उद्देश्य दलालों को समाप्त करना तथा थोक विक्रेताओं का संरक्षण करना और उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को बिक्री करना शामिल है। अधिशेष, यदि कोई हो, तो उसे सदस्यों में खरीद पर बोनस के रूप में वितरित किया जाता है अथवा कोऑपरेटिव के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता कोऑपरेटियों को सरकार से अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने में सहायता करते हैं। उपभोक्ता कोऑपरेटिव का एक चार स्तरीय ढांचा होता है जिसमें प्राथमिक स्टोर, थोक/केन्द्रीय स्टोर, राज्य उपभोक्ता कोऑपरेटिव फेडरेशनों और राष्ट्रीय उपभोक्ता कोऑपरेटिव फेडरेशन शामिल हैं।

5.21 भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ)

(i) एन सी सी एफ देश में राष्ट्रीय स्तर का उपभोक्ता सहकारी संगठन है। एन सी सी एफ की स्थापना 16 अक्तूबर, 1965 को हुई थी और इसका संचालन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अधीन किया जाता है। एन सी सी एफ के मामलों का प्रबंधन एन सी सी एफ के उपबंधों के नियमों के आधार पर, चुने गए तथा नामित दोनों प्रकार के सदस्यों से युक्त एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। एन सी सी एफ के वाणिज्यिक प्रचालन मुख्यालय स्तर पर नई दिल्ली में और देश में अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में स्थित इसकी 27 शाखाओं/उप–शाखाओं तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में हैंडल किए जाते हैं। एन0सी0सी0एफ0 भिवानी (हरियाणा), मोहाली (पंजाब) और नौएडा (उ0प्र0) में तीन औद्योगिक इकाइयां चलाता है।

(ii) एन.सी.सी.एफ. की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 31.3.2012 तक 12.63 करोड़ रुपये है। इस धनराशि को सदस्यों द्वारा अंशदान दिया गया है, जिसमें से भारत सरकार की अंशदान पूंजी केवल 9.48 करोड़ रुपये है। भारत सरकार अब एन सी सी एफ में कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का लगभग 75% रखता है।

(iii) एन.सी.सी.एफ. उत्पादकों/विनिर्माताओं और थोक विक्रेताओं/खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करता है। यह प्राथमिक रूप से थोक वितरण व्यापार में रत है। एन.सी.सी.एफ. विविध उपभोक्ता मदों जैसे विभिन्न किस्मों की दालों, खाद्यान्नों, वस्त्र, चाय और अन्य विनिर्मित मदों की थोक खरीदारी और विपणन का कार्य करता है। इसने दालों, आयोडीनयुक्त नमक, उपभोक्ता पैक में रखी चाय, नहाने के साबुन, डिटर्जेन्ट पाउडर जैसी विभिन्न मदों की देश भर में आपूर्ति की भी व्यवस्था की है।

(iv) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन सी सी एफ की बिक्री व लाभकारिता नीचे दर्शाए गए हैं:–

(करोड़ रुपये में)

श्रेणी	2010–11 (लेखा परीक्षित)	2011–12 (लेखा परीक्षित)	2012–13 (नवम्बर 2012 तक)
बिक्री	1464.55	847.62	677.64
सकल मार्जिन	28.32	16.88	13.00
अन्य प्राप्तियां	6.52	11.82	3.68
निवल लाभ/(हानि)	6.81	3.62	2.21

(v) वर्ष 2011–12 के दौरान एन सी सी एफ द्वारा प्राप्त किया गया बिक्री टर्न–ओवर 847.62 करोड़ रुपये था जबकि 2010–11 के दौरान यह उपलब्धि 1464.55 करोड़ रुपये थी। बिक्री का बहुभाग ग्रोसरी तथा सामान्य सौदा मदों की आपूर्ति और आयात/निर्यात (आउट राइट और थ्रू एसोशिएट शिपर्स सहित) से संबंधित था। वर्ष 2011–12 के दौरान, एन सी सी एफ ने 3.62 करोड़ रूपए का निबल मुनाफा कमाया।

(vi) वर्ष के दौरान संघ ने विभिन्न परियोजनाएं आरंभ की जिनमें विद्यमान चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण शामिल है। एन.सी.सी.एफ. ने कोलकाता में एक आवास परियोजना का भी सफलतापूर्वक निष्पादन किया है।

5.22 उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ (जी जी आर सी)

(i) विभाग में आपूर्ति/प्रत्याशाओं में कमी, सेवाओं में कमी के संबंध में उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिनमें (i) आटोमोबाइल सहित घरेलू दोषयुक्त उपकरणों की आपूर्ति (ii) टी वी सेट, खराब निर्माण सामग्री (iii) सावधि जमा की धनराशि का वापस न मिलना (iv) कंपनियों से डिविडेन्ड का प्राप्त न होना। (v) बैंक और टेलीकॉम क्षेत्र की शिकायत आदि शामिल है। अतः विभाग ने 13.2.2002 को उपभोक्ताओं की शिकायत के प्रतितोष हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ की स्थापना करने का निर्णय लिया।

(ii) प्रकोष्ठ को पूरे देश से ऐसे सभी पहलुओं पर बड़ी संख्या में निपटान के लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी शिकायतें प्रतितोष हेतु उपभोक्ता समन्वय परिषद को भेजी गई। उक्त प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण प्रकृति की शिकायतों पर उनके शीघ्रातिशीघ्र प्रतितोष हेतु संबंधित विनिर्माताओं/प्राधिकारियों/विभागों आदि से स्वयं बात कर रहा है। प्रकोष्ठ तथा उपभोक्ता समन्वय परिषद ने शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों तक अग्रेषित किया ताकि उनका प्रतितोष किया जा सके।

(iii) उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ तथा उपभोक्ता समन्वय परिषद को असंतुष्ट उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कोई सांविधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सी जी आर सी और सी सी सी उपभोक्ताओं के पक्ष में संबंधित बैंक, टेलीकॉम और अन्य कंपनियों, संस्थाओं, संगठनों और विनिर्माताओं इत्यादि के साथ उनकी शिकायतों के निपटान संबंधित मामले पर बात करते हैं। उपभोक्ता के पास भी जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसा भी मामला हो, के पास कानूनी तौर पर प्रतितोष प्राप्त करने के लिये जाने का विकल्प है।

*****

जागो ग्राहक जागो
सुनिश्चित रहें शुद्ध खरीदें
इस दीपावली पर
खरीदे जाने वाले स्वर्ण आभूषणों पर
शुद्धता की हालमार्क मुहर अवश्य देखें
जब भी आप स्वर्ण आभूषण खरीदें
निम्नलिखित 5 चिह्नों
का ध्यान रखें
शुद्धता चार्ट
958 23 कैरेट
916 22 कैरेट
875 21 कैरेट
750 18 कैरेट
708 17 कैरेट
585 14 कैरेट
375 9 कैरेट
www.core.nic.in

अध्याय - VI

उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान

उपभोक्ता जागरूकताः घरेलू परिदृश्य

6.1 किसी देश में उपभोक्ता आंदोलन की सफलता मूल रूप से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य के साथ देश में पैदा की गई उपभोक्ता जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है। जहां कहीं साक्षरता की दर अधिक होती है और सामाजिक जागरूकता अधिक है, उपभोक्ताओं का आसानी से शोषण नहीं किया जा सकता है। भारत की भौगोलिक सीमाओं की विशालता, भाषाओं की बहुलता, बहु–जातीय सांस्कृतिक विविधताओं के कारण भारत के भीतर ही हम यह पाते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता/उपभोक्ता आंदोलन का स्तर, लोगों को साक्षरता और सामाजिक जागरूकता के स्तर पर निर्भर करते हुए अलग–अलग राज्य में अलग–अलग होती है।

भारत सरकार की पहलें:

6.2 देश में सामाजिक – आर्थिक परिदृश्य के मौजूदा स्तर और उपभोक्ता आंदोलन के शैशवकाल को देखते हुए धारणीय और व्यापक प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करके उनमें जागरूकता का प्रसार करने की जोरदार आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत किया जा सके।

चूंकि उपभोक्ता संरक्षण का विषय बहुत विशाल है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को कवर करता है, जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए, धारणीय आधार पर पर्याप्त वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता है। इसके साथ–साथ एक उचित शिकायत निवारण तंत्र की भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक बार उपभोक्ता को अपने अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी हो जाने पर, यदि उसकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो वह और अधिक निराशा महसूस न करे। साथ ही, उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए न्यायिक और अन्य संस्थागत तंत्रों पर कार्यभार बढ़ जाने और–परिणामस्वरूप बकाया मामलों में वृद्धि हो जाने के साथ अब समय आ गया है कि विवाद को सुलझाने के लिए अन्य उपायों को देखा जाए। आज के परिदृश्य में वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमारे लोकतंत्र के संघीय स्वरूप को देखते हुए, बोर्ड में प्रभावी कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर चलना भी अनिवार्य है जो–किसी भी तरह से एक सरल कार्य नहीं है। एक और प्रमुख घटक जिसको यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कारक माना जाना है कि कारोबारी व्यापारी वर्ग भी उचित व्यावसायिक ब्योरों के फेयर बिजनेस के सिद्धांतों को अपनाएं और उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दें"।

6.3 अब सार्वभौम तौर पर यह स्वीकार कर लिया गया है कि उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण का स्तर किसी देश के विकास और उसके सिविल समाज की प्रगतिशीलता का सच्चा सूचक है। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता को

सार्वभौम तौर पर स्वीकृत किए जाने के कारण, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, इस प्रकार है: वस्तुओं और सेवाओं की तेजी से बढ़ती हुई किस्मों जिसको आधुनिक प्रौद्योगिकी ने उपलब्ध कराया है: उत्पादन तथा वितरण प्रणाली का बढ़ता हुआ आकार और जटिलता; विज्ञापन और प्रोत्साहन के अन्य रूपों में विपणन और बिक्री पद्धतियों में जटिलता का उच्च स्तर; मास मार्केटिंग पद्धतियों और उपभोक्ताओं की बढ़ती गतिशीलता के परिणामस्वरूप क्रेता और विक्रेता के बीच निजी व्यक्तिगत संबंधो का समाप्त होना। इन सबसे परे, उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति सजगता धन के मूल्य के प्रति सजग और चिंता उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन की आवश्यकता की सार्वभौम स्वीकार्यता के प्रादुर्भाय ने योगदान दिया है।

6.4 जहां तक भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संबंध है, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में नोडल विभाग होने के कारण उपभोक्त मामले विभाग को एक ओर जहां उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न कर देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत बनाने का अधिदेश दिया गया और दूसरी ओर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करने का अधिदेश दिया गया है। उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में सशक्त करने की आवश्यकता पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता और इसे पहले से ही पूरे विश्व में भली–भांति महसूस किया गया है। वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी की उन्नति और बाजार में अत्याधुनिक गैजेटों का आगमन तथा आक्रामक विपणन कार्यनीतियों ने उपभोक्ताओं के समक्ष न केवल व्यापक विकल्प प्रस्तुत किए हैं बल्कि तीव्रता के साथ हो रहे ऐसे परिवर्तनों की सहगामी–समस्याओं का भी पिटारा खोल दिया है। उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति सतर्क बनाने के लिए उनको शिक्षित और प्रेरित करने की तत्काल और बढ़ती हुई आवश्यकता है। संक्षेप में उपभोक्ता को एक उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों के संबंध में सशक्त किया जाना चाहिए। उसे कुशाग्र बुद्धि के साथ सतर्क रहने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए जिससे कि वो व्यापारी के किसी अवांछनीय कार्य से स्वयं को बचा सके। उपभोक्ता को इस प्रकार की स्थिति तक पहुंचाने के लिए विश्वसनीय एवं सुव्यवस्थित जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ विधिक उपचार विकसित करने की भी आवश्यकता है जहां वे थोड़े से प्रयासों और मामूली खर्च से पहुंच सकते हैं।

6.5 उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 2005 से देश व्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चला रहा है जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित विविध मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। 'जागो ग्राहक जागो' यह नारा अब घर–घर में बस गया है। स्वाभाविक उपसाध्य के रूप में, सभी सरकारी विभागों/संगठनों के साथ टी वी, रेडियो, समाचार–पत्र, रेलवे, आउटडोर विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से संयुक्त प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

6.6 उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए संवेदनशील बनाने हेतु विभाग द्वारा ग्यारहवीं योजना और वर्ष 2012–13 में किया गया वर्षवार आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार है –

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1	2007-08	67.00	58.00	44.34
2	2008-09	75.00	91.00	80.50
3	2009-10	77.90	78.04	70.60
4	2010-11	84.02	80.67	80.27
5.	2011-12	87.23	87.23	85.73

6.7 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के बाद ही, आम उपभोक्ता को व्यावहारिक और सम्पूर्ण प्रतितोष प्रणाली देने के लिए जागरूक प्रयास किए गए हैं। यद्यपि इस प्रारंभिक कानून के निन्दकों की कमी नहीं है, फिर भी पूरे विश्वास के साथ यह माना जा सकता है कि आशय और प्रयोजन की दृष्टि से इसको वास्तव में उपभोक्ता के लिए बनाए जाने का श्रेय प्राप्त है, जिसका कोई छिपा हुआ एजेण्डा नहीं है। इसके अलावा, कयामत की भविष्यवाणी के बावजूद यह वास्तविक रूप से कार्य करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

6.8 विभाग **भ्रामक विज्ञापन** के बढ़ते हुए खतरे के बारे में चिंतित है। यद्यपि इस मुद्दे पर अनेक कानून हैं जिनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफ एस एस ए आई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, फिर भी एक व्यापक और शाकल्यवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। माननीय उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 4.8.2011 को सभी संबंधित पणधारियों की बैठकें आयोजित कीं। तत्पश्चात विभाग ने देशव्यापी परामर्श भी किया ताकि सहमति–जय, सशक्त और प्रभावी प्रणाली का निर्णय लिया जा सके।

उपभोक्ता– जागरूकता और शिक्षा

6.9 आज के तेजी से आगे बढ़ते हुए विश्व में दिमाग को झकझोर देने वाली तेजी के साथ ज्ञान के क्षेत्र में अग्रगण्य लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे एक ज्ञानवान समाज का प्रादुर्भाव हो रहा है। सामान्यतः शिक्षा और विशेष रूप से उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता के महत्व के बारे में बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। कहना न होगा कि सूचित, शिक्षित और जागरूक उपभोक्ता समाज की सम्पत्ति हैं। उपभोक्ता अभियान की नवीन स्थिति को देखते हुए, उपभोक्ताओं को संगठित प्रचार और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। जिला और तालुका स्तर पर उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए जाने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अल्प शिक्षा और कम ज्ञान के कारण गैर कानूनी व्यापार व्यौहारों के शिकार बन जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, एक राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम को जारी रखने

की आवश्यकता है जिसके लिए 'जागो ग्राहक जागो' प्रतिबद्ध है।

6.10 मीडिया को जागरूकता पैदा करने के ग्राहक के रूप में और समाज को लामबंद करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता के कारण अक्सर बदलाव के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम में प्रारंभ से मीडिया की एक बड़ी भूमिका रही है।

ग्रामीण उपभोक्ता

6.11 पहले ग्रामीण उपभोक्ता बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं थे क्योंकि उनकी शक्ति कम थी, बाजार का आकार सीमित था और बाजार के प्रति दृष्टिकोण संकीर्ण था। तथापि, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण हो जाने से विभिन्न प्रकार की विपणन नीतियों का जन्म हुआ है जिन्हें ग्रामीण उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए व्यापारिक एजेंसियों ने अपना लिया है। शहरी बाजार में ठहराव और अप्रयुक्त विशाल ग्रामीण बाजार का प्रयोजन बाजार शक्तियों और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों के लिए कितने ही समय तक बाजार में टिके रहने के लिए बहुत बड़ी शक्ति बनते जा रहें हैं। तथापि चूंकि जनसंचार माध्यम और सूचना प्रौद्योगिकी के आमना–सामना बढ़ता जा रहा है ग्रामीण उपभोक्ता में उत्पादों और सेवाओं के बारे में उच्चोत्तर रूप में अधिक सूचित होते जा रहे हैं तथा परम्परागत संदर्भ समूहों पर उनकी निर्भरता समाप्त होती जा रही है।

6.12 पिछले अध्याय में दी गई पृष्ठभूमि में हमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जांच करने की आवश्यकता है।

6.13 अभियान चलाने और उसको जारी रखने के लिए 2005 से प्रतिबद्ध सरकार ने एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की जरूरत को सही महसूस किया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जागरुकता के बढ़ते हुए स्तर के साथ यह जरूरी हो जाता है कि उपभोक्ताओं को अन्याय और शोषण, जब भी ध्यान में आए से प्रतितोष प्राप्त होता है। यदि प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार द्वारा मुनाफाखोरों के निरंतर बढ़ते हुए जाल से न्याय पान हेतु उपभोक्ताओं के लिए एक उचित–प्लेटफार्म की व्यवस्था किए बिना अभियान चलाया जाता है, तो यह अत्यन्त अदूरदर्शिता और गैर–जिम्मेदारी होगी। तदनुसार केंद्र सरकार उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण के सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए अनवरत आधार पर कदम उठा रही है।

6.14 अभियान की सफलता इस तथ्य से दृष्टि गोचर होती है कि अभियान में प्रमुख विभागों/संगठनों की भागीदारी बढ़ रही है। चूंकि विभाग ने आम जनता की कमाई की चाहत में दूसरों से हाथ मिलाने के लिए अपनी इच्छा और क्षमता दिखाई है, इसलिए अब विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को उठाया जा रहा है, सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, नागरिक उड्डयन, वित्तीय सेवाओं इत्यादि के मुद्दों पर संयुक्त अभियान चलाए गए। विभाग ने अपने मुख्य मुद्दों पर विज्ञापन निकालना भी जारी रखा। अभियान सबको साथ लेकर चलाया जाता रहा और इसके साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर मीडिया आदि के माध्यम से विज्ञापन भी निकाले गए। दूर–दराज और भीतरी भागों में पहुंचने के लिए समाचार पत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री डाली गई। इसी प्रकार राष्ट्रीय

चैनलों और क्षेत्रीय चैनलों में भी रेडियो और टी. वी. विज्ञापन दिए गए। दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा उनके विस्तृत नेटवर्क का सार्थक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही निजी एफ एम केंद्रों और टी वी चैनलों का भी व्यापक प्रयोग किया गया। स्थानीय भाषाओं में संदेश का प्रसार करने के लिए बिलबोर्डों, होर्डिंगों, मेट्रो रेलवे, स्थानीय बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों, पोस्ट आफिसों आदि का प्रयोग काफी प्रभावकारी सिद्ध हुआ, "जागो ग्राहक जागो" की मौजूदगी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और आगन्तुकों के लिए उसको देखना अनिवार्य हो गया है। इस स्वीकारोक्ति के लिए दिल्ली का इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

6.15 अभियान की एक और उल्लेखनीय विशेषता केंद्रीय सरकार द्वारा संघीय ढांचे को दृष्टि में रखते हुए राज्यों को शामिल करने के लिए किए गए सजग प्रयास हैं। इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उपभोक्ताओं को केवल विज्ञापनों और उनके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं में आई जागरुकता का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उनके पीछे उतने ही मजबूत विनियम और उनका प्रवर्तन न हो। चूंकि भारतीय संदर्भ में अक्सर यह होता है कि जिन राज्यों को अधिकांशत प्रवर्तन प्राधिकरण का कार्य दिया जाता है, यह स्वाभाविक है कि राज्य सक्रिय रूप से उसी कार्य में सम्मिलित रहेंगे जो उन्हें दिया गया हो इस बिन्दु को ध्यान में रखना कि केंद्र जागरूकता अभियान को चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देता रहा है, जो अपने क्षेत्र के लिए अधिक प्रासंगिक है और अपने स्थानीय नागारिकों की आकांक्षाओं पर अधिक नजर रख सकते हैं।

6.16 अभियान में इस तथ्य को नजर में रखा गया है कि यदि उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन होता है, तो शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता के बारे में उनको जानकारी दिए बिना केवल, उनके अधिकारों की जानकारी देना और उपभोक्ताओं को जागरूक करना अधिक फायदेमंद नहीं है।

6.17 इस अभियान को चलाते समय जो बड़ा उठाया कदम गया, यह उपभोक्ताओं को इस बारे में शिक्षित करने का था कि वे उपभोक्ता हैल्पलाइन, जो उपभोक्ताओं के हित और उनकी शिकायतों को सुलझाने में उनका मार्गदर्शन करता है, से सम्पर्क करें। विभाग ने क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय मुद्दों को निपटाने के लिए राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करके एक और बड़ा कदम उठाया है।

6.18 हालांकि अभियान के दौरान उपभोक्ता अदालतों से संबंधित जानकारी वितरित की जा रही है, किन्तु जोर उपभोक्ता के सशक्तिकरण पर दिया जाता रहा ताकि वह सूचित निर्णय ले सके। इससे पहले कि उपभोक्ता अपनी शिकायत को उपभोक्ता मंच तक ले जाएं, उसको खुदरा विक्रेताओं, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध इन हाऊस निपटान तंत्र के बारे में सलाह देने के प्रयास किए जाते हैं।

6.19 अभियान का वर्तमान रुझान इसको अधिक परिणामोन्मुख बनाना है ताकि व्यक्ति वास्तविक जीवन के मामलों को चिह्नित कर सके। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पारित बड़े निर्णयों/आदेशों का प्रयोग उपभोक्ताओं और

शिकायतकर्ताओं में यह विश्वास जगाने के लिए विज्ञापनों और टेलीफिल्मों को आधार बनाया जा रहा है कि हमारे उपभोक्ता न्यायालय प्रभावशाली हैं।

6.20 अभियान एक गत्यात्मक आयाम होना अनिवार्य है और तदनुसार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों तथा उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी जागरूक करने के मामले में भी प्रगति हुई है। हाल ही की मीडिया गतिविधियां जिसमें उपभोक्ताओं को पंक्ति में खड़े रहने, यातायात के नियमों का अनुपालन करना आदि जैसी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है परिपक्व अभियान के स्वागत के संकेत हैं।

6.21 उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने के बावजूद भी असाधारण विलम्ब और प्रक्रिया संदेश बाधाओं के कारण उपभोक्ता मंचों में जाने से झिझकते हैं। इसलिए वैकल्पिक प्रतितोष तंत्र और कोर्ट से बाहर समझौते के लिए संस्थागत तंत्र माध्यम, मध्यस्थता और समझौता द्वारा मौजूदा तंत्र को संबल प्रदान किए जा रहे हैं।

*****

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), श्री के. वी. थॉमस और राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) डॉ. (श्रीमती) किल्ली कृपारानी 29 नवम्बर, 2012 को राष्ट्रपति भवन में उपभोक्ता अधिनियम पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), श्री के. वी. थॉमस और राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) डॉ. (श्रीमती) किल्ली कृपारानी 29 नवम्बर, 2012 को राष्ट्रपति भवन में उपभोक्ता अधिनियम पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), श्री के. वी. थॉमस और राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) डॉ. (श्रीमती) किल्ली कृपारानी 29 नवम्बर, 2012 को राष्ट्रपति भवन में उपभोक्ता अधिनियम पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), श्री के. वी. थॉमस और राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) डॉ. (श्रीमती) किल्ली कृपारानी 29 नवम्बर, 2012 को राष्ट्रपति भवन में उपभोक्ता अधिनियम पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), श्री के. वी. थॉमस और राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) डॉ. (श्रीमती) किल्ली कृपारानी 29 नवम्बर, 2012 को राष्ट्रपति भवन में उपभोक्ता अधिनियम पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए।

श्री पंकज अग्रवाल सचिव (उपभोक्ता मामले) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2012 में उपभोक्ता मामले विभाग के स्टॉल का उद्घाटन करते हुए।

श्री पंकज अग्रवाल सचिव (उपभोक्ता मामले) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2012 में उपभोक्ता मामले विभाग के स्टॉल का उद्घाटन करते हुए।

होली मुबारक!
किन्तु आपकी त्वचा
इतनी असहज क्यों हो जाती है?
सुनिश्चित कर लें कि आप सिंथेटिक रंगों से नहीं खेल रहे हैं जिनमें नुकसानदायक रसायन होते हैं जो वास्तव में आपकी त्वचा, आपके बालों और आपकी आँखों को चोटिल और हमेशा–हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इनमें से बहुत से रसायनों से कैंसर हो सकता है। इसलिए इस होली को प्राकृतिक/त्वचा के लिए अनुकूल और जड़ी–बूटियों से बने रंगों या प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करके प्रतिष्ठित विनिर्माताओं द्वारा बनाए गए रंगों से खेलें। ये सुरक्षित हैं आपको रंग देंगे घाव नहीं।
जागो ग्राहक जागो
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन नं. 1800–11–4000 (बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. से टोल फ्री)
011–27006500 (12 लाईनें) (सामान्य काल प्रभार लागू) अथवा अपने मोबाईल से
8800939717 पर एस.एम.एस. भेजकर एन.सी.एच. से सम्पर्क करें।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

अध्याय - VII

वायदा बाजार आयोग

7.1 वायदा बाजार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसे अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित किया गया है। यह आयोग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

7.2 इस समय आयोग के अध्यक्ष श्री रमेश अभिषेक हैं और डा0 एम0 मथिशेखरन सदस्य हैं। आयोग का मुख्यालय मुम्बई में है और एक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में है। वायदा बाजार आयोग को इसके विभिन्न कार्य करने के लिए 9 प्रशासनिक प्रभागों में गठित किया गया है।

7.3 आयोग के कार्य संचालन के लिए आयोग में स्वीकृत स्टाफ 131 हैं जिनमें से 71 कार्यरत हैं जबकि 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 60 पद खाली पड़े हैं। इनका ब्यौरा **अनुलग्नक–I** पर दिया गया है। कार्यालय में स्वीकृत स्टाफ की संख्या में 68 अधिकारी और 63 सहायक कर्मचारी हैं।

7.4 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं है।

7.5 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। इस कार्यालय में ऐसे व्यक्तियों के लाभार्थ कोई विशेष स्कीम भी नहीं है। 2012 13 की योजनागत स्कीमों के लिए वित्तीय परिव्यय **अनुलग्नक–II** में दिया गया है।

वस्तु वायदा बाजारों का विनियमन

7.6 भावी सौदा संविदा, भविष्य में निश्चित समय पर किसी परिसंपति को खरीदने अथवा बेचने के लिए दो पार्टियों के बीच करार है। संविदा का मूल्य, परिसंपति के आधार (कमोडिटी, स्टॉक या विदेशी एक्सेचेंज) पर निर्धारित किया जाता है, जैसे गेहूं के भावी संविदा का मूल्य, गेहूं के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

7.7 वस्तु भावी सौदा बाजार दो महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य अर्थात किसी दी गई वस्तु के संदर्भ में भविष्य में मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन का कार्य करता है। यह अर्थव्यवस्था के सभी भागों के लिए उपयोगी है। यह उत्पादकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ साथ किसानों को उन वस्तुओं के मूल्यों में प्रतिकूल संचलन के खिलाफ अपने को बचाने की सुविधा मुहैया करता है जिसमें वे व्यापार करते हैं।

भावी सौदा व्यापार के विनियमन का तरीका

7.8 यह सुनिश्चित करने के लिए कि भावी सौदा बाजार उनको सौंपे गए आर्थिक कार्यों का निष्पादन दक्षता पूर्वक और पारदर्शी तरीके से करे, भावी सौदा

व्यापार का विनियमन तीन स्तरीय विनियामक ढांचे अर्थात केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग और मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों/एसोसिएशनों द्वारा किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार भावी सौदा व्यापार करने वाले मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों/एक्सचेंजों की सूची **अनुलग्नक–III** पर है।

7.9 मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्साचेंज /एसोसिएशन, वायदा बाजार आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यापार, निकासी और निपटान के नियमों और विनियमनों का फ्रेम वर्क प्रदान करते हैं। इन नियमों और विनियमों के अनुसरण में बाजार में प्रतिभागियों द्वारा वस्तुओं का भावी सौदा व्यापार किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार भावी सौदा व्यापार के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत अधिसूचित वस्तुओं की सूची **अनुलग्नक–IV** पर दी गई है।

7.10 वायदा बाजार आयोग एक बाजार विनियामक की भूमिका निभाता है। बाजार स्थिति का आंकलन करने के बाद और कमोडिटी एक्सचेंज के निदेशक मण्डल द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग एक्सचेंज के नियमों और विनियमों को अनुमोदित करता है जिसके अनुसार व्यापार किया जाता है। आयोग विभिन्न संविदाओं में व्यापार शुरु करने की अनुमति प्रदान करता है, बाजार स्थिति की लगातार निगरानी करता है और विभिन्न विनियामक उपाय करके जहां आवश्यक हो उपचारात्मक उपाय करता है जो इस प्रकार से हैं:

विनियामक उपाय

7.11 भावी सौदा बाजारों का विनियमन अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित उपायों से किया जाता है:

- अधि व्यापार को रोकने के लिए ग्राहक/सदस्य की ओपन पोजिशन पर सीमा लगाना:
- मूल्यों में अचानक वृद्धि या गिरावट को रोकने के लिए दैनिक मूल्य उतार चढ़ाव पर सीमा लगाना:
- प्रारंभिक मार्जिन, विशेष मार्जिन, कन्सेंट्रेशन मार्जिन आदि जैसे मार्जिन लगाना:
- मूल्य संचलन पर आधारित दैनिक निकासी (संविदाओं के बाजार का चिन्हांकन करना):
- विनियामक उपबंधों के उल्लंघन के लिए निलंबन सहित गलती करने वाले सदस्य के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई करना:
- आकस्मिक स्थितियों में संविदा को समाप्त करना।

7.12 बाजार दक्षता को सुधारने, पारदर्शिता को बढ़ाने और बेहतर अनुपालन के लिए, वायदा बाजार आयोग/एक्सचेंज वर्ष 2006–07 से नियमित आधार पर सदस्यों का निरीक्षण कर रहे हैं।

अपने उद्देश्यों और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2012 2013 के दौरान 31 दिसम्बर,2012 तक वायदा बाजार आयोग का समग्र कार्य निष्पादन और 2012–2013 हेतु दृष्टिकोण।

7.13 जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताया गया है, आयोग की विनियामक गतिविधियां उन सभी वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार के विनियमन

से संबंधित है जिनमें व्यापार किया जाता है। अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम के प्रवर्तन में, आयोग अधिनियम के दाण्डिक उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देता है।

7.14 विनियामक के रूप में आयोग ने वर्ष 2012 13 के दौरान अपनी गतिविधियों को वस्तुओं में वायदा सौदा व्यापार के विनियमन, विभिन्न पणधारियों के बीच जागरूकता के प्रसार, विभिन्न सरकारी, सहकारी समितियों, बैंक अधिकारियों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को चलाने, आयोग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, वायदा सौदा बाजार में हैजरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय करने तथा विभिन्न कृषि उपज विपणन समितियों में मूल्य प्रसार परियोजना के कार्यान्वयन पर केन्द्रित रखा।

7.15 वर्ष के दौरान आयोग ने 21 मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों पर 113 से अधिक वस्तुओं में वायदा सौदा व्यापार को विनियमित किया। वर्ष 2012 13 (31 दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान व्यापारित वस्तुओं का कुल मूल्य 129. 62 लाख करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2011 12 की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह 137.23 लाख करोड़ रुपए था।

7.16 वायदा बाजार आयोग द्वारा उठाए गए विनियामक कदम

क) मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों/एक्सचेंजों को वस्तुओं में व्यापार की अनुमति प्रदान करना:

वर्ष के दौरान आयोग ने समय–समय पर सभी मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों को वस्तु वायदा सौदा संविदाओं में व्यापार की अनुमति प्रदान की है। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा दी गई अनुमतियों के ब्यौरे अनुलग्नक–V क एवं ख पर दिए गए हैं।

ख) विनियामक उपायों में संशोधन

व्यापार और जनहित में आयोग कमोडिटी एक्सचेंज की व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी करता है और सोयाबीन, रेपसीड/सरसों, चना और रिफाइन्ड सोया तेल के संबंध में ओपन पोजिशन सीमा में संशोधन, नेशनल एक्सचेजों में आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चना, आलू, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सोया तेल व्यापार संविदाओं के संबंध में न्यूनतम प्रारंभिक मार्जिन में वृद्धि और कुछ कृषि वस्तुओं के व्यापार में मूल्य अस्थिरता और अत्यधिक वृद्धि का सामना करने के लिए कृषि वस्तुओं के विशेष मार्जिन में भी संशोधन जैसे नीति उपायों को अपना लिया है।

देश के कुछ भागों में मानसून की कमी के कारण आयोग ने सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य रूझानों पर निगरानी रखी है और जौ, बिनौले के तेल, अरंडी का तेल, चना, इलायची, मेंथा तेल, आलू, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन, सोया, हल्दी, काली मिर्च और गेहूं संविदाओं पर लागू विशेष मार्जिन/अतिरिक्त मार्जिन में संशोधन किया है।

ग) निवेश सुरक्षा निधि के वस्तु खंड को मंजूरी

आयोग ने 1 नवम्बर, 2012 को ए सी ई डेरीवेटिव्ज और कमोडिटी एक्सचेंज लि. मुम्बई और नेशनल कमोडिटी एवं डेरीव्हेटिव्स एक्सचेंज लि., मुम्बई के निवेशक सुरक्षा निधि ट्रस्ट डीड की वस्तु खंड में संशोधन को अपना अनुमोदन दे दिया है।

घ) बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज के ज्ञापन और अनुच्छेद को मंजूरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू उपबंधों और अनुच्छेद 17 के अनुसरण में बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज के ज्ञापन के नए सेट और संगम अनुच्छेदों को शेयर द्वारा गारंटी कम्पनी कम्पनी

लि., में एक्सचेंज के परिवर्तन और ज्ञापन अनुच्छेद और संगम अनुच्छेद के नए सेट को 12 नवम्बर, 2012 को मंजूरी दी गई है।

ङ.) इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि., मुम्बई के उपनियमों में संशोधन

आयोग ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के उपनियमों में संशोधन को 5 दिसम्बर, 2012 को मंजूरी दी जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार तक पहुंच के लिए विनियामक आधार ढांचे पर नया अध्याय जोड़ा गया है।

च) ए सी ई डेरिवेटिव्ज और कमोडिटी एक्सचेंज लि. मुम्बई, नियमावली के नियम 5.33.10 को मंजूरी

आयोग ने ए सी ई डेरिवेटिव्ज और कमोडिटी एक्सचेंज लि., मुम्बई नियमावली के नियम 5.33.10 में संशोधन को 13 दिसम्बर,2012 को मंजूरी दी जिसमें सदस्यता छोड़ने के संबंध में विज्ञापन जारी होने की तारीख से 3 वर्षों के बाद ही सदस्य को जमा की गई प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि वापिस की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 3 वर्षों के भीतर दायर शिकायतों के मामले में जमा राशि एक्सचेंज के पास है।

छ) सदस्यता डाटाबेस में परिवर्तन लाने के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन

सदस्यों के नाम पणधारी प्रणाली, स्वामित्व में परिवर्तन आदि में बदलाव करने के लिए सभी एक्सचेंजों के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

ज) एन एम सी ई, अहमदाबाद में एम डी/सी ई ओ की नियुक्ति

गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की कार्रवाई पर रोक लगाने वाले माननीय उच्चतम न्यायालय के 23 मार्च,2012 के आदेश को देखते हुए आयोग के अनुमोदन से श्री अनिल कुमार मिश्रा को एन एम सी ई, अहमदाबाद का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति दायर की गई विशेष अनुमति याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन 10 अप्रैल,2012 से एक वर्ष के लिए प्रभावी थी।

झ) एम सी एक्स, मुम्बई के नए एम डी/सी ई ओ की नियुक्ति

आयोग ने 3 जुलाई,2012 को एम सी एक्स, मुम्बई के प्रबंध निदेशक और सी ई ओ के पद पर श्री श्रीकांत जावलगेकर को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्ति को अपना अनुमोदन दे दिया है।

ञ) मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्तः

आयोग ने अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6(2) के तहत बोर्ड ऑफ फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., कोच्चि, नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड इंदौर, बाम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लि., मुम्बई और राजधानी ऑयल एंड ऑयलसीड्स एक्सचेंज लि., दिल्ली में निम्न विनिर्दिष्ट अवधि अथवा एक्सचेंजों की मान्यता अवधि के साथ समाप्त अवधि जो भी पहले हो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को अपना अनुमोदन दे दिया है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	स्वतंत्र निदेशक का नाम	नियुक्ति की अवधि	अनुमोदन की तारीख
1	फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.., कोच्चि	श्री जार्ज टी थली श्री पाल जोसफ	31 मार्च, 2014 तक	30 नवम्बर, 2012
2	नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड इंदौर	श्री शरीफ मराक्कर प्रो. सुनील कुमार महेश्वरी	31 मार्च, 2014 तक	4 दिसम्बर, 2012
3	बोम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मुम्बई	श्री हरीश नाग चनकदा	31 मार्च, 2014 तक	4 दिसम्बर, 2012
4	राजधानी ऑयल एंड ऑयलसीड्स एक्सचेंज लि., दिल्ली	श्री प्रादीश लारेंस श्री एम.एस.ए.कुमार	31 मार्च, 2014 तक	11 दिसम्बर, 2012

7.17 नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इंदौर के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति

आयोग ने 27 दिसम्बर, 2012 को श्री जयकुमार, अपर सचिव, की नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इंदौर के कार्यकारी निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति को 30 दिसम्बर, 2012 से 30 दिसम्बर, 2015 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है।

7.18 महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय:

(क) विक्रेताओं द्वारा सुपुर्दगी में चूक संबंधी जुर्माने में कमी:

आयोग ने अनिवार्य सुपुर्दगी संविदा रेपसीड/सरसों, चना और काली मिर्च के संबंध में विक्रेता द्वारा सुपुर्दगी दोष संबंधी अर्थदंड में कमी की है। अर्थदंड को 3 प्रतिशत से कम करके 1.5 प्रतिशत किया गया है जिसमें से अर्थदंड का 0.75 प्रतिशत निवेश सुरक्षा निधि में जमा किया जाएगा 0.5 प्रतिशत उस क्रेता को जो सुपुर्दगी लेने का पात्र था और 0.25 प्रतिशत एक्सचेंजों को प्रशासनिक खर्चों के लिए दिया जाएगा। क्रेताओं को चूक करने की अनुमति नहीं दी गई है। एक्सचेंजों को तंत्र स्थापित करने के लिए निदेश दिए गए हैं ताकि ऐसे विक्रेता जिन्होंने प्रत्यायित भांडागृह से अपेक्षित स्टॉक प्राप्त किया है, को चूक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) पूर्व सुपुर्दगी प्रणाली को खत्म करना

आयोग ने प्राकृतिक रबड़ को छोड़कर काली मिर्च, मेंथा ऑयल, ग्वारबीज, सोयाबीन, सोया तेल, स्टील में लंबी अवधि की संविदाओं को जून, 2012 से पूर्व सुपुर्दगी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया है।

(ग) नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज, मुम्बई और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मुम्बई में पृथक्करण सुपुर्दगी प्रणाली।

अत्यधिक सट्टेबाजी खासतौर पर नियर मंथ संविदाओं में सीमित करने और नियर मंथ में सुपुर्दगी को चुनौती को विश्वसनीय बनाने के लिए आयोग ने काली मिर्च, चना, रेप/सरसों और आलू संविदाओं की मई 2012 में समाप्ति होने एन.सी.डी.ई एक्स में पृथक्करण सुपुर्दगी प्रणाली शुरू करने के लिए 3 मई, 2012 को अपनी अनुमति दे दी है। मई 2012 में समाप्त होने वाली इन वस्तु संविदाओं में पृथक्करण सुपुर्दगी अवधि 5 दिन थी। इसके बाद सुपुर्दगी संविदा के पृथक्करण सुपुर्दगी अवधि जून, 2012 से 15 दिन की थी अर्थात जौ, अरंड बीज, चना, लाल मिर्च, बिनौले की खली, धनिया, जीरा, मकई (औद्योगिक) चीनी एम200, गेहूं, आलू, सरसों, हल्दी, काली मिर्च, रबड़ स्टील छडें, सोना 100 ग्राम और पी.वी.सी. संविदाओं के लिए सुपुर्दगी माह के 5 दिन बाद शुरू होगी। आयोग द्वारा 24 मई, 2012 को एन.सी.डी.ई. एक्स, मुम्बई में सोयाबीन संविदा में पृथक्करण सुपुर्दगी को भी अनुमोदित कर दिया और अक्तूबर, 2012 और इसके बाद समाप्त होने वाली संविदाओं के लिए एन.सी.डी.ई.एक्स द्वारा शुरू किया गया था।

आयोग ने एम.सी.एक्स मुम्बई में आलू (आगरा और तारकेश्वर) संविदाओं में पृथक्करण सुपुर्दगी तंत्र को भी अनुमोदित कर दिया।

इस प्रणाली के तहत विक्रेता संविदा के अंतिम 15 दिनों के दौरान किसी भी दिन अपनी सुपुर्दगी के संबंध में अपनी इच्छाओं को सूचित कर सकते हैं जो क्रेताओं को यादृच्छिक तरीके से आबंटित किया जाएगा। यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल वास्तविक क्रेता इस अवधि के दौरान संविदा में रहेंगे और स्पाट मार्किट में बहुत बदलाव होगा। इस प्रणाली ने पहले ही नियर मंथ में अत्याधिक सट्टेबाजी को कम करने के संबंध में अच्छे परिणाम दिए हैं और संबंधित वस्तु संविदाओं में और अधिक परिपक्व व्यापार पैटर्न दिखा रहे हैं।

(घ) संविदा की समयावधि के दौरान व्यापारिक गतिविधि के संबंध में सूचना का सार्वजनिक खुलासा

व्यापारिक पद्धतियों की पारदर्शिता में सुधार के लिए आयोग ने सभी राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों को उनकी एक्सचेंजों में व्यापार संविदाओं में हुई व्यापारिक गतिविधियों के बारे में सूचना को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर खुलासा करने का निदेश दिया है।

(ड.) वेबसाइट पर स्वामित्वों और क्लांइट व्यापार के प्रतिशत का प्रदर्शन

वस्तु वायदा सौदा बाजार में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 7 अगस्त, 2012 को सभी पांच राष्ट्रीय एक्सचेंजों को एच एफ टी/एल्गो–ट्रेडिंग के माध्यम से पंजीकृत स्वामित्व व्यापार की कुल व्यापार वैल्यू/और क्लाइंट व्यापार की कुल व्यापार के साथ प्रतिशत को उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निदेश जारी किया है। तदनुसार राष्ट्रीय एक्सचेंजों ने उपर्युक्त सूचना को अपनी संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया है।

(च) संविदाओं के निष्पादन में सुधार करने के लिए एक्सचेंजों को दिए गए निदेशः

आयोग ने घरेलू वस्तु वायदा सौदा बाजार

में हेजिंग के स्तर की समीक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति की तुलना में आयात और खुला ब्याज अनुपात का विश्लेषण आरंभ किया है और 7 अगस्त, 2012 को पांच राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों को लिक्विड संविदा सहित संविदाओं के निष्पादन में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में निदेश जारी किए हैं। इस संबंध में एक्सचेंजों को समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने और मामले में हुई प्रगति के बारे में आयोग को तिमाही आधार पर रिपोर्ट करने को कहा गया है।

(छ) नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज् एक्सचेंज लि. को नेशनल कमोडिटी क्लीरिंग लि. में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लि. के 65 प्रतिशत पण प्राप्त करने के लिए अनुमोदनः

आयोग ने 13 दिसम्बर, 2012 को नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि. मुम्बई को नेशनल कमोडिटी क्लीरिंग लि. में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लि. के 65 प्रतिशत पण प्राप्त करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दे दिया है।

(ज) अभी आरंभ न की गई काली मिर्च की भावी संविदाओं को आरंभ न किया जानाः

आयोग काली मिर्च भावी संविदाओं के संविदा विनिदेशों में काली मिर्च के गुणवत्ता मानकों की समीक्षा कर रहा है। इसलिए, एक्सचेंजों को आरंभ न की गई काली मिर्च की भावी संविदाओं का आरंभ न करने के लिए कहा गया है।

7.19 सदस्यों और मध्यस्थों का पंजीकरणः

सदस्यता पंजीकरण प्रणाली को 1.4.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान जारी रखा गया है। दिसम्बर, 2012 तक पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 5451 है। कुल 293 मध्यस्थ पंजीकृत हैं जिसमें से 42 भांडागृह और 251 अन्य है (जैसे ऐसेयर, न्यासीधारी, प्रतिभागी,क्लीयरिंग बैंक और अन्य)।

7.20 ग्राहक शिकायतें आयोग को ग्राहक की शिकायतें : एक्सचेंज सदस्यों के पास पंजीकृत ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें सदस्यों द्वारा उनके खाते में अनधिकृत व्यापार किए जाने, सदस्यों से कांट्रेक्टर नोट प्राप्त नहीं होने, ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किए जाने आदि के आरोप लगाए जाते हैं। ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निपटान करने के लिए उनकी शिकायतें संबंधित एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं।

भविष्य एडवाएजरी एंड कॉमट्रेड (इंडिया) प्रा.लि. के घटकों की मध्यस्थता लागत की वसूली और अवार्ड राशि की वसूली का अनुमोदनः

7.21 आयोग ने भविष्य एडवाएजरी एंड कान्ट्रेड (इंडिया) प्रा. लि. के संबंध में घटकों को मध्यस्थता लागत की वसूली और अवार्ड राशि की अदायगी के लिए नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि. के प्रस्ताव को 11 दिसम्बर, 2012 को अपना अनुमोदन दे दिया है।

7.22 बही खातों की लेखा परीक्षा/निरीक्षण

बाजार कुशलता में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और बेहतर अनुपालन के लिए, वायदा बाजार

आयोग/एक्सचेंज नियमित आधार पर सदस्यों के निरीक्षण कर रहे हैं। तथापि, निरीक्षण विस्तृत हो और लागू विनियामक प्रणाली के सभी पहलुओं को कवर करे, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कमोडिटी फ्यूचर्स एक्स्चेंज के सदस्यों की लेखा परीक्षा के लिए एक मार्गदर्शिका निकाली है। यह मार्गदर्शिका विनियामक पहलुओं सहित कमोडिटी फ्यूचर मार्किट में व्यापार संबंधी विभिन्न पहलुओं को कवर करती है और ऐसे निरीक्षणों को करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है।

वर्ष के दौरान एक्स्चेंजों/एक्सचेंजों के सदस्यों के निरीक्षण के लिए आयोग के साथ चार्टर्ड लेखाकार की 79 फर्मों को आयोग के पैनल में रखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी सदस्य की वर्ष में एक से अधिक एक्सचेंज द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की जाएगी, एक्सचेंजों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वे निरीक्षण के लिए तीन वर्षों में कम से कम एक बार अपने सक्रिय सदस्यों को कवर करें अर्थात सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाए।

वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2012 तक, आयोग ने लेखा परीक्षकों को एक्सचेंजों के 378 सदस्यों की लेखा परीक्षा, 01 नेशनल एक्सचेंज की लेखा परीक्षा, 09 क्षेत्रीय कमोडिटी एक्सचेंज का लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा।

7.23 अदालती मामले और विधिक मामले

अपने विनियामक कार्यों, खासतौर पर प्रवर्तन कार्यों का निर्वहन करते समय आयोग को अलग अलग पक्षों/प्रतिष्ठानों के साथ मुकदमों का सामना करना पड़ता है। आयोग और अथवा भारत संघ पर उच्चतम न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों में दायर निम्नलिखित अदालती मामलों में प्रतिवादी के रूप में मुकदमा चलाया गया है। अदालती मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र0सं0	मामले का ब्यौरा	मामलों की विशिष्टियां	मामले की स्थिति
1	2012 की एस. बी. सिविल याचिका संख्या 1681	मैसर्स हिन्दुस्तान टेक्नोसोल प्रा.लि. की जयपुर राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नेशनल एक्सचेंजों की सदस्यता से उनको 6 माह की अवधि के लिए निलंबित किए जाने के संबंध में आयोग द्वारा पारित दिनांक 31.01.2012 के आदेश को रद्द करने हेतु प्रार्थना।	माननीय राजस्थाान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने 18 अप्रैल, 2012 को याचिका की सुनवाई की और आयोग द्वारा पारित 31 जनवरी, 2012 के आदेश के भावी कार्यान्वायन पर इस संशोधन के साथ रोक लगा दी कि प्रतिवादी याचिका कर्ता को अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति देते समय सभी सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा। (2) आयोग ने उपर्युक्त रोक आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डिविजन पीठ के समक्ष मई,2012 में एक विशेष अपील दायर की। (3) डिविजन पीठ ने उक्त विशेष अपील पर कोई आदेश पारित नहीं किया।
2	2012 की एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1559, 2012 की 1560 और 2012 की 1732	मैसर्स श्रेष्ठ कमोडिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. तथा उसके निदेशक श्री सुभाष जैन, और मैसर्स विनोद कमोडिटीज लि. की जोधपुर राजस्थान के माननीय उच्च न्यायलय, जयपुर के समक्ष नेशनल एक्सचेंजों की सदस्यता से उनके क्रमशः छः माह और एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित किए जाने के संबंध में आयोग द्वारा पारित दिनांक 20.01.2012 के आदेश को रद्द करने हेतु प्रार्थना।	(1) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ ने 29 मई, 2012 को याचिकाओं की सुनवाई की और आयोग द्वारा पारित 20 जनवरी, 2012 के आदेश के भावी कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। (2) आयोग ने मामले में एकल पीठ द्वारा पारित 29.05.2012 के रोक आदेश के खिलाफ डिविजन पीठ के समक्ष एक विशेष अपील दायर की है। (3) डिविजन पीठ ने 15 दिसम्बर, 2012 को आदेश पारित किया और उन रिट याचिकाओं की सूची तैयार करने का निदेश दिया जो अंतिम निर्णय के लिए एकल पीठ के समक्ष हैं।

क्र0सं0	मामले का ब्यौरा	मामलों की विशिष्टियां	मामले की स्थिति
3	2011 का मूल आवेदन संख्या 16	केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मुम्बई पीठ के समक्ष श्री एम.आर. पिल्लै का छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद पेंशन के संशोधन की गणना में सुधार का दावा।	माननीय ट्रिब्यूनल की एकल पीठ ने मूल आवेदन को 28 दिसम्बर, 2012 को खारिज कर दिया और उसको डिविजन पीठ को भेज दिया।
4	2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 2730	मैसर्स ए सी एन फाईनेन्शियल सर्विसेज लि., नई दिल्ली ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आर–4 1 मई ई एम एस द्वारा याचिका कर्ता के पक्ष में आर–3 (अर्थात आई ई एम एस) अथवा दायर–3 के किसी अन्य प्रत्यातित भाण्डागार से याचिकाकर्ताओं 1 और 2 को क्रमशः 203,383 मि.ट. और 139.628 मि.ट. स्टीकल की अनुमोदित गुणवत्ता की सपुर्दगी करवाने के लिए आर–3 को निदेश देते हुए परमादेश की रिट या कोई अन्य रिट अथवा उपयुक्त निदेश दिनांक 9.3.2012 के मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेशसे पूर्व किश्तों में सुपुर्द की गई इस्पात सुपुर्दगी के लिए उपयुक्त इन्यायस जारी करने की प्रार्थना की।	माननीय उच्च् न्यायालय ने 11 अक्तूबर, 2012 को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मामले को एन सी डी ई एक्स के साथ बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए रिट याचिका को वापस लेने के लिए सहमत हो गए। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को आहरित याचिका के रूप में खारिज कर दिया।
5	2012 की एस एल पी (सी) सं. 10225–10227, 2012 की एस एल पी (सी) सं. 6246 और 2012 की एस एल पी (सी) 7429	वायदा बाजार आयोग मैसर्स नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया और श्री अनिल मिश्रा ने 2011 की एल पी ए सं. 1039 के मामले में माननीय गुजरात उच्चन्यायालय द्वारा पारित आदेशों को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।	माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 दिसम्बर, 2012 को मामले की सुनवाई की और जांच अधिकारियों पर प्रतियादी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

क्र0सं0	मामले का ब्यौरा	मामलों की विशिष्टियां	मामले की स्थिति
6	एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 2012 की 10638	मैसर्स मावेरिक कमोडिटीज ब्रोकर प्रा.लि. ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष यूनीक क्लाइंट कोड अपलोड न किए जाने के कारण एम सी एक्स द्वारा लगाए गए जुर्मानों को माफ करने की प्रार्थना की है।	मामले की पिछली सुनवाई 5 नवम्बर, 2012 को हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने कोई अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया।
7	2012 का मूल आवेदन सं. 389	श्री एस.के. परिडा ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, मुम्बई के समक्ष वायदा बाजार आयोग में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना की है।	मामले को पिछली बार 20 दिसम्बर, 2012 की सूची में शामिल किया गया था किन्तु उसकी सुनवाई नहीं हुई। आयोग ने इस मामले अपना लिखित बयान दायर कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया।
8	2012 का मूल आवेदन सं. 587	श्री पी.सी. चतुर्वेदी ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मुम्बई के समक्ष उनकी वर्ष 2001–02, 2002–03 और 2003–04 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समीक्षा करने वाले अधिकारी द्वारा दी गई ग्रेडिंग के खिलाफ आवेदन किया है।	मामले की अभी तक सुनवाई नहीं हुई।

7.24 सलाहकार समिति की बैठक:

सलाहकार समिति की पहली बैठक 16 अक्तूबर, 2012 को मुम्बई में आयोजित की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में हेजिंग में सुधार लाने तथा किसानों को और अधिक प्रभावी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए उठाए जाने वाले कदम।
- संविदा विनिर्देशनों को वास्तविक बाजार प्रतिभागियों की जरूरतों के समानुरूप बनाने के लिए उनकी समीक्षा।
- सीमित वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार की समीक्षा।
- भावी संविदाओं में प्रयुक्त डिलीवरी लाजिक का तर्काधार।
- कमी वाले महीनों में भावी सौदा संविदाओं की अनुमति देने की जरूरत।
- कमोडिटी एक्सचेंजों में व्यापारित भावी सौदा संविदाओं में आधार/अतिरिक्त डिलीवरी केंद्रों के निर्माण हेतु आधार।
- लिक्विड संविदाओं और मार्केट मेकिंग में व्यापार की अनुमति से संबंधित मामले।
- ग्वार संविदाओं को पुनः शुरू करने से संबंधित मामले ।

7.25 विकासात्मक उपाय:

वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष के दौरान किए गए विकासात्मक उपायों के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- विभिन्न बाजार घटकों के साथ नियमित संपर्क तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा विनियामक तंत्र को मजबूत करना।
- विभिन्न श्रेणी के पणधारियों, खासतौर पर किसानों के जागरूकता स्तर को बढ़ाना ताकि उनको भावी सौदा व्यापार के लाभों से अवगत करया जा सके।
- नीति निर्माताओं के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों और वस्तु बाजार के प्रशिक्षित जनशक्ति आधार को सुदृढ़ करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करके देश में भावी सौदा व्यापार उद्योग का क्षमता निर्माण।
- कृषकों को मूल्य सूचना प्रदान करके सशक्त बनाने हेतु ऐसी कृषि उपज विपणन समितियों और अन्य केन्द्रों पर मूल्य प्रसार परियोजना का कार्यान्वयन।

7.26 निवेशक संरक्षण निधि के ब्याज से होने वाली आय में से मीडिया अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन।

आयोग ने 10 दिसम्बर, 2012 के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि., मुम्बई को निवेशक संरक्षण निधि के ब्याज से होने वाली आय में से मीडिया अभियान तथा जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अपना सैद्धांतिक अनुमोदन संप्रेषित किया।

आयोग ने निवेशक संरक्षण निधि के ब्याज से होने वाली आय में से मीडिया अभियान और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि., अहमदाबाद और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि., मुम्बई को भी क्रमशः 18 दिसम्बर, 2012 और 20 दिसम्बर, 2012 को अपना सैद्धांतिक अनुमोदन संप्रेषित किया।

बेस धातु के लिए पणधारियों की मुम्बई में 30 अक्तूबर, 2012 को हुई बैठक

लाल मिर्च और हल्दी के लिए पणधारियों की 18 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक

सरसों प्रतिभागियों के लिए पणधारियों की मुम्बई में 4 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक

खाद्य तेलों और अरंड के लिए पणधारियों की 17 नवंबर, 2012 को हुई बैठक

नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए पणधारियों की नई दिल्ली में 15 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक

नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए पणधारियों की नई दिल्ली में 15 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक

नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए पणधारियों की नई दिल्ली में 15 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक

7.27 पणधारियों के साथ बैठक

व्यापार प्रतिभागियों को पेश आ रहे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और भावी सौदा बाजार में हेजरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अप्रैल–दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केटस के विभिन्न पणधारियों की सात बैठकें आयोजित की गई। बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	पणधारी	बैठक की तारीख	स्थान
1	क्षेत्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों की बैठक	9 मई, 2012	नई दिल्ली
2	सलाहकार समिति की बैठक	16 अक्तूबर, 2012	मुम्बई
3	बेस धातु प्रतिभागी	30.10.2012	मुम्बई
4	खाद्य तेल और अरंड प्रतिभागी	17.11.2012	नई दिल्ली
5	सर्राफा प्रतिभागी	4.12.2012	मुम्बई
6	कमोडिटी एक्सचेंजों के सदस्य	15.12.2012	नई दिल्ली
7	लाल मिर्च और हल्दी प्रतिभागी	18.12.2012	हैदराबाद

7.28 नेशनल एक्सचेंजों के प्रबंध निदेशकों /मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक:

आयोग ने नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्जस एक्सचेंज लि., और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुम्बई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ क्रमशः 7 नवंबर और 20 नवंबर, 2012 को बैठकें आयोजित की गईं जिनमें अन्यः मुद्दों के साथ– साथ यूनिक ग्राहक कोड अपलोड करने, ग्राहकों को ई मेल/एस एम एस अलर्ट भेजने, ग्राहक लेखों के तिमाही निपटान, एक्सचेंज की वेबसाइट पर सदस्यता के आंकड़ों के प्रसारण के संबंध में आयोग के निर्देशों के बारे में एक्सचेंजों द्वारा की गई प्रगति समीक्षा की गई। बैठकों के दौरान निदेशक संरक्षण निधि न्यास की प्रगति की भी समीक्षा की गई। एक्सचेजों से ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के संबंध में सकारात्मक रवैया अपनाने और मध्यस्थता में अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा गया। एस एम एस के जरिए मूल्य प्रसार के वैकल्पिक उपायों पर भी बैठक में चर्चा की गई। इन बैठकों के दौरान बुनियादी न्यूनतम पूंजी एक्सचेंजों की निपल मूल्य की एकरूपता, निपटान गारंटी निधि, मार्जिन निधिकरण पर भी विचार विमर्श किया गया।

7.29 जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक 609 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें किसानों के लिए आयोजित 360 कार्यक्रम शामिल हैं। आयोग अधिकारियों के विभिन्न मंचों में कमोडिटी मार्केट संबंधी चर्चा में भी भाग लिया और देश भर में विभिन्न अवसरों पर नए विषय पर व्याख्यान दिए।

प्रो. के. वी. थॉमस , माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, 30.08.2012 को कोच्चि में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के भागीदारों को संबोधित करते हुए।

इरूट्टूपेटा, केरल 22 सितम्बर, 2012

कमोडिटी मार्केट्स के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम, अहमदाबाद 22 सितम्बर, 2012

कमोडिटी मार्केट्स के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम, रांची 8 नवंबर,2012

7.30 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आयोग ने बाजार के विभिन्न खंडों और अन्य पणधारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क किया। वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक 74 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

असम कृषि विश्वविद्यालय, जोहराट में 6–7 सितंबर 2012 को आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

अनुलग्नक–I

स्टॉफ की स्थिति दर्शाने वाला विवरण
(31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार)

मंत्रालय/विभाग का नामः उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग
कार्यालयः वायदा बाजार आयोग, मुंबई

क्र0 सं0	पद समूह का नाम (राजपत्रित/ अराजपत्रित) और वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	पदों की संख्या	
			मरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
	समूह 'क'			
1.	अध्यक्ष 67000–79000 + एच ए जी	1	1	0
2.	सदस्य 37400–67000–10000 रुपए	2	1	01
3.	आर्थिक सलाहकार, (आई.ई.एस.) वायदा बाजार आयोग 37400–67000–10000 रुपए	1+1**	1+1**	00
4.	निदेशक, आई ई एस 15600–39100 + 8700 रुपए निदेशक (संवर्ग बाह्य) 15600–39100 + 8700 रुपए निदेशक (संवर्ग बाह्य) 15600–39100 + 7600 रुपए	1 10	01 05	00 05
5.	क. उप निदेशक (ग्रेड III आई ई एस) 15600–39100 + 6600 रुपए	03	02	01
6.	ख. उप निदेशक (संवर्ग बाह्य) 15600–39100 + 6600 रुपए	13	03	10
7.	(क) सहायक निदेशक (ग्रेड IV आई.ई.एस.) 15600 39100+5400 रुपए (ख) सहायक निदेशक (संवर्ग बाह्य) 15600 39100 + 5400 रुपए	05 14	04 6	01 8

क्र0 सं0	पद समूह का नाम (राजपत्रित/ अराजपत्रित) और वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	पदों की संख्या	
			भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
	कुल समूह 'क'	50+1**	24+1**	26
	समूह 'ख'			
8.	हिन्दी अधिकारी 15600–39100 + 5400 रुपए	01	01	00
9.	सहायक सचिव 9300–34800 + 4600 रुपए	01	00	01
9.	वरिष्ठ निजी सचिव 9300–34800 + 4800 रुपए	01	01	00
10.	निजि सचिव 9300–34800 + 4600 रुपए	02	02	00
11.	आर्थिक अधिकारी 9300–34800 + 4600 रुपए	13	11	02
	कुल 'ख' राजपत्रित	18	15	3
12.	समूह 'ख' राजपत्रित अधीक्षक 9300–34800 + 4600 रुपए	01	00	01
	कुल 'ख' अराजपत्रित	1	0	1
	समूह 'ग'			
13.	उप–अधीक्षक 9300–34800 + 4200 रुपए	1	1	0
14.	आशुलिपिक ग्रेड - I 9300–34800 + 4200 रुपए	2	0	2
15.	अनुवादक (मुडिया) 9300–34800 + 4200 रुपए	1	0	1
16.	अनुवादक (गुजराती) 9300–34800 + 4200 रुपए	1	1	0
17.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक 9300–34800 + 4200 रुपए	2	1	1
18.	कनिष्ठ अनुसंधान सहायक 9300–34800 + 4200 रुपए	12	5	7

क्र0 सं0	पद समूह का नाम (राजपत्रित/ अराजपत्रित) और वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	पदों की संख्या	
			भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
19.	आशुलिपिक ग्रेड - II 9300–34800 + 4200 रुपए	2	2	0
20.	सहायक 9300–34800 + 4200 रुपए	2	2	0
21.	आशुलिपिक ग्रेड - III 4000–100 + 6000 रुपए	5	0	5
22.	उच्च श्रेणी लिपिक 5200–20200 + 2400 रुपए	7	4	3
23.	अवर श्रेणी लिपिक 5200–20200 + 1900 रुपए	6	5	1
24.	हिंदी टंकक 5200–20200 + 1900 रुपए	1	1	0
25.	स्टाफ कार चालक 5200–20200 + 1800 रुपए	1	0	1
26.	कम्प्यूटर 5200–20200 + 1900 रुपए	4	1	3
	कुल ग्रुप 'ग'	47	23	24
	समूह 'घ'			
27.	गेस्टेटनर ऑपरेटर 5200–20200 + 1800 रुपए	1	1	0
28.	दफ्तरी 5200–20200 + 1800 रुपए	3	3	0
29.	वरिष्ठ चपड़ासी 5200–20200 + 1800 रुपए	1	1	0
30.	चपड़ासी 5200–20200 + 1800 रुपए	7	2	5
31.	हमाल 5200–20200 + 1800 रुपए	1	-	1
32.	सफाई वाला 5200–20200 + 1800 रुपए	2	2	0
	कुल समूह 'घ'	15	9	6
	कुल : (क+ख+ग+घ)	131+1	71+1	60

अनुलग्नक–II

वायदा बाज़ार आयोग
भारत सरकार
मुम्बई
योजनागत
अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान बजट

(आंकड़े रूपए में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान 2012–13	संशोधित अनुमान 2012 – 2013	पूर्वोत्तर से पुनर्विनियोजित	1/04/2012 से 31/12/2012 मे किया गया वास्तविक व्यय (अनन्तिम)	31/12/2012 को उपलब्ध बकाया निधियां
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ
1	घरेलू यात्रा व्यय	6000000	5000000		3642176	1357824
2	विदेश यात्रा व्यय	10000000	4000000		2264388	1735612
3	कार्यालय व्यय	5000000	2000000		1442156	557844
4	कार्यालय व्यय–सूचना प्रौद्योगिकी	13000000	4000000		1476034	2523966
5	व्यावसायिक सेवाएं	15000000	11500000		8909650	2590350
6	विज्ञापन एवं प्रचार	20000000	14500000	5000000	14534042	-34042
7	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	37500000	11500000	551000	3049711	8450289
8	अन्य प्रभार	20000000	13500000	2500000	14321328	-821328
9	अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता के लिए योजना आदि	1500000	1500000		0	1500000
10	सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवसायिक)	1000000	400000		350487	49513
11	सहायता अनुदान	5000000	4000000		0	4000000
12	किराया दरें, और कर	500000	50000		0	50000
13	अन्य प्रशासनिक खर्च	500000	50000		0	50000
कुल		135000000	72000000	8051000	49989972	22010028

वायदा बाजार आयोग
भारत सरकार
मुम्बई
योजनेत्तर
अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान बजट

(आंकड़े रूपए में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान 2012–13	संशोधित अनुमान 2012–2013	1/04/2012 से 31/12/2012 मे किया गया वास्तविक व्यय (अनन्तिम)	31/12/2012 को उपलब्ध बकाया निधियां
क	ख	ग	घ	ड़	च
1	वेत्तन	47500000	55000000	37505819	9994181
2	चिकित्सा	1240000	1000000	319601	920399
3	समयोपरि भत्ता	10000	10000	0	10000
4	घरेलू यात्रा व्यय	1500000	1500000	32818	1467182
5	विदेश यात्रा व्यय	450000	450000	0	450000
6	व्यावसायिक सेवाएं	2200000	3200000	1837745	362255
7	एस.एस.ई.	90000	90000	0	90000
8	कार्यालय व्यय	7000000	8000000	4155379	2844621
9	कार्यालय व्यय– सूचना प्रौद्योगिकी	2200000	1500000	797715	1402285
कुल		62190000	70750000	44649077	17540923

वायदा बाजार आयोग
भारत सरकार
मुम्बई
पूर्वोत्तर के लिए
अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान बजट

(आंकड़े रूपए में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान 2012–13	संशोधित अनुमान 2012–2013	सामान्य को पुनर्विनियोजित	1/04/2012 से 31/12/2012 मे किया गया वास्तविक व्यय (अनन्तिम)	31/12/2012 को उपलब्ध बकाया निधियां
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ
1	घरेलू यात्रा व्यय	1000000	50000	0	0	50000
2	विज्ञापन एवं प्रचार	5000000	4599000	5000000	2000000	2599000
3	सहायता अनुदान – सामान्य	500000	300000	0	0	300000
4	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	6000000	551000	551000	550294	706
5	अन्य प्रभार	2500000	2500000	2500000	1519933	980067
कुल		15000000	8000000	8051000	4070227	3929773

टिप्पणी:

1. मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई, 2012 के आदेश संख्या जी–20011/4/2011–बजट एवं वित्त द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विज्ञापन एवं प्रचार से सामान्य विज्ञापन एवं प्रचार में 50,00,000/– रूपये का पुनर्विनियोजन किया गया।

2. मंत्रालय के दिनांक 8 अगस्त, 2012 के आदेश संख्या जी–20011/6/2012–बजट एवं वित्त द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान से सामान्य पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन में 5,51,000/– रूपये का पुनर्विनियोजन किया गया।

3. मंत्रालय के दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 के आदेश संख्यां जी–20011/6/2012–बजट एवं वित्त द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य प्रभारों में से सामान्य अन्य प्रभारों में 25,00,000/– रूपये का पुनर्विनियोजन किया गया।

अनुलग्नक–III

एक्सचेंजों की सूची

क्रम सं0	एक्सचेंज का नाम
क.	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
1	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि0, मुंबई
2	नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि0, मुम्बई
3	ए सी ई डेरीवेटिव्ज एंड कमोडिटी एक्सचेंज लि0, मुम्बई
4	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि0, अहमदाबाद
5	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि0, मुम्बई
6	यूनियर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. (यू.सी.एक्स), महापे, नवी मुम्बई
ख.	वस्तु विशिष्टि क्षेत्रीय एक्सचेंज
7	बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लि0, बीकानेर
8	बाम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लि0, मुम्बई
9	सेंट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज लि0, ग्वालियर
10	कॉटन एसोसिएशन आफ इंडिया, मुंबई
11	दि चैम्बर आफ कामर्स, हापुड़
12	ईस्ट इंडिया जूट एंड हैसियन एक्संचेंज लि0, कोलकाता
13	फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि0, कोच्चि
14	हरियाणा कमोडिटीज लि0, सिरसा
15	इंडिया पीपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कोच्चि
16	मेरठ एग्रो कमोडिटीज एक्सचेंज कं0 लि0, मेरठ
17	नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर
18	राजकोट कमोडिटी एक्सचेंज लि0, राजकोट
19	स्पाइस एंड आयलसीडस एक्सचेंज लि0, सांगली
20	सुरेन्द्रनगर कॉटन आयल एंड आयलसीड्स एसोसिएशन लि0, सुरेन्द्रनगर
21	राजधानी ऑयल एंड आयलसीड्स एक्सचेंज लि0, दिल्ली
22	विजय व्यापार चेम्बर लि0, मुजफरनगर

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
15 मार्च, 2013
श्रीमती सोनिया गांधी
डॉ. मनमोहन सिंह
प्रो. के. वी. थॉमस
उपभोक्ताओं जागो!
सूचित रहो सुरक्षित रहो
गुणवत्ता का पता लगाने के लिए हमेशा जांच कर लें कि इसमें क्या है - किस अनुपात में है
लालच या दबाव में आकर झुकें नहीं, केवल उसी का चयन करें जो आपके लिए ठीक है
अधिकतम खुदरा मूल्य देख लें और प्रत्येक खरीददारी के लिए बिल मांगें
सुनिश्चित करें कि विक्रेता और विनिर्माता ने आपकी शिकायत ठीक से सुन ली है
सुनिश्चित कर लें कि उत्पाद उपयोग के लिए सुरक्षित है
यदि आपकी शिकायत का समुचित निवारण नहीं होता है, तो उपयुक्त उपभोक्ता मंच की सहायता लें
आपके पास अधिकार हैं और आपके पास शक्ति है
जागो ग्राहक जागो
राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन नं.
1800-11-4000
8800939717
उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
www.fcamin.nic.in

अध्याय - VIII

भारतीय मानक ब्यूरो

सामान्य

8.1 भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो ने 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं को लेते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत 1 अप्रैल, 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ब्यूरो देश में मानकीकरण आन्दोलन को सफलतापूर्वक संवर्धित और पोषित कर रहा है। अप्रैल, 2012–दिसंबर, 2012 की अवधि के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और प्रमाणन (उत्पाद एवं प्रबंध पद्धति प्रमाणन) से संबद्ध अपनी प्रमुख गतिविधियों में चहुँमुखी प्रगति की है।

मानक निर्धारण

8.2 भारतीय मानक ब्यूरो एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आवश्यकताओं पर आधारित भारतीय मानकों का निर्धारण कर रहा है। ब्यूरो ने व्यापार एवं उद्योग जगत के सभी क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाए जाने को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय मानकों को, जहां व्यवहार्य हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करने का निर्णय लिया है।

भारतीय मानकों के निर्धारण से संबंधित प्रगति निम्नलिखित है :

क्रम सं.	गतिविधि	कार्य निष्पादन	
		2011-12	अप्रैल–दिसम्बर, 2012
1.	निर्धारित नए एवं संशोधित मानक	410	344
2.	लागू मानक	18742	18901
3.	समीक्षा किए गए मानक	3784	1912

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार

8.3 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्माताओं और सेवा की उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार संस्थापित किया गया। इस वार्षिक पुरस्कार की तुलना यू.एस. के मेलकाम बेलरीज राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से की जाती है। इस पुरस्कार का मूल्यांकन नौ पैरामीटरों अर्थात् नेतृत्व, नीतियाँ, उद्देश्यों और रणनीतियाँ, मानव संसाधन प्रबंधन, संसाधन, प्रक्रम, ग्राहक केन्द्रित परिणाम, कर्मचारियों की संतुष्टि, पर्यावरण और समाज पर प्रभाव, और व्यवसाय परिणाम के आधार पर किया जाता है। छोटे पैमाने के

संगठनों के लिए केवल छः पैरामीटर हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष 2012 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 18 अप्रैल, 2012 को स्कोप कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा भारतीय मानक ब्यूरो के अध्यक्ष प्रो0 के0 वी0 थॉमस ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रदान किए गए पुरस्कारों में 'सर्वोत्तम पुरस्कार' तथा 03 विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार (01 बड़े पैमाने का विनिर्माण उद्योग, 01 छोटे पैमाने का विनिर्माण उद्योग तथा 01 छोटे पैमाने का सेवा उद्योग) शामिल थे। इसके अतिरिक्त 10 प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए।

वर्ष 2011 के पुरस्कारों के लिए प्रक्रिया की शुरूआत अप्रैल, 2012 में हुई। प्राप्त आवेदनों के प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद क्षेत्रीय मूल्यांकन समितियों ने चुने गए आवेदकों के यहां तथ्य खोजने संबंधी दौरों के माध्यम से आकलन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। पुरस्कार विजेताओं तथा प्रशस्ति प्राप्त करने वालों के संबंध में अंतिम निर्णय दिनांक 10 जनवरी, 2013 को सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार समिति की आगामी बैठक में लिया जाएगा।

उत्पाद प्रमाणन

8.4 भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत एक उत्पाद प्रमाणन स्कीम प्रचालित करता है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई मुहर के नाम से प्रसिद्ध) की मौजूदगी संगत भारतीय मानक के साथ इसकी अनुरूपता को दर्शाती है। किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पहले भारतीय मानक ब्यूरो, विनिर्माता के पास अनिवार्य ढांचागत संरचना तथा क्षमता की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है तदुपरांत, संबंधित भारतीय मानक के अनुसार बने उत्पाद की निरंतर जांच की जाती है, उत्पादन स्थान एवं बाजार से नमूने लिए जाते हैं तथा संबंधित भारतीय मानक के अनुसार उसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं/ मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में उनकी जांच कराई जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो, लाइसेंस धारक के उत्पादों की संगत भारतीय मानकों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दौरे भी आयोजित करता है। उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनिवार्य बनाए गए 90 उत्पाद मानकों को छोड़कर प्रमाणन स्कीम मूल रूप से स्वैच्छिक स्वरूप की है।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रचालित की जा रही आयातित उत्पादों और आभूषणों की हॉलमार्किंग संबंधी उत्पाद प्रमाणन स्कीमें निम्नलिखित हैं :–

(क) आयातित उत्पादों का प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो आयातित सामानों के प्रमाणन के लिए 1999 से दो स्कीमों का प्रचालन कर रहा है जिनमें एक विदेशी विनिर्माताओं के लिए है और दूसरी भारतीय आयातकर्ताओं के लिए। इन स्कीमों के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो से अपने उत्पाद पर भारतीय मानक ब्यूरो मानक मुहर लगाने के लिए प्रमाणन ले सकता है तथा भारतीय आयातकर्ता भारतीय मानक ब्यूरो से देश में आयात किए जा रहे अपने उत्पाद पर भारतीय मानक ब्यूरो मानक मुहर लगाने के लिए बी आई एस प्रमाणन ले सकता है। वर्ष 2011–12 के दौरान विदेशी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत 73 लाइसेंस मंजूर किए गए। अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जापान,

वियतनाम, श्रीलंका, जर्मनी, पौलेंड, रोमानिया, स्पेन, पुर्तगाल, स्विटजरलैण्ड, आइसलैंड, चेक गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, मिस्र, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवाकिया, यूएसए, ब्राजील, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यूएई, नेपाल, भूटान, हंगरी, इंडोनेशिया, फिलीपिंस, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, ताइवान, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों की सीमेंट, एचडीपीई पाइप, शिशु आहार, दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतल, स्विचगीयर, प्लग एवं सर्किट, मिनियेचर सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट, सर्किट ब्रेकर, पीवीसी इन्सुलेटेड केबल, एक्स एल पी रोधी केबल, बिजली की इस्तरी की सुरक्षा, शुष्क सेल बैटरियां, इस्पात एवं इस्पात उत्पाद, सीवन रहित गैस सिलेंडर, काम्पेक्ट फलूरेसैंट लैम्प, दूध एवं धान्य से बने दूध छुड़ाने के आहार, गैस आयतनमापी, घरेलू पानी के मीटर, याट आयर मीटर, लकड़ी के उत्पाद, टायर और टयूब जैसे उत्पादों के लिए विदेशी विनिर्माता स्कीम के अंतर्गत 37 लाइसेंस जारी किए गए, जिससे कुल लाइसेंसों की संख्या 253 हो गई।

विदेशी विनिर्माता प्रमाणन लाइसेंस स्कीम सहित उत्पाद प्रमाणन स्कीम की प्रगति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	गतिविधि	कार्य निष्पादन	
		2011-12	2012-13 (दिसम्बर 2012 तक,)
1.	प्रदान किए गए लाईसेंस	3099	2025
2.	प्रचालन में कुल लाईसेंस की संख्या (हालमार्किंग को छोड़कर)	25330	25932
3.	पहली बार कवर किए गए उत्पाद	11	04

(ख) आभूषणों की हॉलमार्किंग

भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्णाभूषणों पर हॉलमार्किंग अप्रैल 2000 में शुरू की ताकि उपभोक्ताओं को स्वर्णाभूषणों की शुद्धता या परिशुद्धता पर तीसरी पार्टी आश्वासन प्रदान किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत किसी जौहरी को अपने आभूषणों को हॉलमार्क करवाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से हॉलमार्क लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जौहरियों के आभूषण की शुद्धता का मूल्यांकन करने वाले एसेइंग और हॉलमार्किंग (ए एण्ड एच) केन्द्र जहां आभूषणों/शिल्पकृतियों की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है, को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद मान्यता प्रदान की जाती है कि इन केन्द्रों के पास सोने और चाँदी के आभूषणों/शिल्पकृतियों की एसेइंग और हॉलमार्किंग के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना है।

(i) हॉलमार्किंग स्कीम की प्रगति : हॉलमार्किंग स्कीम में 01 अप्रैल 2012 से 31 दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान आगे वृद्धि हुई है। स्वर्ण आभूषण के हॉलमार्किंग के लिए लाइसेंसों की संख्या 31 मार्च, 2012 को 9292 थी जो 25 दिसम्बर, 2012 को बढ़कर 10231 हो गई। इस अवधि के दौरान औसतन 104 लाइसेंस प्रतिमाह मंजूर किए गए। पहली अप्रैल से 25 नवम्बर, 2012 तक 204 लाख स्वर्ण आभूषणों/वस्तुओं का हॉलमार्क किया गया। 25 दिसम्बर, 2012 को भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की कुल संख्या 199 है।

चाँदी के आभूषण/वस्तुओं की हॉलमार्किंग के लिए 01 अप्रैल, 2012 से 25 दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 580 से बढ़कर 679 हो गई। हॉलमार्किंग गतिविधि से 1 अप्रैल से 25 नवम्बर, 2012 तक 1164.19 लाख रु. की आय हुई।

(ii) केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्र स्थापित करने की स्कीम का कार्यान्वयन : अवसंरचना सृजन करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए सरकारी स्कीम के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2012 को केन्द्रों की कुल संख्या 39 है।

(iii) हॉलमार्किंग के संबंध में प्रचार

(क) देश में स्वर्ण आभूषण व्यापार में हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से जौहरियों/उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 1 अप्रैल से 25 दिसम्बर, 2012 के दौरान जौहरियों के लिए 17 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ख) स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्किंग के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं/जौहरियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल से 25 नवम्बर 2012 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न समाचार पत्रों में 61 विज्ञापन जारी किए गए हैं।

प्रबंधन पद्धति प्रमाणन

8.5 भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रबंधन पद्धतियों के लिए संगत मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाओं को प्रदान करना जारी रखा :

क) आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन स्कीम

भारतीय मानक ब्यूरो गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन स्कीम (क्यू एम एस सी एस) को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत सितम्बर, 1991 में शुरू की गई। स्कीम को आईएसओ/आईईसी 17021 : 'अनुरूपता मूल्यांकन–प्रबंध पद्धतियों के ऑडिट एवं प्रमाणन को व्यवस्था करने वाले निकायों की अपेक्षाएं' के अनुसार प्रचालित किया जा रहा है।

अप्रैल, 2012–दिसम्बर, 2012 के दौरान 37 गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन लाइसेंस मंजूर किए गए जिससे 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 944 हो गई। इनमें रसायन, धातु और धातु उत्पाद, सीमेंट, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरी सेवाएं, खनन मशीनरी, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, औषधि, वस्त्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर–संचार, परिवहन आदि जैसे सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

(ख) आईएस/आईएसओ 14001:2004 के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति स्कीम शुरू की गई। यह आईएस/आईएसओ 17201 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार भी प्रचालित की जाती है। अप्रैल 2012–दिसम्बर 2012 के दौरान 11 नए पर्यावरण प्रबंधन पद्धति (ई0एम0एम0) लाइसेंस मंजूर किए गए हैं जिससे 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 174 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, ऐरोनाटिकल उद्योग, परमाणु विद्युत वेगन वर्कशॉप्स, औषधीय, मशीनरी, खनन, लोक प्रशासन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) इत्यादि जैसे प्रोद्योगिकी क्षेत्र के लाइसेंस शामिल हैं।

(ग) आईएस/18001:2007 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन स्कीम

भारतीय मानक ब्यूरो ने आई0एस0/18001:2007 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

प्रबंधन पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन स्कीम शुरू की। इस स्कीम के अनुसार संगठन की कानूनी आवश्यकताओं और उन खतरों तथा जोखिमों के बारे में सूचना को ध्यान में रखते हुए जिन्हें संगठन नियंत्रित कर सकता है और अपने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों, जिनका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा इनके कार्यकलापों से प्रभावित होता है के लिए नीति तथा लक्ष्य परिभाषित कर सकता है, यह योजना बना सकता है और प्रबंध कर सकता है। अप्रैल 2012 – दिसम्बर, 2012 के दौरान 12 ओएचएसएमएस लाइसेंस मंजूर किए गए जिससे 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 67 हो गई। इन लाइसेंसों में ताप विद्युत संयंत्र, मृदा उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस आधारित बिजलीघर, स्वास्थ्य सेवाएं और कर्मचारी विकास केन्द्र, वस्त्र, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, विद्युत तथा दूरसंचार केबल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटाणुनाशक, औद्योगिक एवं विस्फोटक रसायन, रेलवे जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

(घ) संकट विश्लेषण एवं क्रांतिक नियंत्रण बिन्दू (एचएसीसीपी) स्कीम (एचएसीसीपी स्टेंड एलोन) :

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएस 15000 के अनुसार स्टेंण्ड एलोन एचएसीसीपी प्रमाणन स्कीम भी प्रचालित करता है। 31 दिसम्बर, 2012 को एचएसीसीपी स्टेंण्ड एलोन के 2 लाइसेंस प्रचालन में थे।

(ङ) आईएस / आईएसओ 22000: 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन स्कीम

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएस/आईएसओ 22000:2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (एफएसएमएस) को शुरू किया है। यह पद्धति किसी भी प्रकार के संगठन में खाद्य श्रंखला के भीतर खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति को लागू करने के लिए तैयार की गई है। 31 दिसम्बर, 2012 को एफएसएमएस के 2 लाइसेंस प्रचालन में थे।

(च) आईएस 15700:2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंधन पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन स्कीम

भारतीय मानक ब्यूरो की सेवा गुणता प्रबंधन पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन स्कीम अप्रैल 2007 में शुरू की गई। यह भारतीय मानक आईएस 15700:2005 गुणता प्रबंधन पद्धतियाँ–सार्वजनिक सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता की अपेक्षाएं, पर आधारित है। यह मानक काउंटर पर गुणता सेवा की सुपुर्दगी पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त जो संगठन इस मानक को कार्यान्वित कर रहे हैं, उनको भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। 31 दिसम्बर 2012 को सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयों में 05 लाइसेंस प्रचालन में थे तथा 19 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।

(छ) एनएबीसीबी द्वारा क्यूएमएस और ईएमएस का प्रत्यायन

भारतीय मानक ब्यूरो, नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज (एनएबीसीबी), भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली से प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

(ज) प्रबंधन पद्धति प्रमाणन का संवर्धन

भारतीय मानक ब्यूरो के दल ने एसक्यूएमएस प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए आईएस 15700 पर व्याख्यान दिए और सीबीडीटी, सीबीईसी तथा डाक विभाग, जिन्होंने एसक्यूएमएस प्रमाणन के लिए आवेदन किया है, के साथ बैठकें भी आयोजित की।

(झ) लेखापरीक्षकों की बैठक

अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2012 के दौरान लेखापरीक्षकों की 02 बैठकों का आयोजन किया

गया, 01 बैठक मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा तथा 01 बैठक पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित की गई जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी तथा ऐसे बाह्य लेखापरीक्षक उपस्थित हुए जो प्रणाली प्रमाणन की लेखापरीक्षा के लिए पंजीकृत हैं।

(ज) लाईसेंस धारकों की पुनरीक्षा बैठक

जागरूकता का सृजन करने तथा लाईसेंसधारकों से हमारी सेवाओं के बारे में प्रथम प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रबंधन प्रणाली लाईसेंस धारकों की दो पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गई, 01 बैठक दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोच्चि में तथा 01 बैठक पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुंबई में आयोजित की गई। बैठकों के दौरान लाईसेंस धारकों से संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

प्रयोगशाला गतिविधियाँ

8.6 देश भर में फैली भारतीय मानक ब्यूरो की आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क ने संबद्ध भारतीय मानकों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की अनुरूपता परीक्षण करने के लिए परीक्षण सेवाएं तथा परीक्षण संबंधी गतिविधियाँ उपलब्ध कराना जारी रखा। ये प्रयोगशालाएं साहिबाबाद, मोहाली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर, पटना तथा गुवाहाटी में स्थित है। अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने उत्पादों की व्यापक रेंज को कवर करते हुए 14685 परीक्षण रिपोर्टें जारी की।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास साथ गति बनाए रखें, साहिबाबाद, मोहाली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई में स्थित प्रयोगशालाओं का, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर केलीब्रेशन एण्ड टेस्टिंग लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार प्रत्यायन किया गया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक चेन्नई प्रयोगशाला में सीमेंट के परीक्षण के लिए कम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन तथा कोलकाता प्रयोगशाला में स्टील के उत्पादों के परीक्षण के लिए 100 टन की टेन्सिल परीक्षण मशीन उपलब्ध कराई गई है। इन प्रयोगशालाओं की लेखापरीक्षा एनएबीएल द्वारा अपने मानकों के अनुसार की जाती है।

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, चेन्नई में स्वर्ण रैफरल एसेयिंग प्रयोगशाला ने अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक 269 परीक्षण रिपोर्ट जारी की हैं। इसने स्वर्ण आभूषणों के नमूनों के परीक्षण के लिए इंटर लेबोरेट्री कम्पेरीजन प्रोग्राम में भी भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए नमूनों की सभी रिपोर्टों को स्केन किया जाता है और उनको हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजने के बजाय इंटरनेट के माध्यम से सभी शाखा कार्यालयों को भेजा जाता है ताकि परीक्षण परिणाम शीघ्र पहुंच सकें और उनमें कोई छेड़–छाड़ न होने पाए।

उत्पाद परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा अनुरोध किए जाने पर भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं नवीनतम भारतीय मानकों के अनुरूप भारतीय मानक ब्यूरो के तकनीकी कार्मिकों, उत्पाद प्रमाणन के लाइसेंस धारकों/आवेदकों के लिए उत्पाद परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

ख) कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सत्रह छात्रों को उनके ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंग के रूप में प्रयोगशाला में 6 से 8 सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रयोगशाला मान्यता स्कीम

चूंकि भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की मौजूदा क्षमता हमारी उत्पाद प्रमाणन स्कीम से सृजित सभी नमूनों का परीक्षण करने के

लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो ऐसी बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दे रहा है, जो प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एल क्यू एम एस) को कार्यान्वित करने तथा निर्धारित परीक्षण तरीकों के अनुसार परीक्षण करने में तकनीकी रूप से सक्षम तथा समर्थ होती हैं। यह मान्यता भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता स्कीम 2000 के अनुसार दी जाती है और प्रचालित की जाती है। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 140 बाहरी प्रयोगशालाएं हैं जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त है (सरकारी प्रयोगशालाएं–61, अर्द्धसरकारी प्रयोगशालाएं–01 तथा निजी प्रयोगशालाएं –78)। अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक 10 नई बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता पड़ने पर बी0आई0एस0 द्वारा 24 सरकारी प्रयोगशालाओं (विशेषज्ञ प्रयोगशालाएं/अन्य प्रयोगशालाएं) की सुविधाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

जागरूकता कार्यक्रम

8.7 **(क) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम** : उपभोक्ताओं में मानकीकरण, प्रमाणन की अवधारणा को प्रोत्साहन देने और उनमें गुणता जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से, कई बार उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। (अप्रैल, 2012–दिसम्बर, 2012 के दौरान) पूरे देश में भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा ऐसे 49 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ख) उद्योग जागरूकता कार्यक्रम : लघु उद्योगों में मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंधन पद्धति की अवधारणा तथा भारतीय मानक ब्यूरो के अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2012 – दिसम्बर 2012 की अवधि में 7 उद्योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में व्याख्यान और परिचर्चाएं शामिल थी। विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित मानकों पर, उस क्षेत्र के उद्योगों के संकेन्द्रण के आधार पर प्रकाश डाला गया।

(ग) मानकों का शैक्षणिक उपयोग संबंधी कार्यक्रम : भारतीय मानक ब्यूरो मानकीकरण की अवधारणा तथा लाभों को युवा मस्तिष्क में बैठाने के लिए स्कूल कॉलेज आदि के छात्रों तथा फैकल्टी के लिए मानकों के शैक्षणिक प्रयोग संबंधी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। देश के औद्योगिक विकास में मानकीकरण के महत्व को पहचानते हुए तकनीकी संस्थानों के छात्रों को मानकीकरण के सिद्धांतों तथा पद्धतियों से अवगत कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अप्रैल, 2012–दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने 01 ई0यू0एस0 कार्यक्रम आयोजित किया।

(घ) संविदा जानकारियों के माध्यम से मानकों का संवर्धन : भारतीय मानकों को लागू करने एवं बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से सरकारी विभागों और क्रय एजेंसियों के साथ निकट सहयोग और सूचना के आदान–प्रदान के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समाचार–पत्रों में प्रकाशित की गई निविदा सूचनाओं के आधार पर उनकी सभी आवश्यकताओं के लिए आई0एस0आई0 मुहर वाले उत्पादों की खरीद के लिए आग्रह किया गया। अप्रैल, 2012–दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान संविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को 10 पत्र जारी किए गए।

(ड़) विश्व मानक दिवस – भारतीय मानक ब्यूरो ने हर वर्ष की भांति विश्व भर के उन हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों को श्रद्धांजलि देने के लिए 15 दिसम्बर, 2012 को विश्व मानक दिवस मनाया। जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्वैच्छिक तकनीकी समझौतों का विकास किया जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित किए गए हैं।

विश्व मानक दिवस के लिए इस वर्ष की थीम 'कम बर्बादी, बेहतर परिणाम–मानक कार्यक्षमता में वृद्धि'। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा भारतीय मानक ब्यूरो के अध्यक्ष प्रो0 के. वी. थॉमस द्वारा मुख्यालय में सेमिनार का उद्घाटन किया गया। तीन मुख्य वक्ताओं ने इस विषय पर तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से देश भर में और मुख्यालय में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित की जिनमें बड़ी संख्या में वक्ताओं ने विषय से जुड़े विभिन्न तकनीकी विषयों पर विचार–विमर्श किया।

(च) सूचना एवं लघु क्षेत्र उद्योग सुविधा कक्ष – लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों के लाभ के लिए भारतीय मानक ब्यूरो लघु क्षेत्र उद्योग सुविधा कक्ष का प्रचालन कर रहा है। इस कक्ष द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी और तकनीकी पूछताछ के उत्तर दिए जाते हैं।

(छ) जन शिकायतें – भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक माह उनकी समीक्षा और मॉनीटरिंग की जाती है। शिकायतों का निपटान निर्धारित समय के भीतर करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ज) सिटीजन चार्टर : सिटीजन चार्टर कार्यान्वित किया गया है तथा इसकी मॉनीटरिंग की जा रही है।

(झ) संगोष्ठियां/कार्यशालाएं – अप्रैल 2012–दिसम्बर 2012 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों की उपलब्धता की जानकारी का प्रसार करने और आगे सुधार करने/अद्यतनीकरण के लिए फीडबैक हासिल करने तथा उन क्षेत्रों का पता लगाने की दृष्टि से संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की और सम्मेलनों में भाग लिया जहां मानकीकरण की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान आयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

1. 'खाद्य सुरक्षा–मानकों की भूमिका' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

भारतीय मानक ब्यूरो ने 'खाद्य सुरक्षा–मानकों की भूमिका' पर कोच्चि, चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता में क्रमशः 28.05.2012, 20.06.2012, 25.06.2012 और 10.07.2012 को एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। प्रो. के. वी. थॉमस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने कोच्चि सेमिनार में खाद्य खुदरा प्रबंधन–बुनियादी जरूरतें आई एस 16020 : 2012 भारतीय मानक, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन–उत्तम स्वास्थ्यकर पद्धतियों की आवश्यकता पर आई एस 16020 : 2012 भारतीय मानक और अच्छी विनिर्माण पद्धतियाँ आवश्यकता पर आई एस 16021 : 2012 भारतीय मानक रिलीज किए। चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता में उत्तरवर्ती सम्मेलनों का उद्देश्य इन मानकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। इन सेमिनारों का उद्घाटन क्रमशः महामहिम डॉ. के. रोसेय्या, तमिलनाडु के राज्यपाल, माननीय श्री के. शंकरनारायणन, महाराष्ट्र के राज्यपाल और महामहिम श्री एम. के. नारायणन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किया।

सेमिनारों के दौरान खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। तकनीकी सत्र 'उत्तम स्वास्थ्यकर पद्धतियां' 'उत्तम विनिर्माता पद्धतियां' और 'खाद्य खुदरा प्रबंधन' पर केन्द्रित हो जिनकी संकल्पना खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के आधार स्तम्भ के रूप में कार्य करने के लिए की गई और ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय मानक, आई एस / आई एस ओ 22000:2005 की मुख्य विशेषताओं, सामान्य खाद्य उत्पादों में अपमिश्रण और संदूषण की तुरंत पता लगाने के लिए तरीकों और खाद्य सुरक्षा में विनियामकों की भूमिका के इर्द–गिर्द केन्द्रित रहे।

2. 'देवनागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी' पर भारतीय मानक का विमोचन (आई एस 16500:2012)

'देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी' पर भारतीय मानक (आई एस 16500:2012) का विमोचन 29 अगस्त, 2012 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में किया गया। यह आशा की जाती है कि यह मानक विद्यार्थियों विशेष रूप से जो हिन्दी सीखना चाहते हैं खास तौर पर विदेशों या भारत के अहिंदी भाषी राज्यों के छात्रों, शिक्षकों, लेखकों, विद्वानों, शैक्षणिक संस्थानों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यह मानक देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा की वर्तनी प्रणाली के विकास में अति–आवश्यक एकरूपता लाएगा।

3. 'अग्नि शामकों पर भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता' पर सेमिनार

'अग्नि शामकों पर भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता' पर सेमिनार का आयोजन इंस्टीटयूट ऑफ फायर इंजीनियर्स और फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से 12 दिसंबर, 2012 को मुम्बई में किया।

4. 'भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के विशेष संदर्भ में सिविल इंजीनियरिंग में भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता' पर कार्यशाला

'भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के विशेष संदर्भ में सिविल इंजीनियरिंग में भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता' पर एक कार्यशाला का आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो और इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर ने संयुक्त रूप से 27 अप्रैल, 2012 को रायपुर में किया।

5. 'फ्रॉम फुटप्रिंटस टुवार्ड्स लाईफ साईकिल सस्टेनेबिलिटी एसेसमेंट' पर विशेष व्याख्यान

डॉ मैथयस फिंकबिनर, अध्यक्ष, आईएसओ/टीसी207/एससी 5 ने 24 अगस्त, 2012 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के ऑडीटोरियम में 'कार्बन फुटप्रिंट वाटर फुटप्रिंट और सस्टेनेबिलिटी में विकास पर प्रकाश डालने के उद्देश्य के साथ 'फ्रॉम फुटप्रिंटस टुवार्ड्स लाईफ साईकिल सस्टेनेबिलिटी एसेसमेंट' पर एक विशेष व्याख्यान दिया।

6. 'आई टी आर्किटेक्चर फॉर इंडियन पावर यूटिलिटिज' पर सेमिनार

'आई टी आर्किटेक्चर फॉर इंडियन पावर यूटिलिटिज' पर 30 मई, 2012 को केन्द्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड, नई दिल्ली में सेमिनार का आयोजन किया गया।

7. जियोमेटिक्स पर कार्यशाला

जियोमेटिक्स पर एक कार्यशाला का आयोजन 6 जून, 2012 को नई दिल्ली में हुआ। इस कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोस्पेशियल सूचना के क्षेत्र में मानकीकरण पर विचार–विमर्श किया गया।

8. 'आई एस 73 पेविंग बिटुमेन के संशोधन के लिए आर एंड डी अध्ययन की प्रस्तुति' पर कार्यशाला

'आई एन 73 पेविंग बिटुमेन के संशोधन के लिए आर एंड डी अध्ययन की प्रस्तुति' पर 24 अगस्त, 2012 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आर एंड डी अध्ययन के परिणामों को साझा करने और सभी पणधारियों को पेविंग बिटुमेन (आई एस 73 का चौथा संशोधन) पर प्रारूप भारतीय मानक की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक बनाना है।

9. 'तकनीकी वस्त्रों के संवर्धन में मानकों की भूमिका' पर सेमिनार

'तकनीकी वस्त्रों के संवर्धन में मानकों की

भूमिका' पर अमृतसर में 21 नवंबर, 2012 को एक सम्मेलन का अयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान, अनेक पेपर प्रस्तुत किए गए और इस विषय पर प्रतिभागियों को भारतीय मानकों से अवगत कराया गया।

10. 'हिमाचल क्षेत्र में बांध और अधिप्लवन मार्ग (सिलवेज) पर सेमिनार

'हिमाचल क्षेत्र में बांध और अधिप्लवन मार्ग' पर नई दिल्ली में 30 नवंबर, 2012 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान कुल 12 पेपर प्रस्तुत किए गए। इसमें देश भर से प्रतिनिधियों की भारी और सकारात्मक भागीदारी रही।

11. 'स्पेशियलिटी ग्लास और सेरामिक्स में नवीनतम सम्मान' पर सेमिनार

'स्पेशियलिटी ग्लास और सेरामिक्स में नवीनतम सम्मान' पर कोलकाता में 11 दिसंबर, 2012 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

12. 'अग्नि रोधी वस्त्र–मानक तथा विनियमन' पर सेमिनार

'अग्नि रोधी वस्त्र–मानक तथा विनियमन' पर मुम्बई में 14 दिसंबर, 2012 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को इस विषय पर नवीनतम भारतीय मानकों से अवगत कराया गया।

13. 'जलाशयों में अवसादन' पर सेमिनार

'जलाशयों में अवसादन' पर नई दिल्ली में 21 दिसंबर, 2012 को एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार के दौरान पेपर प्रस्तुत किए गए। इसमें देश भर से प्रतिनिधियों की अच्छी और सकारात्मक भागीदारी रही।

सूचना सेवाएं

(i) पुस्तकालय

8.8 (i) भारतीय मानक ब्यूरो का तकनीकी पुस्तकालय मानकों और संबंधित विषयों पर जानकारी का एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है और उद्योगों, व्यापार, सरकार, अनुंसधानकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 1000 वर्ग मीटर में फैला यह पुस्तकालय आज दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में मानकों का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसमें विश्व भर के लगभग 6 लाख मानक और 70,000 तकनीकी पुस्तकें हैं। ब्यूरो के पुस्तकालय तंत्र में मुख्यालय (नई दिल्ली) का पुस्तकालय और मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ और चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालयों के पुस्तकालय शामिल हैं। 2754 आगंतुकों को 06 सुविस्तृत विषयों की ग्रंथसूची तैयार कर और उनकी पसंद की संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराकर संदर्भ सेवाएं प्रदान की गई। पुस्तकालय की संदर्भ इकाई ने मानक निर्धारण विभागों को ग्रंथसूची उपलब्ध कराकर उनकी पूरी सहायता की। इसने भारतीय व्यापार एवं उद्योगों से प्राप्त 2038 छोटे एवं बड़े प्रश्नों का जवाब देकर उनकी सहायता की। पुस्तकालय में 'मानकसंदर्भिका' शीर्षक के तहत प्राप्त होने वाले सभी मानकों यांत्रिकीकृत डाटाबेस अद्यतनीकरण का पुस्तकालय अनुरक्षण करता है। 1391 मानक प्राप्त हुए और डाटाबेस के लिए इनपुट के रूप में कूटबद्ध किए गए।

(ii) तकनीकी सूचना सेवा केन्द्र

भारतीय मानक ब्यूरो उद्योगों, निर्यातकों, आयातकों, नागरिकों और सरकारी एजेंसियों को उनके प्रश्नों पर तकनीकी सूचना संबद्ध प्रदान करता है। अप्रैल से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान 350 से अधिक प्रश्नों का जवाब दिया गया।

(iii) पहचान संख्या के प्रायोजक

(क) जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन)

आईएसओ/आईईसी 7812–1 पहचान पत्र – जारीकर्ता की पहचान – भाग 1: संख्यांकन की पद्धति अन्तर्राष्ट्रीय तथा/अथवा अंतरउद्योग अन्तः परिवर्तन में प्रयुक्त पहचान पत्रों के जारीकर्ताओं की पहचान के लिए संख्यांकन प्रणाली निर्दिष्ट करती है। यह संख्या मुख्य उद्योग तथा कार्ड जारी करने वाले की पहचान कराती है। भारतीय मानक ब्यूरो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को बैंकों/वित्तीय संगठनों के आवेदनों को प्रायोजित करके आईएसओ 7812–1 अनुरूप आईआईएन को जारी करना सुविधाजनक बनाता है। अवधि के दौरान 08 जारीकर्ता पहचान संख्याएं आवंटित की गई।

(ख) वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आईडेन्टिफायर (डब्लूएमआई) संख्या

सोसायटी ऑफ ओटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के सहयोग से भारतीय मानक ब्यूरो आईएसओ 3780:1983 रोड व्हीकल्स के अनुसार – भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं और निर्यातकों को वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आईडेन्टिफायर (कोड) (डब्ल्यूएमआई) कोड जारी करता है। इस अवधि के दौरान डब्लूएमआई कोड के आबंटन के लिए 05 आवेदनों पर कार्यवाही की गई।

(ग) डीजीएफटी अधिसूचना सं. 44 (आरई – 2000) पर तकनीकी स्पष्टीकरण

डीजीएफटी के निर्देशानुसार, भारतीय बाजार में आने से पहले विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य है। भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित कोई उत्पाद अनुदेश के भीतर आता है अथवा नहीं इसका स्पष्टीकरण केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाएगा और यह स्पष्टीकरण सभी संबंधितों के लिए बाध्यकर होगा। वर्तमान में दिशानिर्देशों के दायरे में 90 उत्पाद आते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पादों पर 34 स्पष्टीकरण जारी किए।

प्रशिक्षण सेवाएं

8.9 (i) उद्योगों के लिए प्रशिक्षण सेवाएं

अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण सेवा संस्थान (एनआईटीएस) ने 22 इन–हाऊस कार्यक्रम, उद्योगों के लिए 09 लीड ऑडिटर कोर्सों सहित 35 ओपन कार्यक्रम आयोजित किए और 79.99 लाख रु0 का राजस्व अर्जित किया।

(ii) विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

मानकीकरण और गुणता आश्वासन विषय पर 19 मार्च से 11 मई, 2012 तक आठ सप्ताह की अवधि वाले 44वें अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता के साथ 22 विकासशील देशों से 41 प्रतिभागी शामिल हुए।

(iii) भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रैल, 2012 से दिसंबर, 2012 तक की अवधि के दौरान, भारतीय मानक ब्यूरो के पदधारियों के लिए विशेष रूप से 11 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 2 इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम निवारक सतर्कता पर 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम, ए पी ए आर और सी सी एस, अनुशासनिक कार्यवाही, अवकाश, चिकित्सा एवं यात्रा नियमों पर 1 कार्यक्रम, वित्त एवं खरीद प्रबंधन पर, 1 कार्यक्रम, क्लाइंट एवं व्यवहार संबंधी प्रबंधन पर 1 कार्यक्रम और हिन्दी की एक कार्यशाला शामिल हैं। भारतीय मानक ब्यूरो लगभग 412 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

8.10 वर्ष 1947 में अपने आरंभ समय से ही उस समय का आईएसआई और अब भारतीय मानक ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामतः अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग (आईईसी) का सदस्य रहा है। यह इन अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों की विभिन्न नीति–निर्माता, समितियों में भागीदारी करता है। भारतीय मानक ब्यूरो के पास आईएसओ की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण समितियों का सचिवालय भी है जिनके भारत में व्यापारिक हित हैं। आईएसओ के सदस्य रूप में, भारतीय व्यापार और उद्योगों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। ब्यूरो मानकीकरण, अनुरूपता आकलन और प्रत्यायन इत्यादि से जुड़े क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी अपने क्रियाकलाप जारी रखे हुए हैं।

अप्रैल, 2012 – दिसम्बर, 2012 के दौरान कुछ गतिविधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन

(क) आई एस ओ आम सभा 2012

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की 35वीं आम सभा 16 से 22 सितंबर, 2012 के दौरान सेन डिएगो, यू एस ए में आयोजित हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में श्री पंकज अग्रवाल, सचिव (उपभोक्ता मामले) और श्री ई. देवेन्द्र, वैज्ञानिक जी और प्रमुख (मानकीकरण), भारतीय मानक ब्यूरो शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान, विविध राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया गया। चर्चाओं में राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ समझौता ज्ञापन/एमआरए पर हस्ताक्षर करना और मौजूदा समझौता ज्ञापन/एम आर के संरचनात्मक कार्यान्वयन हेतु तंत्र बनाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सामान्य हितों को सुरक्षित रखने के लिए कार्यनीति बनाने के लिए भी विचार–विमर्श किए गए।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने आई एस ओ समितियों / उपसमितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया जहां भारत एक 'पी' सदस्य है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रो–टेक्निकल आयोग

भारतीय मानक ब्यूरो ने विविध आई ई सी समितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आई ई सी–आई एन सी बैठक का आयोजन 26 सितंबर, 2012 को हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि मंडल ने ओसलो, नॉरवे में 01 से 06 दिसंबर, 2012 तक आयोजित 76वीं आई ई सी आम बैठक में भाग लिया।

आई ई सी आम बैठक के संयोजक सुश्री सोफी चॉर्डन ने अक्तूबर, 2013 में नई दिल्ली में होने वाली आई ई सी आम बैठक 2013 के आयोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए 26 से 30 नवंबर, 2012 के दौरान भारत का दौरा किया।

(iii) द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

भारतीय मानक ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से यू.एस.ए., पाकिस्तान, यू.ए.ई., जर्मनी, केन्या, दक्षिणी कोरिया, बांग्लादेश, रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ गहन द्विपक्षीय सहयोग की ओर कार्य करना जारी रखा।

- मानकों और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में अनुरूपता के आकलन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मैक्सिकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ 20 सितंबर, 2012 को एक बैठक का आयोजन किया गया।
- खाद्य मानकों से संबंधित विविध ढांचे पर चर्चा करने के लिए 24 अगस्त, 2012 को ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त के प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया।

- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपनाई गई अनुरूपता मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिए 30 अगस्त, 2012 को अमेरिका दूतावास के प्रतिनिधि सहित अमेरिका के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत–रूस कार्य दल की 5वीं बैठक का आयोजन 12 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली में किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो और फेडरेल एजेंसी ऑन टेकनिकल रेगुलेशन एंड मेट्रोलॉजी के बीच सहयोग के लिए एक प्रारूप समझौता ज्ञापन की पेशकश की गयी।
- श्री स्कॉट स्टीडमेन, निदेशक (मानक), ब्रिटिश मानक संस्थान के साथ सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग की एक बैठक 05 नवंबर, 2012 को भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित की गई। मानक और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विचार–विमर्श किया गया।
- केनेडियन स्टैंर्डड्स एसोसिएशन, कनाडा के एक प्रतिनिधिमंडल ने अनुरूपता निर्धारण और प्रयोगशाला मान्यता गतिविधियों के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए 05 दिसंबर, 2012 को भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने 10 दिसंबर, 2012 को मानक, अनुरूपता आकलन और गुणवत्ता के क्षेत्र में यूक्रेन के आर्थिक विकास और ट्रेड मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 19 दिसंबर, 2012 को अमेरिकन सेंटर, नई दिल्ली में ए एन एस आई के अधिकारियों के साथ एक डिजिटल विडियो कान्फ्रेंस का आयोजन किया। डिजिटल विडियो कान्फ्रेंस के दौरान, भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने 'मानक विकास प्रक्रिया' और 'अनुरूपता आकलन पद्धति' पर प्रस्तुतिकरण दिया।

(iv) क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम :

- मानकों, तकनीकी विनियमनों और अनुरूपता आकलन के लिए व्यापार सुविधा पर समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय मानक, तकनीकी विनियमन (विधिक माप विज्ञान सहित) और अनुरूपता आकलन (प्रत्यायन और विधिक माप विज्ञान सहित) प्रतिनिधियों की द्वितीय त्रिपक्षीय बैठक 6–9 अगस्त, 2012 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में आयोजित की गई। तीनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार–विमर्श हुआ जिसके आधार पर व्यापार सुविधा के संबंध में आई बी एस ए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई।

राजस्व अर्जन

8.11 भारतीय मानक ब्यूरो मुख्य रूप से अपनी आय प्रमाणन, प्रशिक्षण और भारतीय मानकों की बिक्री से अर्जित करता है। इन क्रियाकलापों से अर्जित आय इस प्रकार है :

क्रम सं.	गतिविधियां	प्रगति (करोड़ रुपए में)	
		2011-12	2012-13 (दिसंबर 2012 तक)
1.	प्रमाणन (हॉलमार्किंग सहित)	235.25	183.85
2.	प्रशिक्षण संस्थान	1.54	0.69
3.	भारतीय मानक ब्यूरो के प्रकाशनों की बिक्री	10.32	9.64
	योग	247.11	194.18

प्रकाशन

8.12 भारतीय मानक ब्यूरो का प्रकाशन विभाग मासिक पत्रिका स्टैंडर्डस इंडिया, पूर्व में 1949 से प्रकाशित आईएसआई बुलेटिन, के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मानकीकरण आंदोलन के प्रचार–प्रसार तथा संवर्द्धन का कार्य करता है। स्टैंडर्डस इंडिया पत्रिका देश तथा विदेश में मानकीकरण हेतु किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी तथा समीक्षाएं प्रस्तुत करता है। इस पत्रिका में विचारोत्तेजक महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ क्षेत्र में हो रही नवीनतम प्रगति की जानकारी होती है जिसके कारण पत्रिका ने क्षेत्र में स्वयं को एक प्रतिष्ठित पत्रिका के रूप में स्थापित किया है। इसमें माह के दौरान जारी मानकों में सभी संशोधनों, परिवर्तनों तथा आहरण नए, मौजूदा या प्रारूपण के स्तर तक विकसित मानकों के संबंध में जानकारी होती है।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा (31 दिसम्बर तक अद्यतन किए) प्रकाशित मानकों भारतीय मानकों के रूप में ग्रहण किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों हिंदी में (अनुदित) भारतीय मानक, विशेष प्रकाशन तथा कैटलॉग में सूचीबद्ध सभी प्रकाशनों संबंधी विषय–सूची को विभाग द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाशन विभाग नए और संशोधित मानकों के साथ–साथ भारतीय मानकों की पुनःपुष्टि/आहरण के संबंध में मुद्रण विभाग तथा विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा दी गई सूचना से भारतीय मानकों/अन्य प्रकाशनों की इन्क्रीमेंटल इंडैक्स फाइल प्रकाशित करता है। यह विभाग तकनीकी विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी नए/संशोधित भारतीय मानकों/प्रकाशनों और संशोधनों की पीडीएफ की सॉफ्ट प्रति भी रखता है। इस जानकारी का उपयोग वेबसाइट www.standardsbis.in पर भारतीय मानकों को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो के पास इन सभी प्रकाशनों का प्रतिलिप्याधिकार होता है और भारतीय मानकों के उद्धरणों की प्रतिलिपि करने के अनुरोध तकनीकी पुस्तकों के लेखकों द्वारा विभाग को भेजे जाते हैं। यह विभाग 'आईएसओ जीईएन 19:1999 गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग कॉपीराइट एक्सप्लायटेशन राइट्स टू थर्ड पार्टीज फॉर आईएसओ स्टैंडर्डस इन बुकस्' में निर्दिष्ट प्रक्रिया के आधार गणना तथा तकनीकी सत्यापन के बाद आवेदक से प्रतिलिप्याधिकार प्रभार का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात इसकी अनुमति देता है। यह विभाग विभिन्न विदेशी भाषाओं के तकनीकी प्रलेखों, मानकों और अन्य सामग्री का विभिन्न भारतीय (हिंदी के अलावा) भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी एवं विलोमतः अनुवाद की सेवाएं उपलब्ध कराता है। अनुवाद हेतु विभिन्न तकनीकी समितियों और उद्योगों से नियमित रूप से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। यह विभाग जर्मन अथवा फ्रैंच भाषा बोलने वाले देशों के साथ परस्पर संवाद की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

प्रचार

8.13 भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं के बीच ब्यूरो की गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाने एवं गुणता के प्रति दृढ़ चेतना पैदा करने की दृष्टि से विभिन्न प्रचार माध्यमों से विभिन्न प्रचार–प्रसार गतिविधियां शुरू की।

आई एस आई मुहर / हालमार्किंग पर टी वी स्पॉट का प्रसारण

अप्रैल 2012 के दौरान केबल और सेटेलाइट चैनलों के माध्यम से 10 दिनों के लिए 'कौन बनेगा कंज्यूमर किंग' शीर्षक से आई एस आई मुहर पर टी वी स्पॉट प्रसारित किया गया।

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता वितरण समारोह इस अवसर पर 18 अप्रैल, 2012 को अखिल भारतीय स्तर पर एक विज्ञापन जारी किया गया और उसे विभिन्न स्थानों से 50 भिन्न–भिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के संबंध में एक साक्षात्कार आयोजित किया गया जिसे आकाशवाणी पर 19 अप्रैल, 2012 को प्रसारित किया गया। इस समारोह को इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया। इसके अलावा, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसे देश भर के भिन्न–भिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

हॉलमार्किंग/आई एस आई मार्क पर जिंगल

उपभोक्ता जागरूकता के लिए 20 जून, 2012 से 19 अगस्त, 2012 तक 139 रेल संपर्क पर हॉलमार्किंग और आई एस आई मार्क पर जिंगल चलाया गया।

सिनेमा हॉल में टी. वी. स्पॉट

अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सिनेमा हॉल में आई एस आई मार्क और हालमार्किंग पर टी.वी. स्पॉट प्रसारित किए गए।

रेडियो स्पॉट

भारतीय प्रसार भारती प्रसारण निगम के माध्यम से 2 नवंबर, 2012 से 45 दिनों के लिए आकाशवाणी के 37 विविध भारतीय स्टेशनों और 22 एफ.एम. स्टेशनों से आई एस आई और हॉलमार्किंग पर 20 सेकण्ड के रेडियो स्पॉट के प्रसारण के लिए अभियान चलाया गया।

आउटडोर प्रचार अभियान

उपभोक्ता जागरूकता के लिए नवंबर, 2012 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग (दिल्ली क्षेत्र), रेलवे स्टेशन पर बैकलिट ग्लोसाइन (दिल्ली क्षेत्र), बस क्यू शैल्टर (दिल्ली क्षेत्र) इलैक्ट्रोनिक डिस्पले (दिल्ली), एनीमेशन डिस्पले (पूरे भारत में) रेलवे स्टेशन पर एल सी डी स्क्रीन (राजस्थान), बस पैनल (पूरे भारत में), रेलवे भूमि पर फ्रटलिट ब्रिज पैनल, बस क्यू शैल्टर (पूरे भारत में) मुम्बई और कोलकाता में किऑस्कस, कोलकाता में ट्रेफिक सिग्नल, रेलवे ब्रिज पैनल (यूनिपोल), राजमार्ग पर बैकलिट यूनिपोल आदि के माध्यम से आई एस आई मार्क और हालमार्किंग पर एक आउटडोर प्रचार अभियान चलाया गया।

मेट्रो रेल

नवंबर, 2012 के दौरान मेट्रो रेल के विभिन्न स्टेशनों पर मेट्रोइनसाइड पैनलों, मैट्रो रेल डिस्पले बोर्डों और जनोपयोगी मेट्रो रेल के माध्यम से आई एस आई और हालमार्किंग का प्रचार आरंभ किया गया।

प्रिंट मीडिया

सितम्बर और नवंबर, 2012 के दौरान स्वर्ण आभूषणों की हालमार्किंग पर अखिल भारतीय स्तर पर एक विज्ञापन अभियान चलाया गया। जुलाई और नवंबर, 2012 के दौरान आई एस आई मार्क पर एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों पर विज्ञापनों को भिन्न–भिन्न पत्रिकाओं में भी प्रकाशित कराया गया। निविदा सूचना के विज्ञापनों को भी भिन्न भिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया गया।

खाद्य सुरक्षा सेमिनार–मानकों की भूमिका

- 28 मई, 2012 को कोच्चि में खाद्य सुरक्षा सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक विज्ञापन जारी किया गया जिसे कोच्चि के 13 विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया।
- 20 जून, 2012 को चेन्नई में खाद्य सुरक्षा

सेमिनार आयोजित किया गया और एक विज्ञापन जारी किया गया जिसे चैन्नई के 6 विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया।

- 25 जून, 2012 को मुम्बई में खाद्य सुरक्षा सेमिनार आयोजित किया गया था और एक विज्ञापन जारी किया गया जिसे मुम्बई के 6 विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया।
- 10 जुलाई, 2012 को कोलकाता में खाद्य सुरक्षा सेमिनार आयोजित किया गया और एक विज्ञापन जारी किया गया जिसे कोलकाता के 9 विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया।
- 12 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा सेमिनार आयोजित किया गया और एक विज्ञापन जारी किया गया जिसे विभिन्न स्थानों से 16 भिन्न–भिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया।

नेशनल सेमिनार का कवरेज

खाद्य सुरक्षा, मानकों की भूमिका पर राष्ट्रीय सेमिनार विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 12 दिसम्बर, 2012 को आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया। सेमिनार का डी डी नेशनल और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा सीधा प्रसारण किया गया। समारोह को 20 भिन्न भिन्न टी वी चैनलों द्वारा कवर भी किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदर्शनियों में भागीदारी

भारतीय मानक ब्यूरो ने 15 दिसम्बर, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक केरल राज्य में आयोजित ग्रांड केरल शापिंग फेस्टियल में भाग लिया। इस फेस्टियल के दौरान उपभोक्ता जागरूकता के लिए हालमार्किंग आभूषणों पर होर्डिंगों ग्लोबल विलेज के अंदर डिस्पले बोर्डों 07 थीम प्रदर्शनियों के भीतर डिस्पले बोर्डों प्रदर्शनियों में भागीदारी, विज्ञापन में भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह, जी के एस एफ वेबसाइट पर भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह आदि के माध्यम से विशिष्ट प्रचार चलाया।

भारतीय मानक ब्यूरो ने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न प्रदर्शनियों में भी भाग लिया

भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों पर ब्लो अप प्रदर्शित किए गए। इन प्रदर्शनियों के दौरान किसानों, डेयरी उपकरणों, आम उपभोक्ताओं तथा स्वर्ण आभूषणों की हालमार्किंग पर छोटी फिल्में दिखाई गई। भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए आगन्तुकों को ब्रॉशर भी बांटे गए।

भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

8.14 भारतीय मानक ब्यूरो राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और मंत्रालय से राजभाषा विभाग और राजभाषा पर संसदीय समिति से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करता है। इन नियमों और अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो ने हिन्दी कार्यान्वयन, मानक अनुवाद और सामान्य अनुवाद कार्य और तिमाही हिंदी पत्रिका को भी प्रकाशित करने का कार्य निष्पादित किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ब्यूरो इन क्षेत्रों में लगातार प्रगति करता रहा जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

(क) हिन्दी कार्यान्वयन

इस कार्य के तहत 3 तिमाही बैठकें समय पर आयोजित की गई, हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिए गए और अनुवर्ती कार्यवाई

सुनिश्चित की गई। हिन्दी की दो तिमाही प्रगति रिपोर्टें समय पर मंत्रालय को भेज दी गई। इस अवधि के दौरान, 8 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें लगभग 150 अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन में प्रशिक्षित किया गया और उन्हें हिन्दी प्रोत्साहन योजनाओं, मानकों के अनुवाद, राजभाषा नियमों आदि के बारे में सूचित किया गया। हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों के अनुपालन हेतु भी कार्रवाई की गई।

भारतीय मानक ब्यूरो में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2012 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी से संबंधित 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सफल प्रतिभागियों को 28 सितम्बर को आयोजित हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो ने भारत सरकार की सभी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन की नकद प्रोत्साहन स्कीम, हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि स्कीम, राजभाषा शील्ड स्कीम को भी कार्यान्वित किया है। कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए भी समय–समय पर कार्रवाई की गई। हिन्दी के रिक्त पदों को भरने के लिए भी कार्रवाई की गई। राजभाषा संसदीय समिति ने उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ कार्यालय और नागपुर शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालय द्वारा सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की सराहना की। भारतीय मानक ब्यूरो के 09 क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के हिन्दी कार्यों का निरीक्षण कराया गया।

(ख) मानक और सामान्य अनुवाद कार्य

भारतीय मानकों के अनुवाद कार्य को बढ़ाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने कई कदम उठाए हैं जिनमें बाहरी अनुवादकों के प्रायोगिक कार्यों की विधीक्षा तथा अधिक संख्या में अनुवादकों को जोड़े जाने का कार्य भी सम्मिलित है। इसके अलावा, मानकों के लगभग 325 शीर्ष को भी द्विभाषी बनाया गया। मानकों के अनुवाद कार्य को सुकर बनाने के लिए ब्यूरो के कार्यालयों में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के समेकित शब्दकोषों की नई प्रतियां वितरित की गई। मानकों के अनुवाद और उनके पुनरीक्षण की प्रोत्साहन योजना के लिए दिशा निर्देश प्रतिपादित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। संबंधित योजना ने सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें और सुझाव दिए। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री (जो प्रोफार्मा, वार्षिक रिपोर्ट, डालमार्किंग सामग्री, विश्व मानक दिवस, राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, संसदीय स्थायी समिति की सामग्री, राजपत्र अधिसूचनाएं, प्रशिक्षण सामग्री आदि से संबंधित हैं) के लगभग 550 पृष्ठों का अनुवाद किया गया।

(ग) नगर राजभाषा समिति (केंद्रीय) में भागीदारी

ब्यूरो ने राजभाषा विभाग द्वारा गठित की गई नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति की बैठकों में भाग लिया है। ब्यूरो ने बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

सतर्कता गतिविधियाँ :

8.15 भारतीय मानक ब्यूरो के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं तथा सतर्कता विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय में है और समूह ख, ग तथा घ के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक अनुशासनात्मक प्राधिकारी (संबंधित उपमहानिदेशक) के सचिवालय में सात सतर्कता अनुभाग हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की सहायता के लिए एक वरिष्ठ निदेशक (सतर्कता) तथा भारतीय

मानक ब्यूरो मुख्यालय के सतर्कता विभाग में तीन सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता अनुभागों में एक सतर्कता अधिकारी तथा सहायक कर्मचारी है।

सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निकट सहयोग से कार्य करता है। इस विभाग को केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस विषय में जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार ब्यूरो की सभी सतर्कता से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं –

(क) निवारक सतर्कता (उदाहरणतः प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना, प्रशिक्षण, 'स्वीकृत सूची' तथा 'संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची' बनाना आदि)

(ख) दण्डात्मक सतर्कता (उदाहरणतः प्राप्त शिकायतों की छानबीन, अन्वेषण, दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि)

(ग) निगरानी तथा अभिज्ञान (उदाहरणतः निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति विवरणियों की छानबीन, मॉनीटरिंग, पुनरीक्षा बैठकें आदि)

अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2012 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा बहुत सी गतिविधियां शुरू की गई। कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैं :

हैण्डबुक – सतर्कता निकासी तथा संबंधित मामलों के विषय में दिशानिर्देश

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में सतर्कता संबंधी विभिन्न मुद्दों पर एक समान तरीके से सही एवं यथोचित कार्रवाई की जाए सतर्कता विभाग ने सभी संबंधित नियमों/अनुदेशों/आदेशों को समेकित किया और एक 'हैण्डबुक – सतर्कता निकासी तथा संबंधित मामले के विषय में दिशानिर्देश' प्रकाशित की।

इस हैण्डबुक का विमोचन पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री एम0 के0 नारायण द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2012 को कोलकाता में हुए एक कार्यक्रम किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रो0 के0 वी0 थॉमस, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की गई।

प्रशिक्षण

भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सतर्कता मामलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 'सतर्कता' के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला के 18 अधिकारियों हेतु जून, 2012 में भारतीय मानक ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वी क्षेत्र के 24 अधिकारियों हेतु जुलाई, 2012 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया। तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के 22 अधिकारियों हेतु अक्टूबर, 2012 में बंगलौर में आयोजित किया गया। चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों के 21 अधिकारियों हेतु नवम्बर 2012 में जयपुर में आयोजित किया गया।

पारदर्शिता

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वेबसाइट पर संगठन द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य की दी गई संविदाओं, की गई खरीद का पूरा विवरण पोस्ट करें। भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

अधिकतम मूल्य सीमा 1 लाख रु0 निर्धारित की गई थी। इस अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर दी गई सभी संविदाओं की गई खरीदों को दिनांक 1 सितम्बर, 2012 से भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाईट पर डाल दिया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं तथा निरीक्षण कार्यालयों के साथ–साथ मुख्यालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टेन्डर्डाइजेशन में 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता विषय पर बैनर्स/पोस्टर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, निंबध तथा नारा प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गई तथा इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

प्रवर्तन

8.16 भारतीय मानक ब्यूरो मानक मुहर (आईएसआई) गुणवत्ता की मुहर है और छः से भी अधिक दशकों में इसने अपनी एक ब्रांड छवि बनायी है क्योंकि उपभोक्ता हमेशा गुणवता वाले उत्पादों को पसंद करता है। इसलिए उपभोक्ता और संगठित क्रेता आईएसआई मुहर वाले उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। आईएसआई मुहर की बढ़ती लोकप्रियता के साथ आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं क्योंकि धोखेबाज विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना घटिया स्तर के उत्पादों पर आईएसआई मुहर लगाकर उपभोक्ताओं को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो ने 01 अप्रैल, 2012 और 31 दिसम्बर, 2012 के दौरान आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर देश भर में 76 प्रवर्तन छापे मारे। इन छापों के दौरान विभिन्न नकली उत्पाद, पैकेजबंद पेयजल, पीवीसी इन्सुलेशन केबलें, प्रेशर कुकर, यूपीवीसी पाईप्स, ब्लॉक बोर्ड आदि जब्त किए गए। प्रवर्तन मामलों में यथा संभव समय पर कार्रवाई के प्रयास किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालयों में अभियोजन प्रारंभ किए जाते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आई.एस.आई. मुहर का दुरूपयोग करने वाले धोखेबाज विनिमार्ताओं के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के इरादे सहित व्यापक प्रचार करने के लिए प्रवर्तन छापों के बारे में जानकारी देने हेतु अनेक प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गई।

कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न

8.17 विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों और मानदंडों का अनुपालन करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो में यौन उत्पीड़न समिति गठित की गई। भारतीय मानक ब्यूरो मुख्य रूप से यह समिति 20.06.2012 को दो वर्ष के लिए पुनगर्ठित की गई। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूमैन्स एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) को समिति में एनजीओ प्रतिनिधि के तौर पर सहयोजित किया गया है। जून, 2012 से दिसम्बर, 2012 के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गई।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में अधिकारियों और स्टाफ की उपलब्धता के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (मध्य क्षेत्रीय कार्यालय को छोड़कर), एनआईटीएस, नोएडा और केंद्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद में अतिरिक्त यौन उत्पीड़न समितियाँ गठित की गई हैं। जहां संभव हुआ, समिति में एनजीओ के प्रतिनिधि को भी सहयोजित किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

31 दिसम्बर, 2012 को 1586 थी। अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. तथा विकलांग व्यक्तियों का समूहवार प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है :

8.18 भारतीय मानक ब्यूरो की कुल स्टाफ संख्या

समूह	वर्तमान संख्या	अनु. जाति	अ.ज. जाति	अ.पि. वर्ग	विकलांग व्यक्ति	विकलांग अ.ज.जा.	पूर्व सैनिक
क	523	91	15	55	03	01	04
ख	473	96	13	09	06	-	02
ग	323	69	17	18	06	-	-
घ*	267	97	16	04	07	-	-
कुल	1586	353	61	86	22	01	06

* पहले ये समूह 'घ' में थे। छठे वेतन आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के निर्णयानुसार समूह 'घ' को निर्दिष्ट प्रशिक्षण दिए जाने के बाद प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद समूह 'घ' के कर्मचारियों का पद समाप्त हो गया है। अब ये समूह 'ग' कर्मचारी माने जाते हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो ने मानव विकास संबंधी अपने प्रयास जारी रखे। मानव संसाधन के विकास के भाग के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के कार्मिकों को इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए एनआईटीएस में प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें विभिन्न एजेंसियों (भारत के भीतर) द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भेजा जाता है।

वर्षिक कार्य योजना 2012–13 के लक्ष्य

गतिविधि	प्रक्षेपन 2012-13 (जनवरी–मार्च 2013)
क. वित्तीय लक्ष्य (राजस्व आय करोड़ों में)	
उत्पाद प्रमाणन	49.2
हॉलमार्किंग	3.45
प्रबंधन पद्धति प्रमाणन	0.71
प्रशिक्षण संस्थान	0.15
भारतीय मानक ब्यूरो कि प्रकाशनों की ब्रिकी	2.52

ख. वास्तविक लक्ष्य

मानकीकरण क) मानक निर्धारण	130
ख) मानकों की समीक्षा	1100
प्रमाणन 1. उत्पाद प्रमाणन प्रचालन लाइसेंसों में निवल वृद्धि (हॉलमार्किंग को छोड़कर) 2011–12	275
2. हॉलमार्किंग : नए लाइसेंस प्रदान करना	450
3. प्रबंधन प्रमाणन पद्धति क) नए लाइसेंस प्रदान करना	50
ख) लाइसेंसधारकों की समीक्षा बैठकें	2

गतिविधि	प्रक्षेपण 2012-13 (जनवरी–मार्च 2013)
प्रयोगशाला : भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं द्वारा रिपोर्टों की संख्या	5465
प्रवर्तन : छापों की संख्या	50
प्रशिक्षण गतिविधियों / जागरूकता कार्यक्रम : i) एनआईटीएस : निम्नलिखित पर प्रशिक्षण कार्यक्रम क) गुणवत्ता प्रबंध पद्धति, प्रलेखन एवं ऑडिटिंग टीक्यूएम, एसक्यूसी, ईएमएस, एफएसएमएस, एचएसीसीपी, ओएचएसएमएस, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण इत्यादि	10
ख) अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)	1
ग) संगठनात्मक विकास : भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	6
ii) एस.पी.सी.ए.डी. : क) मानकों का शैक्षिणक उपयोग (ई यू एस)	12
ख) मानकीकरण एवं गुणता पद्धतियों पर उद्योग जागरूकता कार्यक्रम (ए डब्ल्यू)	11
ग) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	40
iii) हालमार्किंग हॉलमार्किंग पर जागरूकता कार्यक्रम	15

दिनांक 29/08/2012 को बी.आई.एस. ऑडिटोरियम में देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी आई.एस. 16500: 2012 को जारी करते हुए श्री राजीव अग्रवाल, सचिव (उपभोक्ता मामले)

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "खाद्य सुरक्षा–मानकों की भूमिका" संबंधी राष्ट्रीय सेमीनार का शुभारंभ।

अध्याय - IX

बाट तथा माप

9.1 देश में बाट तथा माप कानूनों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के माध्यम से लागू किया जाता है। इन विधायनों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि व्यापार अथवा वाणिज्य अथवा मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सभी बाट तथा माप सही और विश्वसनीय हों ताकि प्रयोगकर्ताओं को उनके कार्य–निष्पादन के बारे में गारंटी दी जा सके। इससे समय आने पर उपभोक्ता उस सही मात्रा/गुणवत्ता– को प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के साथ–साथ सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक उदारीकरण की नीति के चलते भारतीय बाजार में बड़ी तेजी से बहुत से अत्याधुनिक बाट तथा माप उपकरणों को लाया जा रहा है। इस नए किस्म के बाट तथा माप उपकरणों को खपाने के उनके विनिर्देशनों को भी अपनाने और विधिक मापविज्ञान को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

क. विधिक माप विज्ञान

9.2 भारत में बाट तथा माप कानून 'पैकशुदा' रूप में वस्तुओं की बिक्री को भी विनियमित करते हैं। विधिक माप विज्ञान(पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 की अपेक्षा के अनुसार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए पैकेजों पर कतिपय बुनियादी जानकारी की घोषणा करना अनिवार्य है। नियमों में आयातकर्ताओं के लिए आयात पैकेजों पर घरेलू पैकेजों की तर्ज पर ही कुछ बुनियादी घोषणाएं करना अपेक्षित है। विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 को सा.का.नि. 784(अ) तारीख 24.10.2011 के द्वारा संशोधित किया गया था। खुदरा पैकेजों के गैर–मानक आकार के लिए प्रावधान का, निम्न लिखित संशोधनों द्वारा, दिनांक 01.11.2012 से लोप कर दिया गया है:

1. सा.का.नि. 426 (अ) – विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (द्वितीय संशोधन) संशोधन नियम, 2012। विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (तृतीय संशोधन) नियम, 2011 में निम्न लिखित संशोधन किए गए हैं:

"नियम 5 के परन्तुक का 1 नवम्बर, 2012 से लोप किया जाएगा"

2. सा.का.नि. 427 (अ) – विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) संशोधन नियम, 2012। विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

क. प्रोमोशनल ऑफर पर रिटेल पैकेजों को आरम्भ करना।

ख. 1/– रूपये से 10/– रूपये के मूल्य आधारित पैकेजों को आरम्भ करना।

ग. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के स्थान पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रतिस्थापित किया गया है।

घ. आनुषांगिक रूप से संशोधित खाद्य युक्त

पैकेट के मुख्य प्रदर्शन पैनल पर (जी एम) शब्द लिखे जाएंगे।

ङ दूसरी अनुसूची के मानक पैक के आकार में बढ़ोतरी।

ख. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची

9.3 विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) के प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान चार महीने के बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता आ रहा है। संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राज्य आयोगों और जिला मंचों के गैर–न्यायिक सदस्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करता रहा है। इसके अलावा, संस्थान, विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर प्रवर्तन अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए विशिष्ट विषयों पर अल्पकालिक कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करता है। संस्थान प्रतिवर्ष औसतन 200 कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है।

ग. क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं

9.4 केंद्रीय सरकार ने अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। ये प्रयोगशालाएं विधिक माप विज्ञान के राष्ट्रीय मानकों के मूल्यों को वाणिज्यिक स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये प्रयोगशालाएं कार्यशील और मापन यन्त्रों की मॉडल अनुमोदन जांच भी करती हैं। ये अनुसंधान एवं विकास में प्रयोग होने वाले औद्योगिक उपकरणों के अंशाकन द्वारा उद्योगों को भी सुविधा प्रदान करती है। उनके द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के सेमिनारों का आयोजन भी किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने नागपुर और वाराणसी में दो नए क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

घ. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए कार्य

9.5 विभाग ने क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बंगलौर, फरीदाबाद, गुवाहाटी और भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, के आधुनिकीकरण की स्कीमें शुरू की हैं। क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला अहमदाबाद और भुवनेश्वार के लिए पलोमीटर के परीक्षण/अंशांकन के लिए नए प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और फरीदाबाद तथा बंगलौर के लिए इसके शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है। इन प्रयोगशालाओं को किसी भी प्रकार के बाट तथा माप के इलैक्ट्रोनिक सूचक के परीक्षण के लिए इलैक्ट्रानिक परीक्षण सुविधा प्रदान करके आधुनिक बनाया गया है।

9.6 राज्यों के विधिक मानकों के सत्यापन और बाट अथवा मापों के मॉडल अनुमोदन परीक्षण करने की सांविधिक अनिवार्यता के अलावा क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं उद्योगों को उनके बाट तथा माप उपकरणों का अंशांकन करके उनको माप विज्ञान सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला अपने क्षेत्र के औसतन 200 उद्योगों को अंशांकन सेवा प्रदान करती है।

9.7 विभाग द्वारा 27–29 अगस्त, 2012 को नई दिल्ली में एन.पी.एल. में और फ्लो मीटर जांच के लिए एफ.सी.आर.आई. में 04–8 जून, 2012 तथा 15–19 अक्तूबर, 2012 तक विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें 100 से अधिक अधिकारियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ङ. 12वीं पंचवर्षीय योजना

9.8 "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाट एवं माप का सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के तहत विधिक माप विज्ञान विभाग को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 300 करोड रूपये आबंटित किए गए हैं।

च. व्यय विवरण

9.9 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं के राजस्व एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक 1–6 पर संलग्न है।

छ. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

9.10 भारत में विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियम ओ.आई.एम.एल., जिसका भारत भी एक सदस्य है, की सिफारिशों पर आधारित हैं। निदेशक (विधिक माप विज्ञान) ओ.आई.एम.एल. में विभिन्न तकनीकी समितियों के सदस्य हैं।

ज. नए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के बारे में जागरूकता

9.11 विभाग ने नए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए एसोचेम, फिक्की और सी. आई.आई इत्यादि जैसे औद्योगिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की हैं।

श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, आई.आई.एल.एम. के मुख्य भवन में प्रवेश करते हुए।

श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, आई.आई.एल.एम. की प्रयोगशाला का दौरा करते हुए।

श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, आई.आई.एल.एम.को हाल ही में नवीकृत किए गए होस्टल ब्लाक का दौरा करते हुए।

श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, दिसम्बर, 11 से मार्च 12 के दौरान आयोजित किए गए बी.टी.सी. सत्र में संकाय सदस्यों और प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

प्रो. बी.डी. कोनार, डॉ. डी.के. द्विवेदी, सहायक प्रोफेसर और मनीषा प्रसाद, सहायक प्रोफेसर मालदीव से आए प्रशिक्षुओं को सेकेन्डरी स्टैन्डर्ड लेन्थ मापों के बारे में व्याख्या करते हुए।

अप्रैल से जुलाई, 2012 के बी.टी.सी. सत्र में फील्ड दौरे के दौरान आई.आई.एल.एम. के सहायक प्रोफेसर श्री मनीश प्रसाद द्वारा आटोमैटिक रेलवे ब्रिज का प्रदर्शन।

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थी।

हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के मध्य संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण।

मोटर वाहनों के लिए फ्यूल डिस्पेन्सर, एल.पी.जी. डिसपेन्सरर एवं वाहनों के लिए सी.एन.जी. मापन प्रणाली पर विशेष पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों का निदेशक, आई.आई. एल.एम. और संकाय सदस्यों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ

कुर्सी पर बैठे बाएं से दाएं : ममता एम. ए.सी.एल.एम.(कर्नाटक), एस. नागाशंकर (माप विज्ञान सहायक), अदित्य प्रसाद (सहा. प्रो.) मनीश प्रसाद (सहा. प्रो.) प्रो. बी.डी. कोनार, ए.एम. पाठक (निदेशक) प्रोफेसर आर. कुमार, डॉ. डी.के. द्विवेदी (सहा. प्रो.) पाटिल ज्योति एस.ए.सी.एल.एम.(एम.एच.), नितिन आर. काम्बहाले, ए.सी.एल.एम(एम.एच.)

प्रथम पंक्ति में खड़े बाएं से दाएं : नेकला बी.जे. (तमिलनाडु), नेहा सक्सेना (उड़ीसा), एस. विजयलक्ष्मी(तमिलनाडु), ऐली यू. (केरल) डी. श्रीयल्लीस(आंध्र प्रदेश), रीना थॉमस(केरल), काजिला एन.के. (लक्षद्वीप), डी सरोजा (आन्ध्र प्रदेश)

दूसरी पंक्ति में खड़े बाएं से दाए : दीपू के. (केरल), सतीश एम. (केरल), एस.विजय कुमार (आन्ध्र प्रदेश), श्रीकान्तम पाठक (उत्तर प्रदेश), पी.अंदिअप्पन (तमिलनाडु), ए. मुरुगैय्या(तमिलनाडु), सी.टी. वेंकटाचलम (तमिलनाडु), आर.कुमार राज (तमिलनाडु), के. राजशेखरन (तमिलनाडु)

तीसरी पंक्ति में खड़े बाएं से दाएं : सारथ नाथ एस.पी.(केरल), पी.प्रदीप(केरल), संतोष एम.एस.(केरल), पवन कुमार यादव(केरल) अंशुमान नॉगा(पंजाब), एन. संजय कृष्ण (आंध्र प्रदेश), बहादुर सिंह (पंजाब), के. राम मोहन(पंजाब), के. मथियाझगन(तमिलनाडु), जोशी टी.जे.(केरल), प्रवीन के.सी.(केरल)

श्री ए.एम. पाठक, निदेशक, आई.आई.एल.एम. की अधिवर्षिता के उपरान्त 31 अक्तूबर, 2012 को निदेशक आई.आई.एल.एम. का प्रभार ग्रहण करते हुए प्रोफेसर आर. कुमार

बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के प्रशिक्षणार्थी नई नॉन–आटोमैटिक वेईंग इंस्ट्रूमेंट लैबोरेट्री में प्रयोग करते हुए।

फिक्की द्वारा आयोजित विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएँ) नियम, 2011 पर सेमिनार

पीएचडी द्वारा आयोजित विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 पर सेमिनार

एएसएसओसीएचएएम द्वारा आयोजित विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 पर सेमिनार

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची
वर्ष 2012–2013 की वार्षिक रिपोर्ट
वर्ष 2012–2013 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	
		से	तक
1	बेसिक ट्रेनिंग कोर्स (अंग्रेजी माध्यम)	02.4.12	31.07.12
2	बेसिक ट्रेनिंग कोर्स (हिन्दी माध्यम)	02.4.12	31.07.12
3	स्पेशल कोर्स ऑन दि लीगल मैट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011	23.4.12	27.4.12
4	स्पेशल कोर्स ऑन नॉन–आटोमैटिक वेईंग मशीन्स	14.05.12	18.05.12
5	स्पेशल कोर्स ऑन आटोमैटिक रेलवे/ब्रिज एंड स्टेटिक वेहब्रिज	11.6.12	15.6.12
6	स्पेशल कोर्स फॉर रिपेयरर्स ऑफ इलैक्ट्रानिक वेईंग मशीन	1.6.12	29.6.12
7	स्पेशल कोर्स ऑन दि लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट, 2009 एंड रूल्स् मेड देयरअंडर	16.7.12	20.7.12
8	बेसिक ट्रेनिंग कोर्स (अंग्रेजी माध्यम)	1.8.12	30.11.12
9	बेसिक ट्रेनिंग कोर्स (हिन्दी माध्यम)	1.8.12	30.11.12
10	फाउंडेशन कोर्स फॉर फॉरेन आफिशियल्सि इन लीगल मैट्रोलॉजी	1.8.12	30.12.12
11	स्पेशल कोर्स ऑन कैलीब्रेशन एंड वेरीफिकेशन ऑफ स्टैन्डर्ड बैलेंस (मकैनिकल एंड डिजिटल)	27.8.12	31.8.12
12	सेमिनार ऑन लॉज रिलेटिंग टू वेट एंड मैयर्स	13.9.12	14.9.12
13	स्पेशल कोर्स ऑन फ्यूल डिस्पैन्सर ऑफ पैट्रोलियम प्राडक्ट्स लिक्विड एंड सी.एन.जी. मैयजरिंग सिस्टम्स फॉर व्हीकल्स	24.9.12	28.9.12
14	स्पेशल कोर्स ऑन मास कम्पैटर (वेईंग टेकनीक्स एंड कैलीब्रेशन ऑफ वेट्स)	8.10.12	12.10.12
15	स्पेशल कोर्स ऑन दि लीगल मैट्रोलॉजी एक्टस, 2009 एंड रूल्स मेड देयरअंडर	19.11.12	23.11.12
16	बेसिक ट्रेनिंग कोर्स (अंग्रेजी माध्यम)	3.12.12	29.3.13
17	स्पेशल कोर्स ऑन फ्यूल डिस्पैडन्सर ऑफ पैट्रोलियम प्राडक्ट्स लिक्विड एंड सी.एन.जी. मैयसरिंग सिस्टयम्स फॉर व्हीकल्सो	10.12.12	14.12.12
18	स्पेशल कोर्स ऑन आटो/टैक्सी फेयर मीटर (टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन), क्लिनिकल थर्मामीटर एंड ब्लड प्रेशर मैयसरिंग इंस्ट्रमेंट	07.1.13	11.1.13
19	सेमिनार ऑन कंज्यूमर ऐजूकेशन	04.2.13	08.2.13
20	स्पेशल कोर्स ऑन दि लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट, 2009 एंड रूल्स मेड देयरअंडर	18.3.13	23.3.13

वर्ष 2012–2013 के लिए बेसिक ट्रेनिंग कोर्स

(चार माह की अवधि वाले)

में प्रतिभागियों की संख्या

कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	प्रतिभागियों की कुल संख्या	पास	कम्पार्टमेंट / फेल	परिणाम % में
बेसिक ट्रेनिंग कोर्स	01.12.2011 से 31.03.2012	38	34	4	89
बेसिक ट्रेनिंग कोर्स	01.04.2012 से 31.07.2012	31	24	7	77
बेसिक ट्रेनिंग कोर्स	01.08.2012 से 30.11.2012	60	परिणाम प्रतीक्षित है।		
बेसिक ट्रेनिंग कोर्स	01.12.2012 से 31.03.2013	32	प्रशिक्षण चल रहा है।		

वर्ष 2012–2013 में आयोजित किए गए स्पेशल कोर्स/सेमिनार/कार्यशाला में प्रतिभागियों की संख्या

क्रम सं.	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	स्पेशल कोर्स ऑन लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट, 2009 एंड दि मॉडल ड्राफ्ट लीगल मैट्रोलॉजी (एनफोर्समेंट) रूल, 2010	09/01/2012 - 13/01/2012	07
2	स्पेशल कोर्स ऑन आटो/टैक्सी फेयर मीटर (टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन), क्लिनिकल थर्मामीटर एंड ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट	06/02/2012-10/02/2012	03
3	स्पेशल कोर्स ऑन लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट, 2009 एंड दि मॉडल ड्राफ्ट लीगल मैट्रोलॉजी (एनफोर्समेंट) रूल, 2010	19/03/2012-23/03/2012	03
4.	स्पेशल कोर्स फॉर फॉरेन आफिशियल्स (मालदीव)	09/04/2012- 20/04/2012	10
5	स्पेशल कोर्स ऑन प्री–पैकेज्ड् कमोडिटीज रूल्स, 2011	23/04/2012-27/04/2012	11
6	स्पेशल कोर्स ऑन नॉन आटोमैटिक वेईंग इंस्ट्रूमेंट	14/05/2012-18/05/2012	09
7	स्पेशल कोर्स ऑन आटोमैटिक रेलवे ब्रिज एंड स्टेटिक वे ब्रिज	11/06/2012-15/06/2012	18
8	स्पेशल कोर्स ऑन लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट, 2009 एंड रूल्स मेड देयरअंडर	16/07/2012-20/07/2012	15
9	स्पेशल कोर्स फॉर मैनुअल असिस्टेंट	01/08/2012- /08/2012	09
10	स्पेशल कोर्स ऑन कैलीब्रेशन एंड वेरीफिकेशन ऑफ स्टैन्डर्ड बैलेंस (मकैनिकल एंड डिजिटल)	27/08/2012-31/08/2012	12
11	स्पेशल कोर्स ऑन फ्यूल डिस्पैन्सर ऑफ पैट्रोलियम प्राडक्ट्स लिक्विड एंड सी.एन.जी. मैयसरिंग सिस्टम्स फॉर व्हीकल्स	24/09/2012-28/09/2012	04
12	स्पेशल कोर्स ऑन मास कम्पेरेटर (वेईंग टेकनीक्स एंड कैलीब्रेशन ऑफ वेट्स)	08/10/2012-12/10/2012	04
13	स्पेशल कोर्स ऑन फ्यूल डिस्पेन्स ऑफ पैट्रोलियम प्राडक्ट्स/लिक्विड एंड सी.एन.जी. मैयसरिंग सिस्टम्स फॉर व्हीकल्स	10/12/2012-14/12/2012	05

आई.आई.एल.एम. के अन्य कार्यकलाप

1. श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग ने 3 फरवरी, 2012 को भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान का दौरा किया।

2. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान ने जुलाई, 2012 से तिमाही न्यूज लैटर प्रकाशित करना प्रारम्भ किया है और इसके प्रथम अंक का उद्घाटन श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग ने नई दिल्ली में विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

3. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान के निदेशक श्री ए.एम.पाठक की अधिवर्षिता के उपरान्त प्रो0 आर. कुमार ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 को भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान के निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

4. वर्ष 2012 के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में देश के विभिन्न विधिक माप विज्ञान संबंधी संगठनों और प्रतिष्ठानों में अध्ययन दौरा कार्यक्रम संचालित किया गया।

5. दिनांक 20.5.2012 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया।

6. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान में दिनांक 29 अक्तूबर, 2012 से 3 नवम्बर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

7. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान के भवन, हॉस्टल, आवासीय क्वार्टरों, सड़क और चारदीवारी का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राजभाषा संबंधी कार्यकलाप

1. श्री ए.एम. पाठक, संस्थान के निदेशक, डॉ. डी.के द्विवेदी, सहायक प्रोफेसर, श्री के.पी.मिश्रा, अवर श्रेणी लिपिक ने 20 अगस्त, 2012 को सी.आई.पी. रांची में रांची नगर राजभाषा समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया।

2. डा. डी.के. द्विवेदी, सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान ने रांची नगर राजभाषा समन्वय समिति की हिन्दी निरीक्षण समिति के नामित सदस्य के रूप में अन्य सदस्यों के साथ विभिन्न सदस्य कार्यालयों का निरीक्षण 03.08.12 और 09.08.12 को निरीक्षण किया।

3. संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में संस्थान में राजभाषा समन्वय समिति गठित की गई और संस्थान में हिंदी पखवाड़े को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए 11.09.2012 को एक बैठक आयोजित की गई।

4. संस्थान में 14.09.2012 से 28.09.2012 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान, हिन्दी कार्यशाला, निबन्ध लेखन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन क्रमशः 17.09.2012 से 18.09.2012, 21.09.2012 और 28.09.2012 को किया गया।

5. बेसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत चौबीस प्रतिभागियों ने निबन्ध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया और हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह में उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर में प्रतिस्थापित पलो प्रयोगशाला।

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद का कार्य निष्पादन

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्टूबर, 2012 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	153	58	135	24	98
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	210	202	215	115	130
जारी की गई प्रमाण पत्रों की संख्या	431	343	417	223	245
जारी की गई मॉडलों की संख्या	115	108	115	92	125
आयोजित सेमिनारों की संख्या	16	11	6	4	5
राजस्व अर्जित (लाख में)	15.13	14.40	17.29	15.08	18.64

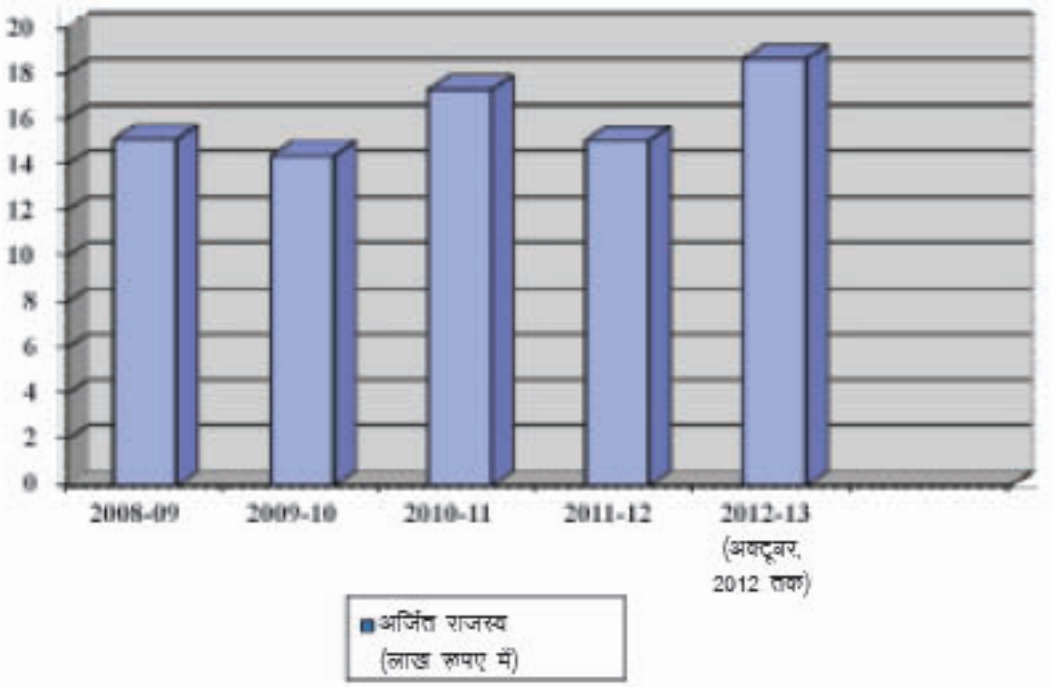

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बैंगलोर का कार्य निष्पादन

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	178	15	85	68	50
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	592	554	676	684	441
जारी की गई प्रमाण पत्रों की संख्या	4909	5139	6848	6988	4386
जारी की गई मॉडलों की संख्या	207	76	143	120	90
आयोजित सेमिनारों की संख्या	09	03	03	02	02
राजस्व अर्जित (लाख में)	39.83	35.87	45.64	50.05	41.65

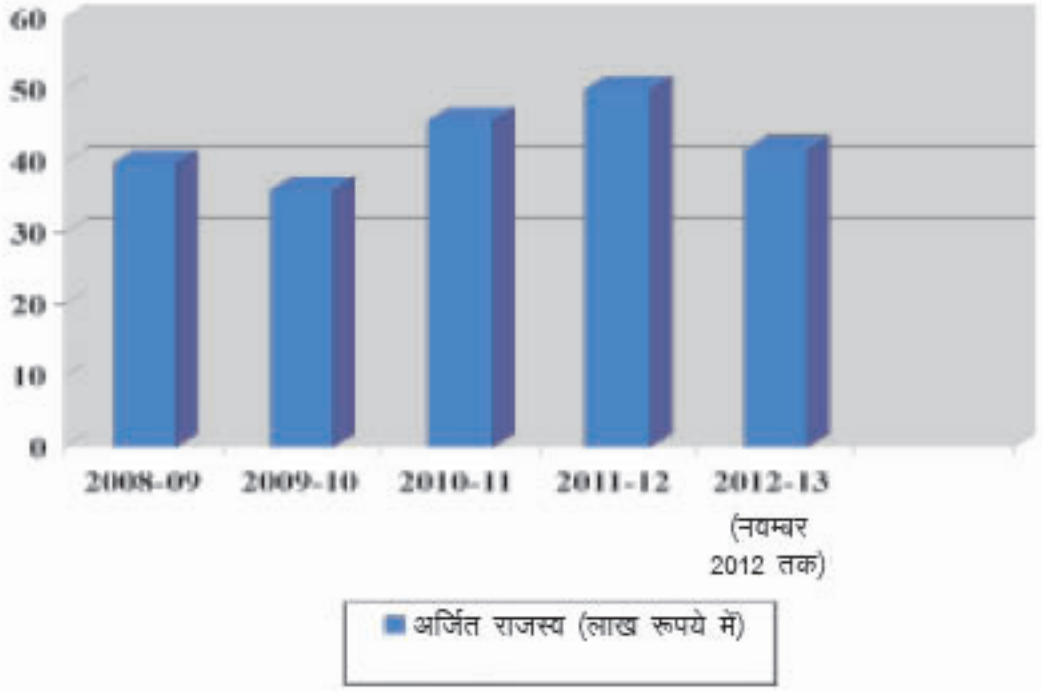

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद का कार्य निष्पादन

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	10	42	11	41	30
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	500	538	562	604	435
जारी की गई प्रमाण पत्रों की संख्या	1800	2300	2000	1235	790
जारी की गई मॉडलों की संख्या	170	165	196	92	30
आयोजित सेमिनारों की संख्या	2	3	2	3	2
राजस्व अर्जित (लाख में)	30.5	36.4	39.6	42.5	22.3

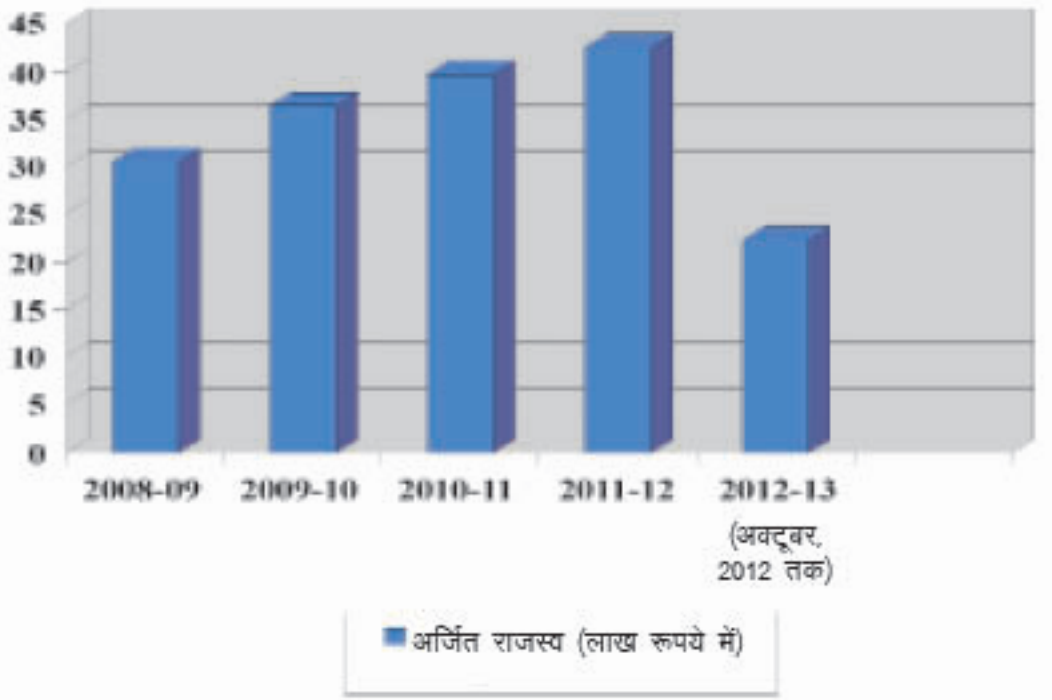

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर का कार्य निष्पादन

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्टूबर, 2012 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	16	46	51	78	45
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	250	271	263	239	152
जारी की गई प्रमाण पत्रों की संख्या	1135	1136	1218	1267	908
जारी की गई मॉडलों की संख्या	49	121	159	118	38
आयोजित सेमिनारों की संख्या	3	2	2	1	1
राजस्व अर्जित (लाख में)	11.22	19.51	24.88	27.03	18.50

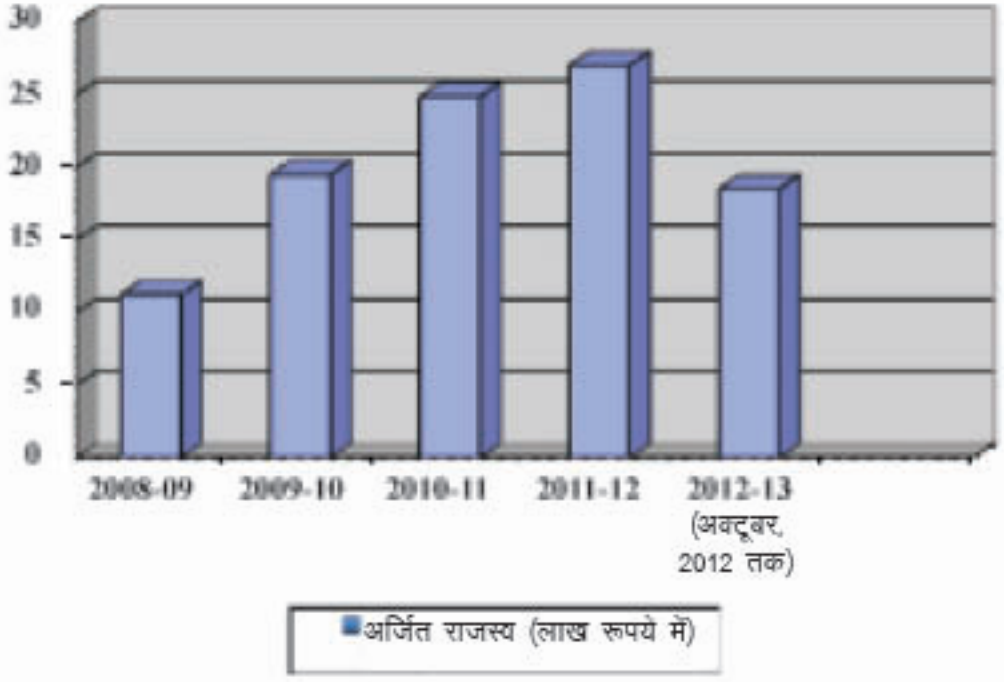

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहटी का कार्य निष्पादन

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्टूबर, 2012 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	10	--	41	3	3
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	07	10	23	10	10
जारी की गई प्रमाण पत्रों की संख्या	16	05	64	31	31
जारी की गई मॉडलों की संख्या	08	05	08	19	23
आयोजित सेमिनारों की संख्या	Nil	04	07	05	Nil
राजस्व अर्जित (लाख में)	1.2	1.2	2.6	2.15	2.7

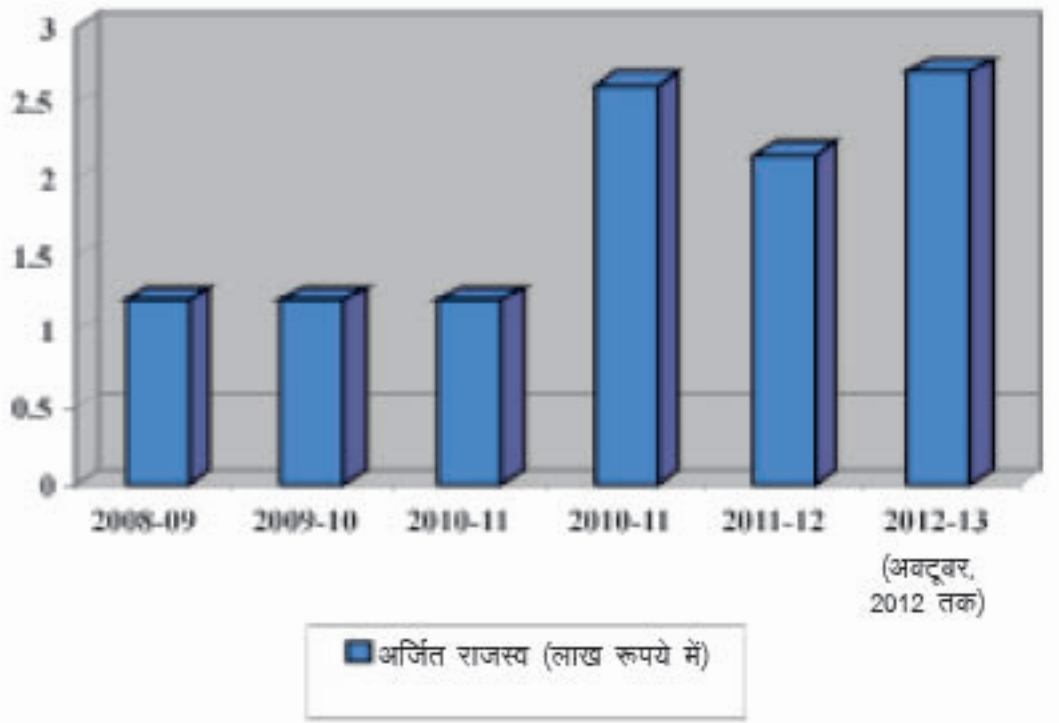

अध्याय - X

राष्ट्रीय परीक्षण शाला

भूमिका

10.1 राष्ट्रीय परीक्षण शाला जिसे पहले सरकारी परीक्षण शाला के नाम से जाना जाता था, की स्थापना रेलवे बोर्ड के अधीन अगस्त, 1912 में अलीपुर, कोलकाता में हुई थी। "स्वदेशी आंदोलन" की पृष्ठभूमि में देश में विनिर्मित वस्तुओं का उपयोग अपरिहार्य हो गया और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उस समय सरकारी परीक्षण शाला) का गठन मुख्य रूप से रेलवे बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया।

10.2 आजादी के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में देश में दूसरी अर्थव्यवस्था और राजकोषीय आधार के निर्माण के लिए निर्यात प्रतिस्थापन और आयात संबर्धन की आवश्यकता को महसूस किया। भारतीय रेल को विदेशों से आपूर्ति पर कम निर्भर बनाने के लिए, यह महसूस किया गया कि भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विविध औद्योगिक उत्पादों के परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला की असीम संभावनाओं को महसूस करते हुए इसे बाद में भारतीय स्टोर विभाग के तहत लाया गया और परीक्षण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन के क्षेत्र में इसकी सुविधाओं को सभी (सरकारी, निजी, अनुसंधान संस्थानों) और व्यक्तियों के लिए भी खोल दिया गया। इसने परीक्षण प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास कार्य भी आरंभ कर दिया। राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जो राष्ट्रीय महत्व की एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है, जिसने एक लम्बा सफर तय किया है और वर्तमान में वर्ष 2012 में राष्ट्र को समर्पित सेवा के 100 वर्ष पूरे किए हैं।

10.3 नई पीढ़ी के भारत का निर्माण करने के लिए स्वदेशी उद्योगों के विकास में राष्ट्रीय परीक्षण शाला सख्त गुणता नियंत्रण के अधीन औद्योगिक अनुसंधान और बिक्री योग्य उत्पादों के बीच एक परामर्शदाता का काम करता है।

10.4 राष्ट्रीय परीक्षण शाला विविध महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों और संगोष्ठियों में भाग लेता है और छोटे उद्यमियों और व्यापक रूप से लोगों के बीच गुणता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का आयोजन भी करता है। वैज्ञानिकों/अधिकारियों के ज्ञान के अद्यतनीकरण के लिए उनको देश और विदेशों में आयोजित विविध विशेष प्रशिक्षण पाठयक्रमों में भेजा जाता है।

10.5 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सेवाओं और अन्य मुख्य बातों का ब्यौरा राष्ट्रीय परीक्षण शाला की वेबसाइट http://www.nth.gov.in पर उपलब्ध है

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की रूपरेखा और इसके द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में देश को दी जा रही सेवाओं की झलक को निम्नलिखित के जरिए देखा जा सकता है:–

संगठन

10.6 देश में राष्ट्रीय परीक्षण शाला का नेटवर्क:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता की स्थापना अलीपुर में 1912 में की गई थी।

क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं

- राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता, 1912 में अलीपुर में और 2003 में साल्ट लेक में।
- राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई, 1964 में।
- राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई, 1975 में।
- राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद, 1977 में।
- राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तोर क्षेत्र), जयपुर, 1993 में।
- राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी, 1995 में।

10.7 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारीवृंद की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक I पर दिया गया है।

कार्य:

10.8 राष्ट्रीय परीक्षण शाला, विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन और गुणता नियन्त्रण, मापन उपस्करों/उपकरणों और डिवाईसों के अंशाकन के क्षेत्र में शुल्क आधार पर कार्य करता है। अधिक संक्षेप में कहा जाए तो राष्ट्रीय परीक्षण शाला वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों अथवा ग्राहक मानक विनिर्देशन के अनुरूप परीक्षण प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य करता है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा दी जाने वाली सेवाएं:

10.9 व्यापक रूप में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के कार्य एवं गतिविधियां

(i) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार औषधियों, शस्त्रों और गोला बारुद को छोड़कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी शाखाओं में सामग्रियों, उत्पादों का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण और मूल्यांकन करना ।

(ii) एशलान–II के स्तर पर अंशांकन तथा अपनी सक्षमता के क्षेत्रों में उपयुक्त मानकों और निर्देशों का अनुरक्षण करना।

(iii) परीक्षण और माप प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य।

(iv) आयात प्रतिस्थापन और निर्यात के संवर्धन के लिए स्वदेशी उत्पादों का विकास करने में उद्योगों की सहायता करना।

(v) इंजीनियरिंग सामग्रियों के हर प्रकार के विफलता विश्लेषण के साथ–साथ इंजीनियरिंग और सामग्री उत्पादों से संबंधित छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं।

(vi) विरासत भवनों के ढांचों का मूल्यांकन एवं पुनर्रुद्धार।

(vii) प्रयोगशाला प्रत्यायन की प्रक्रिया में एन ए बी एल को सहायता प्रदान करना।

(viii) भारतीय विनिर्देशनों का मानकीकरण करने में भारतीय मानक ब्यूरो को सहायता प्रदान करना।

(ix) परीक्षण तथा माप प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(x) इंडियन बॉयलर रेग्यूनलेशन अधिनियम,1950 की 'सेन्ट्रल ऑथारिटी फार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वेल्डर्स' की स्कीम के तहत वेल्डर्स को प्रमाणित करना।

(xi) उपभोक्ता वस्तुओं से सम्बन्धित विवादों के मामले में तृतीय पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

(xii) छोटे उद्यमियों और ग्राहकों के बीच गुणता मानक के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं और मेलों में चर्चाएं एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

(xiii) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र) गाजियाबाद को डीजल जेनरेटर सैटों के ध्वनि प्रदूषण को मापने का कार्य सौंपा गया है।

"विशेष डिनेचर्ड स्पिरिट" में मिलावट की मात्रा का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता की रसायनिक प्रयोगशाला को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्यों की अधिसूचित प्रयोगशाला घोषित किया गया है।

10.10 उपलब्ध सुविधाएं:

निम्निलिखित क्षेत्रों में जांच एवं मूल्यांकन सेवाएं:

- रसायन
- मैकेनिकल (यांत्रिक)
- इलैक्ट्रीकल (विद्युत)
- सिविल इंजीनियरिंग
- गैर–विध्वंसकारी परीक्षण
- आर पी पी टी (रबर, प्लास्टिक, कागज एवं वस्त्र)

अंशाकन सेवाएं (एशलान स्तर–II)

- मैकेनिकल पैरामीटर
- इलैक्ट्रीकल एवं थर्मल पैरामीटर

वर्तमान में मकैनिकल और इलैक्ट्रीकल क्षेत्रों में अंशाकन की सुविधाएं राष्ट्रीय परीक्षण शाला के पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र में और मकैनिकल क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र तथा मकैनिकल, इलैक्ट्रीकल और थर्मल क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र में उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं की एन ए बी एल प्रत्यापन की स्थिति:–

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (प.क्षे.), मुम्बई,

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उ.क्षे.), गाजियाबाद और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उ.प.क्षे.), जयपुर (केमिकल, मैकेनिकल एवं सिविल इंजीनियरिंग) और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू. क्षे.), कोलकाता (मेकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, परीक्षण हेतु आर पी पी टी प्रयोगशालाएं) सभी के पास अब तक आई एस ओ/आई ई सी– 17025 के नवीनतम संस्करण के अनुसार एन ए बी एल का वैध प्रत्यापन है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (प.क्षे.), मुम्बई के पास यांत्रिक अंशाकन और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.), चेन्नई के पास इलैक्ट्रीकल, थर्मल और मेकेनिकल अंशाकन का वैध प्रत्यायन प्रमाणपत्र है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.), चेन्नई की सभी प्रयोगशालाओं का अक्तूबर, 2012 के दौरान एन ए बी एल पुनर्मूल्यांकन संपरीक्षा की गई। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू.क्षे), कोलकाता की रासायनिक, इलैक्ट्रीकल (बैटरी और लैम्प परीक्षण) और इलैक्ट्रीकल एण्ड मेकेनिकल अंशाकन प्रयोगशालाओं के एन ए बी एल प्रत्यापन के नवीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता स्कीम में राष्ट्रीय परीक्षण शाला की स्थिति:

10.11 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी प्रयोगशालाएं अर्थात राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई, रा.प.शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद, रा.प.शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) जयपुर (भवन सामग्रियां, धातुएं, प्लास्टिक, इलैक्ट्रिकल जैसे पैंतीस उत्पादों के लिए), रा.प.शाला (दक्षिण ी क्षेत्र), चेन्नई (विद्युत स्कंध के लिए), रा.प.शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकता, रसायन (पेंट) और विद्युत (सेकेण्डरी बैटरी) को भा.मा.ब्यूरो द्वारा उत्पााद प्रमाणन के लिए मान्यता दी गई है।

10.12 राष्ट्रीय परीक्षण शाला निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक गुणता परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर रहा है:–

(क) परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए तकनीकी प्रबंधकीय सेवा (टैक्नो मैनेजीरियल सर्विस)

(ख) आयात प्रतिस्थापन से संबंधित समस्याओं में सामग्री अभिनिर्धारण परामर्श सेवा (मैटेरियल आइडेन्टफिकेशन कन्सलटैन्सी)

(ग) इंजीनियरिंग मैटेरियल और संयंत्र/प्रणाली हेतु विफलता विश्लेषण (फेलयर अनालिसिस) और उपचारात्मक उपाय।

(घ) पेन्ट और सहायक सामग्रियों, परिष्कृत रसायनों, कीटनाशक दवाओं आदि की गुणवत्ता) में सुधार।

(ड.) परीक्षण और अंशांकन कार्यविधि का विकास।

(च) सिविल निर्माण कार्यों के लिए सुदृढ़ता, प्रायोज्यता तथा स्थायित्व संबंधी परामर्शी सेवा।

(छ) रेडियोग्राफ की व्याख्या और मानकों के संदर्भ में खराबियों की गंभीरता की ग्रेडिंग।

(ज) लघु उद्योग विकास परामर्शी सेवा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एम) की मौजूदा स्थिति:

प्रबंधन सूचना प्रणाली की वर्तमान स्थिति :

10.13 ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–12) के दौरान, राष्ट्रीय परीक्षण शाला को राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में चल रही प्रबंधन सूचना प्रणाली का विस्तार कार्य को राष्ट्रीय परीक्षण शाला अन्य तीन मुख्य क्षेत्रों अर्थात् रा.प.शा. (द.क्षे), चेन्नई, रा.प.शा. (उ.क्षे), गाजियाबाद और रा.प.शा (प.क्षे), मुम्बई में पूरा करने का अधिदेश दिया था।

योजना अवधि के अंत तक रा.प.शा के सभी क्षेत्रों को कोलकाता के मुख्य डाटा केंद्रों से जोड़ दिया गया है और इन क्षेत्रों के उपयोगकर्ता (विशेष रूप से वैज्ञानिक समुदाय) प्रबंधन सूचना प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, इन चारों क्षेत्रों जो लगभग समूचे भारत के भूमंडल को कवर करते हैं, के ग्राहक

इस प्रबंधन सूचना प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं। अब, ग्राहक प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से अपने अपेक्षित परीक्षण/प्रत्यापन प्रमाणपत्र का पाठ डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षण के लिए रा.प.शा को भेजे गए अपने नमूनों की स्थिति उसी समय जान सकते हैं।

रा.प.शा के बारहवीं योजना अवधि के प्रस्ताव के अनुसार, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विस्तार रा.प.शा के शेष दो क्षेत्रों में, पहले रा.प.शा (उ.प. क्षे), जयपुर और उसके बाद रा.प.शा (उ.पू.क्षे) गुवाहाटी में किया जाना है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

सुविधा केन्द्रः

10.14 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है जो प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय मुखिया के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ग्राहकों की जरूरतों और हर प्रश्न का समाधान करने के लिए एक सहायता डेस्क के रूप में कार्य करता है। इस केन्द्र में ग्राहक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सभी परीक्षणों के शुल्क दरों और नमूने के मूल्यांकन की कसौटी के लिए तत्काल संदर्भ प्राप्त कर सकता है। विशेष प्रकार के नमूनों के परीक्षण में सहायता के लिए, केन्द्र संबंधित प्रयोगशाला अध्यक्षों और ग्राहकों के बीच सेतु का कार्य करता है। इस केन्द्र के माध्यम से परीक्षण प्रमाणपत्रों को भी दस्ती डाक से पहुंचाया जाता है। भविष्य में पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक सहायक और ग्राहक हितैषी बनाने और समय अंतराल को कम करने के लिए इस डेस्क से सर्विस रिक्वेस्ट फार्म तैयार किया जाएगा। सुविधा केन्द्र में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रत्येक क्षेत्र से सहायक कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला के लिए उच्चाधिकार सलाहकार समितियांः

10.15 राष्ट्रीय परीक्षण शाला को नीति और विभिन्न प्रशासनिक मामलों में सलाह देने हेतु दो उच्चधिकार समितियां मौजूद हैं। ये हैं– (i) कार्यकारी समिति और (ii) तकनीकी सलाहकार परिषद।

(i) कार्यकारी समितिः

राष्ट्रीय परीक्षण शाला से संबंधित प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परीक्षण शाला की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया गया है जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण शाला के महानिदेशक एक सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति के सदस्य–सचिव निदेशक, रा.प.शा. (पूर्वी क्षेत्र) हैं। सरकारी विभागों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठनों से सदस्यों को इसमें नामित किया गया है। कार्यकारी समिति की बैठक राष्ट्रीय परीक्षण शाला के सामने आ रही समस्याओं और उसके समग्र विकास पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की जाती है।

(ii) तकनीकी सलाहकार परिषदः

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की तकनीकी सलाहकार परिषद महानिदेशक (रा.प.शा.) की अध्यक्षता में कार्य करती है और इसके सदस्य के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली और कोलकाता, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी, हावड़ा के सिविल यांत्रिकी विभाग के अध्यक्ष, आई आई टी, खड़गपुर के मैटेरियल साइंस के प्रोफेसर को नामित किया गया है। निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला(पूर्वी क्षेत्र) को सदस्य–सचिव नामित किया गया है। सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति, कार्य के वर्तमान क्षेत्रों में आशोधन/कटौती करने और परीक्षण और अंशांकन में नए क्षेत्रों/क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए सलाह देना और राष्ट्रीय परीक्षण शाला और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों तथा नए व्यापार क्षेत्रों का पता लगाना है।

10.16 राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा चलाई गई गैर वाणिज्यिक गतिविधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(i) भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न अनुभागीय समितियों में प्रतिनिधित्व करके विभिन्न इंजीनियरिंग और उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्देशों को बनाने में भारतीय मानक ब्यूरो को सहायता दी।

(ii) राष्ट्रीय परीक्षण शाला के वैज्ञानिक एन ए बी एल में प्रमुख विश्लेषक और विश्लेषकों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।

(iii) रेलवे, सेल (SAIL), भा.मा. ब्यूरो जैसे सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों से संबंधित व्यावसायिकों को बहुत कम शुल्क पर परीक्षण और अंशाकन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना।

(iv) तृतीय पक्ष निर्देश प्रयोगशाला के रूप में गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभिन्न विधि न्यायालयों, कानूनी अभिरक्षक और सतर्कता विभागों की सहायता करना। यद्यपि राष्ट्रीय परीक्षण शाला परीक्षण शुल्क लेती है, परन्तु इस प्रकार के परीक्षण के लिए यह मामूली मूल्य देश के उपभोक्ता हितों के लिए अत्यन्त लाभदायक है।

(v) राष्ट्रीय परीक्षण शाला स्वास्थ्य, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान, सुरक्षित आवास आदि जैसे क्षेत्रों में समाज कल्याण सेवा करता है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला शुल्क स्वीकार करता है परन्तु सही मायनों में इसे वाणिज्यिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण शाला की मुख्य भूमिका समाज और राष्ट्र को सेवा प्रदान करना है।

योजनागत कार्यकलाप:

10.17 राष्ट्रीय परीक्षण शाला को गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री मूल्यांकन, मानकीकरण और औद्योगिक विकास में सहायता के क्षेत्र में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए समर्थ बनाने हेतु इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना स्कीम के तहत लाया गया है। स्कीम में विशेष रूप से लघु उद्योगों के लाभ के लिए परीक्षण सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला की गतिविधियों को पांचवी पंचवर्षीय योजना से नियमित रूप से योजना स्कीम के तहत कवर किया जा रहा है।

10.18 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यय वित्त समिति द्वारा 74.84 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं जिसमें से 20.20 करोड़ रुपए की राशि "भूमि एवं भवन" शीर्ष के अंतर्गत रखी गई है 36. 98 करोड़ रुपए उपकरण एवं मशीनरी की खरीद के लिए तथा 17.66 करोड़ रुपए आवर्ती स्वरूप की मदों (सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए 2.00 करोड़ रु. सहित) के व्यय हेतु रखा गया है। उपर्युक्त आबंटित निधियों में से 62.11 करोड रुपए की राशि को वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 और 2011–12 से उपयोग किया गया है।

विभिन्न शीर्षों के तहत वास्तविक आबंटन (संशोधित अनुमान के अनुसार) और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है–

एल एंड बी, एम एंड ई, आवर्ती, आई टी शीर्षों के तहत कुल संशोधित अनुमान आबंटन 69. 51 करोड़ रु. था और खर्च की गई राशि 62.11 करोड़ रु. थी इस प्रकार खर्च लगभग 90% रहा।

रा.प.शा (उ.पू.क्षे), गुवाहाटी में कार्यालय –सह–प्रयोगशाला भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और सी पी डब्ल्यू डी (उ.पू.क्षे) द्वारा दी गई समय–सारणी के अनुसार उक्त भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2013–14 में पूरा होने की सम्भावना है।

हालांकि रा.प.शा (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में आवासीय क्वाटरों का निर्माण ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो चुका है और अब रा.प. शा (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी के सभी कार्य और प्रकार्य इसी भवन से किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद में क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक अतिरिक्त तल का निर्माण और रा.प.शा. (पूर्वी क्षेत्र), अलीपुर में प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण का कार्य ग्यारहवीं

योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.), चेन्नई में नए चरण के भवन का उदघाटन प्रो. के. वी. थॉमस, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, ने 6 अक्टूबर, 2012 को किया। श्री पंकज अग्रवाल, भा.प्र.से, सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

10.19 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के छः केन्द्रों में उपगत व्यय (योजना एवं गैर योजना): (पिछले दो वर्षों के साथ) निम्नलिखित है :–

किया गया व्यय (प्रमुख कार्यों के परिव्यय को छोड़कर)

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13 (31 अक्तूबर, 2012 तक)		
		योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
1	पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता मुख्यालय सहित	756.25	1005.59	1761.84	460.42	1079.87	1540.29	192.58	978.08	1170.66
2	पश्चिमी क्षेत्र, मुम्बई	32.65	327.58	360.23	63.73	355.68	419.41	19.84	346.69	366.53
3	दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई	36.27	339.47	375.74	50.02	361.02	411.04	33.49	320.00	353.49
4	उत्तर क्षेत्र, गाजियाबाद	94.89	324.32	419.20	47.68	395.03	442.71	28.02	388.23	416.25
5	पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जयपुर	20.25	114.97	135.22	22.79	96.63	119.42	19.50	82.84	102.34
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी	14.82	61.21	76.03	14.12	63.58	77.70	7.07	53.61	60.68
	कुल	955.13	2173.15	3128.27	658.76	2351.82	3010.59	300.50	2169.45	2469.95

योजनागत शीर्ष के तहत भूमि एवं भवन के लिए व्ययः वर्ष 2010–11 में 611.00 लाख रूपये के लिए और वर्ष 2011–12 में 1101.00 लाख रुपये राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी पर होने वाले व्यय सहित, के.लो.नि.वि. को प्राधिकृत किया गया। वर्ष 2012–13 में भूमि एवं भवन शीर्ष के तहत 800.00 लाख रूपये का आवंटन किया गया और दिसम्बर, 2012 तक 530 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं।

कार्य निष्पादनः

10.20 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार मानव संसाधन (ब्यौरे अनुलग्नक–I में दिए गए हैं)

10.20.1 पिछले दो वर्षों सहित वर्ष 2012–13 में अर्जित राजस्वः (रुपये लाख में)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31 दिसम्बर, 2012 तक)
1	रा.प.शा. (प.क्षे.), कोलकाता	302.18	353.95	249.86
2	रा.प.शा. (प.क्षे.), मुम्बाई	201.85	254.54	176.64
3	रा.प.शा. (द.क्षे.), चेन्नाई	147.92	200.45	142.50
4	रा.प.शा. (उ.क्षे.), गाजियाबाद	538.12	444.73	358.29
5	रा.प.शा. (उ.प.क्षे.), जयपुर	79.05	108.93	90.02
6	रा.प.शा. (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	17.46	23.00	22.79
	कुल	1286.57	1385.60	1040.10

10.20.2 जारी की गई परीक्षण रिपोर्टों की संख्या और अर्जित किया गया राजस्व–क्षेत्र–वार:

क्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13 (दिसम्बर, 31st 2012 तक)	
	जारी किए गए परीक्षण प्रमाण पत्रों की संख्या	अर्जित राजस्व लाख रुपये में	जारी किए गए परीक्षण प्रमाण पत्रों की संख्या	अर्जित राजस्व लाख रुपये में
रा.प.शा. (पू.क्षे.), कोलकाता	3624	353.95	2442	249.86
रा.प.शा. (प.क्षे.), मुम्बई	2979	254.54	1928	176.64
रा.प.शा. (द.क्षे.), चेन्नई	2279	200.45	1600	142.50
रा.प.शा. (उ.क्षे.), गाजियाबाद	4662	444.73	2800	358.29
रा.प.शा. (उ.प.क्षे.), जयपुर	2224	108.93	1732	90.02
रा.प.शा. (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	415	23.00	374	22.79
कुल	16,183	1385.60	10876	1040.10

10.20.3 चालू और पिछले वर्ष के व्यय के संबंध में कार्य निष्पादन–क्षेत्रवार :

(रुपये लाखों में)

क्षेत्र	2011-12			2012-13 (दिसम्बर, 31st 2012 तक)		
	गैर योजना व्यय	अर्जित राजस्व	गैर योजना व्यय में राजस्व का%	गैर योजना व्यय	अर्जित राजस्व	गैर योजना व्यय में राजस्व का%
रा.प.शा. (पू.क्षे.), कोलकाता	1079.87	353.95	32.78	978.08	249.86	25.54
रा.प.शा. (प.क्षे.), मुम्बई	355.68	254.54	71.56	346.69	176.64	50.95
रा.प.शा. (द.क्षे.), चेन्नई	361.02	200.45	55.52	320.00	142.50	44.53
रा.प.शा. (उ.क्षे.), गाजियाबाद	395.03	444.73	112.58	388.23	358.29	92.29
रा.प.शा. (उ.प.क्षे.), जयपुर	96.63	108.93	112.73	82.84	90.02	108.67
रा.प.शा. (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	63.58	23.00	36.17	53.61	22.79	42.51
कुल	2351.82	1385.60	58.92	2169.45	1040.10	47.94

10.20.4 वर्ष 2012–13 के दौरान (31 दिसम्बर, 2012 तक) विशेष महत्व की गतिविधियां:–

(क) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के फिजियो–मैकेनिकल प्रभाग के तहत मैकेनिकल प्रयोगशाला सहित सिविल प्रयोगशाला ने नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के अनुसार पार्टीशन के लिए गेल्वेनाइज्ड कोल्ड फॉर्मड स्टील सेक्शन, कोरूगेटेड प्रोफाइल शीट, फाइबर सीमेंट शीट का प्रयोग करते हुए "माडल हाऊस की" संरचनात्मक स्थिरता, सुरक्षा, स्वास्थ्य के निर्धारण के लिए एक विस्तृत प्रयोगात्मक अध्ययन किया है। इन

भवनों को "आवास इकाई" (ड्वेलिंग यूनिट) का नाम दिया गया जिसका विस्तार कम–आय समूह के लोगों के लिए "कम लागत के घर" के लिए किया गया है।

संरचना पर निम्नलिखित परीक्षण किए गए–

(क) नींव का गैर विध्वंशक परीक्षण

(ख) समूचे ढांचे की भार वहन क्षमता

(ग) संरचनात्मक सामग्रियों का परीक्षण

(घ) संरचना के जोड़ों पर प्रूफ लोड परीक्षण

(ड़) हवा के दबाव का परीक्षण

(च) आकस्मिक बल के दौरान नींव की क्षति को रोकने की क्षमता

(ख) दाब–पूर्व (प्री–स्ट्रेस्ड) कंकरीट के ढांचे के निर्माण में प्रयुक्त सात परतों की लड़ी वाली तार के लिए दाब के दौरान शिथिलीकरण एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। यांत्रिक प्रयोगशाला में भार और शिथिलीकरण के मूल्यों को निरंतर रिकार्ड करते हुए 1000 घण्टों तक लगातार दाब–शिथिलीकरण परीक्षण किए गए। यह परीक्षण सुविधा इस समय राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता के अलावा आई आई टी चेन्नै में उपलब्ध है।

(ग) पी जी सी आई एल द्वारा नियानी, जयपुर में 765 के वी टावर पैकेज में पी जी सी आई एल द्वारा किए जाने वाले उप प्रबंधक क्यू ए एंड आई, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि., कोलकाता द्वारा चुने गए और सील किए गए 7/3.66 एम एम व्यास के जी एस अर्थ वायर का डी. सी., रेसिस्टेंट परीक्षण पी जी सी आई एल के विनिर्देशनों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), साल्ट लेक में पी जी सी आई एल, कोलकाता के उप महाप्रबंधक की मौजूदगी में किया गया।

(घ) इंडियन कोस्ट गार्ड, एन एस सी बी आई एयरपोर्ट, कोलकाता के कमाण्डिंग आफिसर से प्राप्त एक ओसिलोस्कोप जिसका मेक–वैज्ञानिक, माडल–एच एम 1004 का राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता की विद्युत अंशाकन प्रयोगशाला द्वारा सफलता पूर्वक अंशाकन किया गया।

(ड़.) सात अलग–अलग प्रकार की पेंट कोटिंग (कोल्डर गेल्वनाइजिंग कोटिंग, सीमेंट कोटिंग, पयूजन ब्राण्डेड इपोक्सी कोटिंग, पोली यूरेथेन कोटिंग, साल्वेंयट फ्री इपोक्सी कोटिंग, एक्रीलिक पोलिस्टर विद ग्लास फलैक कोटिंग और कोल तार इपोक्सी कोटिंग) वाली राडों के बंकन परीक्षण और अपघर्षण परीक्षण का तुलनात्मक अध्ययन राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू.क्षे.) कोलकाता की कैमिकल प्रयोगशाला द्वारा किया गया। यह मल्लानूम इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, बांकुरा द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्य के अनुसार है।

(च) शीट मोल्डेड कम्पाउण्ड (एस एम सी) के बने 3–फेज मीटर बाक्स का परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकाता की आर पी पी टी प्रयोगशाला, विद्युत प्रयोगशालाए और रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से संगत विनिर्देशनों के अनुसार किया गया। यांत्रिक शक्ति (हैमर टेस्ट), हीट डिफलैकशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पाईंट, रेसिस्टेंट टू हीट एंड फायर, डि–इलैक्ट्रिक प्रोपर्टीज वेरीफिकेशन टेस्ट, इन्सुलेशन टेस्ट, इलैक्ट्रिकल शौक रेसिस्टेंस टैस्ट आदि, मैटिरियल आइडेण्टीफिकेशन टैस्ट कुछ ऐसे टैस्ट हैं जो संबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए। राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता द्वारा परीक्षण के लिए हाथ में लिया गया यह एक नए किस्म का नमूना है।

(छ) मैसर्स एच ए एल नासिक की एक परियोजना के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई की एन डी टी प्रयोगशाला को फेब्रिकेशन स्थल पर

वेल्ड किए गए जोड़ों की जांच करने के लिए उचित एन डी टी तकनीक तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। प्रयोगशाला के 8 अगस्त, 2012 और 14 अगस्त ,2012 को राफ्टर, बीम,कालम, ओवरहाल, हैंगर, फ्यूल एग्रेगेट हैंगर के वेल्ड किए हुए जोड़ों का मैसर्स ओक्टामिक बिल्डिंग सिस्ट्म्स, मुंबई के परिसर में एन डी परीक्षण किया।

(ज) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चैन्नई के इलैक्ट्रो–टेक्नीकल प्रभाग के अधीन विद्युत प्रयोगशाला ने सलेम में मैसर्स मेगाबिन इण्डस्ट्रीज के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वी सी बी) के लिए संगत आई ई सी विनिर्देशन के अनुसार ऑन–साइट मैकनिकल इण्डुरेंस टेस्ट् (10,000 साइकिल्स) किया। वी सी बी इलैक्ट्रिकल सर्किट को ओवर लोड अथवा शार्ट सर्किट के कारण क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए विद्युत प्रवाह को तत्काल रोक कर एक स्वचालित इलैक्ट्रिकल स्विच के रूप में कार्य करता है।

(झ) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चैन्नई के इलैक्ट्रो–टेक्नीकल प्रभाग के अधीन विद्युत प्रयोगशाला ने भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन की तर्ज पर नागरकोविल, तमिलनाडु में आई एस आर ओ (सैटेलाइट इंजिन टेस्टिंग सेंटर आफ इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन) में एन्टी स्टेटिक फलोर टेस्ट किया। इलैक्ट्रोस्टेटिक डिसचार्ज का नुकशानदायक प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही ठोस इलैक्ट्रोनिक घटक भी फेल हो सकते हैं।

(ञ) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), जयपुर की यांत्रिक प्रयोगशाला को राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि. से स्टील एंगल्स (विभिन्न ट्रेड और विभिन्न आकार का इमारती इस्पात) के पांच नग प्राप्त हुए। नमूनों का इमारती इस्पात के भौतिक और रासायनिक पैरामीटरों के लिए आई एस :2062 के अनुसार परीक्षण किया गया। इस प्रकार के एंगल्स का प्रयोग 765 के वी ट्रांसमिशन टावर के साइड आर्म्स में किया जाता है और इस परीक्षण कार्य को विशेष प्रकार के कार्य में सूचीबद्ध किया गया है।

10.20.5 कार्य अभिव्यक्ति से समाज को होने वाले लाभ

(क) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उ.क्षेत्र), गाजियाबाद के सिविल इंजीनयिरिंग प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने ऑयल इंडिया लिमिटेड, नोएडा के आवासीय घरों पर संरचनाओं की कार्यक्षमता को निर्धारित करने के लिए गैर विध्वंशक परीक्षण किया।

सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण की गुणता का मूल्यांकन करने के लिए गैर–विध्वंशक परीक्षण तकनीकों के माध्यम से एम ई एस के बहुमंजिली कंक्रीट के ढांचों के लिए राफ्ट फाउण्डेशनों का विश्लेषण किया गया।

(ख) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उ.क्षे), गाजियाबाद को फिजियां–मैकेनिकल प्रभाग के तहत मैकेनिकल इंजिनीयरिंग प्रयोगशाला द्वारा सिलाई मशीन हेड, स्टैंड और टेबल का परीक्षण किया गया। यह कार्य विधवाओं और गरीबों को उनके स्वरोजगार स्कीमों के तहत वितरण हेतु दिल्ली नगर निगम के कार्यक्रम के तहत है।

(ग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे), चेन्नई की आर पी पी टी प्रयोगशाला ने पी वी सी कोट वाले रेनकोटों के लिए तकनीकी विनिर्देशनों को अंतिम रूप देने में पांडिचेरी समाज कल्याण विभाग को सुझाव दिया। रेनकोट विनिर्देशनों के लिए परिधि, मजबूती और वाटर प्रूफींग कुछ पहलू हैं जिनको ध्यान में रखा गया। यह पॉडिचेरी के समाज कल्याण विभाग के तहत स्कूली छात्रों (लड़के एवं लड़कियों) को रेनकोट वितरण करने के उद्देश्य को लेकर चलाई गई सामाजिक हित वाली परियोजना है।

10.20.6 जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य:

(क) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू.क्षे), कोलकाता के यांत्रिक अंशाकन प्रयोगशाला ने कुछ चिकीत्सकीय

उपकरणों का अत्यंत संक्षिप्त आयामी माप और आयतन अंशाकन सफलतापूर्वक किया गया अर्थात् क. ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने के लिए फिल्टर और फिल्टर चैम्बर।

ख. रक्त नमूना पात्र एवं ग्लास स्लाइड्स।

ग. वयस्कों और बाल मरीजों दोनों के लिए ब्लड ट्रांस्फ्यूजन और इंफ्यूजन सेट।

विभिन्न भारतीय मानकों का प्रयोग करते हुए ये परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण शाला पर पहली बार किए गए।

(ख) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (प.क्षे), मुम्बई के एन डी टी प्रयोगशाला ने स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा (स्वास्थ्य खंड), निदेशालय, गुजरात सरकार के माइक्रो–स्लाइडों का आई एस:3099 भाग–2 के अनुसार परीक्षण किया। रिफ्रेक्टिव इंडैमन, पैईलेलिज्म, डायमेंशन एन डी टी प्रयोगशाला द्वारा किए गए कुछ विशिष्ट परीक्षणों में से हैं। जन स्वास्थ्य सेवा में माइक्रोस्लाइडों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है और रा. प. शा. को महत्वपूर्ण कार्य उपयुक्त रूप से सौंपा गया है।

(ग) पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग, जयपुर की जल आपूर्ति परियोजना से बिलासपुर डैम से जयपुर सिटी तक की पाइपलाइन के अलग–अलग स्थानों से जल के नौ नमूने एकत्रित किए गए। मैसर्स एल एंड टी कंस्ट्रक्शजन लि., जयपुर ने नमूनों को परीक्षण के लिए रा. प. शा. (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर की रासायनिक प्रयोगशाला को भेजा। सभी प्राप्त जल के नमूने पीले रंग के थे और प्रयोगशाला वैज्ञानिकों द्वारा आई एल 10500–1991 के अनुसार उनकी पीने योग्य होने की जांच की गई। रा. प. शा. ने यह कार्य लोकहित में किया और इसको सफलतापूर्वक पूरा किया।

10.21 उन नए उपकरणों की सूची जिनके माध्यम से रा.प.शा प्रणाली में सुधार किया गया:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला के 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2012–13 के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों की सूची

क्र. सं.	उपकरणों का नाम	क्षेत्र	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	औचित्य
	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (प.क्षे.), मुम्बई			
1.	जलवायु परीक्षण चैम्बर, 1000 ली., –40 डिग्री से. से 180 डिग्री से. सापेक्ष आर्द्रता 10: से 98: (आयातित)	इलैक्ट्रीकल	20	चक्रीय परिवर्तन सहित पर्यावरण की स्थितियों के तहत इलैक्ट्रीकल कलपुर्जो और उपकरणों के परीक्षण हेतु मौजूदा सुविधाओं का विस्तार
2.	प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर, एक्स) – थाय स्टेज सहित इमेज प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए कलपुर्जे एवं साफ्टवेयर आवर्धन 2400 एक्स तक (आयातित)	आर पी पी टी	20	वस्त्र फाइबर की पहचान, फेब्रिक और यार्न के मापन, उच्च आवर्धन के तहत ई पी और डायस्कोपी के तहत विविध संरचनाओं की जांच के लिए मौजूदा सुविधाओं का विस्तार।

क्र. सं.	उपकरणों का नाम	क्षेत्र	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	औचित्य
	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.), चैन्नई:			
3.	सेरामिक, पोर्सेलिन एवं विट्रीफाइड टाइलों के लिए थर्मल सॉक उपकरण	सिविल इंजीनियरी	3	मौजूदा सुविधाओं का विस्तार
4.	टेन्सिओं मीटर–पी सी एटैच्ड–परीक्षण स्ट्रीओप्सक और शीट्स के लिए 10 एन के रेजोल्यूशन के साथ 20 के एन संलग्न	मैकेनिकल	6	मौजूदा सुविधाओं का विस्तार
5.	प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, याइनोकुलर, एक्स–याय स्टेज सहित इमेज प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए कलपुर्जे एवं साफ्टवेयर आवर्धन: 2400 एक्स तक (आयातित)	आर पी पी टी	20	वस्त्र फाइबर की पहचान, फेब्रिक और यार्न के मापन, उच्च आवर्धन के तहत ई पी और डायस्कोपी के तहत विविध संरचनाओं की जांच के लिए मौजूदा सुविधाओं का विस्तार।
6.	जलवायु परीक्षण चैम्बर, 1000 ली., 950 एमएमएच x 800 एमएमडब्यू पर x 800 एमएमडी –40 डिग्री से. से 180 डिग्री से. सापेक्ष आर्द्रता 10% से 98% (आयातित)	इलैक्ट्रीकल	20	चक्रीय परिवर्तन सहित पर्यावरण की स्थितियों के तहत इलैक्ट्रीकल कलपुर्जो और उपकरणों के परीक्षण हेतु मौजूदा सुविधाओं का विस्तार
	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उ.क्षे.), गाजियाबाद:			
7.	प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, याइनोकुलर, एक्स–याय स्टेज सहित इमेज प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए कलपुर्जे एवं साफ्टवेयर आवर्धन 2400 एक्स तक (आयातित)	आर पी पी टी	20	वस्त्र फाइबर की पहचान, फेब्रिक और यार्न के मापन, उच्च आवर्धन के तहत ई पी और डायस्कोपी के तहत विविध संरचनाओं की जांच के लिए मौजूदा सुविधाओं का विस्तार।

क्र. सं.	उपकरणों का नाम	क्षेत्र	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	औचित्य
	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू.क्षे.), कोलकाता:			
8.	पेट्रोल एनेलाइजर (मिड एफटीआईआर आधारित), पुस्तकालय से नियंत्रित कंप्यूटर, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं यूपीएस और पेट्रोल के आर ओ एन, एम ओ एल के निर्धारण के लिए आवश्यक कलपुर्जे (आयातित)	रासायनिक	20	पेट्रोल विश्लेषण के क्षेत्र में मौजूद सुविधाओं का विस्तार।
9.	एटोमिक एब्जोर्पशन स्पैक्ट्रोमीटर, पूर्णतः पी सी नियंत्रित छः विभिन्न हेलो केथोड लैम्प्स को रखने में सक्षम वेवलेंथ रेंज 190–900 एनएम स्लीट चौड़ाई 0.1 से 2.0 एन एम (आयातित)	चैन्नई	20	मौजूद उपकरण को बदलना जो दस वर्ष से अधिक पुराना है और कई बार ठीक किया गया है।
10.	प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर, एक्स.–याय स्टेज सहित इमेज प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए कलपुर्जे एवं सापटवेयर आवर्धन 2400 एक्स तक (आयातित)	आर पी पी टी	20	वस्त्र फाइबर की पहचान, फेब्रिक और यार्न के मापन, उच्च आवर्धन के तहत ई पी और डायस्कोपी के तहत विविध संरचनाओं की जांच के लिए मौजूदा सुविधाओं का विस्तार।
11.	जलवायु परीक्षण चैम्बर, 1000 ली., 950 एमएमएच x 800 एमएमडब्यू x 800 एमएमडी –40 डिग्री से. से 180 डिग्री से. सापेक्ष आर्द्रता 10% से 98% (आयातित)	इलैक्ट्रीकल	20	चक्रीय परिवर्तन सहित पर्यावरण की स्थितियों के तहत इलैक्ट्री कल कलपुर्जों और उपकरणों के परीक्षण हेतु मौजूदा सुविधाओं का विस्तार

10.21 राष्ट्रीय परीक्षणशाला में स्थापित लोक शिकायत तंत्रः

राष्ट्रीय परीक्षण शाला एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है जो सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन, गुणता आश्वासन और मानकीकरण का कार्य करती है। उपर्युक्त सेवाओं और क्रियाकलापों के लिए नमूने जमा करने और नमूने तथा परीक्षण शुल्क आदि प्राप्त करने हेतु उसका जनता के साथ सीधा संपर्क है। ये सुविधाएँ कम्पयूटरकृत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी यूनिटों पर उपलब्ध है और यह एकल खिड़की "नमूना कक्ष" के जरिए कार्य करता है। उपर्युक्त के बावजूद, लोक शिकायत के शीघ्र पंजीकरण और प्रतितोष की निगरानी के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी क्षेत्रों में लोक शिकायत कक्ष हैं। प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख इस कक्ष का नेतृत्व करते हैं।

उपलब्धियां :

वर्ष 2012–13 के लिए 31 दिसंबर, 2012 तक लोक शिकायत संबंधी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

(क) 01.04.2012 तक लंबित शिकायतों की संख्या = शून्य

(ख) 01.04.2012 से 31.12.2012 तक के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या = शून्य

(ग) 01.04.2012 से 31.12.2012 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या = शून्य

(घ) 01.01.2013 तक लंबित शिकायतों की संख्या = शून्य

10.22 राष्ट्रीय परीक्षण शाला में सतर्कताः

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय) का सतर्कता विभाग सीधे राष्ट्रीय परीक्षण शाला के महानिदेशक के नियंत्रण में है जिसमें एक सतर्कता अधिकारी, एक कार्यालय अधीक्षक और एक उच्च श्रेणी लिपिक सम्मिलित है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला के छः क्षेत्रीय शाखाओं के छः अधिकारी सीधे राष्ट्रीय परीक्षण शाला(मुख्यालय) के सतर्कता अधिकारी के नियंत्रणाधीन सहायक सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रों के सभी छः सहायक सतर्कता अधिकारी और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय) के सतर्कता अधिकारी उनको सौंपे गए नियमित कार्यों के अलावा सतर्कता का कार्य अंशकालिक कार्य के रूप में करते हैं। वर्तमान में, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में पांच सतर्कता/अनुशासनिक मामले लंबित हैं।

10.23 हिन्दी का कार्यनिष्पादनः

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण शाला में हिन्दी का प्रयोग संतोषजनक रहा। राष्ट्रीय परीक्षण शाला में हिन्दी की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

राष्ट्रीय परीक्षण शाला अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के पूरे प्रयास करता है। यह राजभाषा नियम 5 का पूरा अनुपालन करता रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय ने 14.9.2012 से 30.09.2012 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रतिनिधि हिन्दी सलाहाकर समिति की बैठकों में उपस्थित हुए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान राजपत्रित अधिकारियों को हिन्दी में कार्यालय का कार्य करने में मदद करने के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। एक टंकक और आशुलिपिक को क्रमशः हिन्दी में टंकण और हिन्दी अशुलिपि में प्रशिक्षण दिया गया है।

10.24 राष्ट्रीय परीक्षण शाला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों, गतिविधियों से संबंधित जानकारी

10.25 राष्ट्रीय परीक्षण शाला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारीः

राष्ट्रीय परीक्षण शाला में 31.12.2012

तक कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य. पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की स्थिति अनुलग्नक–II में दी गई है।

10.26 अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ स्कीम : रा.प.शा में 31.12.2012 तक अक्षम व्यक्तियों की संख्या की स्थिति अनुलग्नक–II में दी गई है।

10.27 पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गुवाहाटी की गतिविधियां :– राष्ट्रीय परीक्षण शाला के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी में संचालित परियोजनाओं और स्कीमों पर रिपोर्ट अनुलग्नक–III में दी गई है।

10.28 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

अब तक इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

10.29 लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति अनुलग्नक–IV में दी गई है।

10.30 राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रदान की गई मुख्या परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाएं निम्नलिखित हैं:

(i) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (प.क्षे.), मुम्बई के सिविल इंजीनियरी में यूरोपीय देशों में व्यापक रूप से उपयोग की जा रही और ई एफ एन ए आर सी (यूरोपियन फेडेरेशन ऑफ स्पेशलिस्ट कन्सट्रक्शन केमिकल्स एंड कंक्रीट सिस्टम) द्वारा विनिर्दिष्ट सेल्फन कम्पेकिटींग कंक्रीट के मिश्रित डिजाइन की सुविधा सृजित की है और उसका उपयोग ग्रेड एम. 50 कंक्रीट के लिए किया है। प्रयोगशाला एस टी एम डी. 7234 के अनुसार कंक्रीट कोटिंग, के पुल ऑफ बॉड स्ट्रेंथ की सुविधा का निर्माण किया है और विभिन्न प्रकार की कंक्रीट कोटिंग का परीक्षण किया है।

(ii) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (प.क्षे.), मुम्बई की इलैक्ट्रीकल प्रयोगशाला द्वारा फायर रिटारडेंट लो स्मोक एंड हैलोजेन (एफ आर एल एस एच) केबलों के परीक्षण के लिए नई परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया है।

(iii) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उ.क्षे.), गाजियाबाद के इलैक्ट्रीकल प्रभाग में अत्याधुनिक एम सी बी परीक्षण सुविधा तैयार कर ली गई है और पूर्णतः कार्य कर रही है। यह उत्तरी भारत की एकमात्र प्रयोगशाला है जहां पर 12 के वी तक की क्षमता वाले शोर्ट सर्किट विथस्टैंड्स कैपेबलिटी और 125 एम्पेयर्स रेटिंग तक के एम सी बी सहित पूर्ण परीक्षण सुविधा है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी विद्युत बोर्ड जैसे कि केन्या लाइटिंग पावर कोर्पोरेशन, इथियोपिया इलैक्ट्रिक पावर कंपनी इत्यादि ने भारत से आयात के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उ.क्षे.), गाजियाबाद के हाई वोल्टीज प्रयोगशाला में लाइटिंग इम्पल्स वोल्टेज परीक्षण को मान्यता दी है और सत्यापित किया है।

(iv) ओर्थपेडिक अस्पताल के लिए मॉडयूलर ऑपरेशन थियेटर के निर्माण में प्रयुक्त पोली यूरेथीन फोम (पीयूएफ) इनसुलेटड स्टील पैनलों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन तीन प्रयोगशालाओं नामतः राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू.क्षे), कोलकाता की मैकेनिकल, रासायनिक और आर पी टी प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सामान्य परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ विशेष परीक्षण जैसे कि फायर रेसिस्टेंस, सेल्फ एक्स्टीनगुइसिंग, डाइमेंशनल स्थिरता इत्यादि भी किए गए।

(V) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू. क्षे.), कोलकाता के इलैक्ट्रिकल कल परीक्षण प्रभाग ने विविध भारतीय मानक विनिर्देशनों और अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों जैसे आई ई सी, एस ए ई (यू.एस.ए), डी आई एन (जर्मनी), जे आई एस (जापान) इत्यादि के अनुसार सैकेंडरी (लीड एसिड) बैटरी के परीक्षण के लिए वर्ष 2009 में "20 चैनल सैकेन्डरी बैटरी साइकल टेस्टर" खरीदा।

प्रयोगशाला ने श्रीलंका मानक संस्थान, कोलम्बों के माध्यम से थाईलैंड से प्राप्त लीड एसिड आटोमोटिव बैटरियों का परीक्षण किया। प्रयोगशाला, 'इनवर्टस' और 'सोलर सिस्टम बैटरी पैक' के लिए तैयार की गई लीड एसिड बैटरी के संबंध में भी कार्य करती है। यह सैकेन्डरी बैटरियों के परीक्षण के लिए एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित देश की एकमात्र प्रयोगशाला है।

अनुलग्नक –I

31.10.2012 की स्थिति के अनुसार स्टॉफ की स्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

तालिका–I

	राजपत्रित	अराजपत्रित	कुल
स्वीकृत	201	482	683
वास्तविक	149	324	473

अनुलग्नक–II

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों/अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिक की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

मंत्रालय/विभाग का नाम : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग
कार्यालय/संगठन : राष्ट्रीय परीक्षण शाला

पद का समूह	स्वीकृत पद	वर्तमान में तैनात कर्मचारियों की संख्या	कॉलम 3 में से निम्नलिखित से सम्बन्धी रखने वाले कर्मचारियों की संख्या							
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	शारीरिक रूप से अक्षम			भूतपूर्व सैनिक	महिला कर्मचारियों की संख्या
						दृष्टि बाधित	बधिर बाधित	अस्थि विकलांग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह–क	96	72	10	3	7	शून्य	शून्य	शून्य	1	7
समूह–ख										
राजपत्रित	105	77	15	1	7	शून्य	शून्य	1	शून्य	13
अराजपत्रित	110	33	6	4	6	शून्य	शून्य	1	शून्य	6
समूह–ग	226	189	45	14	12	शून्य	1	2	3	31
समूह–घ	146	102	36	3	9	शून्य	2	4	2	7
कुल	683	473	112	25	41	शून्य	3	8	6	64

अ.ज.– अनुसूचित जाति अ.ज.जा.–अनुसूचित जन जाति अ.पि.व.– अन्य पिछड़े वर्ग

अनुलग्नक–III

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गुवाहाटी के स्थापना काल से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित की जा रही परियोजनाओं और स्कीमों पर एक रिपोर्ट

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की एक उपग्रह शाखा की स्थापना 1996 में सी आई टी आई काम्प्लैक्स, कालापहाड़, गुवाहाटी–781016 में की गई थी जिसे असम सरकार से किराए पर लिया गया और जिसका उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षाओं को पूरा करना है। इसके कार्यालय और प्रयोगशाला परिसर के लिए 7 सेट जिनका क्षेत्रफल लगभग 12600 वर्ग फीट है तथा एक हॉस्टल ब्लॉक असम सरकार के वाणिज्य निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी की स्थापना खपत योग्य इंजीनियरी उत्पादों के गुणता आश्वासन के जरिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को देखते हुए की गई थी।

1. इस समय राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती हैं–

(i) विभिन्न प्रकार की इंजीनियरी सामग्री यथा सिविल व रासायनिक वस्त्र, मैकेनिकल आदि का परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन।

(ii) सीमेंट, जल, पेंट, सामान्य रसायन, स्टील आदि के लिए परीक्षण विधियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(iii) प्रयोगशाला स्थापना, पैकेज में रखे पेय जल, मृदा सामग्रियों आदि के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

(iv) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी की मौजूदा सुविधाओं पर निर्भर करते हुए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों द्वारा शुरू किए गए परियोजना कार्य में भाग लेना।

2. उपभोक्ताओं को समग्र सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी के पास कृषि आधारित और खनिज आधारित दोनों क्षेत्रों के उद्योगों में क्षेत्र के बढ़ते हुए औद्योगीकरण के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश है। अतः इस क्षेत्र के लिए भावी योजना इस प्रकार है:–

(i) ऑर्गनिक और इनऑर्गनिक उत्पादों, गैस विश्लेषण आदि की परीक्षण सुविधाएं सृजित करके मौजूदा रसायन प्रयोगशाला का विस्तार करना आदि।

(ii) मिश्रित डिजाइन, सैनीटेरी वेयर, अपघर्तकों तथा सिविल इंजीनियरी उत्पादों के गैर विध्वंसक परीक्षणों के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित करके मौजूदा सिविल प्रयोगशालाओं का विस्तार करना।

(iii) यांत्रिक इंजीनियरिंग उत्पाद बिलेट्स, स्टील प्लेट्स आदि के परीक्षण के लिए नई परीक्षण सुविधाएं सृजित करके यांत्रिक प्रयोगशाला का विस्तार करना आदि।

(iv) रबड़, प्लास्टिक, पेपर और वस्त्र इंजीनियरी की नई प्रयोगशालाएं खोलना।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी के प्रकार्य और वर्तमान परिदृश्य

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी की सभी प्रयोगशालाएं कार्यालय–सह–प्रयोगशाला

भवन का निर्माण कार्य पूरा होने तक अस्थायी तौर पर नवनिर्मित चार मंजिल आवासीय क्वार्टरों में अपना कार्य कर रही है। मौजूदा प्रयोगशाला माहौल में आधुनिक परीक्षण उपकरणों का रख–रखाव कठिन होता जा रहा है आगे विस्तार करना तो दूर की बात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधारढांचे के विकास को कारगर बनाने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुपालन में राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने मौजूदा अर्द्धस्थायी शेडों को चरणबद्ध रूप से हटाकर राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोतर क्षेत्र), गुवाहाटी के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक स्थायी भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। एक बार स्थायी प्रयोगशाला भवन में काम शुरू हो जाने पर राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी औद्योगिक उत्पादों बेहतर के गुणवत्ता आश्वासन को अधिक अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकती है।

उक्त भवन के निर्माण के लिए सी पी डब्ल्यू डी (पूर्वोत्तर क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत अनुमान 12.06 करोड़ रु. था और इसे उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। रा.प.शा (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी के स्थायी कार्यालय–सह–प्रयोगशाला भवन का निर्माण अंतिम चरण में है और सी पी डब्ल्यू डी द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2013–14 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी क्षेत्र को विनियमित करने में अभावों पर काबू पाकर सुविधाओं का ईष्टतम उपयोग करता है। क्षेत्र की अपेक्षा है कि यहाँ और आस पास के क्षेत्र में उभरकर आ रहे उद्योग तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता अपने अधिकांश उत्पादों के मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन का लाभ एक सूची के नीचे उठाएंगे।

अनुलग्नक–IV

राष्ट्रीय परीक्षण शाला और उसकी क्षेत्रीय ईकाइयों से संबंधित बकाया पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बईः– वर्ष 2010–11 तक के लेखा–परीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई अभी पूरी की जानी है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाताः– वर्ष 2010–11 में स्थानीय लेखा परीक्षा के संबंध में 5 पैराओं के उत्तर भेज दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबादः– वर्ष 2010–11 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गई है, इसलिए अभी तक कोई लेखा परीक्षा टिप्पणी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2008–11 के लेखा परीक्षा पैराओं (छह पैरे) और भाग II ख (2008–11 की निरीक्षण रिपोर्ट) के उत्तर दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नईः– प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, (वैज्ञानिक विभाग), चेन्नई के कार्यालय द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के लिए 24 से 30 जून,2011 के दौरान आयोजित की गई स्थानीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है और सभी ग्यारह पैराओं के उत्तर दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई के उत्तर तैयार कर लिए गए हैं और सभी सोलह पैराओं के उत्तर दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटीः लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के लिए पैराओं (15 पैरे) के संबंध में की गई कारवाई के उत्तर दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की गतिविधियों के संबंध में प्रमुख घटनाएं
राष्ट्रीय परीक्षण शाला क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम के फोटोग्राफ
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता

प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता डी.डी.ए., एन.टी.एच. एवं माननीय मंत्री जी के निजी सचिव 2 मार्च, 2012 को राष्ट्रीय परीक्षण शाला के दौरे के दौरान एन.टी.एच. के कार्यों पर चर्चा करते हुए।

प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय राज्य. मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार श्री पी. अयप्पाल, तत्कालीन विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला 2 मार्च, 2012 को राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता के दौरे के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता (मुख्यालय) की लॉबी में।

अलीपुर कार्यालय भवन का सबसे पुराना भाग, मित्र ब्लॉक, 31 अगस्त, 2012 के शुभ दिन पर प्रार्थना के लिए तैयार किया जा रहा है।

एन.टी.एच. (पू.क्षे.) कोलकाता के स्टॉफ द्वारा 31 अगस्त, 2012 को एन.टी.एच. (पू.क्षे.) कोलकाता के आडिटोरियम में त्रैभाषिक रूप में पेश किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम, "अमार जन्मभूमि एवं अमार कर्मभूमि"

एन.टी.एच. (पू.क्षे.) कोलकाता के कर्मचारियों द्वारा 31 अगस्त, 2012 की शाम को मनाया गया शताब्दी दिवस समारोह।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई :

एन.टी.एच.(प.क्षे.), मुम्बई के प्रभारी वैज्ञानिक, श्री एन.सिंह दिनांक 16/9/2012 को एन.टी.एच. (प.क्षे.), मुम्बई में हिन्दी पखवाड़ा कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए।

एन.टी.एच. (प.क्षे.), मुम्बई में हिन्दी पखवाड़ा कार्यक्रम के अवसर पर एन.टी.एच.(प.क्षे.), मुम्बई के प्रभारी वैज्ञानिक, श्री एन.सिंह क्षेत्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ और श्रीमती एस. शिर्नोय, ए.डी.ए. एन.टी.एच.(प.क्षे.), मुम्बई।

एन.टी.एच.(प.क्षे.), मुम्बई के स्टॉफ द्वारा 31 अगस्त, 2012 को शताब्दी समारोह का आयोजन

एन.टी.एच.(प.क्षे.), मुम्बई के स्टॉफ द्वारा 31 अगस्त, 2012 को शताब्दी समारोह का आयोजन

जी.सी.एम.एस. पर पैकबेड पेयजल को कवर करते हुए पानी में कीटनाशकों के अवशेषों का विश्लेषण के संबंध में एन.टी.एच. (प.क्षे.), मुम्बई में 30 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2012 तक तीन दिवसीय "प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया गया जिसमें एन.टी.एच. के क्षेत्रीय वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

एन.टी.एच. (प.क्षे.), मुम्बई में जी.सी.एम.एस. पर पैकबंद पेयजल को कवर करते हुए पानी में क्वीटनाशकों के अवशेषों का विश्लेषण के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए एन.टी.एच. (प.क्षे.), मुम्बई के प्रभारी वैज्ञानिक, श्री एन. सिंह

एन.टी.एच. (प.क्षे.), मुम्बई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2012 कार्यक्रम के अवसर पर एन.टी.एच. (प.क्षे.), मुम्बई के प्रभारी वैज्ञानिक, श्री एन. सिंह क्षेत्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ और श्रीमती एस. शिर्नोय, ए.डी.ए. एन.टी.एच. (प.क्षे.), मुम्बई।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.) चेन्नई:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.) चेन्नई के शताब्दी भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 6 अक्तूबर, 2012 को लिए गए फोटोग्राफ

6 अक्तूबर, 2012 को राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.) चेन्नई के शताब्दी भवन का उद्घाटन समारोह

प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.) चेन्नई के शताब्दी भवन के उद्घाटन के अवसर पर रिब्बन काटते हुए

प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.) चेन्नई के शताब्दी भवन के उद्घाटन के अवसर पर पौधारोपण करते हुए

प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार और निदेशक एन.टी.एच., कोलकाता की उपस्थिति में उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के सचिव श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस., 8 अक्तूबर, 2012 को राष्ट्रीय परीक्षण शाला (द.क्षे.) चेन्नई के शताब्दी भवन के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते हुए

प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (रा.प.शा.) चेन्नई के शताब्दी भवन के उद्घाटन के अवसर पर उद्घाटन भाषण देते हुए

श्रीमती निर्मला, सचिव, खाद्य, सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण, तमिलनाडु राज्य सरकार दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 को राष्ट्रीय परीक्षण शाला (रा.प.शा.) चेन्नई के शताब्दी भवन के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए

ए.एम.ई.टी. विश्वविद्यालय के हारबर इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर लिए गए फोटोग्राफ

श्री एस. थिरुमलाईकोलुंडु, वैज्ञानिक (सिविल) प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को समक्ष प्रदर्शन करते हुए

श्री वाई. धनंजय, प्रभारी वैज्ञानिक, एन.टी.एच. (द.क्षे.) चेन्नई, प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र) चेन्नई में 31 अगस्त, 2012 को स्थापना दिवस समारोह और शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया।

श्री के. अनबरसु, उप महानिदेशक, भा.मा. ब्यूरो, चेन्नई, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र) चेन्नई में स्थापना दिवस समारोह और शताब्दी समारोह के उद्घाटन के अवसर पर उद्घाटन भाषण देते हुए

श्री के. अनबरसु, उप महानिदेशक, भा. मा. ब्यूरो, चेन्नई, सेलवी के.जे.डरिनी सुपुत्री के. जयाराज, वैज्ञानिक (इलैक्ट्रिकल) को 31 अगस्त, 2012 को आयोजित शताब्दी समारोह कार्यक्रम में भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए पुरस्कार प्रदान करते हुए। कार्यक्रम में एन.टी.एच. (द.क्षे.), चेन्नई के प्रभारी वैज्ञानिक और एन.टी.एच. (द.क्षे.), चेन्नई के पूर्व निदेशक श्री एस. जयपाल भी उपस्थित थे।

श्री पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय के साथ श्री विलास मुत्तेमवार, माननीय अध्यक्ष, संसदीय स्थायी समिति।

श्री विलास मुत्तेमवार, संसदीय स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के माननीय राष्ट्रपति रा. पा. शा., कोलकाता में 21.01.2013 को रा. पा. शा. के शताब्दी समारोह की स्मृति में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के माननीय राष्ट्रपति रा. पा. शा., कोलकाता में 21.01.2013 को रा. पा. शा. के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में।

श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के माननीय राष्ट्रपति रा. पा. शा., कोलकाता में 21.01.2013 को रा. पा. शा. के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में।

प्रो. के. वी. थॉमस माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 21.01.2013 को रा. प. शा. कोलकाता में रा. प. शा. के शताब्दी समारोह में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

अध्याय - XI

अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/ शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

11.1 विभिन्न ग्रेडों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया।

11.2 उपभोक्ता मामले विभाग तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी से संबंधित कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है:–

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों/महिलाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण
(31.12.2012 की स्थिति के अनुसार)

पद समूह	स्वीकृत संख्या	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	कालम 3 में से निम्नलिखित से संबंधित कर्मचारियों की संख्या							
			अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अन्य. पिछड़े वर्ग	शारीरिक रूप से विकलांग			भूतपूर्व सैनिक	महिला
						दृष्टि बाधित	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
समूह क.	224	158	23	9	15	1	-	1	3	19
समूह ख. राजपत्रित	188	144	21	1	11	-	-	1	-	34
अराजपत्रित	201	108	17	5	14	-	-	6	-	30
समूह ग	631	485	122	37	49	2	3	8	8	64
कुल	1244	895	183	52	89	3	3	16	11	147

नोट– संकलन में उपभोक्ता मामले विभाग और इस विभाग के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सूचना शामिल है:

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता

वायदा बाजार आयोग, मुंबई

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली

विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं – (अहमदाबाद, बेंगलूरू, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी)

जागो ग्राहक जागो

आईए, मनाएं
अपने गणतंत्र की 63वीं वर्षगाँठ
सबकी थाली में भोजन के साथ
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अध्याय - XII

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न–शिकायत समिति का गठन

12.1 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता मामले विभाग में 3 अगस्त, 1998 को एक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिसका पुनर्गठन 29.11.2010 को किया गया। इस शिकायत समिति को महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों के समयबद्ध निवारण से संबंधित कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, यह सैल महिला सैल के रूप में भी कार्य करता है जो निम्नलिखित क्षेत्रों को व्यापक तौर पर कवर करता है:

(क) विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के वातावरण में सुधार करने की कार्रवाई करना तथा समन्वय स्थापित करना।

(ख) महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई करना।

(ग) महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित अन्य सामान्य कार्य।

12.2 इस सैल को अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विभाग की सभी महिला कर्मचारियों के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उनके सामने आ रही समस्याओं, यदि कोई हो, के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

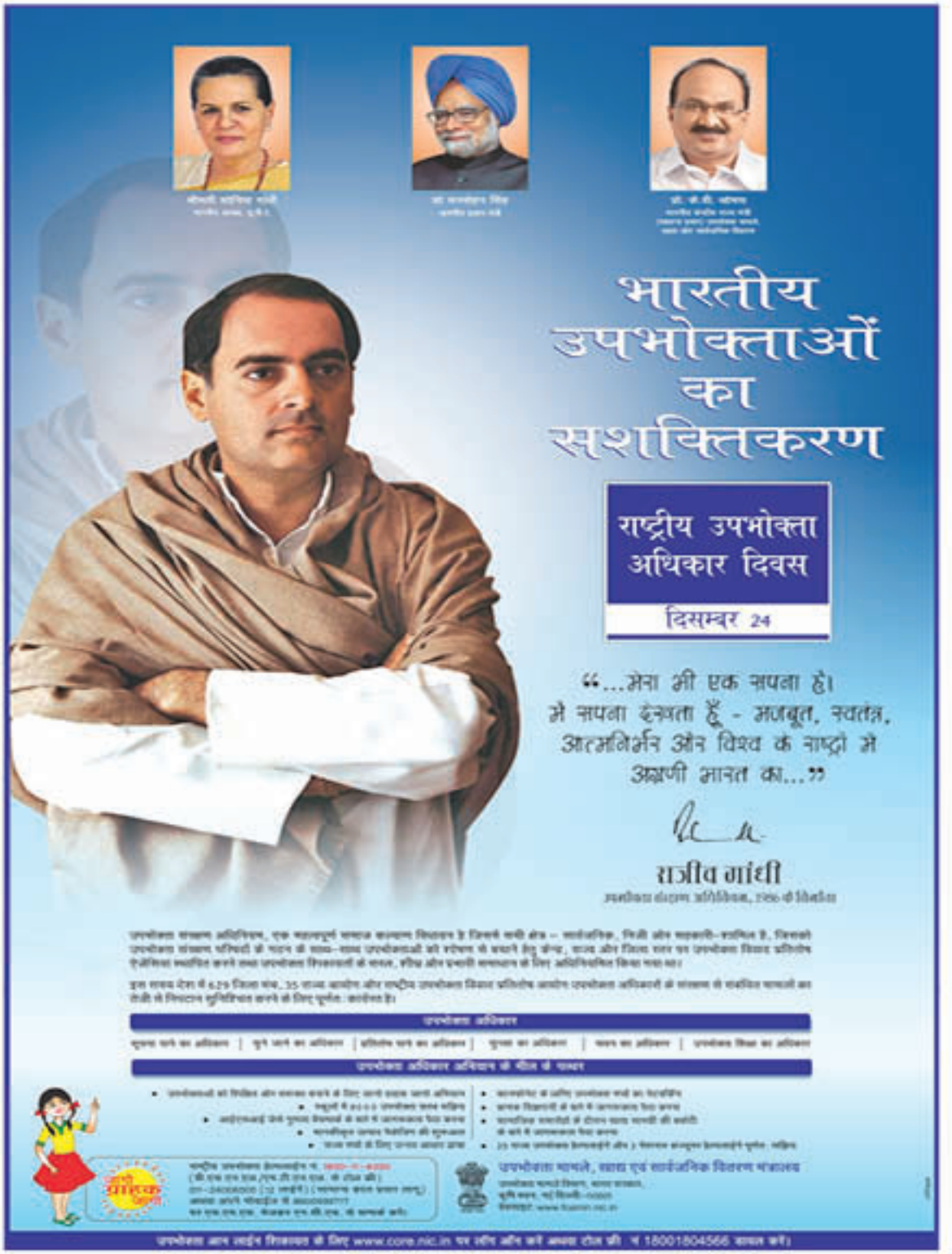
भारतीय उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
दिसम्बर 24
"...मेरा भी एक सपना है। मैं सपना देखता हूँ - मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और विश्व के राष्ट्रों में अग्रणी भारत का..."
राजीव गांधी
जागो ग्राहक जागो

अध्याय - XIII

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन

13.1 संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के अधीन इस विभाग में एक हिंदी प्रभाग है जो विभाग के सभी अनुवाद कार्यों को संपन्न करता है और विभाग में तथा इसके साथ–साथ सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उनके क्षेत्रीय संगठनों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

1. वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई।

2. राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग में जांच बिन्दुओं की स्थापना की गई है। इन जांच बिन्दुओं के प्रभावी अनुपालन के लिए कारगर कदम उठाए गए।

3. विभाग के जिन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों (समूह घ को छोड़कर) को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसके साथ ही विभाग और नियम 10(4) के तहत अधिसूचित ऐसे कार्यालयों द्वारा उक्त नियमों के नियम 8 (4) के अंतर्गत सभी काम हिन्दी में करने के लिए आदेश भी जारी किए गए।

पुनरीक्षा

13.2 राजभाषा विभाग द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए वर्ष 2012–13 के वार्षिक कार्यक्रम पर जारी किए गए आदेशों को विभाग तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन के लिए परिचालित किया गया। इस संबंध में हुई प्रगति पर तिमाही रिपोर्टों के जरिए निगरानी रखी गई है और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उन पर समीक्षात्मक/आलोचनात्मक चर्चा की गई।

13.3 वर्ष के दौरान विभाग तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभाग में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। इन बैठकों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों पर तथा क्षेत्रीय भाषाओं का अनुपूरक प्रयोग करने पर भी जोर दिया गया।

13.4 मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 19.12.2012 को आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

प्रोत्साहन योजनाएं

13.5 वर्ष के दौरान विभाग में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लिखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी नकद पुरस्कार योजना जारी रखी गई।

13.6 विभाग के कर्मचारियों को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में टाइपिंग का कार्य करने के लिए विशेष प्रोत्सहन भत्ता भी दिया जाता रहा।

13.7 विभाग में 01.09.2012 से 14.09.2012 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी. में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए गए।

अन्य गतिविधियां

13.8 विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्राचार का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कदम उठाए गए।

13.9 हिंदी भाषा, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइपिंग में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए नामित किया गया।

13.10 हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग का अभ्यास कराने के लिए विभाग में समय–समय पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

13.11 विभाग के पुस्तकालय के लिए हिन्दी समाचार – पत्र, पत्रिकाएं तथा जरनल नियमित रूप से खरीदे गए।

13.12 सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग में ही नहीं, वरन् इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी निरंतर प्रयत्न किए गए। इस बारे में हुई प्रगति पर निगरानी रखने के लिए समय–समय पर निरीक्षण किए गए।

*****

अध्याय - XIV

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में मूल्य निगरानी

14.1 पूर्वोत्तर राज्यों से 22 आवश्यक वस्तुओं के संबंध में दैनिक और साप्ताहिक मूल्य रिपोर्टों के आधार पर मूल्य निगरानी की जाती रही।

बाट तथा माप

14.2 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी, 1 मई, 2009 से नए परिसर में कार्यरत है और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों के विधिक माप विज्ञान विभागों तथा औद्योगिक क्षेत्र में सत्यापन एवं अकांशन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

14.2.2 वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल 5.22 करोड़ रू की राशि आंबटित की गई जिसमें से 5.02 करोड़ का खर्च किया गया (प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु सहायता अनुदान के तहत 2.0 करोड़ रू, सी एन जी / एल पी जी किटों, वेहब्रिज परीक्षण किट, सैकेण्डरी मानक/कार्यकारी मानक बाटों और चैक मापन इत्यादि जैसे उपकरणों की खरीद के लिए डी जी एस एंड के लिए 3.02 करोड़ रू)

भारतीय मानक ब्यूरो

14.3 भारतीय मानक ब्यूरो का गुवाहाटी में एक शाखा कार्यलय है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों की गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणन और प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करता है। गुवाहाटी शाखा कार्यालय राज्य सरकारों को प्रमाणिक वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने कार्यालय भवन के लिए लगभग 9900 वर्ग फीट और प्रयोगशाला भवन के लिए 900 वर्ग फीट के स्थान की खरीदारी पहले से ही असम राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड (हाऊसफीड) से कर ली है। नए कार्यालय और प्रयोगशाला के मार्च 2013 से प्रारम्भ होने की संभावना है।

भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ताओं को मानक चिह्न युक्त उत्पादों और हालमार्क युक्त ज्वैलरी की खरीद के लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों में डी.ए.वी.पी. के माध्यम से प्रचार कर रहा है। इस क्षेत्र में, बांबू मैट कोरोगेटिड शीट के लिए आई.एस. 15476:2004 के अनुसार पहला अखिल भारतीय लाइसेंस प्रदान किया गया है।

31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार प्रचलित लाइसेंसों की कुल संख्या 467 (उत्पादों के लिए 360 लाइसेंस और हॉलमार्किंग के लिए 107 लाइसेंस) हैं। अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसों में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

360 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसों का राज्य–वार वितरण निम्नानुसार है:

असम	–	–	–	235
त्रिपुरा	–	–	–	25
मणिपुर	–	–	–	08
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	13
मिजोरम	–	–	–	06
मेघालय	–	–	–	58
नागालैंड	–	–	–	15
	कुल		–	360

गुवाहाटी शाखा कार्यालय की एक संबद्ध प्रयोगशाला है जहां गैल्वनाइज्ड स्टील शीटों (स्पाट और कोरोगेटेड), सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए एम एस बायर रॉड, उच्च शक्ति डिफार्मड स्टील बार्स, स्टर्कचरल स्टील, कोरोगेटेड और सेमी कोरोगेटेड एस्बेटस सीमेंट शीट इत्यादि जैसे उत्पादों का भौतिक परीक्षण किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन

14.4 राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन पहले से ही 7 पूर्वोत्तर राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में कार्य कर रही है।

गैर योजना स्कीम के तहत उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता।

इस विभाग ने संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(1) कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट को त्रिपुरा राज्य में आम आदमी की समस्याओं के सम्बन्ध में उनकी परियोजना नए युग में भारतीय उपभोक्ता के लिए।

(2) नागालैंड के लांगलेन जिला में जागरूकता कार्यक्रम के लिए 15 लाख रुपए की राशि, नागालैंड के अयोलटा मानव संसाधन सोसाइटी को मंजूर किया गया।

(3) कोहिमा में उपभोक्ता जागरूकता अभियान के आयोजन के लिए यी. खिक्कि वेलफेयर सोसाइटी, एसोसिएशन को सोसाइटी के विकास के लिए 10 लाख रु. और 5 लाख रु. मंजूर किया गया।

(4) नागालैंड के वोखा जिला के पिछड़े क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता का आयोजन करने के लिए वोखा जिले के गैर सरकारी संगठन सनराईज मिशन होम को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(5) फेक जिले के एक गैर सरकारी संगठन चैरिटी वेलफेयर सोसायटी को नागालैंड के फेक जिले के पिछड़े क्षेत्र में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिए 20.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान

14.5 विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदर्शन केन्द्रों की सेवाओं का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया कि संदेश स्थानीय भाषा में पहुंच सके। आडियो और विडियो स्पॉटस को पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं जैसे असमिया, खासी, गारो, मिजो, मणिपुरी और नागा में बनाया जा चुका है। पूर्वोत्तर में अभियान चलाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकाशवाणी, निजी एफ एम चैनलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संस्करण वाले समाचार पत्रों का उपयोग किया जा रहा है। प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विशेष अभियान चलाया गया। वास्तविक जीवन के निर्णयों के आधार पर सीरियलों का निर्माण किया गया है और उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसारित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला

14.6 राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गुवाहाटी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित की जा रही परियोजनाओं और स्कीमों के संबंध में एक रिपोर्ट अनुलग्नक–**IV** पर प्रस्तुत है।

अनुलग्नक–IV

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गुवाहाटी द्वारा अपने स्थापना काल से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित की जा रही परियोजनाओं और स्कीमों के संबंध में एक रिपोर्ट

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की एक उपग्रह शाखा की स्थापना 1996 में सी आई टी आई काम्पलैक्स, कालापहाड़, गुवाहाटी–781016 में की गई थी जिसे असम सरकार से किराए पर लिया गया और जिसका उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षाओं को पूरा करना है। इसके कार्यालय और प्रयोगशाला परिसर के लिए सात शेड, जिनका क्षेत्रफल लगभग 12,600 वर्ग फीट है तथा एक हॉस्टल ब्लाक असम सरकार के वाणिज्य निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी की स्थापना खपत योग्य इंजीनियरी उत्पादों के गुणता आश्वासन के जरिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को देखते हुए की गई थी।

1. इस समय राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है:–

(i) विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग सामग्री जैसे सिविल और रासायनिक (बिल्डिंग मैटीरियल, पावर ब्लॉक्स, कोल, एडमिक्सऔचर इत्याादि), मैकेनिकल (टी.एम.टी. स्ट्रिक्चरल स्टील, एल्यूमिनियम सैक्शन इत्यादि) का परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन।

(ii) सीमेंट, जल, सामान्य रसायन, स्टील आदि के लिए परीक्षण विधियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(iii) प्रयोगशाला स्थापना, मृदा सामग्रियों आदि की गुणवत्ता के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

(iv) विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों द्वारा शुरु किए गए परियोजना कार्य में राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी की मौजूदा सुविधाओं पर निर्भर करते हुए भाग लेना।

2. उपभोक्ताओं को समग्र सेवा प्रदान करना, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी के पास 'कृषि आधारित ' और ' खनिज आधारित ' दोनों क्षेत्रों के उद्योगों में क्षेत्र के बढ़ते हुए औद्योगीकरण के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश है। अतः इस क्षेत्र के लिए भावी योजना इस प्रकार है: –

(i) आर्गेनिक और इनआर्गेनिक उत्पादों, गैस विश्लेषण आदि के परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित करके मौजूदा रसायन प्रयोगशाला का विस्तार करना आदि।

(ii) मिश्रित डिजाइन, सैनीटेरीवेयर, अपवर्तकों तथा सिविल इंजीनियरिंग उत्पादों के गैर विध्वंसको परीक्षणों के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित करके मौजूदा सिविल प्रयोगशालाओं का विस्तार करना।

(iii) यांत्रिक इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे बिलेटस, स्टील प्लेलटस आदि के परीक्षण के लिए नई परीक्षण सुविधाएं सृजित करके यांत्रिक प्रयोगशाला का विस्तार करना आदि।

(iv) रबड़, प्लास्टिक, पेपर और वस्त्र इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं खोलना।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी का प्रकार्य और वर्तमान परिदृश्य

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी की सभी प्रयोगशालाएं कार्यालय–सह–प्रयोगशाला

भवन का निर्माण कार्य पूरा होने तक अस्थायी तौर पर नवनिर्मित चार मंजिल आवासीय क्वार्टरों में अपना कार्य कर रही है। मौजूदा प्रयोगशाला माहौल में आधुनिक परीक्षण उपकरणों का रख–रखाव कठिन होता जा रहा है आगे विस्तार करना तो दूर की बात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधारढांचे के विकास को कारगर बनाने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुपालन में राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने मौजूदा अर्द्धस्थायी शेडों को चरणबद्ध रूप से हटाकर राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोतर क्षेत्र), गुवाहाटी के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक स्थायी भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। एक बार स्थायी प्रयोगशाला भवन में काम शुरू हो जाने पर राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी औद्योगिक उत्पादों बेहतर के गुणवत्ता आश्वासन को अधिक अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकती है।

उक्त भवन के निर्माण के लिए सी पी डब्ल्यू डी (पूर्वोत्तर क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत अनुमान 12.06 करोड़ रु. था और इसे उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। रा.प.शा (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी के स्थायी कार्यालय–सह–प्रयोगशाला भवन का निर्माण अंतिम चरण में है और सी पी डब्ल्यू डी द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2013–14 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी क्षेत्र को विनियमित करने में अभावों पर काबू पाकर सुविधाओं का ईष्टतम उपयोग करता है। क्षेत्र की अपेक्षा है कि यहाँ और आस पास के क्षेत्र में उभरकर आ रहे उद्योग तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता अपने अधिकांश उत्पादों के मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन का लाभ एक सूची के नीचे उठाएंगे।

*****

अध्याय - XV

समेकित वित्त प्रभाग

प्रस्तावना

15.1 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का समेकित वित्त प्रभाग अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के अधीन है।

कार्य

15.2 समेकित वित्त प्रभाग के कार्य इस प्रकार हैं –

- यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने के लिए निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से पालन किया जाए और बजट वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाए।
- बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय को भेजने से पूर्व उनकी पूरी तरह से जांच करना।
- यह देखना कि पूर्ण वित्तीय लेखों का रख–रखाव सामान्य वित्तीय नियमों के तहत अपेक्षाओं के अनुसार किया जाए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंत्रालय केवल अनुदानों के प्रति व्यय तथा उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित विनियोजन के लेखों का ही अनुरक्षण नहीं करता अपितु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय के आंकड़े भी प्राप्त करता है ताकि मंत्रालय के पास अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समूचे व्यय की माह दर माह सही स्थिति उपलब्ध हो सके।
- आवश्यक नियंत्रण रजिस्टर रखकर स्वीकृत अनुदानों की तुलना में अनुदानों में से किए गए खर्च की प्रगति पर नजर रखना और उसकी समीक्षा करना तथा जहां व्यय की प्रगति उचित नहीं है वहां नियंत्रण प्राधिकारियों को समय रहते चेतावनी देना।
- देनदारियों और प्रतिबद्धताओं के रजिस्टर का उचित रख–रखाव सुनिश्चित करना जैसाकि सामान्य वित्तीय नियमों के तहत अपेक्षित है ताकि बजट अनुमानों की वास्तविक तैयारी करने, बुक ऋणों पर नजर रखने और प्रत्याशित बचतों को समय पर प्रत्यर्पित करने में सुविधा हो सके।
- अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों हेतु प्रस्तावों की जांच करना।
- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह देना। इसमें मंत्रालय को कार्यालय अध्यक्ष की हैसियत से प्राप्त शक्तियों के अलावा सभी शक्तियां शामिल हैं। आंतरिक वित्तीय प्रभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वीकृति से स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि उसको आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श के

बाद जारी किया गया है।

- विभाग के आउटकम बजट में शमिल होना और तैयारी का समन्वय करना।
- अपेक्षित दृढ़ता के साथ योजनाओं/परियोजनाओं का उच्च गुणवत्ता मूल्यांकन और मूल्यांकन सुनिश्चित करना।
- अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियों के पुर्नप्रत्यायोजन के प्रस्तावों की जांच करना।
- स्कीमों के प्रतिपादन तथा महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के प्रारंभिक चरण से ही अपने आपको निकट से जोड़े रखना।
- परियोजनाओं और अन्य अनवरत स्कीमों के मामले में प्रगति/कार्य निष्पादन के मूल्यांकन से अपने आपको जोड़े रखना और यह देखना कि ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों परिणामों को बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाए।
- लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं आदि के निपटान पर नजर रखना।
- विभाग के अधिकारियों तथा भारतीय मानक ब्यूरो जो उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, के अधिकारियों के विदेशों में प्रतिनियुक्ति प्रस्तावों की भी जांच करना।
- भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न समितियों अर्थात वित्तीय समिति और कार्यकारी समिति में केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों और विनियोजन लेखाओं, पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- वित्त मंत्रालय की स्वीकृति अथवा सलाह के लिए भेजे जाने वाले सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना।
- वित्त मंत्रालय को तिमाही स्टाफ विवरण तथा अन्य रिपोर्टों और विवरणियों का नियमित रूप से और समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।

लेखा परीक्षा आपत्तियों का सारांश

15.3 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बकाया लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई पर नोट उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित लेखा–परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति (31.12.2012 की स्थिति के अनुसार) निम्नलिखित है:

मंत्रालय/विभाग का नाम	सी.ए.जी. की वर्ष 2009–10 की रिपोर्टें	सी.ए.जी. की वर्ष 2010–11 की रिपोर्टें	सी.ए.जी. की वर्ष 2011–12 की रिपोर्टें	कुल योग (1+2+3)
	(1)	(2)	(3)	(4)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)	0	0	3*	3*

* नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2011–12 की निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 26 के 3 पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट मॉनीटरिंग सैल, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रियाधीन है।

15.4 विभागीकृत भुगतान और लेखा संगठन

1. संगठनात्मक ढांचा:

विभागीकृत लेखा प्रणाली के तहत उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं जो अपने कार्य का निर्वहन उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव एवं वित्तिय सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से उनकी सहायता से करते हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग के विभागीकृत भुगतान और लेखा संगठन में नई दिल्ली में एक प्रधान लेखा कार्यालय के अलावा चार भुगतान और लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अवस्थित हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक उपभोक्ता मामले विभाग के साथ–साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, जिसके भी नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में चार भुगतान और लेखा कार्यालय है, के संबंध में भुगतान और लेखा संगठन का अध्यक्ष है।

2. कार्य एवं जिम्मेदारियां

मुख्य लेखा नियंत्रक के तहत भुगतान और लेखा संगठन निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:–

(i) भुगतान और लेखा कार्यालयों तथा सरकारी सेवकों तथा अन्यों को वेतन और भत्तों, भविष्य निधि दायों, कार्यालय आकस्मिक खर्चों, विविध भुगतानों, ऋणों और अग्रिमों के साथ–साथ सहायता अनुदान के चेक आहरण और संवितरण अधिकारियों के जरिए भुगतान की व्यवस्था कराना। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 4 भुगतान और लेखा अधिकारी, 1 चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आई.आई.एल. एम., रांची) तथा 18 गैर–चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। गैर–चौक आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दायों/बिलों को प्रत्यायित भुगतान और लेखा अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं जो बिलों की जांच के बाद चेक जारी करते हैं। चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी संगत नियंत्रणों का अनुपालन करने के बाद वेतन और आकस्मिक दायों का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं। चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक शाखाओं को भुगतान और लेख अधिकारियों द्वारा उनके पक्ष में जारी किए गए लैटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर प्रत्यायित बैंक शाखाओं को चेक जारी करते हैं।

(ii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में पेंशन भुगतान आदेश जारी करना और सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करना।

(iii) उपयोग प्रमाण–पत्रों का पर्यवेक्षेण और मॉनीटरिंग।

(iv) राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों को ऋणों और सहायता अनुदानों का रिकार्ड रखना।

(v) मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्ताशासी निकायों को तकनीकी सलाह।

(vi) आशोधित रोकड़ प्रबंधन प्रणाली के तहत व्यय की समीक्षा।

(vii) आंतरिक लेखा परीक्षा यूनिट मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयों तथा अन्य लेखा परीक्षा योग्य यूनिटों के निरीक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

15.5 इस मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय मासिक लेखा, व्यय विवरण, योजना व्यय पुनरावलोकन और वार्षिक लेखा जैसी आवधिक रिपोर्टें बनाता है। मासिक लेखे, प्राप्तियों और भुगतानों का एक समग्र शीर्षवार चित्र प्रदान

करते हैं। प्रधान लेखा कार्यालय 'कॉन्टेक्ट' नामक अन्य साफ्टवेयर के जरिए विभिन्न प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा उसको प्रस्तुत किए गए मासिक लेखों को संकलित करता है। मंत्रालय के संकलित लेखा को भारत संघ के लेखों में शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय, महालेखा नियंत्रक को भेजा जाता है। कान्टैक्ट का प्रयोग करते हुए अनेक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

15.6 भुगतान और लेखा कार्यालयों में भुगतान और लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा कार्य कान्पैक्ट साफ्टवेयर पर ई–लेखा द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण और विकास उपलब्धता, वहनीयता, सुरक्षा और अनुरक्षणीयता जैसी सभी साफ्टवेयर प्रणाली विशेषताओं को पूरा करने के प्रयास के साथ किया गया है। इस साफ्टवेयर की विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

(i) यह लेखा के निम्नतम स्तर पर है और लेखा प्रणाली के उच्चतर स्तरों को आगे की कार्रवाई के लिए सूचना प्रदान करता है।

(ii) यह सभी लेखा और भुगतान कार्यों अर्थात प्री चेक, बजट, संकलन, सामान्य भविष्य निधि और पेंशन को कवर करता है।

(iii) इसका उद्देश्य प्रधान लेखा कार्यालय में कॉन्टेक्ट साफ्टवेयर डाटाबेस में शामिल करने के लिए इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में मासिक संकलित लेखा डाटा तैयार करना है।

(iv) यह व्यय नियंत्रण रजिस्टर, प्राप्तियों बनाम व्यय तुलना, तिथिवार मासिक विवरण आदि जैसे व्यय विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रबंधकीय रिपोर्ट प्रदान करता है।

(v) यह प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले चेकों की तैयारी/मुद्रण में मदद करता है।

15.7 **ई–लेखा** जी2जी ई–प्रशासन कार्रवाई। कान्पैक्ट साफ्टवेयर के कार्यक्षेत्र को अब दैनिक क्लोजिंग एकाउंटिंग और प्रशासनिक डाटा सबसैट तैयार करने के लिए लागू किया गया है जिसको प्रत्येक भुगतान और लेखा कार्य से प्रतिदिन के अंत में सेंट्रल डाटाबेस सर्वर पर भेजा जा सकता है। जब भी डाटाबेस सर्वर पर 300 भुगतान और लेखा कार्यालयों में से प्रत्येक से डाटा प्राप्त होंगे, यह वेब आधारित अनुप्रयोग तथ्य आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए ऑन लाइन वित्तीय सूचना प्रणाली को सुकर बनाएगा।

15.8 **आंतरिक लेखा परीक्षा** मुख्य लेखा नियंत्रक के समग्र नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा की जाती है जिनमें से दो कोलकाता में और एक नई दिल्ली मुख्यालय में है।

15.9 आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए अनेक पैराओं के परिणाम स्वरूप 7,19,356/– रु. का अधिक भुगतान विभिन्न लेखा परीक्षितियों/प्राधिकारियों/संस्थाओं से वसूल हुई। आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा डी डी ओ को नियमों और प्रक्रियाओं के संदर्भ के साथ रिकॉर्डों और खातों के उचित रख–रखाव के लिए सुझाव भी दिए जाए।

15.10 **उपलब्धियां (31 दिसम्बर, 2012 तक):**

1. वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 22 यूनिटें लेखा परीक्षा की परिधि में आए। इनमें से 20 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई और सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले 6 ऐसे संस्थानों की पहचान की गई जो लेखा–परीक्षा के अन्तर्गत आते थे, जिनमें से 03 संस्थानों की लेखा परीक्षा की गई। शेष 5 यूनिटों की लेखा परीक्षा प्रत्येक दूसरे वर्ष की जानी है।

2. गैर–सरकारी संगठन की लेखा–परीक्षाएं भी आंतरिक लेख–परीक्षा विंग द्वारा की जा रही है।

3. 86 कर्मचारियों ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के आई.एन.जी.ए.एफ, एन.आई. एम.एफ., आई.एस.टी.एम. से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

महत्वपूर्ण लेखा आपत्तियों का सारांश

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित नवीनतम लेखा–परीक्षा रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों का सारांश :

1. संघ सरकार (सिविल) 2012–13 की संख्या 14, (एबी) कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा

वर्ष 2012–13 की रिपोर्ट संख्या0 14	
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
भारतीय मानक ब्यूरो	प्रतिस्पर्धात्मक कुशलता और गुणवत्ता उत्पादन प्राप्त करने के लिए मानकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने 1947 में, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की। बाद में मानक तैयार करने और अन्य संबंधित कार्य को विधायन के तहत लाने के लिए, सरकार ने, भारतीय मानक ब्यूरो के ढांचे को पुनर्गठित करने और नवम्बर, 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम पारित करके इसे भारतीय मानक विधायी प्राधिकरण के साथ मिलाने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, पहले के भारतीय मानक संस्थान के स्टॉफ, परिसम्पत्तियों, देनदारियों को शामिल करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो 1 अप्रैल, 1987 को अस्तित्व में आया। भारतीय मानक ब्यूरो ने कुल 18222 मानक तैयार किए, जिसमें से 1627 लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान तैयार किए गए। लेखा–परीक्षा ने 214 मानकों की यादृच्छिक जांच की और 137 मामलों में एक माह से लेकर 18 वर्ष तक मानकों के निर्माण में विलंब हुआ। मानकों के मुद्रण में भी 153 मामलों में चार से 55 माह तक विलंब के साथ, निर्धारित मानदंडों के विपरीत काफी समय लगा। उत्पाद प्रमाणन स्कीम के तहत मानकों का कम अंगीकरण था। 121 दिन और दो वर्ष से अधिक के बीच की अवधि के दौरान लाईसेंस देने में बहुत अधिक विलंब पाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो अपनी निगरानी और निरीक्षण भूमिका को पूरी तरह से निभाने में सक्षम नहीं था।

	52 से 68 प्रतिशत तक फैक्टरी नमूनों और 26 से 72 प्रतिशत बाजार नमूनों के संग्रहण में कमी और 39 से 62 प्रतिशत तक बहुत ही कम निगरानी दौरे पाए गए। प्रयोगशलाओं में परीक्षण सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी। भारतीय मानक ब्यूरो और बाहरी प्रयोगशालाओं में कुछ उत्पादों के संबंध मे नमूनों के परीक्षण (17 प्रतिशत), नमूनों के निरन्तर संचयन और परीक्षण सुविधाओं की गैर–उपलब्धता पाई गई। उपभोक्ताओं में मानकीकरण और प्रमाणन कार्यकलापों संबंधी जागरूकता इन गतिविधियों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता जागरूकता 'औद्योगिक जागरूकता' और मानकों की शैक्षिक उपयोगिता के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में उपलब्धियां क्रमशः 51 प्रतिशत 43 प्रतिशत और 34 प्रतिशत है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्वैच्छिक हालमार्किंग स्कीम के तहत भारतीय जौहरियों और स्वर्णकारों को पर्याप्त रूप से कवर न किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को अशुद्ध स्वर्णाभूषण खरीदने का जोखिम उठाना पड़ता था क्योंकि स्वर्णाभूषण की हॉलमार्किंग को अनिवार्य नहीं बनाया गया था। जनशक्ति की कमी लगातार बनी रही, यद्यपि भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियां मुख्य रूप से जनशक्ति पर आधारित थी।

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में वित्त वर्ष 2001–02 से 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले विवरण

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	मांग संख्या	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय		
		योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
2001-2002	36	8.50	37.55	46.05	10.77	63.24	74.01	9.24	60.90	70.14
2002-2003	39	10.15	52.48	62.63	7.50	75.33	82.83	7.13	88.85	95.98
2003-2004	18	9.67	24.76	34.43	9.67	32.98	42.65	8.24	34.85	43.09
2004-2005	18	18.25	32.55	50.80	18.25	64.81	83.06	36.11	43.26	79.37
2005-2006	17	107.94	56.90	164.84	90.00	59.89	149.89	86.09	34.04	120.13
2006-2007	17	163.00	68.00	231.00	150.00	52.66	202.66	133.96	35.43	169.39
2007-2008	17	213.00	57.24	270.24	150.00	54.35	204.35	105.83	36.68	142.51
2008-2009	15	209.00	55.03	264.03	160.00	253.65	413.65	142.33	189.42	331.75
2009-2010	16	209.00	271.90	480.90	164.00	264.86	428.86	146.23	231.52	377.75
2010-2011	16	220.00	269.00	489.00	198.00	521.72	719.72	187.92	513.96	701.88
2011-2012	16	225.00	375.36	600.36	185.00	337.61	522.61	175.62	330.89	506.51

सभी आंकड़े समेकित हैं।

* 31 दिसम्बर, 2012 तक का व्यय प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा संसूचित किया गया है और इसमें अन्य मंत्रालयों/विभागों के पक्ष में प्राधिकृत की गई 54.36 करोड रूपये की राशि भी शामिल है।

बड़े पैकटों में कम मात्रा अब और नहीं

जागो ग्राहक जागो

पैकेज में रखी वस्तुओं में धोखधड़ी का अंत

उपभोक्ताओं को ठगित होने से रोकने और उन्हें सूचित विकल्प अपनाने में सक्षम बनाने के लिए अब आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 19 उत्पादों को केवल विनिर्दिष्ट एक समान मानक पैकिंग और तौलों में बेचा जाएगा।

ये उत्पाद हैं:

• शिशु आहार • दूध छुड़ाने वाले आहार • बिस्किट • ब्रेड • मक्खन और मारगरीन
• अनाज और दालें • कॉफी • चाय • ब्रेड • गादक पेय-पदार्थ • घी • वनस्पति और खाद्य तेल
• दूध पाउडर • डिटरजेंट पाउडर • चावल • आटा और सूजी
• साबुन • एरेटिड सॉफ्ट ड्रिंक्स और गादक पेय • पैकबंद पेय जल
• सीमेंट की बोरियाँ • पेंट और वार्निश।

गैर-मानक अथवा घटिया पैक अब और नही

गरीब लोगों के लाभ के लिए सभी उपभोक्ता उत्पादों में 1/- रु. से लेकर 10/- रु. तक मूल्य आधारित पैकेज भी शुरू किए गए हैं। शिशु आहार और बिस्किट का न्यूनतम पैक साइज 25 ग्राम से शुरू होगा।

नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन सं.

1800-11-4000 (बीएसएनएल/एमटीएनएल से निःशुल्क)

011-27006500 (12 लाइन) (सामान्य कॉल दरें लागू हैं) पर कॉल कर सकते हैं अथवा अपने मोबाईल से **8800933717** पर एस.एम.एस. भेज सकते हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
वेबसाइट: www.fcamin.nic.in
द्वारा जनहित में जारी।

जागो ग्राहक जागो

अध्याय - XVI

अपंग व्यक्तियों के लाभार्थ स्कीमें

विभिन्न समूहों में अपंग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण
(31.12.2012 की स्थिति के अनुसार)

16.1 मंत्रालय/विभाग का नाम: उपभोक्ता मामले विभाग

कार्यालय/संगठन:

पद समूह	स्वीकृत पद	तैनात कर्मचारियों की संख्या	कॉलम 3 में से शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या		
			दृष्टि बाधित	बधिर	अस्थि विकलांग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
समूह क	224	158	1	-	1
समूह ख	389	252	-	-	7
समूह ग	631	485	2	3	8
योग	1244	895	3	3	16

शुभ दीपावली
जागो ग्राहक जागो
आइए हम इसे शोर और धुएं के प्रति एलर्जिक लोगों के लिए भी एक आनन्ददायक अवसर बनाएं
पटाखे चलाने से उत्पन्न होने वाला शोर और धुआं प्रदूषण वयोवृद्ध और अस्वस्थ लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है
आओ हम दिखा दें कि
हम इसका ध्यान रखते हैं
और दीपावली को सभी के लिए आनन्ददायक बनाएं
www.fcamin.nic.in

अध्याय - XVII

वर्ष 2011–12 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग का परिणाम ढांचा दस्तावेज

17.1 विभाग के परिणाम ढांचा दस्तावेज में सहमत उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ–साथ उनके कार्यान्वयन में प्रगति को मापने के लिए सफलता सूचक और लक्ष्य निहित हैं। परिणाम ढांचा दस्तावेज का कार्यान्वयन मंत्रिमंडल सचिवालय के पर्यवेक्षण में 2009–10 में शुरू किया गया था और परिणाम ढांचा दस्तावेज के माध्यम से पूर्ण मूल्यांकन वर्ष 2010–11 में शुरू हुआ।

17.2. विभाग की कार्यनीति योजना में दी गई कार्यनीति की रूपरेखा :

विभाग द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधन तथा उसके द्वारा समयानुकूल एवं अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय तथा उपभोक्ता की अपेक्षाओं में परिवर्तनों के कारण आवश्यक हुए उपबंधों को लाना विभाग की मुख्य कार्यनीति है।

एक राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है जिससे यह विभाग उन विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर सकेगा और उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकेगा जिनका संबंध उपभोक्ताओं से है।

हमने अपने अनुभव और मूल्यांकन तथा फीडबैक तंत्र के आधार पर अपनी कार्यनीति योजना तैयार की है जिसमें निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई हैं :

- एक सामाजिक–आर्थिक आंदोलन को बढ़ावा देना जिसमें उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।
- एक प्रशासनिक और कानूनी तंत्र सृजित करना जिसमें ए डी आर शामिल हो जो तीव्र और कार्यकुशल तथा उपभोक्ताओं के पहुंच के भीतर होगा।
- जागरुकता बढ़ाने में मीडिया, सिविल सोसाइटी, संगठनों और व्यवसायिक घरानों को लगाना।
- उन्नत कार्य निष्पादन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपयुक्त बदलावों के जरिए कानूनी उपबंधों को कारगर बनाना।
- औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन।
- नाशी सौदा वस्तु बाजारों का विनियमन।
- राष्ट्रीय मानकों के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में गुणवत्ता, सजगता का वातावरण और संस्कृति का निर्माण तथा उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी।
- प्रमुख शिकायत निवारण तंत्र के रूप में सभी/राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना तथा देश भर में नैटवर्किंग।

- निरंतर मूल्य निगरानी और आवश्यक वस्तुओं का विनियमन।

17.3. विभाग के मुख्य प्रभागों को शामिल करते हुए परिणाम ढांचा दस्तावेज 2011–12 के अभिनिर्धारित कार्य मदों, डिलीवरेबल्स तथा माइलस्टोन ने 2011–12 के लिए 77.57 का संयुक्त परिणाम हासिल किया जो प्रथम मूल्यांकन वर्ष 2010–11 के दौरान हासिल किए गए 59.51 से अच्छा है।

17.3.1 विभाग का दृष्टिकोण, मिशन, उद्देश्य और कार्य

भाग 1

दृष्टिकोण

हमारा दृष्टिकोण उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना, उपभोक्ता अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरुकता का प्रचार करना तथा देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देना है।

मिशन

हम उपभोक्ताओं से संबंधित प्रगतिशील कानूनों तथा विभिन्न उपभोक्ता कल्याण स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए अपने मिशन को पूरा करेंगे। राज्य सरकारों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, स्कूलों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सक्रिय भागीदारी से देश में एक जीवंत उपभोक्ता आंदोलन तैयार करने की संकल्पना की गई है। उपभोक्ता उत्पादों के लिए सख्त मानक विकसित और लागू किए जाते हैं। कानूनों के प्रभावी प्रयोग और प्रत्यक्ष बाजार दखल के जरिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की जाती है।

उद्देश्य

1. उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
2. उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी किफायती और तुरत प्रतितोष प्रणाली की व्यवस्था
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान विभागों के प्रवर्तन तंत्र के आधार ढांचे का विस्तार और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन।
4. राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण तथा एम आई एस की स्थापना।
5. राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन को पूरा करना।
6. कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केटों का कुशल विनियमन।
7. वायदा बाजारों और वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण।
8. मानकों का प्रतिपादन तथा उत्पादों और सेवाओं के अनुरूपता आंकलन का सुदृढ़ीकरण।
9. विभिन्न स्कीमों के जरिए उपभोक्ताओं के हितों का संवर्धन और संरक्षण।
10. आवश्यक वस्तु अधिनियम का कार्यान्वयन और विनियमन।
11. आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी।

कार्य

I. उपभोक्ता संरक्षण

i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन

ii) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।

iii) राष्ट्रीय परीक्षण शाला।

iv) पैकेज में रखी वस्तुओं का विनियमन और नए अधिनियम अर्थात विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन।

II. उपभोक्ता जागरुकता

i) 'जागो ग्राहक जागो' मल्टी मीडिया अभियान।

III. मानक निर्धारण

i) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन।

IV. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विनियमन

i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन।

ii) चोरबाजारी नियारण एवं आवश्यक वस्तु, प्रदाय अधिनियम, 1980 का कार्यान्वयन।

V. उपभोक्ता सहकारिताएं

i) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ।

VI. कमोडिटी एक्सचेंज

i) वायदा बाजार आयोग के जरिए कमोडिटी फ्यूचर्स का विनियमन ।

ii) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का कार्यान्वयन ।

VII. आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी

i) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी और उपलब्धता।

ii) दालों की उपलब्धता

VIII. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके उपभोक्ताओं से संबंधित कार्यक्रम

i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता हैल्पोलाइनों की स्थापना।

ii) उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं का तुलनात्मक परीक्षण।

3.2 वर्ष 2011–12 के लिए उपलब्धि और संयुक्त स्कोर– तालिका–1

उपभोक्ता मामले विभाग की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धियां प्रस्तुत) (2011–2012)

							लक्ष्य / मानदंड मान						निष्पादन	
क्र.सं.	उद्देश्य	मान	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	मान	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	घटिया		कच्चा	मान
							100%	90%	80%	70%	60%	उपलब्धि	स्कोर	स्कोर
1	उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाकर उन्हें सशक्त बनाना	7	कार्रवाई–1 प्रिंट विज्ञापन के माध्यम से प्रचार	हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना	प्रविष्टियों की संख्या	2	19000	17100	15200	13300	11400	8000	0	0
			कार्रवाई–2 इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार	दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो, निजी टी.वी. चैनलों एवं निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों के माध्यम से ऑडियो, वीडियो स्पॉट्स रिलीज करना	प्रविष्टियों की संख्या	2	55000	49500	44000	38500	33000	150000	100	2
			कार्रवाई–3 अन्य माध्यमों से प्रचार	बैनरों, होर्डिंगों, डाक विभाग, राज्यों को सहायता अनुदान देकर विज्ञापन	संख्या	1	9000	8100	7200	6300	5400	7000	77.78	0.78
			कार्रवाई – 4 मिश्रित उपभोक्ता–जागरूकता सूचकांक (सीएआई) तैयार करना	एक समुचित डिजाईन तैयार करना और सूचकांक को तैयार करने वाली एजेन्सी का पता लगाना	दिनांक	2	30/09/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09/12/2011	77.1	1.54

2	उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी, किफायती और त्वरित निपटान प्रणाली का प्रावधान करना.	19	कार्रवाई–1 उपभोक्ता मंचों के प्रभावी कार्यकरण के लिए उनकी अवसंरचना का पूरा करना	लाभान्वित हुए उपभोक्ता मंचों की संख्या	संख्या	5	75	72	68	60	53	90	100	5
			कार्रवाई–2 कान्फोनेट स्कीम के तहत कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना	लाभान्वित हुए उपभोक्ता मंचों की संख्या	संख्या	8	192	173	153	134	115	195	100	8
			कार्रवाई–3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों में और संशोधन करना	मंत्रिमंडल के लिए संशोधित नोट प्रस्तुत करना	दिनांक	4	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	02/08/2011	100	4
			कार्रवाई–4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन स्थापित करना	कार्यशील बनाई गई अतिरिक्त राज्य हैल्पलाईनों की संख्या	संख्या	2	5	4	3	2	1	3	80	1.6
3	राज्यों/संघ राज्यो क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान विभागों के प्रवर्तन तंत्र का उन्नयन करना और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 को कार्यान्वित करना	16	कार्रवाई–1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानक प्रयोगशाला स्थापित करना	द्वितीयक/कार्यमानक प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	संख्या	5	12	10	8	6	4	58	100	5

			कार्रवाई–2 जाच उपकरणों की सुपुर्दगी एवं कमीशनिंग	सभी राज्यों/संघ राज्या क्षेत्रों को डी.जी. एसएंड डी और भारत सरकार टकसाल, मुम्बई के माध्यम से सहमति प्राप्त उपकरणों की आपूर्ति एवं कमीशनिंग	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	6	35	31	28	24	20	35	100	6
			कार्रवाई –3 विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन	नए अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित करना	दिनांक	5	01/04/2011	01/05/2011	01/06/2011	01/07/2011	01/08/2011	01/04/2011	100	5
4	राष्ट्रीय परीक्षणशाला प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और एम.आई. एस. लगाना	7	कार्रवाई –1 एन.टी.एच. (दक्षी) चेन्नई के प्रयोगशाला भवन के चल रहे दूसरे चरण के निर्माण को पूरा करना और एन.टी.एच. (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी के स्थायी प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूरा करना।	दोनों भवनों के कार्य को पूरा करने के लिए योजना निधि में आबंटित 100.00 लाख रुपये की (i) और शीर्ष मुख्य कार्य के तहत रुपये 500.00 लाख की राशि का उपयोग	लाख रुपये में	3	600	540	480	420	360	759	100	3
			कार्रवाई–2 अतिरिक्त जाच सुविधा उन्नयन एवं सृजन के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद एवं स्थापना	एम.एंड ई. शीर्ष के तहत मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए आबंटित योजना निधि (67.00 लाख रुपये) का उपयोग	लाख रुपये में	3	670	603	536	469	402	457	68.21	2.05

			कार्रवाई–3 एन.टी.एच (प.क्षे) मुम्बई की कम्प्यूटर आधारित एम.आई. एस. प्रणाली का विस्तार	पूर्ण होने की तारीख	तारीख	1	31/01/2012	15/02/2012	28/02/2012	15/03/2012	31/03/2012	15/03/2012	70	0.7
5	राष्ट्रीय परीक्षण शाला को और अधिक आत्म निर्भर बनाना	7	कार्रवाई–1 राजस्व को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करना	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी	प्रतिशत	7	25	22.5	20	17.5	15	7.7	0	0
6	वस्तु भावी सौदा बाजार का प्रभावी विनियमन	4	कार्रवाई –1 बाजारों का विनियमन	अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 के संबंध में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप देने के प्रयास करना	तारीख	2	31/03/2012					22/12/2011	100	2
				कमोडिटी एक्सचेंज और एक्सचेंज के सदस्यों की लेखा परीक्षा	कार्यक्रमों की संख्या	2	350	325	293	260	228	325	90	1.8
7	वायदा बाजार और वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण	12	कार्रवाई –1 वस्तु भावी सौदा बाज़ार का विकास	क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना	कार्यक्रमों की संख्या	2	110	100	90	80	70	100	90	1.8
				जागरूकता और विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना	कार्यक्रमों की संख्या	2	400	360	320	280	240	818	100	2

				पणधारियों के साथ बैठकों में विचार–विमर्श	बैठकों विचार – विमर्शों की संख्या	2	10	9	8	7	6	10	100	2
			कार्रवाई–2 ए पी एम सी मंडियों के माध्यम से मूल्यों का प्रसार करना	कमोडिटी एक्सचेंजों को ए पी एम सी मंडियों के साथ जोडना.	टिकर बोर्डों की संख्या		1650	1500	1350	1200	1050	670	0	0
8	मानक तैयार करना और वस्तुओं एवं सेवाओं के अनुरूपता मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना	10	कार्रवाई – 1 भमा ब्यूरो के साथ 2011–12 के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाना	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना	तारीख	5	30/04/2011	15/05/2011	01/06/2011	15/06/2011	01/07/2011	29/04/2011	100	5
			कार्रवाई–2 भमा. ब्यूरो, 1986 में संशोधन करना	विधेयक को केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करना	तारीख	5	30/04/2011	15/05/2011	01/06/2011	15/06/2011	31/03/2012	26/03/2011	100	5
9	विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संवर्द्धन एवं संरक्षण करना	3	कार्रवाई–1 तुलनात्मक जांच के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को शामिल करना	उत्पादों और सेवाओं की जांच रिपोर्ट एवं परिणाम देना	संख्या	3	29	26	23	20	17	29	100	3
	* अनिवार्य उद्देश्य													
*	आर.एफ. डी. प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण	3	मसौदे को अनुमोदन के लिए समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	2	07/03/2011	08/03/2011	09/03/2011	10/03/2011	11/03/2011	07/03/2011	100	2
			परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	1	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012	01/05/2012	100	1

*	विभाग की आतंरिक कार्यकुशलता/उत्तरदायित्व/सेवा प्रदान करने में सुधार लाना	10	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिकों/ग्राहकों के चार्टर के संशोधित मसौदे को पुनःप्रस्तुत करना	तारीख	2	16/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	23/01/2012	25/01/2012	18/01/2012	90	1.8
				शिकायत प्रतितोष के कार्यान्वयन की स्वतन्त्र लेखा परीक्षा	प्रतिशत	2	100	90	80	70	60	58.25	0	0
			सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) का अनुपालन सुनिश्चित करना	मदों की संख्या जिनके संबंध में 10 फरवरी, 2012 तक जानकारी अपलोड कर दी गई है।	संख्या	2	16	15	14	13	12	16	100	2
			विभागीय गतिविधियों के संबंध में भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को कम करने के लिए एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	2	26/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	30/03/2012		लागू नहीं	लागू नहीं
			आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करना	आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	2	16/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	26/03/2012	100	2
*	वित्तीय जवाबदेही ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	2	सी एंड एजी के आडिट पैराओं के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60	33.3	0	0

			पी.एसी. की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों को समय पर पी.ए सी. सचिवालय को प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पी. ए.सी. द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई, की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों का प्रतिशत	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
			सी.एंड ए.जी. द्वारा 31.3.2011 से पूर्व संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आडिट पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी लम्बित टिप्पणियों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाई गई, की गई कार्रवाई संबंधी लम्बित टिप्पणियों का प्रतिशत	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
	* अनिवार्य उद्देश्य													
			पी.एसी. द्वारा 31.3.2011 से पूर्व संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाई गई, की गई कार्रवाई संबंधी लम्बित रिपोर्टों का प्रतिशत	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
	* अनिवार्य उद्देश्य													
								कुल संयुक्त स्कोर :			77.57			